55 वीं वार्षिक रिपोर्ट
2016-2017

मॉयल
MOIL

मॉयल लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

इस्पात को शक्तिशाली बनाये

दृष्टीकोण, लक्ष्य एवं उद्देश्य

मॉयल लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

लक्ष्य

हमारा लक्ष्य प्रभावी, सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेशण और विकास के माध्यम से अपने पणधारियों के लिए दीर्घकालीन लाभ उत्पन्न करना।

दृष्टीकोण

रणनितिक गठबंधन और तकनीकी उन्नयन के माध्यम के मैंगनीज उद्योग बाजार में अपनी अग्रणी प्रतिष्ठा को बनाए रखना तथा वैश्विक विविधीकरण उपक्रम बनना।

रणनीतिक उद्देश्य/ प्राथमिकताएं

- २०३० तक अपना उत्पादन ३ एमएन एमटी बढाकर देश में मैंगनीज की मांग को पूरा करने के उद्देश्य के लिए प्रयास करना।
- संबंधित उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न विविधीकरण विकल्पों को तलाशना तथा पणधारियों को लाभ प्रदान करना।
- कर्मचारियों के जीवन को उँचा उठाना और विकास के उत्तम अवसर उपलब्ध करना।
- अपने खनन क्षेत्रों को हरा-भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाना।

विषय सूची

कार्य-निष्पादन – एक नजर में.....

अध्यक्ष का वक्तव्य.....

अनुलग्नकों के साथ मण्डल की रिपोर्ट.....

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयाँ.....

स्वतंत्र (स्टँण्डअलोन) वार्षिक लेखा

स्वतंत्र (स्टँण्डअलोन) वार्षिक लेखोंपर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट.....

तुलन पत्र.....

लाभ-हानि लेखा.....

नकद प्रवाह विवरण.....

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ.....

लेखों पर टिप्पणियाँ.....

व्यापार खण्डों के बारे मे जानकारी.....

समेकीत वार्षिक लेखा

समेकीत वार्षिक लेखोंपर स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट.....

तुलन पत्र.....

लाभ-हानि लेखा.....

नकद प्रवाह विवरण.....

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ.....

लेखों पर टिप्पणियाँ.....

सदस्योंको महत्वपूर्ण सूचना

कंपनियों द्वारा पेपररहित अनुपालन की अनुमति देकर कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कारपोरेट अधिशासन में हरित पहल की है तथा परिपत्र जारी किए है, जिसमें यह कहा है कि वार्षिक रिपोर्ट सहित नोटिस/दस्तावेजा को ई-मेल द्वारा सदस्यों को भेजा जा सकता है। सरकार की इस हरित पहल का पूरी तरह से समर्थन करने के लिए ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता अब तक पंजीकृत नही किया है, उनसे अनुरोध है कि अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में अपना ई-मेल पता पंजीकृत करे। ऐसे सदस्य जिन्होंने शेयोरोंको भौतिक रुप से धारण किया है उनसे अनुरोध है कि मॉयल लिमिटेड या हमारे आर एण्ड टी एजेन्ट (मेसर्स बिग शेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड) के पास इसका पंजीकरण करे ताकी प्रिन्टेड कॉपी के बदले ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजी जा सके । भारत सरकार की हरित पहल की दिशा में कंपनी ए ओ सी- 3 फॉर्म में संक्षिप्त वित्तीय विवरणों की मुख्य बातों को भेज रही है।

अस्वीकरणः

कंपनीने आत्यंतिक सावधानी से यह दस्तावेज छपवाया है, लेकिन भागधारकों से प्रार्थना है कि अगर कोई विसंगती दिखाई दे, तो कंपनी को सूचीत करे। ऐसे मामलो मे मंडल निर्देशकद्वारा मंजूर की गई मूल दस्तावेज की जानकारी वैध मानी जाएगी।

निदेशक मंडल

श्री. एम. पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कार्यकारी निदेशक

श्री. डी. एस. अहलूवालीया
निदेशक (वित्त)

श्री. टी. के. पटनाईक
निदेशक (वाणिज्य)

श्री. डी. शोम
निदेशक (उत्पादन योजना)

सरकारी निदेशक

श्रीमती. उर्विला खाती
संयूक्त सचिव इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

श्री. एम. एल. दुबे
सचिव खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश

स्वतंत्र निदेशक

सुश्री. सुनंदा प्रसाद

सुश्री. संगीता गैरोला

मुख्य महाप्रबंधक

श्री. रवि वर्मा
मुख्य महाप्रबंधक (उत्पादन)

श्री. पि. व्ही. व्ही. पटनायक
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं विविधता)

श्री. डि. व्ही. राजू
महाप्रबंधक (कार्मिक)

महाप्रबंधक

श्री. टि. के. मंडल
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री. सी. बी. अतुलकर
महाप्रबंधक (खान)

श्री. पि. करैया
महाप्रबंधक (खान)

श्री. एन. एम. शेष
महाप्रबंधक (सतर्कता)

श्री. एस. राय
महाप्रबंधक (तकनिकी)

श्री. आर. के. वर्मा
महाप्रबंधक (यांत्रिक)

मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव

श्री. एन. पि. काजरेकर
(मुख्य वित्त अधिकारी)

श्री. निरज दत्त पाण्डये
(कंपनी सचिव)

कार्य-निष्पादन-एक नजर में

विवरण	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
वित्तीय (करोड रु मे)						
शुद्ध विक्री	**989.84**	634.60	831.16	1028.45	975.03	905.68
अन्य आय	**221.13**	252.15	316.61	303.32	235.27	203.32
कुल आय	**1210.97**	886.75	1147.77	1331.77	1210.30	1109.00
सकल मुनाफा	**516.61**	322.72	695.65	804.51	669.82	636.54
करपूर्व लाभ	**461.90**	270.26	650.57	769.33	636.78	606.63
करपश्चात लाभ	**305.83**	172.98	428.01	509.56	431.72	410.77
कुल व्यापक आय	**299.27**	172.98	428.01	509.56	431.72	410.77
लाभांश	**66.59**	84.00	142.80	126.00	92.40	84.00
साधारण अंश पूंजी	**133.19**	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
अन्य इक्विटी	**2672.16**	3285.37	3213.70	2959.33	2597.64	2273.31
नेटवर्थ	**2805.35**	3453.37	3381.70	3127.33	2765.64	2441.31
उधार राशियाँ	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल खण्ड	**734.56**	671.88	610.72	510.07	479.91	422.58
कार्यशील पूंजी	**2362.78**	3061.87	3030.68	2805.27	2485.50	2184.36
नियोजित पूँजी	**2688.98**	3372.76	3324.59	3054.14	2734.45	2398.06
महत्वपूर्ण अनुपात						
नियोजित पूँजीपर करपूर्व लाभ प्रतिशत	**17.18**	8.01	19.57	25.19	23.29	25.30
बिक्रीपर करपूर्व लाभ प्रतिशत	**46.66**	42.59	78.27	74.80	65.31	66.98
इक्विटी अनुपात पर कर्ज	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रति शेअर पर आय (रु.) (रु. 10 के अंकित मूल्वयपर)	**20.21**	10.30	25.48	30.33	25.70	24.45
राजकोषमें योगदा (करोड रु. में)						
आयकर	**135.00**	97.81	193.83	260.87	213.84	204.01
लाभांश विवरण	**13.56**	17.31	28.55	21.87	14.99	13.76
बिक्रीकर एवं वैट, प्रवेश कर, सेवा कर	**27.58**	13.61	20.23	26.75	23.72	21.85
रॉयल्टी एवं उपकर डी एम एख, एन एम ई टी	**58.61**	30.57	35.06	39.78	36.38	33.10
उत्पादन शुल्क	**8.26**	5.86	7.91	7.17	7.91	6.10
म.प्र. रोड उपकर	**16.40**	10.91	14.12	17.81	17.17	15.59
कुल	**259.41**	176.07	299.70	374.25	314.01	294.41
उत्पादन						
मँगनीज अयस्क (एम टी)	**1004845**	1032275	1139156	1134508	1138895	1070717
ई एम डी (एम टी)	**731**	612	950	923	786	714
फेरो मँगनीज (एम टी)	**9950**	6519	10045	10042	9210	8694
पवनचक्की से बिजली (किलोवॅट अवर)	**32305629**	36370789	32808711	33206045	37545155	33022835

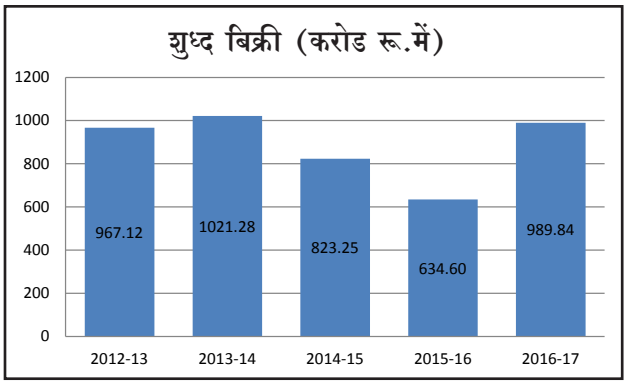
शुध्द बिक्री (करोड रू.में)
1200
1000
800
600
400
200
0
967.12
1021.28
823.25
634.60
989.84
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

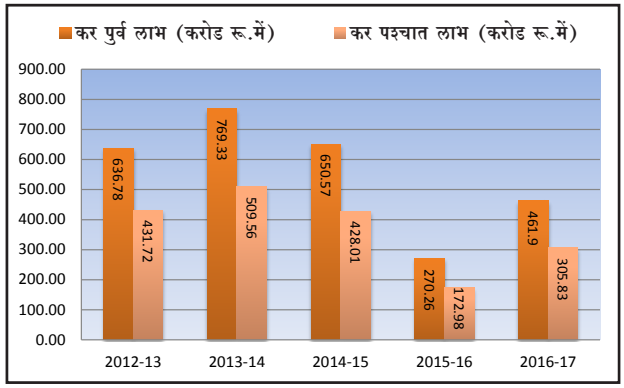
कर पुर्व लाभ (करोड रू.में)
कर पश्चात लाभ (करोड रू.में)
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
636.78
431.72
769.33
509.56
650.57
428.01
270.26
172.98
461.9
305.83
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

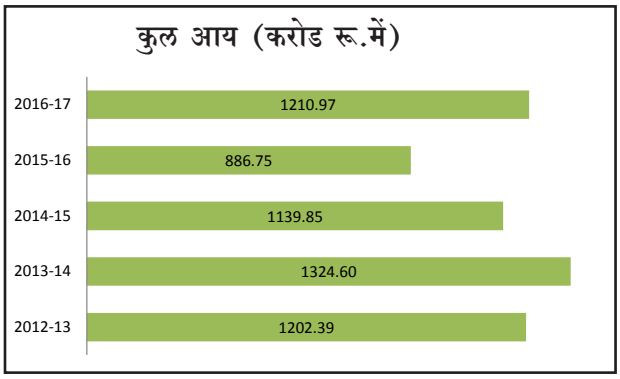
कुल आय (करोड रू.में)
2016-17
1210.97
2015-16
886.75
2014-15
1139.85
2013-14
1324.60
2012-13
1202.39

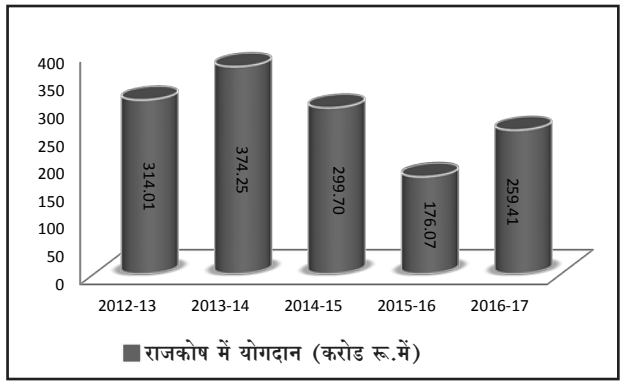
400
350
300
250
200
150
100
50
0
314.01
374.25
299.70
176.07
259.41
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
राजकोष में योगदान (करोड रू.में)

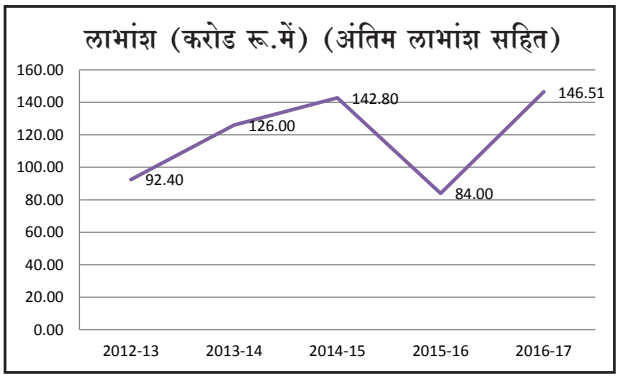
लाभांश (करोड रू.में) (अंतिम लाभांश सहित)
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
92.40
126.00
142.80
84.00
146.51
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

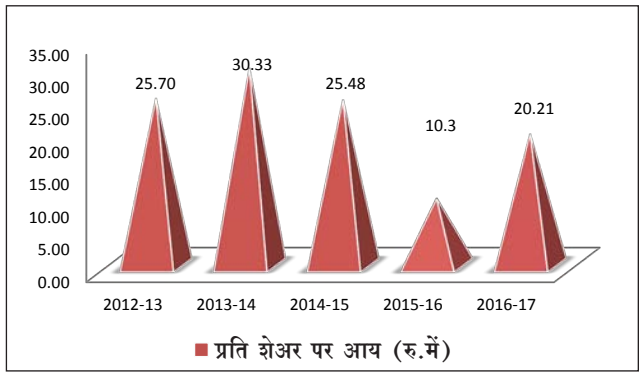
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
25.70
30.33
25.48
10.3
20.21
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
प्रति शेअर पर आय (रु.में)

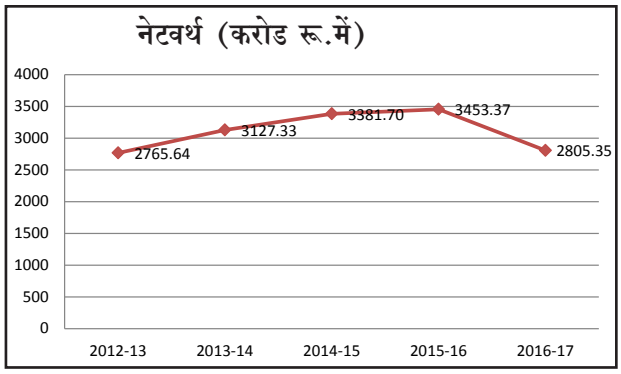
नेटवर्थ (करोड रू.में)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2765.64
3127.33
3381.70
3453.37
2805.35
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

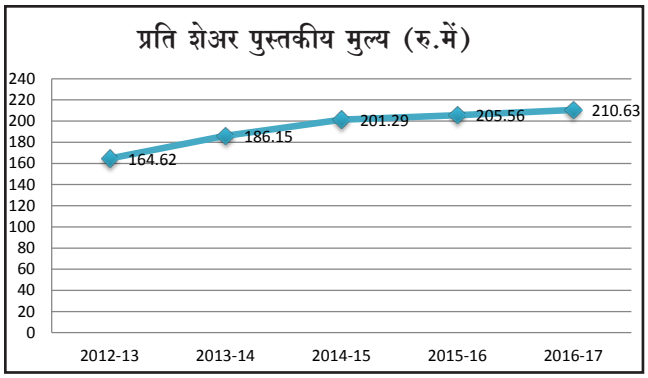
प्रति शेअर पुस्तकीय मुल्य (रु.में)
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
164.62
186.15
201.29
205.56
210.63
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

अध्यक्ष का वक्तव्यः

श्री. एम. पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयर धारकों,

आपके कंपनी का अध्यक्ष इस नाते से आपसे मेरी यह पहली ही मुलाकात है, इसीलिए 55 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा के अवसर पर आपसे संवाद करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षीक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गौरव एवं हर्षा की अनुभूती हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 खनन और धातु उद्योग के लिए एक नया मोड देनेवाला वर्ष रहा है और गतवर्ष की तुलाना में विशेषकर मँगनीज अयस्क उद्योग के लिए अच्छा रहा है। संपूर्ण इस्पात और कमोडिटी बाजार के लिए यह वर्ष लाभादायक रहा, जिसमें कमोडिटी बाजार, विशेषकर धातू क्षेत्र का प्रदर्शन गतवर्ष की तुलनामें अच्छा रहा। गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान कीमते उँचे स्तर पर थी। लगभग सारी धातु कंपनियों का प्रदर्शन वर्ष के दौरान अच्छा था।

2016 की पहली तिमाही से मँगेनीज अयस्क की कीमतों में छोटी छोटी वृद्धी होने के कारण मँगनीज अयस्क उद्योग सकारात्मक विकास की ओर बढने लगा। बढती माँग और मूल्यवृद्धि से सकारात्मक हुए बाजार की स्थिती के कारण मॉईल ने अपनी कीमतों के धोरण के अनुसार विभिन्न श्रेणी के मॅगेनीज अयस्कों की कीमतों मे वृद्धि की, परिणामस्वरुप औसत बिक्री, गत वर्ष की रु 5911 पी एम टी की तुलान में इस वर्ण रु 8078 पी एम टी तक पहुँच गयी, जिसका मतलब 37% की वृद्धि हुई। मार्केट क्षेत्र की इस सकारात्मक हलच के साथ ही अच्छी विपणून नीती, मूल्य निर्धारण निती और योग्य उत्पादन मिश्रण के कारण आपके कंपनीने उत्पादन में थोडी सी कमी आने के अलावा लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत हि अच्छी प्रदर्शन किया है। आपकी कंपनी गत वर्ष की 9.67 लाख टन की तुलना में इस वर्ष 2016-17 में 11.29 लाख टन मँगेनीज अयस्क बेचने में सफल हुई है, जिसका मतलब विक्री में 16.75% की वृद्धि हुई है। आपकी कंपनीने गत वर्ष की 634.60 करोड रु. बिक्री कारोबार की तुलना में इस वित्तिय वर्ष 2016-17 के दौरान 989.84 करोड रु का बिक्री कारोबार दर्ज किया है, जो कि 56% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनीने करपूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः रु. 461.90 करोड और रु. 305.83 करोड दर्ज किया है, जो कि गत वर्ष रु. 270.76 और रु. 172.98 करोड था। कंपनीने मँगेनीज अयस्क की विभिन्न श्रेणियों का 10.32 लाख टन उत्पादन किया है जब कि गत वर्ष में यह 10.32 लाख टन था।

मॉईल कई वर्षे से लाभांश भुगतान करनेवाली कंपनी है। मुझे यह सूचीत करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निदेशक मंडल ने वर्ष 2016-17 के लिए आज तक के सबसे बेहतर 60 प्रतिशत दर से अर्थात रु. 6.00 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश सिफारिश की है। इस प्रकार, वर्ष 2016-17 के लिए कुल लाभांश रु. 11.00 प्रति इक्विटी शेयर होता है। आपकी कंपनीने मार्च 2017 में शेयर धारकों को रु. 11.00 मे से रु. 5.00 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश पहले ही भुगतान कर दिया है।

आपकी कंपनी सदैव निगमित अधिशासन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इंटीग्रीटी पैक्ट का कार्यान्वयन, आचार संहिता का स्वीकार तथा सुपरिभाषित आंतरिक नियंत्रण संरचना से कंपनी के व्यापार व्यवहार की पारदर्शिता में अतिरिक्त योगदान प्राप्त हुआ है। मॉयल में नियमित अधिशासनपर सरकारी दिशानिर्देशों तथा लिस्टिंग समझौतों का अनुपालन किया जा रहा है। हालां कि, निदेशकों के रिक्त पदों को भरना, जो कि निगमित अधिशासन की आवश्यकताओं में से एक है, उसपर सरकारी स्तर पर प्रक्रिया जारी है। निगमित अधिशासन अनुपालन पर एक रिपोर्ट को मण्डल की रिपोर्ट का एक भाग बनाया गया है। निगमित अधिशासन के विभिन्न मानदंडों के अनुपालन के लिए आपकी कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त कर रही है। मुझे यकीन है कि वर्ष 2016-17 के लिए भी कंपनी 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करेगी।

एक अच्छे निगमित नागरिक होने के नाते में मॉयल आंतरीक के साथ ही बाह्य पणधारियों तथा समाज के जीवन स्तर में बिकास और सुधार के माध्यम से समाज के जरुरतमंद लोगों के उत्थान के लिए अपना सहयोग देन में सबसे अग्रणी रहा है। आपकी कंपनी ने अपने प्रचालन क्षेत्रों और आस-पास के क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में रहनेवाले समुदायों के लिए स्वास्थ, शिक्षा, सडकों तथा सकुलों का निर्माण/मरम्मत, जलपूर्ति सुविधा, परिक्षेत्र बिकास, खेलकुद एवं सांस्कृतिक बिकास इत्यादि क्षेत्रों में नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व की कई गतविधियों को अपने हाथों में लिया है। निगमित समाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत मॉयल द्वारा पूर्ण की गई प्रमुख परियोजनाओं चिखला में डी ए वी मायल पब्लिक स्कूल को आस-पास के क्षेत्रों के लोगों से उत्कृष्ट प्रतिसाद मिल रहा है। जो स्कूल कुछ साल पहले 434 छात्रों की क्षमता के साथ शुरु हुई थी आज 864 छात्रों की क्षमता तक पहुँच गई है। कंपनी ने ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास गतिविधियों को भी शुरु किया है।

'मॉयल फाऊंडेशन' के अंतर्गत आपकी कंपनी बीएआयएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, पुणे की एक सहयोगी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर फॉर रुरल एरिया (मित्रा) के सहयोग से अपनी खदानों के आस पास के 21 गाँवों मे बडे पैमाने पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला रही है, जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ जैसे सुधारित कृषी पद्धती, मृदा स्वास्थ कार्ड, पशुधन विकास, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम, बायो-गैस की स्थापना, महिला स्वंय-सहायता समूह, सौर लैम्प, शौचालयों का निर्माण, महिला सशक्तिकरण योजना, शिक्षा एवं कौशल विकास शामिल है। कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर रु. 11.43 करोड की राशि व्यय की है, जिसमें मॉयल फाउंडेशन को निधी का हस्तांतरण भी शामिल है।

आपकी कंपनी के पास दिनांक 31-03-2017 को 1743.77 हेक्टर भूमि क्षेत्र से अधिक संपूर्ण खनन पट्टे है जिसमें से 704.22 हेक्टर भूमि महाराष्ट्र में है और 1039.55 हेक्टर भूमि मध्यप्रदेश में है। हालही में मॉयल को विभिन्न श्रेणीयों के अंतर्गत 988.181 हेक्टर क्षेत्र से अधिक मँगनीज अयस्क पट्टों के अंतर्गत 311.593 हेक्टर, पीएल के अंतर्गत 464.98 हेक्टर तथा महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण के अंतर्गत 211.608 हेक्टर शामिल है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकारने भी बालाघाट जिले में मॉयल के पक्ष में 372.701 हेक्टर का नया क्षेत्र आरक्षित किया है, जो कंपनी की बालाघात खदान से लगकर है।

दुनिया की सबसे अच्छी मँगेनीज अयस्क खनन कंपनीयों में से एक बनने के लिए और इस्पात उद्योग में मँगनीज अयस्क की माँग को पूरा करने के लिए और मँगनीज अयस्क के उत्पादनों में बाजार में अग्रणी रहने के लिए आप की कंपनीने अपनी मौजूदा खदानों के विकास में निवश के लिए योजना बनाई है। इस दिशा में निदेशक मंडल ने गुमगाव और बालाघाट खदानों मे हाईस्पीड वर्टिकल शाफ्ट की सिंकींग के लिए गत वर्ष रु. 460.88 करोड का निवेश मंजूर किया है। इन प्रकल्पों के द्वारा इन खदानों का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2014-25 तक लगभग दोहरा, 3.7 लाख टन से 7.40 लाख टन तक बढना अपेक्षित है। वर्ष के दौरान मॉयल ने अपनी चिखला खदान में वर्टिकल शाफ्ट के गहरिखरण का कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा आपकी कंपनी ने अपनी चिखला, बालाघाट, कान्दी और मनसर खदानों में शाफ्ट के गहरीकरण और सिंकींग की विभिन्न परियोजनाओं को हाथों में लिया है।

खदानों में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और गैर-पारंपारिक तथा पर्यावरण अनुकुल उर्जा के उपयोग को बढावा देने के लिए आपकी कंपनी के मंडल ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अपनी खदानों में 10.5 मेगावैट सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए गत वर्ष जो निवेश मंजूर किया था, उसपर प्रक्रिया चालू है। ये संयंत्र इस वर्ष के दौरान कार्यरत होने की अपेक्षा है। इसके अलावा आपकी कंपनीने नागपूर स्थित मॉयल भवन में 48 किलोवॅट क्षमता का सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना की है।

भारत में इस्पात का उत्पादन वर्ष 2015 के 89.03 मिलयिन टन की तुलना में वर्ष 2016 में 7.40 प्रतिशत की वृद्धि बताते हुए 95.62 मिलियन टन तक बढ गया है, जब कि इस दौरान जागतिक इस्पात उत्पादन में केवल 0.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। चीन, जो की कच्चे इस्पात के उत्पादन में अव्वल नंबर पर है, वर्ष के दौरान 1.20 प्रतिशत और जपान जो कि दूसरे नंबर पर है, 0.80 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि बता रहे थे, जो इस्पात उत्पादन में हमारे देश की मजबूत स्थिती दर्शाते है।

मँगनीज अयस्क उद्योग का प्रदर्शन इस्पात उद्योग के प्रदर्शन से जुडा है। वर्ल्ड स्टील असोसिएशन (डब्ल्यू एस ए) की दृष्टी से जनसंख्या विस्तार, इस्पात के नये और परिष्कृत उपयोग के परिणामस्वरुप विश्व इस्पात मार्केट आनेवाले 50 वर्षों मे 700 से 1000 मिलीयन टन तक बढने की संभवना है। यह आज के मार्केट की तुलना में 60 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है, जो कि मँगेनीज अयस्क उद्योग के लिए भी एक सुनहरा मौका है।

अगर 2016-17 के लिए देश के अनुमानित उत्पादन की तुलना की जाए, तो आपकी कंपनी वर्तमान स्थिती में लगभग 45 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में मँगनीज अयस्क की सबसे बडी उत्पादक है। हालां कि, भारत में मँगनीज अयस्क के आयात में अनुमानतः 2.22 मिलियन टन से 1.91 मिलियन टन तक की गिरावट आयी है, लेकिन फिर भी उच्च श्रेणी के मँगनीज अयस्क का बडी मात्रा में आयात किया जा रहा है। यह माँग और परिपूर्ती के बीच पर्याप्त अंतर को दर्शाता है, जो मॉयल को अपना उत्पादन, विशेष रुप से उच्च श्रेणी के मँगनीज अयस्क के उत्पादन में वृद्धि के लिए अवसर उपलब्ध कराता है।

लगभग 81.47 मिलियन टन के मँगनीज अयस्क के भंडार और संसाधनों के साथ मॉयल अपनी प्रभावपूर्ण स्थिती, मध्यमसे उच्च श्रेणी के अयस्क भंडार, मध्य क्षेत्र में अवस्थित खदानें, कम उत्पादन लागत एवं ग्राहको के साथ मजबूत संबंधों के साथ भारत में इस्पात की माँग में वृद्धि को पूंजीकृत करने की अच्छी स्थिती में है।

'आधारिक संरचना का विकास' भारत के आर्थिक कार्यक्रम में अव्वल नंबर पर है। राष्ट्रीय इस्पात नीती 2017 के अनुसार भारत ने 2030-31 तक 300 मिलियन टन इस्पात क्षमता का लक्ष्य निश्चित किया है, जो मँगेनीज अयस्ककी घरेलु माँग 10 मिलियन तक बढायेगा। मॉयल के लिए यह उत्पादन और मार्केट में अपना हिस्सा बढाने के लिए अच्छा अवसर होगा। जैसा कि आप सब जानते है, विश्व के औसत इस्पात उपभोग 208 किलो की तुलना में भारत में प्रतिव्यक्ति इस्पात का उपभोग 61 किलो है, यह भी इस्पात उद्योग के लिए एक मौका है। इस तरह भारत की इस्पात की माँग में सकारात्मक वृद्धि की संभावना है।

भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अपनी अग्रणी स्थिती को कायम रखने के लिए मँगनीज अयस्क उत्पादन बढाना आवश्यक है, जिसके अनुसार मॉयलने अपने उत्पादन को 1.10 मिलियन एमटी से 2.00 मिलियन एमटी 2021 तक, 2.5 मिलियन एमटी 2025 तक और 3.00 मिलियन एम टी 2030 तक बढाने की योजना बनाई है, जिसके लिए रणनीतिक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इस दिशामें आपकी कंपनीने मौजूदा खदानों का विकास देश और विदेश नय खदानों का अधिग्रहण, खदानों के आस-पास के क्षेत्रों का अधीग्रहण, मूल्य संवर्धन और विविधता प्रकल्प आदि के लिए निवेश की योजना बनाई है।

मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूती हो रही है कि अपने अंशधारकों को इनामस्वरुप मॉयल के निदेशक मंडलने 1:1 अनुपात में (1इक्विटी शेअर पर 1) बोनस शेयर प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसके लिये फ्री रिझर्व्ह को पूंजीकृत किया जाएगा, जिससे 10 रु. मूल्य के 13,31,87,804 इक्विटी शेयर की वृद्धि होगी, इसके लिए अधिकृत शेयर की पूंजी में वृद्धि का भी प्रस्ताव है, जो शेयरधारकों की वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृती पर निर्भर है।

उद्योग में आए तेजी और मंदी के बावजूद आपकी कंपनी देश के ऊन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से एक है जिसे गत कई वर्षों से अपने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जान जाता है। कंपनी को अपनी गतविधियों के लगभग सभी क्षेत्रों में क्वालिटी सर्कल पुरस्कार, सुरक्षा पुरस्कार, उर्जा बचत पुरस्कार, निगमित अधिशासन उत्कृष्ट रेटिंग जैसी राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मान्यता मिल रही है। मैं अत्यंत हर्ष से यह सूचीत करना चाहूंगा कि आपकी कंपनी के चार खदानों को भारत सरकार, खदान मंत्रालय से 5 स्टार रेटिंग मिली है।

मैं भारत सरकार मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार, सभी सरकारी विभाग, हमारे सम्मानित ग्राहक , कंपनी के बैंकर्स, आपूर्तिकर्ता, कामगार-संघटना, ऑफीसर्स असोसिएशन और सभी मॉयलीयन्स द्वारा कंपनी के कार्य-निष्पादन में दिए गए अपरिमित योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूँ। जिसके बिना कंपनी को प्रगतिशील दिशा में ले जान संभव नही हुआ होता। कंपनी को नई उँचाईयों तक पहुँचाने एवं अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए मैं आगे भी सभी पणधारियों के लगातार सहयोग एवं प्रतिबद्धता की आशा करता हूँ।

एम.पी.चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ओपन कास्ट मनोरम दृश्य डोंगरी बुजूर्ग खान

अंशधारकों के लिए मण्डल की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारकों,

निदेशक मंडलकी ओरसे आपकी कंपनी की 55 वी वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने में मुझे बेहद हर्ष हो रहा है।

➢ **वित्तीय परिणामः**

वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा गतवर्ष के वित्तीय परिणाम नीचे दर्शाए अनुसार है।

राशी ₹ में

विवरण	स्वतंत्र		समेकित	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
शुद्ध बिक्री	989.84	634.60	989.84	634.60
अन्य आय	221.13	252.15	221.20	252.22
कुल आय	1210.97	886.75	1211.04	886.82
ब्याज, मूल्यऱ्हास और करपूर्व लाभ (ई बी आई डी टी ए)	516.61	322.72	518.39	322.70
मूल्वयऱ्हास	54.71	52.47	54.90	52.65
करपूर्व लाभ (पीबीटी)	461.90	270.26	463.49	270.05
घटाए: करधान के लिए प्रावधान	156.07	97.27	156.09	97.27
करपश्चात लाभ (पीएटी)	305.83	172.98	307.40	172.78
मुदत के दौरान कुल व्यापक आय	299.28	172.98	300.85	172.78
जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	125.00	75.00	125.00	75.00

प्रमुख वित्तीय अनुपात

अनुपात	2016-17	2015-16
बिक्री कारोबार का ई बी आई डी टी ए (%)	52.19	50.85
शुद्ध मूल्य पर पी ए टी (%)	10.90	5.01
औसत नियोजित पूँजी पर ई बी आई डी टी ए (%)	17.04	9.64
प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति)	20.21	10.30
प्रति शेयर बही खाता मूल्य	210.63	205.56

➢ **बिक्री:**

आयात मँगनीज के कीमतों की अस्थिरता का घरेलु मँगनीज के मार्केट पर बडा प्रभाव रहता है। 2015-16 की तुलना में 2016-17 में यद्यापि कीमतों मे कुछ सुधार आया, फिर भी मार्केट पूरी तरह नही सँवर सका। जैसे ही हर आयात में कीमते अस्थिरता दिखाने लगी, कंपनी के कीमतों की हर महिने समीक्षा करना शुरु किया। वर्ष के दौरान औसत बिक्री रु. 5911 से रु. 8078 तक बढ गई और फलस्वरुप कंपनीका मँगनीज अयस्क बिक्री राजस्व 58.33 प्रतिशत बढकर रु. 571.79 करोड से बढकर रु. 905.34 करोड हो गया। विवेक पूर्ण विपणन और मूल्य निर्धारण नीती के साथ आपकी कंपनी अयस्क बिक्री वित्तीय वर्ष 2015-16 के 9.67 लाख एम टी की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16.75 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11.29 लाख एम टी तक पहुँचाने में सफल हुई है। वर्ष के दौरान कंपनीने बिक्री में वृद्धि लाने के लिए सकारात्मक नीतीयाँ जैसे कि दूरस्थ ग्राहकांको रेल्वे किराये का परतावा, नियमित ग्राहक बातचीत आदि अपनायी है।

54 वी एजीएम

कंपनीके विनिर्मित उत्पादोंके संबंध में अर्थात ईएडी, फेरो मँगनीज, फेरो मँगनीज स्लॅगसहित गत वर्ष 2015-16 के रु. 53.69 करोड की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान शुद्ध बिक्री रु. 76.67 करोड थी। ई एम डी की बिक्री गत वर्ष 2015-16 के 714 एम टी की तुलनामें 2016-17 में 952 एम टी थी, जब कि फेरो मँगनीजकी बिक्री में 2015-16 के 7922 एम टी की तुलना में 2016-17 मे 9540 एम टी तक वृद्धि हुई।

➢ **उत्पादन एवं उत्पादकता::**

आपकी कंपनीने गतवर्ष के 10.32 लाख टन उत्पादन की तुलना में वर्ष के दौरान मँगनीज अयस्ककी विभिन्न श्रेणियोंका 10.05 लाख टन उत्पादन किया है। कंपनी का प्रतिमानव पाली (ओ एम एस) आउटपुट 0.722 टन (गत वर्ष 0.718 टन) रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अ)शाफ्ट गहरीकरण कार्यक्रम एवं डीजीएमएस के अनुसार सुरक्षा के कारण गाईड रेलेमें बदलाव ब)डोंगरी लुजुर्ग खदान के विकासपर (आनेवाले वर्षों में अच्छा अयस्क उपलब्ध हो इसलिए) ज्यादा ध्यान देना; इनके कारण उत्पादन में अधिक वृद्धि नही आई।

गत वर्ष के 612 एमटी की तुलना में इस वर्ष इलेक्ट्रोलिटिक मँगनीज डायॉक्साइड (ईएमडी) का उत्पादन 19.44 प्रतिशत बढकर इस वर्ष में 731 एमटी हुआ। गत वर्ष के 6519 एमटी की तुलना में इस वर्ष फेरो मँगनीजका उत्पादन 52.63 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हुए 9950 एमटी हुआ।

वर्टिकल शाफ्ट

➢ **बंद भंडारः :**

गत वर्ष 31-03-2016 को रुपये 130.46 करोड मूल्य के 2.95 लाख एमटी बंद भंडार की तुलना में 31-03-2017 को रुपये 81.89 करोड मूल्य के 1.42 लाख एम टी मँगनीज अयस्क के बंद भंडार कंपनी के पास है। कंपनी के पास पिछले वर्ष 31-03-2016 को रुपये 10.26 करोड मूल्य के 2598 एम टी फेरो मँगनीज के बंद भंडार की तुलना में 31-03-2017 को रुपये 10.99 करोड मूल्य के 3008 एम टी फेरो मँगनीज के बंद भंडार है। 31-03-2016 के रुपये 2.18 करोड मूल्यके 294 एम टी ई एम डी के बंद भंडार की तुलना में 31-03-2017 को रुपये 0.58 करोड मूल्य के 73 एम टी ई एम डी का बंद भंडार है।

➢ **पूँजी/मूल्यवर्धन/विविधीकरण परियोजनाएँ::**

इस्पात उद्योगमें मँगनीज अयस्ककी माँग पूरी करने और हमारे देश में मँगनीजके बाजार में अग्रणी रहनेके लिए मँगनीज अयस्कका उत्पादन बढाना आवश्यक है। इसलिए मॉयलने अपने वर्तमान उत्पादन को बढाकर लगभत 1.1 मिलियन टनके वर्तमान स्तर से 2021 तक 2.0 मिलियन टन, 2025 तक 2.5 मिलियन टन और 2030 तक 3.00 मिलियन टन करनेकी योजना बनाई है, जिसके लिए एक रणनीति प्रबंधन योजना पहले ही बनाई गई है। इस दिशामें आपकी कंपनी ने मौजूदा खदानों के विकास, देश के भीतर और बाहर नई खदानों के अधिग्रहण/विविधीकरण परियोजनाओं इत्यादि की स्थापना के लिए निवेश की योजनो बनाई है।

मँगनीज अयस्कके उत्पादन का स्तर जारी रखीनेके लिए एवं इस्पातके उत्पादन में भविष्य में होनेवाली वृद्धि मध्य नजर रखते हुए, इसे वित्तिय वर्ष 2020-21 तक 2.00 मिलियन एम टी और वित्तीय वर्ष 2014-25 तक 2.5 मिलियन एम टी, देश की बढती माँग पूरी करनेके लिए आपकी कंपनी ने खदानों में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग/गहरीकरण परियोजना मौजूदा खदानोंके लिए और नये क्षेत्रमें निवेश की योजना बनाई है। अपना उद्देश्य साध्य करनेके लिए और कुछ खदानों में वर्टिकल शाफ्ट गहरीकरण परियोजना की आवश्यकता हो सकती है। पर्याप्त निवेश के बिना 2.00/2.50 मिलियन एम टी की उत्पादन क्षमता हासिल करना संभव नही है। इसी कारण मॉयल को पर्याप्त निवेश की जरुरत है, जो कि मौजूदा रिजर्व और भविष्य के प्रोद्भवन से पूरी की जा सकती है।

(ए) पूंजीगत खर्च और खदान विस्तारीकरण परियोजनाः

कंपनी की पूंजीगत खर्च योजनाओं में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग/ गहरीकरण परियोजना, खननके लिए नये पट्टे/क्षत्रों का विकास, स्थायी संपत्तियों में नियमित परिवर्धन/संशोधन/प्रतिस्थापन, टाउनाशिप, अनुसंधान और विकास इत्यादि में निवेश की परिकल्पना की गई है। कुल पूँजीगत खर्च गतवर्ष में रु. 119.65 करोड की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 120.74 करोड का उपयोग किया गया है। मॉयल ने अपनी मौजूदा खदानों से उत्पादन को बढाने के लिए विभिन्न खदान विस्तारीकरण परियोजनाओं को हाथों में लिया है। कुछ परियोजनाएँ पहले ही पूर्ण हो चुकी है और कुछ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में निम्नानुसार है:

अंडरग्राउंड सिंगल ब्रूमर क्रॉलर ड्रिलिंग मशिन

1) **संपन्न प्रकल्प/कार्यान्वयन के अधीन परियोजना**

(ए) होल्म्स (वर्टिकल) शाफ्ट का 300 मीटर से 435 मीटर तकगहरीकरण, लोडिंग स्टेशन के साथ, जिसकी पूँजीगत लागत रु. 28.30 करोड है-शाफ्ट गहरीकरण और अस्तरी काम निर्धारित समय पर पूर्ण हुए है। अनुषांगिक विकास कार्य प्रगतीपर है।

(बी) चिखला खदानमें 160 मीटर गहराई की अन्य वर्टिकल शाफ्ट की हेडगिअर स्ट्रक्चर, वाईडिंग सिस्टम और अन्य आनुषंगिक कार्यो के साथ सिंकींग, जिसकी पूंजीगत लागत रु. 48.70 करोड है ड्ड परियोजना का कार्य प्रगतिपर है और अपने निर्धारित समयानुसार चल रहा है।

(सी) कांद्री खदानेमं वर्टिकल शाफ्ट का 185 मीटर से 245 मीटर तक गहरीकरण, जिसकी पूंजीगत लागत रु. 14.82 करोड है। परियोजनाका कार्य अपने निर्धारित समयानुसार प्रगतिपर चल रहा है।

(डी) मनसर खदानमें 160 मीटर गहराई की अन्य वर्टिकल्स शाफ्ट की सिंकिंग, जिसकी पूंजीगत लागत रु. 51.32 करोड है। परियोजना का कार्य अपने निर्धारित समयानुसार प्रगतिपर चल रहा है।

(ई) उकवा खदान में 324 मीटर गहराई की अन्य वर्टिकल शाफ्ट की सिंकींग, जिसकी पूंजीगत लागत रु. 77.15 करोड है। परियोजना का कार्य अपने निर्धारित समयानुसार प्रतगिपर चल हरा है।

2) आगामी/नई परियोजनाएँ :

(ए) गुनगाव खदान में रु. 194.92 करोड की पूँजीगत लागत से 324 मीटर की लार्ज डाय हाई स्पीड वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग जागतिक निविदाओंका मूल्यमापन शुरु है।

(बी) बालाघाट खदान में रु. 265.96 करोडकी पूंजीगत लागत से 750 मीटर की लार्ज हाई स्पीड वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग जागतिक निविदाओंका मूल्यमापन शुरु है।

(बी) खदानोंका अधिग्रहणः

कंपनी की रणनीतिक प्रबंधक योजना की दिशा में विदेशों के मँगनीज अयस्क उत्पादकों के साथ खरीद समझौतों के लिए रणनीतिक गठबंधन की योजना बनाँई गई है। इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित करने की दृष्टी से कंपनी की वेबसाईट पर एक ओपन एंडेड एक्प्रेशन ऑफ इस्टरेस्ट (ईओआय) को रखा गया है। जैसे ही प्रस्ताव आते है, उनका मूल्यामापन किया जाता है। अबतक 27 प्रस्ताव आ चुके है। लेकिन उद्योग को आगे बढाने के लिए कोई उचित संपत्ती प्राप्त नही हुई। हालही में हुए खदाने और खनिज पदार्थ (रेग्यूलेशन अॅण्ड डेवलोपमेंट) कानून, 1957 में सुधार को मध्य नजर रखते हुए कंपनीने मध्य प्रदेश सरकारके साथ राज्य के मँगनीज अयस्कों को खोजने के लिए एम ओ यु पर हस्ताक्षर किए। इस एम ओ यु के मुताबिक जब भी और जहाँ भी अयस्कों का पता चले, कंपनी अपना खदान आगे बढाने के लिए कदम उठा सकती है।

(सी) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ (सेल एवं मॉयल फे रो अलॉय प्रा. लि. और रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि.)

फेरो अलॉय संयंत्रों को स्थापित करनेके लिए मॉयल के पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आय एन एल) के साथ दो अलग संयुक्त उद्यम (50:50) है। बिजली के उच्च दरों के कारण दोनों संयुक्त उद्यम कंपनियों में कोई गितिवधि नही हुई है। कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसार सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों के मुख्य बातों को समाविष्ट करते हुए एक विवरण (प्रपत्र-एओसी-1) अनुलग्नक -1 के रुपमें संलग्न है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा, 129 (3) के प्रावधानों के अनुसार इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया है।

खदान में स्थापित निंवहन लोडर

(डी) अन्वेषण कारोबारः

भारत सरकार के खान मंत्रालय ने देशभर में विभिन्न खनिजोंका अन्वेषण संचालित करने के लिए मॉयलको एम एम डी आर अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। इससे मॉयल के लिए इन नये क्षेत्रों में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अवसर खुल गए है। मॉईल मध्य प्रदेश के चार जिलों में दूरस्थ संवेदनक्षमता के अभ्यास के लिए नॅशनल रिमोट सान्सिंग सेंटर, हैदराबाद के साथ एम ओ यु पर हस्ताक्षर करनेवाली है, जिसके उपरांत एम ओ यु के मुताबिक अयस्क अन्वेषण जारी रहेगी।

➢ अनुसंधान एवं विकासः

मॉयल मँगनीज अयस्क और इसके मूल्यवर्धित उत्पादनों जैसे इलेक्ट्रोलिटिक मँगनीज डायॉक्साइड (इएमडी) और हाई कार्बन फेरो मँगनीज अलॉय के अन्वेषण, दोहन और विहणनमें कार्यरत है। चट्टानों का खराब दर्जा और कठिन भू-खनन अवस्थाओं के साथ विभिन्न गहराईयों पर स्थित संकीर्ण अयस्क भंडार में मॉयल 3 अपनकास्ट और 7 भूमिगत खदानों को संचालित करता है। देश की जानी मानी सी एम आय आर-आर एण्ड डी प्रयोगशाला, शैक्षणिक और अनुसंधान व विकास संस्थानों के नये तंत्रज्ञान से खदानों की सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कंपनी ने अनुसंधान और विकास गतिविधियोंको शुरु किया है। मॉयल अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्था जैसे सी एम आय आर-सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मायनिंग अॅण्ड फ्युएल रिसर्च (सी आय एम एम एफ आर), नॅशनल मेटर्लजिकल लॅबोरेटरी (एन एम एल), नॅशनल जिओफिजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूशन (एन जी आर आय), नॅशनल एनव्हायरनमेंटल अॅण्ड इंजिनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एन ई ई आर आय), इंडियन इन्स्टीट्यूत ऑफ टेक्नॉलॉजी (एन आय टी), नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकॅनिक्स (एन आय आर एम), कोलार गोल्ड फिल्डस्, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरींग सायन्स अॅण्ड टेक्नॉलॉजी (आय आय इ एस टी) इत्यादी संस्थाओंके साथ संलग्न और जुडा हुआ है।

मॉयल की कुछ अनुसंधान और विकास परियोजाएँ निम्नलिखित है।

1) खदानोंका वातावरणः गुमगाव और चिखला खदानमें इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, खरगपूर द्वारा गहरे स्तरों के लिए वेंटिलेशन के पुनर्गठन का अध्ययन किया गया। उनकी सिफारिशे गुमगाव खदानों कार्यान्वित की गई और चिखला खदानमें सिफारिशे कार्यान्वित हो रही है।

2) खदान सुरक्षाः खदान घटाव:उकवा खदान के जंगल क्षेत्र के घटाव प्राचल का वहाँपर वैज्ञानिक 3-डी विश्लेषण किया गया। वहाँपर अयस्क भंडार के स्ट्राईक और डीप दिशामें 5 घटाव निगरानी स्तंभों के स्थान निगरानी स्टेशन बनाया गया और हर तिमाही स्टेशन और जी पी एस द्वारा थ्री डी निदेशकोंपर निगरानी रखी जाती है।

आधुनिक पर्यावरण के अनुकूल हायड्रो स्टॅटिक ड्रील मशिन

3) **खनिज संरक्षणः** नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रॉकमेकॅनिक्स (एन आय आर एम), के जी एफ ने चिखला खदानमें अनुसंधान एवं विकास के बारे में अध्ययन किया।

4) **खनन तकनीक :**

(ए) **स्टोपिंग तकनीक :** आय आर टी धनबाद (भूतपूर्व इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स, धनबाद) द्वारा मेकॅनाईज स्टोपिंग प्रचालन के लिए आर एण्ड डी परियोजना तैयार की गई है और उकवा खदानमें मेकॅनाईज स्टोपिंग प्रचालन और सपोर्ट सिस्टम के लिए कार्यान्वित की गई है। मेकॅनाईज स्टोपिंग प्रचालन और सपोर्ट सिस्टम के लिए कार्यान्वित की गई है। मेकॅनाईज स्टोपिंग प्रचालनसे उत्पादन, सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार लाने में मदद मिली है।

(बी) **ढलाई स्फोटकोंके लिए अन्य पर्यायः** भूढ़किंपन, उडती चट्टाने और आवाज कम करनेके लिए और क्रियात्मक कार्यक्षमता बढाने के लिए डोंगरी बुजुर्ग अपनकास्ट खदानमें प्रायोगिक तत्वपर साईट मिक्स इमल्शन (एस एम ई) स्फोटकों का शॉक ट्यूब्ज के साथ प्रयोग किया गया। इसके परिणाम उत्साहवर्धक थे और अब विस्फोटकोंकी नई रीती अपनाने की योजना बन रही है।

5) **शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगात्मक कार्यः**

(ए) मॉयल भरन सामग्री के लिए रेतीके विकल्प का बी एन आय टी, नागपुर के साथ मिलकर संयुक्त सहयोगधारक अनुसंधान एवं विकास परियोजना चला रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ मायनिंग इंजिनियरींग, बी एन आय टी, नागपुर में एक बेंच स्केल हायड्रोलिक स्टाव्हिंग संयंत्र स्थापित किया है। यह परियोजनासे भरन सामग्री इंजिनियरींगके लिए नया मार्ग खुला है। इस विषय में संशोधन प्रगतीपर है।

(बी) मॉयल स्लोप मॉनिटरिंग उपरकणों (खान मंत्रालय की एस अॅण्ड टी योजना के अधीन) के लिए नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, रुरकेला के साथ स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान भी कर रहा है।

6) **अंतर्गत-आर अॅण्ड डी ड्र भरन सामग्री के विकल्प के लिएः**

(ए) आर एण्डडी विभाग प्रायोगिक आदार पर जमीनी राख से उकवा खदान के भूमिगत भागों की भराई के लिए अध्ययन कर रहा है। हायड्रॉलिक स्टोव्हिंगसे लगभग 400 घन मीटर (मी 3) जमीनी राख का भूमिगत भागोंमें भरन हुआ है। फलनिष्पत्ती के पुष्टीकरण के लिए और भी परीक्षण जारी षै।

(बी) हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड के मालाजखंड परियोजना के हायड्रोलिक स्टोव्हिंग के लिए 'चक्की अवशेष' का इस्तेमाल किया गया। अंतर्गत आर अॅण्डडी के अध्ययन से रेती के विकल्प की जगह 'चक्की अवशेष' का इस्तेमाल किया गया।

प्री-कास्ट आर.सी.सी. कॉलम्स अॅण्ड सेक्शन्सः अंतर्गत विकसित किये प्री कास्ट आर. शी. शी. कॉलम्स तथा सेक्शन्स ड्रीफ्ट के भूमिगत विकास के सुरक्षा की दर्जामें सुधार हुआ तथा कॉंक्रीटिंग प्रक्रिया की कार्यक्षमता बढ गई।

आर अॅण्ड डी से संबंधित गतिविधियों का अधिक विवरण अनुलग्नक -11 में दिया गया है।

मॉयल के मेन कार्यालय में सोलर पैनलों की स्थापना

➢ **उर्जा संरक्षणः**

कंपनीके भिन्न-भिन्न स्थानोंपर विभिन्न उर्जा संरक्षण परियोजनाएँ कार्यरत है। नये तंत्रज्ञानका इस्तेमाल तथा विद्युत अपव्यय टालना, विद्युत खपत पर निगरानी रखकर उसकी खपत कम करना आदि उपायों से उर्जा की बचत हो सकती है। उर्जा खपतमें कमी के लिए किए गए उपाय/भविष्य की योजनाएँ निम्नलिखित है।

1) मॉयल भवन, नागपुरमें 48 किलोवॉट रुफ टॉप सौर उर्जा परियोजना स्थापित की गई है।

2) सभी खदानोंके प्रशासकीय ब्लॉक्समें सौर रुप टॉप की स्थापना करना।

3) महाराष्ट्र के खदान क्षेत्रों में 5 मेगावॉट सौरशक्ती और मध्य प्रदेश के खदान क्षेत्रोंमें 5-5 मेगावॉट सौरशक्ती की परियोजनाएँ।

4) मध्यप्रदेश में राजगढके नजदीक 20 मेगावॉट सौर उर्जा परियोजना की व्यवहार्यता।

5) उर्जा, घटक में सुधार और बिजली की बचत के लिए बालाघाट खदान में 250 के वी आर, 11 के बी कैपेसिटर बैंक की स्थापना

6) आवासीय कॉलोनीयोंके लिए सोलर पॅनेल की स्थापना

7) डोंगरी बुजुर्ग ओपनकास्ट खदान में पारंपारिक दियोंकी जगह एलईडी दिये।

8) प्रशासकीय ब्लोंक्स में ऑक्युपन्सी सेन्सर्स

9) भूमिगत चलनेवाले लॅटरी लोकोमोटीव्ह के लिए रिजनरेटीव्ह नियंत्रण व्यवस्था

10) बालाघाट खदानमें भूमिगत खदानमें उर्जा बचत के लिए छोटे आकारके कॉंप्रेसर की स्थापना

कंपनी की खदानों और संयंत्रों के लिए उत्पादन की प्रति टन बिजली खपत इस प्रकार है।

क्र.सं.	विवरण	किलोवॅट अवर खपत (पी एम टी)	
		वित्तीय वर्ह 2016-17	2015-16
1.	मँगनीज अयस्क	23.54	22.51
2.	फेरो मँगनीज	3059.00	3156.38
3.	ई एम डी	3453.63	4352.41

ऑपरेशन्सकी गहराई बढनेकी वजहसे और रिपोर्ट वर्ष के दौरान उत्पादन में कमी आने के कारण बिजली की किलोवॅट अवर खपर पीएमटी बढ गई है। उर्जा संरक्षण के संबंध में अधिक विवरण अनुलग्नक -11 में दिया गया है।

- पवन उर्जा उत्पादनः

  मॉयल के 4.8 मेगावाट और 15.2 मेगावाट क्षमता के दो पवन उर्जा फार्म है जो इंदौर (म.प्र.) केनिकट देवास जिले में क्रमशः नागदा पहाडी और खेडी पहाडी पर स्थित है। 4.8 मेगावाट पवन फार्म से बालाघात खदान को उर्जा दी जा रही है और खदान के साथ ही कंपनी के फैरो मँगनीज संयंत्रमें भी उपयोग की जा रही है। 15.2 मेगावाट पवन फार्म से उत्पादित उर्जा कमध्य प्रदेश पॉवर मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को बिक्री की जा रही है। कंपनी ने पिछले वर्ष के 3.64 करोड के डब्ल्यू एच की तुलना में हवा की खराब गतिकी बजहसे 3.23 करोड के डब्ल्यू एच बिजली उत्पन्न की है।

➢ खनन पट्टा और अन्वेषणः

31-03-2017 को मॉयल के पास कुल 1743.77 हेक्टर खनन पट्टा क्षेत्र है, जिसमें से 704.22 हेक्टर भूमि महाराष्ट्र राज्यमें तथा 1039.55 हेक्टर भूमि मध्य प्रदेशमें स्थित है। (उकवा, बालाघाट, तिरोडी और डोंगरी बुजर्ग केवन क्षेत्रों को छोडकर, जिसका अभी निष्पादन नही हुआ है) महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और भंडारा जिलेमें मँगनीज के प्रास्पाक्टिंग के लिए सरकार द्वारा मॉयल के पक्षमें 814.71 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र में से 584.309 हेक्टर क्षेत्र जिसमें 11 पी एल क्षेत्र आता है मँगनीज के प्रॉस्पाक्टिंग के लिए अनुमति प्रदान की है और शेष क्षत्रों की प्रक्रिया जारी है।

बालघाट में बेल्ट पैंकिंग, आयएमबी संयत्र पर काम करते हुए

राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एन जी आर आय), हैदराबाद द्वारा 11 पी एल क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रॅविटी और मॅग्नेटिक पद्धतिसे भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किया गया था। ग्रॅविटी और मॅग्नेटिक सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर मॉयल द्वारा 3 पी एल क्षेत्रों के अंतर्गत कोर ड्रिलींग की गई और इन क्षेत्रों में मँगनीज अयस्ककी मौजूदगी को साबित किया, जिसके अनुसार कंपनीने 211.60 एच ए लीजओवर मायनिंग के लिए आवेदन किया है। 3 एम एल अप्लिकेशन में से, महाराष्ट्र सरकारने सैद्धांतिक तौर पर 132.46 एच ए के दो एम एल क्षेत्रों के पश्चात शेष पी एल क्षेत्र में कोर ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरु की जायेगी।

वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने बालाघात जिले के भार्वेली और आवलाझारी गाँव में 76.409 हेक्टर खनन पट्टा कंपनी के पक्ष में प्रदान किया है। मॉयलने लीन निष्पादित और पंजीकृत कर ली है।

इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकारने मँगनीज अयस्क के शोषण के लिए बालाघात जिलेके तवेझरि मांझरा गाँवमें मॉयल के पक्षमें 372.701 हेक्टर पट्टा आरक्षित किया है।

➢ सूचना तंत्रज्ञान का विकास और इस्तेमालः

कंपनी के सभी कार्यक्षेत्रोंका प्रभावी संगनकीकरण करनेके हेतूसे कंपनीने एक संपूर्ण विभाग निर्माण किया है। सूचना तंत्रज्ञान की अद्ययावत आधारिक संरचना सुनिश्चित करनेके लिए कंपनीने निम्नलिखित कदम उठाएँ है।

- प्रधान कार्यालय तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सभी खदानों में संगणकों की स्थापना
- सभी स्थानोंपर इथरनेट आधारित लोकल एरिया नेटवर्क (लॅम) विंडोजपर तथा लिनक्स प्लॅटफॉर्म
- इसने एन आय सी सर्व्हरपर गतिशील इंटरनेट वेबसाईटका डिझाईन और विकास करके कार्यान्वित की।
- इसने मॉयनेटके अंतर्गत सर्व्हपर इंट्रानेट वेबसाईट डिझान और विकास करके कार्यान्वित की।
- ॲप्लीकेसन्स, डाटाबेसे/सूचना तथा अन्य स्त्रोंतोंके नियमित रुपसे प्रभावशाली सहभाजनके लिए सभी कार्यक्षेत्रोंको एम पी एल एस वि पी एन और वि पी एन के माध्यम से लीजड् लाईन और ब्रॉडबॅण्ड से जोडा गया है।
- निरंतर ज्ञानप्राप्ती, संवाद और इंटर युनिट डाटा ट्रान्स्फर की सुविधा के लिए इंटरनेट कनेक्शन्स् दी गई है।
- प्राप्ति प्रक्रियामें पारदर्शकता लानेके लिए रु. 2 लाख से अधिक मूल्यकी खरीद एम एस टी सी के ई-प्रोक्युरमेंट पार्टलसर।
- ई आर पी कार्यान्वयण

  मॉयल में ई आर पी कार्यान्वयन सूचना के आधारपर निर्णय लेनेके लिए सक्षम करने की सभी व्यापारकि प्रक्रियों के सहज एकीकरण की परिकल्पना करता है, जो सभी स्तरोंपर दर्शनीय और पारदर्शी है। एकल संव्यवहार आधार के साथ जिसे अद्यतन साझा किया जाता है और संपूर्ण संगठन द्वारा तैयार किया जाता है, व्यवसायिक कार्यों के सभी मास्टर डेटा का मानकीकरण कि या गया है।

ई आर पी के लिए डाटा सेंटर की स्थिती डिझाईन करके नागपुर के निगम कार्यालयमें कार्यान्वित की है।

फाईनान्स अॅण्ड कंट्रोलिंग (एफ आय सी ओ), मटेरियल्स मॅनेजमेंट (मए एम) सेल्स अॅण्ड डिस्ट्रिब्युशन (एस डी), प्रॉडक्शन अॅण्ड प्लानिंग (पी पी), प्लान्ट मेंटेनन्स (पी एम), ह्यूमन रिसोर्स मंनेजमेंट (एच आर एस) ऑफसॅप, जैसे कोअर मोड्यूलोंके अलावा कंपनीने एफ एल एम, डी एम एस तथा ई एस एस/एम एस एस भी कार्यान्वित किये है।

जनवरी 2017 के सभी व्यावसायिक व्यवहार मौजूदा लेजसी सिस्टम से सॅप में बदल दिये गये है और यह सिस्टम कार्यान्वित हो रही है। इसके साथ ही बेहतर कार्यान्वय और पारदर्शक व्यवहारोंके लिए नये व्यवस्थापन सूचना संस्था (एम आय एस) का विकास किया जा रहा है।

सीएफ एम केंद्रप्रसारक कंप्रेसर

➢ सुरक्षा एवं व्यवसायिक स्वास्थ्यः

आपकी कंपनी खदानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनेपर विशेष जोर देती है तथा अत्याधुनिक कखनन तकनीक एवं खनन प्रचालन में यांत्रिकीकरण का समावेश करके सुरक्षा उपकरणों के मानकों को लगातार सुधार लाकर दुर्घटनाओं में कमी लाने का सतत प्रयास भी करती है। खदानों के सुरक्षा मानकों में सुधार लाने हेतू निम्नलिखित कदम उठाये गये है।

- सुरक्षाके प्रति जागरुकता लाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण देना
- अपघात/दुर्घटनाओं में कमी/उच्चाटन करने हेहू सुरक्षा समितियोंकी सभा नियमित तौर पर आयोजित की जाती है, जिसमें सतर्कतापूर्वक दुर्घटना का विश्लेषण किया जाता है।
- दुर्घटनाओंकी अधिक से अधिक रोकथाम के लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों के साथ गहन वार्तालाप किया जाता है।
- विशेष प्रशिक्षण के अलावा प्रत्येक कर्मचारी को नियमित रुपसे व्यवसायिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- स्थायी विकासमें सुरक्षाकी भूमिका एवं खदाने तथा पर्यावरण कानून पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- व्यवसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्रमें मॉयल को बालाघाट, डोंगरी बुजुर्ग, चिखला, कान्द्री, मनसर, गुमगाव, तिरोडी और डी जी एम एस की आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार की है।
- खदानों, संयंत्रो, स्कूल, अस्पताल और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है।
- इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स, नागपुर नेतृत्व में वर्ष 2016-17 के लिए खदान पर्यावरण और खनिज सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।
- बालाघाट, उकवा और फे रो मँगनीज संयत्र का सुरक्षा ऑडिट कर लिया गया।

➢ पर्यावरण संरक्षण और अक्षय उर्जाः

आज के युग में परिस्थितिकी संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुदाय के विकास की प्रक्रियामें उसके पर्यावरण के अनुकूल रहने के साथ-साथ उस समुदाय की विशिष्ट संस्कृति के अनुकूल रहना भी अनिवार्य होता है। कंपनी की सभी खदानों जिसमें रेती घात भी शामिल है, को एम ओ ई एफ , नई दिलल से पर्यावरण निकासी प्राप्त है। आपकी कंपनीने स्थायी विकास को प्राप्त करनेके लक्ष्य के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सक्रियक दम उठाए है। कंपनी अपने पट्टा धरित क्षेत्रों एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में अपनी जिम्मेदारीयों के प्रति पूरी तरह सजग है। 31-03-2017 तक 19.23 लाख पौधोंका संचयी वृक्षारोपण हो चुका है। पर्यावरण अनुकूल संगठन के तौर पर मॉयलने देवास (म. प्र.) में 20 मेगावॅट क्षमता का पवन उर्जा फार्म स्थापित किया है। ऑयल भवन, नागपुर में 48 किलोवॅटचा रुफ टॉप सौर पॅनल भी कार्यान्वित किया है। कंपनी द्वारा उसकी खदानों में 10.50 मेगावॅट क्षमता के सौर उर्जा प्रकल्प के स्थापना की प्रक्रिया जारी है। कंपनीने अपने कुछ कार्यक्षेत्रोंमें पारंपारिक दियोंकी जगह एल ई डी दियोंका प्रयोग किया हैं और धीरे धीरे शेष क्षेत्रों में भी यह प्रयोग अपनाया जायेगा।

➢ सतर्कता गतविधियाँ/आयोजनः

सतर्क ता का मुख्य हेतू है-व्यवस्थापन को अपने प्रयास और व्यवहारों को अधिक से अधिक परतावा देना। सतर्कता विभागके कार्य क्षेत्र में प्रतिबंधक सतर्कता के साथ संगठन के संस्था में सुधार पर ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान सतर्कता विभागकी विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्न प्रकार है:

1) एस ओ 9001-2008: आय एस ओ प्रमाणपत्र

2) निरीक्षण: प्रणाली में सुधार तथा मानकों के पालनपर निगरानी रखने हेतू सामान्य तथा आकास्मिक निरीक्षण किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 60 आवाधिक और आकास्मिक निरीक्षण और अध्ययन किया गया।

3) ई-प्रशासन: निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्यकी खरीदी तथा कार्य अनुबंध की खरीदी ई-खरीदी द्वारा की जाएगी। खरीदी एवं कार्य अनुबंध के लिए निर्धारित मूल्य रु. 2 लाख है।

4) सतर्कता की संरचनागत बैठक : मुख्य सतर्कता आयोग (सीव्हीसी) और इस्पात मंत्रालयके दिशानिर्देशोंके अनुसार प्रबंधन के साथ सतर्कता विभाग की बैठके नियमित रुपसे आयोजित की जा रही है। वर्ष के दौरान 2 बैठके आयोजित की गई, जिसमें ई-गवर्नेस, लाभ प्रौद्योगिकी निविदा प्रबंधन, कार्य आबंटन, भर्ती नीति आदि संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर पारंपारिक दिप प्रज्वलीत करते हूए

5) लाभ प्रौद्योगिकी: मुख्य सतर्क ता आयोग के परिपत्र के संदर्भ में, नियामक , प्रवर्तन गतविधियोंके निर्वहनमें और शिकायतोंको निपटने में सतर्क ता विभाग प्रभावपूर्ण वेबसाइट और लाभ प्रौद्योगिकी पर जोर दे रहा है। प्रौद्योगिकी लाभ के लिए मुख्य रुपसे सामग्रीकी खरीद और सेवाओं के क्षेत्र है। इसके अलावा ठेके दारोंका पंजीकरण, संविदा का सफल आबंटन और ठेके दारों को बिल भुगतान की स्थिती को कंपनी की वेबसाइटपर प्रकाशित किया जाता है। सभी निविदा दस्तावैज, तरक्की की सूची, तबादलों की सूची, सी एम आर वर्क्स, भर्ती के आवेदन में वरिष्ठ सूची, नोटिस और अन्य प्रारुपों को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है।

6) मॅन्युअलका अद्यतन: विभिन्न मॅन्युअल जैसे खरीदी मॅन्युअल, कार्य और संविदा मॅन्युअल, कार्मिक मॅन्युअल इत्यादि तयार कियए गए है और व्यवहारमें रखे गये है। खरीदी मॅन्युअल, कार्य और संविदा मॅन्युअल, कार्मिक मॅन्युअल कंपनी की वेबसाइट/इंटरनेट पर पोस्ट किया गया है। सक्रिय सतर्क ता के एक भाग के रुप में मॅन्युअलका नियमित रुपसे अद्यतन किया जाता है और उसका प्रबंधन के साथ अनुसरण किया जाता है।

7) निविदा एवं अनुबंध: सी वी सी परिपत्रों के अनुसार, निर्धारित मूल्य सीमासे अधिक जारी निविदा/ठेकों को प्रत्येक माह नियमित रुपसे वेबसाईट पर पोस्ट किया जाता है, और यह सुनिश्चित करनेके लिए इसका पर्यवेक्षण किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 5 वी सुचिता पत्रिका का विमोचन करते हूए

8) प्रशिक्षण कार्यक्रम: 2016-17 के दौरान, सतर्क ता विभाग ने विभागीय कार्यालय और मुनसार प्रशिक्षण केंद्रमें 4 प्रशिक्षण कार्यक्रमोंका आयोजन किया जिसमें 167 कर्मचारी (612 घंटे) शामिल हुए।

9) कार्यावर्तन: पदकी संवेदनशीलता को मध्य नगर रखते हुए कार्यावर्तन के लिए पद सुनिश्चित किये गए और इन पदों पर 3 से अधिक वर्षसे काम करनेवाले अधिकारियोंका प्रबंधन द्वारा रोटेशन किया जाता है।

10) सतर्क ता क्लिअरन्स: विभिन्न प्रयोजनोंके लिए कालावधी के दौरान 1085 कर्मचारियों को सतर्कता क्लिअरन्स प्रदान किया गया।

11) प्रणाली में सुधार: शिकायत, अध्ययन, निरीक्षण आदिके संबंध में विभिन्न जाँचों के निष्कर्ष के रुपमें निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रणाली सुधारके लिए प्रबंधक को परामर्श और सुझाव दिए गए है।

- तंत्रज्ञान का इस्तेमाल
- कार्य संविदाओं में प्राकलन और दर सूची तैयार करना
- मार्ग आवर्तन और विभिन्न वस्तुओंके लिए भारी मात्रा में कंत्राटदार
- ई ए डी के परतावे का ऑनलाईन स्वीकारण
- झाति के आधार पर भर्ती के लिए जाती और अन्य दस्तावैजों की जाँच
- मेडिकल अयोग्य व्यक्तियों के भरती की प्रक्रिया

12) वार्षिक संपत्ति विवरण: सी वी सी के दिशानिर्देशों के अनुसार संगठन के सभी अधिकारियों ने अपनी वार्षिक संपत्ति की विवरणी प्रस्तुत कर दी है जिसमेसे प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की संवीक्षा की जाती है। तद्नुसार वर्ष के दौरान 72 अधिकारियोंकी वार्षिक संपत्ति विवरण की संवीक्षा की गई।

13) सतर्कता जागरुकता सप्ताह: मॉयल लिमिटेड के सभी खदानों/ कार्यालयों में 31 अक्तूबर 2016 से 5 नवंबर 2016 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर सतर्कता विभाग ने सतर्कता पत्रिका सुचिता के पाँचवे वार्षिक अंकका प्रकाशन किया, जिसका विमोचन मॉयल के सी एम डी ने किया। सप्ताहके दौरान कर्मचारियों तथा मॉयल परिसर और आस-पास के क्षेत्रों के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्पर्धा, कार्यशाला, संगोष्ठी और सतर्कता जागरुकता रैली का आयोजन किया गया।

➢ सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयनः

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आगमन के साथ मॉयल ने इसके प्रभावी कार्यान्वयनकी दिशामें महत्वपूर्ण कदम उठाए है।

मॉईलने अपने कारपोरेट कार्यालय में प्रमुख जनसूचना अधिकारी तथा अपनी खदानों में सूचना अधिकारी नियुक्त किए है। कार्मिक विभाग के प्रमुख को इस अधिनियमके अंतर्गत आपीलीय प्राधिकारी के तौर पर नियुक्त / पदनामित किया गया है। सभी जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के नाम कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in में दर्शाए गए है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(बी) में निर्धारित किए अनुसार कंपनी और उसके कर्मचारियों के संबंध में जानकारी निर्धारित 17 शीर्षकों में तैयारी की गई है तथा इसे कंपनी के पोर्टल में डाला गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक जानकारी एवं विवरणी प्रस्तुत करती है तथा नियमित तौरपर इसे अद्यतन करती रहती है।

इस अधिनियम का उद्देश्य एवं यथार्थ भावनाके बारे में कंपनी के कर्मचारियों में व्यापक जागरुकता उत्पन्न की गई है। अधिनियमके विविध प्रावधानों पर परिपत्रों को जारी करके ध्यान में लाया गया है तथा उनसे अपने रोजमर्रा के काम मे पारदर्शिकता लाने और सभी अभिलेखों को उचित/ व्यवस्थित ढंग से रखने को कहा गया है। आगे जनता के लिए भी कंपनी अपनी वेबसाईटमें नियमित अंतराल के पश्चात स्वयं अधिकसे अधिकजानकारी डालती है। अद्यतन भी करती है ताकि जनता को सूचना के अधिकार के अधीन जानकारी हासिल करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का कम से कम उपयोग करना पडे।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 66 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 28 आवेदनों का निपटान किया गया और 38 को अस्वीकृत किया गया। अपीलीय अधिकारी के पास अपील के 14 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 12 का निपटान किया गया और 31-03-2017 तक 2 मामले विचाराधीन थे, जिनका अब निपटान हो गया है।

➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकासः

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 52 प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंतरिक और बाहरी) मुनसर प्रशिक्षण केंद्र और कारपोरेट प्रशिक्षण केंद्र, नागपुर में कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान जिन्कें विभिन्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया, उनमें 344 अधिकारीयों के मॅन डेज तथा 311 गैर अधिकारियोंके मॅन डेज (श्रमिकदिन) शामिल थे। कंपनी ने ई आर पी प्रणाली स्थापित की है, जिसके लिए अधिकारी तथा गैर-अधिकारियोंके लिए एक महिने के सॅप (एस ए पी) प्रशिक्षण का आयोजन किया था। इसके अलावा कंपनीने प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओंको भी प्रशिक्षण दिया है। मॉयल अपने प्रशिक्षुओं को उनके अंतर्निहित कौशल दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है और इसका प्रदर्शन करनेके लिए विविध मंच उपलब्ध कराता रहा है।

क्षेत्रमें औद्योगिक इकोसिस्टम के विकास के लिए कुशल श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने मॉयल की खदानों के परिसर में कौशल विकास पहल को सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 443 कर्मचारी, 153 अनुबंधित श्रमिक और खदानोंके आसपास के गाँवो में रहनेवाले 126 स्थानिक युवकों को एन एस डी सी के चॅनेल पार्टनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस तरक 722 प्रतिभागियों को 6296 मॅन डेज (श्रम दिन) का प्रशिक्षण दिया गया।

मॉयल के नई दिल्ली कार्यालय में स्वच्छ

स्वच्छता अभियानः

मॉयलमें स्वच्छता अभियानका एकअंश के मुताबिक नागपुर के कारपोरेट ऑफीस सहित महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के खदानों में हर महिने 1 ले बुधवार को स्वच्छ दिवस मनाया जाता है। स्वच्छता दिवस पर कर्मचारी कार्यालय कार्यशाला, निवासी संकुल, रास्ते, नालोंकी सफाई करते है और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कायम रखने के लिए कूडा-करकट के ढेरका निपटारा करते है।

सभी खदाने गांधी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 27 सितंबर से 2 अक्तूबर तक स्वच्छता सप्ताक मनाते है। हर महीने के 1 से 15 तक मॉयल लिमिटेड के एक खदान में स्वच्छता पखवडा मनाया जाता है, जिसमें हर दिन के लिए खदाने और आस पास के गाँव में स्वच्छता के विभिन्न गतविधियों का आयोजन किया जाता है।

➢ नगदविरहित लेन-देन का स्वागतः

भारत सरकार के नगदविरहित व्यवहारों को उत्तेजना देने के उद्देश को सफल करने हेतु मॉयल अपने कर्मचारी और श्रमजीवी कंत्राटदारोंके साथ दुकानदार और स्थानिक नागरिकोंमें भी नगदविरहित लेन-देनके बारे में संगोष्टी, पोस्टर्स, नुक्कड, नाटकके जरिये जागरुकता लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बँक ऑफीसर्स और एन जी ओं को भी शामिल किया गया है।

- जीवनमान में सुधार लाने के लिए और कर्मचारियों की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए आवासीय क्वार्टरों का निर्माणकार्य किया है और इसे अधिकांश कर्मचारियों को आबंटित किया है।

- खदान कालोनी में रहनेवाले कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध की जा रही है।
- कँप की कालोनियाँ और सडके अच्छी तरकसे प्रकाशमान है। कर्मचारियोंको रियासती दर पर उनके निवास पर बिजली प्रदान की गई है।
- सभी खदानोंपर अस्पताल/डिसपेंसरी की स्थापना की गई है जिसे योग्य डॉक्टरों और विधिवत प्रशिक्षित पॅरामेडिकल स्टाफ द्वारा चलाया जा रहा है। पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए अलग अलग ओ पी डी के साथ साथ इनडोर वार्ड की व्यवस्था उपलब्ध है। आपात स्थिती के लिए सभी अस्पतालों को ॲम्ब्युलेंस प्रदान की गई है। आवश्यकता के अनुसार मरीजों को चिकित्सा इलाज के लिए विशेष अस्पतालोंमें भेजा जाता है।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्तिके बाद चिकित्सा बीमा की योजना-कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करती है।
- कंपनी में समूक सेवानिवृत्ति नकद संचय योजना (निर्धारित अंशदान), जैसे निवृत्ती वेतन, को 01-01-2007 से लागू किया गया है।
- कुछ खदानों में प्राथमिक पाठशाला संचालित करने के लिए भी सहायता दी जा रकिहै जहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी खदानों पर स्कूल बसों की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों को समीपस्थ क्षेत्रों के हाईस्कूल/कॉलेजों में आना जान सुलभ हो।
- चिखला खदान क्षेत्रमें डी ए व्ही मॉयल पब्लिक स्कूल की स्थापना। 2016-17 के शैक्षणिक वर्ष दौरान स्कूल की कुल विद्यार्थी संख्या 864 थी।
- ट्यूशन फीस की परिपूर्ती तथा मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा लेने हेतु कर्मचारियों ओर श्रमिकों के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- स्थानीय बच्चों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सि एस आर योजना के अंतर्गत दो स्कूल इमारतों (उकवा और भरवेलीमें) को पुनर्निमित किया गया है और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है।

➢ अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजातिके लिए उठाए गए कल्वयाणकारी कदमः

मॉयल दिनांक 31-032017 की स्थिती के अनुसार अपने रोलपर 6201 कर्मचारियों के साथ एक श्रमिक बहुल संगठन है जिसमें से 80 प्रतिशत अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछाडा वर्ग (45.60 प्रतिशत अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजातिसहित) है। आपकी कंपनी दूरदराज के क्षेत्रों मे स्थित खदानों के आसपास के क्षेत्रों में रहनेवाले जनजातीय लोगों के विकास में भी गहरी रुचि ले रही है जिसका विवरण निम्ननुसार है:

- खदानों के निकट के गाँवों को गोद लिया गया है तथा इन गाँवों मे रहनेवाले लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा, सडक की मरम्मत, समय-समयपर चिकित्सा और उपचार प्रदान किया जाता है।
- खदानों के निकट स्थित स्कूलों में वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, पुस्तके इत्यादि प्रदान करना।
- कुशलता विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अनूसूचीत जाति/अनूसूचित जनजाति के लिए कुशलता विकास कार्यक्रम

➢ महिला सशक्तिकरणः

माननिय इस्पात मंत्री और सचिव गुमगाव खाण को भेट देते हुए

मॉयल में दिनांक31-03-2017 की स्थिती के अनुसार कुल मानवबल 6201 था जिसमें 731 महिला कर्मचारी थे जो कुल मानबल का 12.38 प्रतिशत है।

कार्यस्थलपर महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीडन पर रोकके संबंध मेंच मा. सर्वेच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए है। तद्नुसार लैंगिक उत्पीडन निवारक समिती गठित की गई। महिला कर्मचारियों में जागृति पैदा करने के लिए दिशानिर्देशों को व्यापकरुप से परिचालित किया गया है। तबसे अब तक कंपनी की किसी भी खदान से या उसके नियमित कार्यालय से कोई उत्पीडन की शिकायत प्राप्त नही हुई है।

कंपनी की सभी खदानों पर महिला मण्डलों का कार्य प्रभावपूर्ण ढंगसे चल रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा सामुदायिक गतिविधियाँ विशेषकर दूरदराज के खदान क्षेत्रों में रहनेवाली महिलाओं के लाभ हेतु आयोजित किए जा रहे है। कंपनी मातृत्व छुट्टी प्रदान करती है और परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी भी प्रदान करती है।

अपनी सी एस आर गतिविधियों के एक भाग के रुपमें खदानों पर स्वयं सहायता समूक का निर्माण किया गया है, जिसमें दूरदारज के गाँवों के महिलाओं का समावेश किया गया है। उन्केंआत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमबत्ती, वॉशिंग पावडर, साबुन, बाँस की टोकरियाँ, सिलाई तथा विभिन्न अन्य व्यवसायिक कार्योंका प्रशिक्षण दिया जाता है। मॉयल के इस उपक्रम को उत्तम प्रतिसाद और विशाल यश मिला है।

➢ कार्यस्थलपर महिलाओंका यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरणः

कार्यस्थलपर महिलाओंका यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीडन के अंतर्गत प्राप्त मामलों की जाँच के लिए कंपनीने एकयौन उत्पीडन रोकथाम समितीका गठन किया है। समिती के सदस्य इस प्रकार है:

1.	श्रीमती प्रीति जोशी, अध्यक्ष (विधिक)	समिती की अध्यक्षा
2.	श्रीमती (डॉ.) भारती रंगारी, प्रमुख (एम.एस)	सचिव
3.	श्री. नितीन पागनीस, अध्यक्ष (पी ई आर)	सदस्य
4.	श्री. नीरज पाण्डेय. कंपनी सचिव	सदस्य
5.	श्रीमती उज्वला अभ्यंकर, वरिष्ठ प्रबंधक(पी ई आर)	सदस्य
6.	श्रीमती आशा सिंह, पूर्व-प्रधानाचार्य	स्वतंत्र सदस्य

समिती के सदस्यों के नाम कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए है।

वर्ष 2016-17 में यौन उत्पीडन की प्राप्त शिकायतोंका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	प्रलंबित शिकायतों की संख्या
शून्य	लागू नही	लागू नही

ग्राहकों के साथ बातचित

➢ **कार्मिक**

31-032017 को आपकी कंपनी के मानवबल की स्थिती नीचे दर्शाये अनुसार है।

श्रेणी	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	कामगार	कुल
पुरुष	328	2223	2919	5470
महिला	24	107	600	731
कुल	352	2330	3519	6201

31-03-2017 को वर्गानुसार कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है।

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	अन्य	कुल
ए	58	15	69	153	295
बी	34	9	51	87	181
सी	305	191	413	389	1298
डी	856	1382	1574	615	4427
कुल	1253	1597	2107	1244	6201
कुल प्रतिशत	20.21%	25.75%	33.98%	20.06%	100%

➢ **नागरिक चार्टर एवं शिकायत निवारण यंत्रण:**

(ए) कर्मचारियों की शिकायते: मॉयल के पास कार्यपालक के साथ गैर-कार्यपाल कर्मचारियोंके लिए स्वयं की शिकायत निवारण कार्यप्रणाली है। कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण नियमानुसार किया जाता है।

(बी) जनता की शिकायत: कोई भी नागरिक अपनी शिकायत ऑनलाईन सेंट्रलाइज्ड पब्लिकग्रीवन्स रिड्रेसल ॲण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (सी पी जी आर एम एस) के माध्यम से दर्ज कर सकता है। जनता की शिकायतोंका निपटारा करनेके तरीके से सभी शिकायत अधिकारियों को अवगत कराया गया है। पूर्व में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देशोंके आधार पर जनता से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करनेकी प्रणाली बनाई गई है।

(सी) मॉयल की शिकायत निवारण यंत्रणा में प्रत्येक युनिट/खदान के लिए एकमनोनित शिकायत अधिकारी होता है। युनिटों में इस कार्य को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए मुख्यालय में मनोनित किया गया शिकायत अधिकारी युनिटों/खदानों के शिकायत अधिकारियोंके साथ समन्वय करता है।

(डी) खदानों और कारपोरेट कार्यालयके पदनामिकजन शिकायत अधिकारियों द्वारा जन शिकायतोंकी मानसिक/त्रैमासिक समीक्षा की जाती है और एक महीने की निर्धारित अवधिके भीतर निपटान किया जाता है।

(ई) युनिटों की शिकायतों से संबंधित डाटा युनिट के शिकायत अधिकारी द्वारा मासिक/त्रैमासिक विवरणी में मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाता है।

दिनांक 01-04-2016 से 31-03-2017 तक की अवधिमें कर्मचारी और जन शिकायतोंकी स्थिती

क्र.सं.	शिकायतों का प्रकार	31-03-2016 को बकाया शिकायते	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	31-03-2017 को लावित मामलों की संख्या
1	जन शिकायते	शून्य	41	41	शून्य
2	कर्मचारी शिकायते	शून्य	10	10	शून्य
	कुल्वय	शून्य	51	51	शून्य

➢ **नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) और संधारणीय विकासः**

मॉयलमें निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) एक नियमित प्रक्रिया है। मॉयल पिछले कई वर्षों से सी एस आर गतिविधियाँ एक कृतसंकल्प तरीके से कर रहा है। कंपनी ने निदेसक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक सी एस आर नीति तैयार की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सी एस आर अंतर्गत कई योजनाएँ हाथों में ली गई है और कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य रुपसे शामिल है।

- देहाती बच्चोंको दर्जात्मक शिक्षा देने की दिशामें एकीस कदम के रुपमें मॉयल डी ए व्ही ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सहयोग से भंडारा जिले के सीतासाओंगी गाँवमें एकबडे विद्यालय का निर्माण किया है।
- शिक्षा और कौशल विकास की पहल में मॉयल अपनी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के भंडारा जिले की खदानों के समीपस्थ कई स्कूलोंको सहायता प्रदान कर रहा है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एन एस डी सी) के दिशा दर्शनानुसार 130 स्थानिक युवकों को खदान कामगार और विस्फोटकोंका, आपूर्ति व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है।
- जरुरत मंद ग्रामीण लोगों के लिए ङ्गलाईट टू लाईव्सफ कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्कमोतियाबिंद शल्यक्रिया और बच्चों के आंख की शल्यक्रिया की गई।

स्वास्थ्य शिबिर

महिला मेळावा

- मॉयल ने बुनियादी विकास कार्यक्रम जैसे देहाती रास्तोंका निर्माण, समाज भवन, विद्यालयोंका नवीकरण, वृक्षारोपण में सहायता आदि अपनी खदानोंके आस पास के क्षेत्र में हाथों में लिये है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यक वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक-111 में संलग्न है।

➢ **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (एम एस एम ई डी) अधिनियम, 2006 से खरीदीः**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (एम एस एम ई डी) अधिनियम, 2006 की आवश्यकता के अनुरुप और इस संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पी एस यु को एम एस ई द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट उत्पादों/सेवाओं की कुल वार्षिक खरीदी में से न्यूनतम 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमियों द्वारा संचलित एम एस ई से खरीदी की जाएगी।

पी एस यू के लिए यकभी आवश्यकहै किअपने वार्षिक रिपोर्ट में उपरोक्त खरीदीके संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का उलल्ीख करे। इस संबंधमें, यकउलल्ीख करना है किवर्ष 2016-17 के दौरान सामग्री की कुल खरीदी रु. 47.99 करोड (गत वर्ष रु. 53.75 करोड) है, जिसमें एम एस ई (अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति द्वारा संचालित एम एस ई सहित) रु. 20.86 करोड (गत वर्ष रु. 17.07 करोड) है, जो एम एस ई द्वारा निर्मित उत्पादों की कुल वार्षिक खरीदीका 43.46 प्रतिशत होता है।

इस प्रकार कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास (एम एस एम ई डी) अधिनियम 2006 की आवश्यकताओंका अनुपालन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपरोक्त प्रथम अनुच्छेद में उलल्ीख के अनुसार मॉयल ने एम एस एम ई द्वारा निर्मित उत्पादों/प्रदान सेवाओं की अधिप्राप्ती का लक्ष्य रखा है।

➢ **हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोगः**

मॉयल में उसकी खदानों में लगभग 97 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। कंपनी के सभी संगणकों में युनिकोड सिस्टम डाला गया है। कंपनी ने संगणकों में हिन्दी भाषा सॉफ्टवेयर का प्रावधान किया है तथा कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकिमॉयल के कर्मचारी अपने रोजमर्रा कार्यों में इस्तेमाल कर सके।

राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए कंपनी निरंतर निबंध लेखन, टिपण, आलेखन, कविता और लेखों जैसी विविध हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है तथा इसे विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। कर्मचारियों को गृहमंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पुनप्रशिक्षण दिया जाता है, अब तक 312 कर्मचारियों को प्राज्ञ (उच्च स्तर) का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जो कंपनी में एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया है।

कंपनीने राजभाषा कार्यान्वसन समिती, बालाघाट द्वारा प्रकाशित बैनगंगा तथा राजभाषा कार्यान्वसन समिती, नागपुर द्वारा प्रकाशित राजभाषा दर्पण जैसे पत्रिकाओं का प्रवर्तन करती है।

कंपनी एक अंतर्गत हिंदी/अंग्रेजी द्वैभाषिक पत्रिका संकल्प प्रकाशित करती है, जिसमें उसके प्रदर्शन, उपलब्धियाँ तथा गतविधियों को अधोरेखित किया जाता है। हिन्दी समिती द्वारा आयोजित किए जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों मे भाग लेने के लिए मॉयल अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजता है। अन्य संस्थानों द्वारा हिन्दी में आयोजित की जानेवाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कंपनी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है।

➢ पुरस्कार और सराहनाः

मॉयल देश के उन सार्वजनिक क्षेत्रके उपक्रमों से एकहै जिसे निरंतर उत्कृष्ठ कार्य-निष्पादन के लिए जाना जाता है। कंपनीको लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छे कामों के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सन्मान प्राप्त होते आ रहे है। कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सम्मान से कुछ का विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है:

- 4 खदानों में सतत विकास के लिए 5 स्टार रेटिंग पुरस्कार जो 15 फरवरी 2017 को राष्ट्रीय निर्वाचकसभा के अवसर श्री. पियुष जी गोयल, माननीय राज्यमंत्री अंतर्गत ज्वलन, अक्षय उर्जा के हाथों प्राप्त हुआ।
- कारपोरेट गवर्नेन्स- 2015-16 के लिए डी पी ई द्वारा उत्कृष्ठ ग्रेडिंग
- खदान उद्धार, डब्ल्यू सी एल, नागपुर द्वारा आयोजित 47 वी अखिल भारतीय बचाव प्रतियोगिता में चार पुरस्कार

मॉयल के चार खाण को पांच सितारा प्रमाणापत्र प्रदान करते हुए

➢ निदेशकः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री. जी. पी. कुंदरगी (अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक), श्री. एस. एस. शुक्ला (नामांकित निदेशक-मध्य प्रदेश शासन), डॉ. अशोक कुमार लोमस, श्री. जी. पी. एस. ग्रोवर तथा श्रीमती सुनंदा प्रसाद (स्वतंत्र निदेशक) अपना कार्यकाल समाप्त करने अथवा सेवानिवृत्त की उम्र तक पहुँचने की वजहसे निदेशक नही रहे। उनके कार्यकाल के दौरान उनके अमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए मंडलने अपने हार्दिक आभारको अभिलेखित किया है।

भारत के बचाव स्पर्धा में धातू वर्ग में दुसरा क्रमांक प्राप्त करते हुए मॉयल के बचाव दल

श्री. एम. पी. चौधरी, भूतपूर्व निदेशक (वित्त) को सितंबर 1, 2016 से मॉयल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पदपर नियुक्त किया जाता है।

भारत सरकारने श्रीमती सुनंदा प्रसाद, सेवानिवृत्त भा. प्र. शे अधिकारी को स्वतंत्र निदेशक के रुप में तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है, जो 30/01/2020 को समाप्त हो जाएगा एवं श्री. मनौहर लाल दुबे, सचिव, खनिज संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन को 06-03-2018 तक सरकारी नामांकित निदेशक नियुक्त किया है।

श्री. डी. एस. आलुवालीया, निदेशक(वित्त), एन एम डी सी लिमिटेड को मॉईल के निदेशक(वित्त) पदका अतिरिक्त कार्यभार तीन महिने अथवा 30-11-2017 अथवा जबतक कोई स्थायी व्यक्ति पद ग्रहण करे अथवा अगला आदेश मिले इनमे से जो भी घटना प्रथम घटित होने तकसौपा जाता है।

सभी स्वतंत्र निदेशकोंने घोषणा पत्र दिया है किवे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अंतर्गत और से बी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदण्डों को पूरा करते है। स्वतंत्र निदेशक समान्यतः तिन वर्षके लिए नियुक्त किए जाते है।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम (8)(5)(ळीं) के साथ पठित धारा 134(3) (क्यू) के अंतर्गत मंडलने अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक(मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी एफ ओ)), वरिष्ठ डी जी एम (वित्त) (मुख्य वित्त अधिकारी (सी एफ ओ)) तथा कंपनी सचिव का मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रुपमें चयन किया है।

➢ नियुक्ति, कार्य निष्पादन मूल्यांकन और परिश्रमिक नीतिः

एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण निदेशकों की नियुक्ती, कार्यकाल, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, पारिश्रम कि इत्यादी भारत सरकार द्वारा किया/निर्धारित किया जाता है।

जून 5, 2015 के अधिनियम द्वारा निगमित कार्य मंत्रालयने सरकारी कंपनियोंको कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ अभिपूर्तीयों से छूट दी है। इस अधिनियमके अनुसार निदेशकों की नियुक्ती, उनकी पारिश्रमिक नीति तथा कार्य निष्पादन मूल्वयांकन मानक सुनिश्चित करनेके लिए नामांकना एवं

पारिश्रमिक समिती का होना जरुरी नही। मॉयाल एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों की नियुक्ती तथा कार्य निष्पादन मूल्वयांकन प्रशासकीय मंत्रालय अर्थात इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है, कार्य निष्पादन मूल्यांकन अपने ही कार्य निष्पादन मंडलसे किया जाता है और इसके लिए समिती तथा स्वतंत्र निदेशकोंकी जरुरत/उचित नही है।

अधिकारियोंका पारिश्रमिक वेतन संशोधनपर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है और कंपनीके अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक मान्यता प्राप्त युनियन के साथ समय समय पर किए गए वेतन समझौता अनुबंध के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ती/पदोन्नति, इत्यादी मंडल द्वारा अनुमोदित भर्ती और पदोन्नती नीति के अनुसार की जाती है।

➢ **जोखीम प्रबंधक नीतिः**

मॉयल मानता है किकिसी भी व्यावसायिक गतिविधीमें जोखीम विहित होता है और जोखीम का प्रभावी रुप से प्रबंधन कंपनी की तत्काल और भावी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन निती एक प्रणाली को स्थापित करती है जो जोखिमों की देखरेख, भौतिक व्यापार जोखिमों के प्रबंधन में मदद करती है और कंपनीके आंतरिक नियंत्रणमें भी मदद करती है। इसे कंपनी की वेसाइट www.moil.nic.in में भी अपलोड किया गया है।

चिखला खाण में मॉयल का डिएव्ही स्कूल

➢ **निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी कथनः**

आपके निदेशक कहते है किः

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है और इसमें कोई भौतिक विचलन नही है।
2. उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियोंका चयन किया है और उन्हे दृढतापूर्वक लागू किया है, जो कि 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिती और उस तिथी को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ-हानीका सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करने मे सक्षम थी।
3. उन्होंने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधडी या अन्य अनियमितताओंका पता लगाने और रोकथाम के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में यथोचित लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
4. उन्होंने एक लाभदारी प्रतिष्ठान के आधारपर वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।
5. उन्होंने कंपनी द्वारा अनुपालित किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी तरीके से संचालित हो रहे है।
6. उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानोंका अनुपालन सुनिश्चित करनेके लिए उचित प्रणाली बनाई है और इस तरककी प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी तरीके से संचलित हो रही है।

➢ **सांविधिक लेखा परिक्षकः**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार मेसर्स जे. एस. 3 वे रॉय ॲण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, नागपुर को भारत के नियंत्रकएवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ण 2016-17 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक के रुप में नियुक्त किया है। अधिनियमकी धारा 143 की उप धारा (12) के अंतर्गत कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधडी को नही दर्जाया गया। सांविधीक लेखा-परिक्षक की रिपोर्ट संलग्न है, जो स्वयं स्पष्ट है। कॅग (सी ए जी) ने भी वित्तीय विवरण 2016-17 के संदर्भ में निरंक टिप्पणी का पत्र दिया है, जिसकी प्रत संलग्न है।

मॉयल के मैगनिज अयस्क म्युझियम नागपूर का उद्घाटन करते हुए माननिय इस्पात मंत्री

➢ **सचिवीय लेखा परीक्षकः**

वर्ष 2016-17 के लिए मंडलने मेसर्स ए मेहता ॲण्ड कंपनी, इंदौर को सचिवीय लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्त किया है। उनकी रिपोर्ट संलग्न है, जो स्वयं स्पष्ट है। वर्ष के दौरान कंपनी के मंडळ और उसकी समितीयों की संरचना के अतिरिक्त रिपोर्ट में कोई अन्य पात्रता नही है। सरकारी कंपनी होने के कारण सभी निदेशकों की नियुक्ती भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान स्थितीमें समिती की संरचना सांविधिक आवश्यकता के अनुसार है।

➢ **संबंधित पार्टी गतविधीः**

कंपनीने कोई भौतिक रुपसे महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी व्यवहार नही किया है, जो बडे पैमाने पर कंपनीके हितों के साथ संभावित संघर्ष निर्माण कर सकता है। फिर भी, संबंधित पार्टीयों के साथ संव्यवहार के बारे में लेखा के नोट क्र. 1.1 के मुद्दा

23 में प्रकट किया गया है। अतः कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित धारा 134(3) में निर्धारित प्रपत्र ए ओ सी-2 में कोई प्रकटीकरण नही किया गया है। कंपनी में संबंधित पार्टी संव्यवहार नीति है और इसे अपनी वेबसाईट www.moil.nic.in अपलोड किया गया है।

➢ **सतर्क ता तंत्रः**

कंपनीमें एक सीटीफूँ क नीति है और इसे अपनी वेसाईट www.moil.nic.in पर अपलोड किया गया है। किसी भी अनैतिक व्यवहार, वास्तविकया संदिग्ध धोखाधडी अथवा कंपनी की आचारसंहिता या नैतिकता नीति के उलल्घन की निगरानी के लिए मुख्य सतर्क ता अधिकारी (सी वी ओ), जिसे भारत सरकार ने नियुक्त किया है, की अध्यक्षता में कंपनी का एक सक्षम और स्वतंत्र सतर्क ता विभाग है। सभी कार्मिक अपनी शिकायतों इत्यादि के लिए सतर्क ता विभाग का उपयोग कर रहे है। सतर्क ता तंत्र निदेशकों और कर्मचारियों के लिए वास्तविक कठिनाइयों को सूचीत करने के लिए स्थापित किया गया है। सतर्क ता तंत्र व्यक्तियों को अत्याचार के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, जो इस प्रकार के तंत्रका इस्तेमाल करते है।

➢ **लागत अंके क्षणः लागत अंके क्षणः**

दिनांक 31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत लेखांकन अभिलेखोंका अंके क्षण करने के लिए कंपनीके लागत अंके क्षक के रुप में मेसर्स उज्वल पी. लोया ॲण्ड कंपनी, नागपुर को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और इसके अंतर्गत नियमोंके अनुसार नियुक्त किया गया है। 31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए लागत अंके क्षण रिपोर्ट दाखिल करनेकी नियत तिथि दिनांक 27 सितंबर अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए लागत अंके क्षण रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समयमें दाखिल की जाएगी।

➢ **समेकित वित्तीय विवरणः**

आपकी कंपनी की कोई सहायता कंपनी नही है। हालांकि, उसके रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. ओर सेल ॲण्ड मॉयल फे रो अलॉय प्रा. लि. नामकदो संयुक्त उपक्रम है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसरण में विधिवत अंके क्षित समेकित वित्तीय विवरणों को आवश्यक टिप्पणियों, अनुलग्नको और प्रकटीकरणों के साथ संलग्न किया है, जैसा कि लागू और आवश्यक है।

➢ **अन्य प्रकटीकरणः**

1. **अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी आत्मसात आदिः** कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम विवरण इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्न-2 के रुप में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।
2. **विदेशी मुद्रा एवं व्ययः** कंपनीने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान मँगनीज अयस्कया इसके अन्य उत्पादोंका कोई निर्यात नही किया है। समीक्षाधीन वर्ह के दौरान कंपनीने विदेशी सफर/अन्य के लिए रु. 13.51 लाख का व्यय विदेशी मुद्रा में किया है, जबकि गत वर्ष रु. 33.50 लाख किया गया था।
3. **कर्मचारियों का विवरणः** मॉयल एस सरकारी कंपनी होनेके नाते उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196(2),(4),(5) तथा धारा 197 के कुछ प्रावधानों से छूट मिलती हैं। इसके अनुसार कंपनी (प्रबंधकीय कर्मिकों की नियुक्ती और पारिश्रमिक) नियम, 2014 और समय पर संशोधनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के दायरे में कोई कर्मचारी शामिल नही है।
4. **जमाः** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मॉयल ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नही किया है।
5. **ऋण, प्रत्याभूत और निवेशः** अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत कोई भी ऋण, प्रत्याभूत या निवेश नही है।
6. **लेखा परीक्षा समिती की संरचनाः** लेखा परीक्षा समिती की संरचना के बारे में विवरण निगमित अधिशासन की रिपोर्ट के खण्ड क्र. 3.1(ए) में उलल्ीखित किया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

मॉयल के मेन कार्यालय नागपूर में पूर्ननिरीक्षण बैठक

7. **मंडलकी बैठकों की संख्याः** इस संबंध में विवरण के लिए निगमित अधिशासन की रिपोर्ट के खण्ड 2.2 में दिया गया है, जो मण्डल की इस रिपोर्ट का एक भाग है।
8. **वार्षिक विवरणी का उद्धरणः** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में दिनांक31-03-2017 तक के वार्षिक विवरणी (प्रपत्र एम जी टी-9) का एक उद्धरण अनुलग्नक- ळीं में संलग्न किया गया है।
9. कागजों की बचत करने के लिए और सरकार की हरित पहलमें योगदान देने के लिए कंपनी अंशधारकों को संक्षिप्त वित्तीय विवरण (ए ओ सी-3) को भेजने के विकल्प का चयन कर रही है।

➢ **संदिग्ध लेखा में अंशोंका विवरणः**

संदिग्ध लेखामें अंशोका विवरण इस प्रकार है:

विवरण	अंशधारकों की संख्या	अंशों की संख्या
दिनांक31-03-2016 को संदिग्ध लेखामें कुल अंशधारकों की संख्या और लंबित अंशोकी संख्या	12	204
वर्ष के दौरान संदिग्ध लेखा से अंशोका अंतरण करने के लिए संपर्क करनेवाले अंशधारकों की संख्या	0	0
वर्ष के दौरान संदिग्ध लेखा से अंशों का अंतरण किया गया उन अंशधारकों की संख्या	0	0
बिना दावे के संदिग्ध लेखाको अंतरित अंश	0	0
दिनांक 31-03-2017 को संदिग्ध लेखा में कुल अंशधारकों की संख्या और लंबित अंशोंकी संख्या	12	204

मॉयल भवन नागपूर को भेट देते हूए माननिय इस्पात मंत्री

31-03-2017 को संदिग्ध लेखामें इस तरकके शेयरों पर वास्तविक हकदार जब तक अपना दावा नही करते तब तकइन शेयरों पर मतदान का अधिकार नही रहेगा।

➢ **समझौता ज्ञापन (एम ओ यू):**

मॉयल 20 वर्षों से अधिक समय से इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर कर रहा है। समझौता ज्ञापन विभिन्न लक्ष्यों और प्रदर्शन के मानदंड पर निर्धारित करता है, जो वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद वास्तविक उपलब्धियों पर निर्धारित किए जाते है। वर्ष 1995-96 से कंपनी लगातार उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त कर रही है (सिवाय 2015-16 के , जिसमें दशक की खराब मार्के ट स्थिती की वजहसे अच्छा रेटिंग प्राप्त हुआ था) 2016-17 की रेटिंग अभी तक जारी नही की गई है। परंपरा को कायम रखते हुए मॉयल वर्ष 2016-17 की रेटिंग अभी तक जारी नही की गई है। परंपरा को कायम रखते हुए मॉयल वर्ह 2016-17 के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।

➢ **नियमित अधिशासनः**

कंपनी निगमित अधिशासन के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। निगमित अधिशासन पर एक भाग अलग से जोडा गया है और अनुलग्नक-ीं के रुप में संलग्न है, जो मण्डल की रिपोर्ट का एकभाग है। निगमित अधिशासन का प्रमाणपत्र भी निगमित अधिशासन की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है, जो स्वयं स्पष्ट है। वर्ष के दौरान मंडल की संरचना के अतिरिक्त रिपोर्ट में कोई अन्य पात्रता नही है। हालांकि कंपनी 31 मार्च, 2017 की आवश्यकता के अनुपालन में है। एक सरकारी कंपनी होने के कारण स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ती भारत सरकार द्वरा की जाती है।

➢ **प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण और व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्टः**

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक-ींळ मे प्रस्तुत की गई है। से बी के विनियमत 34, (उत्तरदायित्व तथा प्रकटीकरन का सूचीकरण) विनियम 2015 के अनुपालन में व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट अनुलग्नक- ींळळ में प्रस्तुत की गई है।

देवास (मध्यप्रदेश) में पवनचक्की संयत्र

➢ **औद्योगिक संबंधः**

वर्ष 2016-17 के दौरान मॉयलमें औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे। कंपनीमें इस दौरान कोई भी काम बंद अथवा श्रमिक आंदोलन की घटना नही हुई। बेहतर उत्पादन और उत्पादकता की गति को बनाए रखा गया। संगठन के सुचारु संचालन हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए तथा शिकायतों के निवारण हेतु शीघ्र निर्णय लेने के लिए खदान स्तरपर और कारपोरेट स्तरपर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो संतोषजनक रुप से कार्य कर रही है।

➢ **अंशों का बायबैकः**

आपकी कंपनीने 2016-17 के दौरान पूर्णतः प्रदत्व 3,48,12,196 इक्विटी शेयरों का (बायबैंकसे पहले कुल इक्विटी शेयरों के 20.72 प्रतिशत बकाया शेयरों सहित) रु. 248 प्रति शेयर के मूल्यपर जिसका कुल प्रतिफल रु. 863.34 करोड है, बायबैक किया है। बायबैक कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियमन, 1998 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार किया गया है। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने भी बायबैक में हिस्सा लिया है।

➢ **अभिस्वीकृतिः**

आपके निदेशक, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारे, कंपनी के अंशधारकों, कर्मचारी संघटना/संघ, बैंकर्स, मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और सभी पणधारियों द्वारा दिए गए सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करते है।

कंपनी के कर्मचारी उत्कृष्टता प्राप्त करने में अपनी पूर्णतः प्रतिबद्धता के साथ लगातार कार्य कर रहे है। आडके निदेशक इस अवसर पर उन कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करते है तथा आशा करते है कि आनेवाले वर्षोंमें भी वे इसी उत्साक एवं समर्पण की भावनासे काम करेंगे ताकि कंपनीको और अधिक उंचाईयों पर ले जाया जा सके।

निदेशक मंडल की ओर से

एम. पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

दिनांकः10 अगस्त 2017
स्थानः नई दिलल

अनुलग्नक-1

प्रपत्र ए ओ सी 1

(कंपनी (लेका) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)
सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण

भाग 'ए': सहायक कंपनियाँ

(राशी रू.में)

क्र.सं.	विवरण	ब्योरा
1.	एस आय क्रमांक	लागू नही, क्योंकि कोई सहायक कंपनी नही है।
2.	सहायक कंपनी का नाम	
3.	सहायक कंपनी अर्जित करने का दिनांक	
4.	संबंधित सहायक कंपनीके लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारित कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो	
5.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग करेन्सी और एक्सचेंज रेट	
6.	शेयर पूँजी	
7.	रिजर्व और अधिवेष	
8.	कुल संपत्तियाँ	
9.	कुल देयता	
10.	निवेश	
11.	कारोबार	
12.	कर पूर्व लाभ	
13.	लिए प्रावधान	
14.	कर पश्चात लाभ	
15.	प्रस्तावित लाभांश	
16.	धारणाधिकार का प्रतिशत	

मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण क्र. 111107डब्ल्यू

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

नितीन पी. काजरेकर
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सी एफ ओ)

सी.ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः10 अगस्त 2017

भाग 'बी': सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनीयाँ तथा संयुक्त उद्यमों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

क्र.सं.	सहा.कं./संयुक्त उद्यमों के नाम	सेल ॲण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.	रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.
1	नवीनतम अंकेक्षित तुलनापत्र की तारीख	31-03-2016	31-03-2017
2	सहा. कं./संयुक्त उद्यम अर्जित करने का दिनांक	31-07-2008	29-07-2009
3	समाप्त वर्ष की कंपनी द्वारा धारित सहा.कं./संयुक्त उद्यमों के शेयर		
	शेयरों की संख्या	1,00,000	1,00,000
	सहा. कं./संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	रु.10,00,000	रु.10,00,000
	धारणाधिकार का प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
4	महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	लागू नही	लागू नही
5.	सह.कं/संयुक्त उद्यम समेकित नही हेने का कारण	लागू नही. क्योंकी समेकन का विचार किया गया है।	लागू नही. क्योंकी समेकन का विचार किया गया है।
6.	नविनतम अंकोक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयर धारिता की निर्धारणयोग्य नेटवर्थ (लाख रु.में)	(166.25)	7.44
7	वर्ष के दौरान लाभ/हानि (लाख रु.में)	(36.58)	(5.08)
	1) समेकन के लिए विचार किया (लाख रु.में)	(18.29)	(2.54)
	2) समेकन के लिए विचार नहि किया (लाख रु.में)	(18.29)	(2.54)

टिप्पणी:

1. कोष्ठक में दर्शाए गए अंक हानि को दर्शाते है।
2. उपर्युक्त उल्लेखित दोनो संयुक्त उद्यम कंपनियों ने वाणिज्यक प्रचालन शुरु नही किया है।
3. उपर्युक्त उल्लेखित अ. क्र. 7 2) अन्य संयुक्त उद्यम के शेयर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए समेकन के लिए विचार नही किया गया।
4. उपर्युक्त सेल ॲण्ड मॉयल के अंक सेल ॲण्ड मॉयल के बिगर अंकेक्षित 31-032017 के खातों के अनुसार है।

मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण क्र. 111107डब्ल्यू

नीरज पाण्डेय
कंपनी सचिव

नितीन पी. काजरेकर
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सी एफ ओ)

सी.ए. अमरजीत सिंह संधु
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:10 अगस्त 2017

अनुलग्नक-II अंशधारकों के लिए मंडल की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत जरुरी उर्जा का संरक्षण और औद्योगिकी आत्मसात के संबंध मे विवरणों का प्रकटीकरण

(ए) उर्जा का संरक्षणः

क्र.सं.	विवरण	ब्योरा	
1	उर्जा के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव	उर्जा के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है। ए) बालाघाट और चिखला खदान के आवासी कॉलनी के सडकों पर पारंपारिक दिया की जगह एल ई डी दियों का इस्तेमाल बी)बालाघाट, चिखला, कांद्री तथा उकवा खदानों मे स्वयंचलित पॉवर फॅक्टर करेक्शन पॅनेल (एपीएफ सी) की स्थापना की गई है। सी) मुन्सार तथा चिखला खदान में नये तंत्रज्ञान, इंधन कार्यक्षम, डी.जी. सेट की स्थापना की गई है।	
2 और 3	2.उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोंतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम 3. उर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश	कार्य का विवरण	निवेश (लाख रु.मे)
		महाराष्ट्र की खदानों में 5.00 मे वॅट सौरउर्जा प्रकल्प का कायदिश जारी	3393.90
		मध्य प्रदेश की खदानों में 5.50 मे वॅट सौर उर्जा प्रकल्प के कायदिश की प्रक्रिया जारी है।	2772.58
		नागपुर के कारपोरेट कार्यालय में 48 किवॅट क्षमता की एफ टॉप सौर प्रणाली की स्थापना	30.96
		सभी खदानों की प्रशासकीय इमारतों में रुफ टॉप सौर प्रणाली विचाराधीन	65.90
		कारपोरेट कार्यालमें मौजूदा अंतर्गत सी एफ एल दियों के विकल्प में एल ई डी दिये	13.88
		कुल निवेश	6277.22

(बी) प्रौद्योगिकी आत्मसातः

1. कंपनी के अनुसंधान और विकास (आर ॲण्ड डी) गतविधियों के अंतर्गत किए गए प्रयासों और इससे उत्पन्न फायदे

क्र .सं.	क्षेत्र	उत्पन्न फायदे
1.	खनन पर्यावरण	गुमगाव खदान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आई आई टी) खरगपुर द्वारा गहरे स्तरों के लिए वेन्टीलेशन पुर्नसंगठन अध्ययन किया गया। गुमगाव खदानमें एक्जास्ट पैन की जगह बदली गई। इससे भूमिगत भागों की उत्पादकता और वेन्टीलेशनमें सुधार आया है।
2.1	खनन प्रौद्योगिकी-अवतलन	उकवा खदानो में अवतलन प्राचलका अंतर्गत 3-डी विश्लेषण किया गया और उकवा सतह भूमिपर कोई स्पष्ट संचलन नही पाया गया। यह रिपोर्ट आई आई टी, खरगपुर तथा व्ही एन आई टी, नागपुर द्वारा सत्यापित किया गया
2.2	खदान प्रौद्योगिक-विस्फोटक	विस्फोट पश्चात प्राचल जैसे भूमिकंपन, आवाज तथा चट्टान-उडान, कम करने के लिए साईट मिक्स इमल्शन (एस एम ई) विस्फोटक प्रायोगिक तरीके पर डोंगरी बुजुर्ग आपनकास्ट खदान में शॉक ट्यूबके साथ इस्तेमाल किए गए। विस्फोट पश्चात परिणाम (एस एम ई के) कि सभी प्राचल सुरक्षा दायरे में है।
3	खनिज संरक्षण	मूल्यवान खनिजों के संरक्षण तथा भूमिगत खदानों में सुरक्षापूर्वक कार्य के लिए नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकॅनिक्स (एन आय आर एम) केजी एफ द्वारा सुझाये गए नये स्टोप डिपाईन प्राचल चिखला खदान में स्थापित किये गये। इससे पर्शुका स्तंभ के बगल में फसने वाले मँगेनीज अयस्कमें कमी आने में मदद मिली।
4	खनिज प्रसंस्करण	अस्वीकृत निम्मश्रेणी के मँगनीज अयस्क के इस्तमाल के लिए मॉडर्न मिनरल प्रोसेसिंग लॅबोरेटरी और पायलट प्लांट इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स द्वारा उकवा खदान के अस्वीकृत ब्लैक डम्प मँगनीज का बेंच स्केल प्रसंस्करण अध्ययन किया जा रहा है।

5	धातु कार्मिक अध्ययन	बालाघाट खदानके हाय कार्बन फेरो मँगनीज (एच सी एफ ई एम एन) अलॉय की उत्पाद गुणवत्ता में सुधार के लिए एच सी एफ ई एम एन अलॉय के डी-फॉस्फोरेशन के लिए सी एस आय आर- नॅशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी (एन एम एल) में बेंच स्केल पर प्रोसेस फ्लो स्टडीज की जा रही है।
6	खदान सुरक्षा (स्टोप डिजाईन)	बेहतर सुरक्षा और उत्पादकता के लिए मनसर खदान में एन आय आर एम द्वारा यांत्रिकीकृत सपोर्ट सिस्टम के लिए स्टोप डिजाईन किया जा रहा है।
7	खदान सुरक्षा (रॉक मेकॅनिक्स उपकरण)	बालाघाट खदान में 12 वे लेवल के नीचे 30 मीटर से 45 मीटर तक स्तर अंतालों में वृद्धि की गई। भूमिगत कार्यों में सुरक्षा के लिए स्टेन बार की मदद से सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मायनिंग एण्ड फ्युएल रिसर्च (सी आय एम एफ आर), नागपुर के सहयोग में रॉक मेकॅनिक्स इन्स्ट्रूमेंटेशन और डाटा मॉनिटरींग की जा रही है।
8	सतत विकास रुपरेखा (पर्यावरण)	सतत विकास रुपरेखा (एस डी एफ) के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ सायन्स ॲण्ड टेक्नॉलॉजी (आय आय एस टी) शिबपुर द्वारा डोंगरी बजुर्ग ओपन कास्ट खदान के लिए माइन क्लोजर प्लान का वैज्ञानिक मूल्यांकन तैयार किया जा रहा है। इससे आस-पास के गांवों में विकास के लिए मदद मिलती है।
9	भूमिगत यांत्रिकीकरण	बालाघाट खदान में ड्रिफ्ट डेवलपमेंट के लिए जम्बो ड्रिल मशीन-सिंगल बूमर इलेक्ट्रो-हायड्रोलिक ड्रिलिंग मशीन और लोडहॉल और डम्प मशीन प्रस्तुत की गई है। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आई आई टी), खरगपुर, द्वारा वैज्ञानिक अन्वेषण किया जा रहा है। इससे बालाघाट खदान में भूमिगत हेडिंग्ज के तेजी से विकास, स्टोप उत्पादकता और सुरक्षा में मदद मिलेगी।
10	गुरुत्वाकर्षण-चुंबकीय पद्धतिद्वारा भू-भौतिकीय पूर्वेक्षण से खनन	नॅशनल जियोग्राफि कल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (एन जी आर आय), हैदराबाद द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और भंडारा जिले के प्रॉस्पाक्टिंग तायसंस क्षेत्रों में मँगनीज अयस्क के भंडार/संसाधनों की हाय-स्पीड खनन के लिए ग्रॅविटी और मॅग्नेटिक पद्धति द्वारा जियो-फिजिकल प्रॉस्पाक्टिंग किया गया।
11	अयस्क भंडार का खनन	यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी की स्वयं की कोर ड्रिलिंग मशीनों के द्वारा कोर ड्रिलिंग होल ड्रिलिंग गवेषण से अयस्क भंडार और पट्टा क्षेत्रों के आसपास गवेषण किया जाता है। इसके अलावा, गहरे अन्वेषण आऊट सोर्सिंग के द्वारा किए जाते है। इस प्रक्रिया से कंपनी प्रतिवर्ष अयस्क भंडारों/संसाधनों को जोड रही है।
12.1	सिमेंट कॉंक्रिट में अंतर्गत आर एण्ड डी (अनुसंधान एवं विकास)	भूमिगत ड्रिफ्ट कॉक्रीट कार्य के लिए प्री-कास्ट आर सी सी कॉलम और बीम तैयार किए गए है। इससे सुरक्षा मानकों में सुधार आया है और भूमिगत ड्रिफ्ट में काक्रीट सपोर्ट को स्थापित करने का समय कम हुआ है।
12.2	व्ीती की वैकल्पिक भरण सामग्री के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान, विश्वेशरैया नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्ही एन आय टी), नागपुर	बी एन आय टी, नागपुर के साथ सहयोगात्क अनुसंधान परियोजना जारी है। वीन एन आय टी परिसर में पायलट हायड्रोलिक स्टोइंग प्लांट शुरु किया गया है। ओबी मटेरियल से भूमिगत स्टोइंग करने के लिए इसने प्लास्ट भरना इंजिनियरींग को नया मार्ग दिया है।
12.3	रेतीके विकल्प में अन्य भरण सामग्री के लिए अंगर्तत अनुसंधान एवं विकास अध्ययन	भरण सामग्री के रुप में रेती की जगह मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट की बॉटम ॲश और मिल टेलिंग का उकवा खदान में प्रायोगिक आधार पर हायड्रोलिक स्टोइंग में इस्तेमाल किया जा रहा है।
14	एक्स आर एफ एनालाइजर	कंपनीने खदानों एवं नागपुर स्थित निगमित कार्यालय में सफलतापूर्वक एक्स आर एफ विश्लेषक मशीन को लगा लिया है। इससे ग्राहक समाधान में सुधार हुआ है।

समग्र रुप से उपर्युक्त के परिणामस्वरुप प्रयास खनन प्रचालनों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार को दर्शाते है।इन अनुसंधान एवं विकास के प्रकल्पों के साथ भूमिगत में रॅपिड मायनिंग टेक्नॉलॉजी जैसे डवलपमेंट होडिंग्ज में लॉंग होल ड्रिलिंग, एस डी एल द्वारा स्टोप्स में आर ओ एम की मेकॅनिकल हॅण्डिंग, एल एच डी द्वारा वेस्ट हॅण्डलिंग प्रस्तुत की गई है। भू-भौतिकीय पूर्वेक्षण द्वारा खनन ने नये पट्टों में कोर ड्रिलिंग के लिए नये आयाम दिये है।

ii)	**आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण**	**शून्य**
iii)	**अनुसंधान एवं विकास पर खर्च (करोड रु. में)**	**4.68**

अनुलग्नक- III

1. **निगमित सामाजिक उत्तर दायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्टः**

कंपनी की सी एस आर नीति की संक्षिप्त रुपरेखा, जिसमें परियोजाओं का अवलोकन या आयोजित किए जानेवाले प्रस्तावित कार्यक्रम और सी एस आर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों का वेबलिंक से संदर्भ शामिल है।

(ए) सी एस आर नीति की रुपरेखाः

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्थिरता निगमित अधिशासन के आवश्यक घटक है। सी एस आर मूलतः व्यवसाय और समाज के संबंधो के संदर्भ में एक दर्शन तथा दृष्टी है। यह व्यवसाय नीतीपूर्वक व्यवसाय करने के लिए निरंतर वचनबद्धता है तथा श्रमिकों के और उनके परवारों के साथ बडे पैमाने पर समुदाय और समाज के आर्थिक विकास में योगदान देता है।

सी एस आर के माध्यम से आनंदी और स्वस्थ्य समाज का निर्माण सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ शिक्षित, कुशल और स्थिर समाज के लिए स्तिर बदलाव एवं सामाजिक एकीकरण के माध्यमों से यह मॉयल की विचारधारा है।

सी एस आर तथा स्थिरता गतविधियोंका मुख्य दबाव क्षमता गठन, समुदाय का सशक्तीकरण, सामाजिक-आर्थिक विकास का अंतर्भाव, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण मुक्त और उर्जा कार्यक्षम तंत्र, पिछडे क्षेत्रों का विकास एवं समाज के अधिकारहीन विभाग सभी क्षेत्रोंमें और खासकर प्रकल्प क्षेत्रों पर है।

सामाजिक विकास में स्थिरता तथा सी एस आर एवं स्थिरता के सभी क्षेत्रों पर योग्य बल देनेवाले पर्यावरण के साथ ही अंतर्गत क्रिया, गतिविधीयाँ, प्रक्रियाँ वैसे हि देहाती/शहरी समाज के विकास के लिए सामाजिक संपत्ती के निर्माण से सी एस आर को प्रमुख व्यवसायीक प्रक्रिया बनाने के लिए कंपनी को दिशा निर्देशों क सतहपर रखना यह इस नीति का प्रमुख ध्येय है।

मॉयल के सी एस आर गतविधियों की व्याप्ति कंपनी अधिनियम, 2013, उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, सरकार के दिशा निर्देश तथा उनमें बदलाव के लिए जारी किये गये परिपत्रकों प्रावधानों के अनुसार है। कंपनी की सी एस आर गतिविधियाँ अधिनियम की अनुसूची तखख ली जा सकती है।

सी एस आर की गतिविधियाँ मंडल तथा मंडके स्तर के सी एस आर समिती के निगरानी में ही कार्यान्वित होती है। मॉयल के पास नोडल अफसर और क्लस्टर स्तरीय सी एस आर समिती के साथ आंतरिक सेट अप है।

सी एस आर की गतविधीयोंकी अधिकारक कारवाई मुख्यतः उन जिलों में की जायेगी, जो मॉयल की खदानों, संयंत्रो तथा विभागों के आसपास/प्रभावित क्षेत्र है, जिन्हें स्थानिक क्षेत्र संबोधा जाता है।

सी एस आर तथा स्थिरता बजट व्यय अधिनियम, नियम तथा दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है, जो गत 3 वित्तीय वर्षों के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत से कम न हो।

सी एस आर कार्य कंपनी स्वयं करती है तथा एन जी ओ/विशेष अभिकरणों द्वारा भी करवाती है। जहाँ लागू हो वहाँ परिणाम मूल्वयांकन भी किया जाता है।

(बी) विकास गतिविधियों के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्र हैः

- कृषि विकासः मृदा परीक्षण, सॉईल हेल्थ कार्ड का विवरण, कें चुआ खाद रीतियों को बढावा, फसल विविधीकरण, धान में अधिकतम उपज (एस आर आय) इत्यादी
- जलसंसाधन विकास क्षेत्र में भूमिगत जल स्तरको बढाना, स्थायी नियंत्रण बाँधों का पुर्ननिर्माण, पानी के स्त्रोतों का विगादन, कुँओं का गहरिकरण इत्यादी
- पशुधन विकास कार्य जैसे कृत्रिम बोवाई, स्थानिक जानवरों की तथा संकरित जानवरों की दुग्धनिर्मिती क्षमता बढाने हेतु बाँझपन/आरोग्य शिबिरे
- स्वयं मदद संघटना (एस एच जी) मजबूतीकरण से महिला सशक्तीकरण
- जीवन-शैली कार्यक्रम जिसमें प्रमुख जोर सामाजिक स्वास्थ्य पर है और नियमित स्वास्थ्य जागरुकता माध्यम से स्वास्थ्य जागृती का फेलाव
- मॉयल फाउंडेशन के माध्यम से तथा महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रान्सपर फॉर रुरल एरियाज् (एम आय टी टी आर ए) के सहयोग से कंपनी 21 पहचान गाँवों में (महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 5, भंडार जिले में 11 तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 5) सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाती है।
- शैक्षणिक तथा कौशल विकास का संवर्धन
- देहाती आधारभूत प्रणाली विकास प्रकल्प
- निवारक स्वास्थ्य, सफाई तथा सुरक्षित पीने के पानी सहित स्वास्थ्य संवर्धन
- पर्यावरण स्थिरता की सुनिश्चितता

(सी) वेबलिंगः **hhtp://moil.nic.in/writereaddate/pdf/csr-and-sustainability-policy-of-MOIL-pdfb**

2. **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिती की संरचना (31-03-2017 को)**

1	सुश्री संगीता गैरोला	स्वतंत्र निदेशक -अध्यक्षा
2	सुश्री सुनंदा प्रसाद	स्वतंत्र निदेशक -सदस्य
3	श्री टी. के. पटनाईक	निदेशक (वाणिज्य) -सदस्य

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभः** रु. 563.39 करोड

4. **निर्धारित सी एस आर व्ययः रु. 11.27 करोड** (अर्थात उपरोलेखित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का प्रतिशत)

5. **वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सी एस आर गतिविधियों का विवरण**

ए) वित्तीय वर्ष में किए जानेवाले खर्च की कुल राशिः रु. 11.27 करोड

बी) खर्च नही की गई राशि, यदि कोई होः **शून्य**

सी) वित्तिय वर्ष के दौरान जिस तरह से राशि खर्च की गई उसका विवरण निम्न प्रकार हैः

(राशी रू.में)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सी एस आर परियोजना या गतविधी	परियोजना का क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानिय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले का उल्लेख करे जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाया गया	राशी परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की राशीः (1 परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (2)उपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च राशीः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	योजना का नाम						
ए)	**ग्रामीण विकास**						
1	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	ग्रामीण बुनियादी विकास	महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा जिले के तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के विभिन्न गाँव	312.36	132.41	132.41	1.मे.भगवती कन्स्ट्रक्शन 2.मे के.सी दास 3. मे. इनोवेटिव कन्स्ट्रक्शन
2	सामुदायिक भवन का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	बालापूर जि. भंडारा महाराष्ट्र उकवा जि. बालाघाट (म.प्र.)	65.00	61.78	61.78	मे.के.सी. दास
3	विभिन्न वॉर्डो में सिमेंट कॉंक्रिट के रास्ते तथा नालों का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	फेतरी गाँव जि. नागपूर महाराष्ट्र	29.60	29.55	29.55	मे प्रभाकर फिटिंग वर्क्स
4	सामुदायिक भवन का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	बईहर जि. बालाघाट (म.प्र.)	55.00	32.06	32.06	मे. के.सी दास
5	सामुदायिक भवन का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	डोंगरी बुजुर्ग जि. भंडारा महाराष्ट्र	55.00	27.76	27.76	मे. के.सी दास

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सी एस आर परियोजना या गतविधी	परियोजना का क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानिय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले का उल्लेख करे जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाया गया	राशी परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की राशीः (1 परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (2)उपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च राशीः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	योजना का नाम						
6	सिमेंट काँक्रिट रोड का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	लुगमा और उकवा जि. बालाघाट (म.प्र.)	56.39	56.38	56.38	मे अल्ताफ अहमद
7	सिमेंट काँक्रिट रोड का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	रंतोली गाँव डोंगरी बुजुर्ग जि.भंडारा महाराष्ट्र	121.00	50.02	50.02	मे. भगवती बिल्डर्स
8	आर.सी.सी. नाले का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	उमारी गाँव तहसील मडनार सौनार जि.नागपूर महाराष्ट्र	12.45	12.45	12.45	मे. इरफान अहमद
9	मूक बधिर शालाके लिए रुफ -टॉप शेड	ग्रामीण बुनियादी विकास	सौनार जि.नागपूर महाराष्ट्र	10.83	10.83	10.83	मे. ए.के. इंजिनियरींग
10	अन्य विकास कार्य 1.पानीके तालाब से गाद निकालना 2.प्रतीक्षाबवन का निर्माण 3.सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	रामपायली गाँव जि.बालाघाट म.प्र.	20.00	4.45	4.45	मे. खान ब्रदर्स
11	सिमेंट काँक्रिट रास्ता तथा नाले का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	पौनारा गाँव जि.भंडारा महाराष्ट्र	4.24	24.46	24.46	मे. ए.ए. पाशा
12	सिमेंट काँक्रिट रास्ता तथा नाले का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	दौनारा गाँव जि.भंडारा महाराष्ट्र	4.23			मे. ए.ए. पाशा
13	सिमेंट काँक्रिट रास्ता तथा नाले का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	पाथेरी गाँव जि.भंडारा महाराष्ट्र	17.39			मे. ए.ए. पाशा
14	तिहलीबाई शासकीय विद्यालय के चाहर दीवारी का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	वारासौनी जि.बालाघाट म.प्र.	8.00	4.87	4.87	मे. हमीद सय्यद

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सी एस आर परियोजना या गतविधी	परियोजना का क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानिय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले का उल्लेख करे जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाया गया	राशी परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की राशीः (1 परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (2)उपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च राशीः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	योजना का नाम						
15	दोपहर के भोजन के लिए रसोई तथा स्कूल के चाहर दीवारी का नार्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	हिरापुर गाँव जि.बालाघाट म.प्र.	8.71	8.18	8.18	मे.के.सी. दास
16	पाठशाला में पेशाबघर तथा शौचालय का नार्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	मुसेवाडी गाँव जि.नागपूर महाराष्ट्र	6.10	6.08	6.08	मे. शिवा कन्स्ट्रक्शन्स
17	शासकीय विद्यालय में लडकों के लिए शौचालय तथा चाहर दीवारी का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	मानेगाव गाँव जि. बालाघाट म.प्र.	14.00	12.19	12.19	मे.के.सी. दास
18	शासकीय विद्यालयों में दोपहर के भोजन के लिए रसोई, शौचालय तथा चाहर दिवारी का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	आँवल झरी गाँव जि. बालाघाट म.प्र.	20.45	19.04	19.04	मे.के.सी. दास
19	आर एन टी विद्यालय में कक्षाओं का निम र्ण	ग्रामीण बुनियादी विकास	बालाघाट म.प्र.	6.45	5.41	5.41	मे.के.सी. दास
20	रामकृष्ण सारडा मिशन स्कू ल ऑफ होम सायन्स में चाहर दिवारी का निर्माण	ग्रामीण बुनियादी विकास	काम्प्ती जि.नागपुर महाराष्ट्र	18.97	15.29	15.29	मे.बी.आर. हुलदे

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सी एस आर परियोजना या गतविधी	परियोजना का क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानिय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले का उल्लेख करे जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाया गया	राशी परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की राशीः (1 परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (2)उपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च राशीः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	योजना का नाम						
21	ग्रामीण विकास से संबंधित अन्य कार्ये	ग्रामीण बुनियादी विकास		42.96	42.96	42.96	
ए	ह्यूम पाईप नाली की दुरुस्ती		फेतरी गाँव जि. नागपुर महाराष्ट्र				मे. प्राइम इफ्रास्ट्रक्चर
बी	रास्ते का डामरीकरण		तिरोडी जि.बालाघाट म.प्र.				मे. संपत
सी	रास्ते का डामरीकरण		खापा जि.नागपुर महाराष्ट्र				मे.पी.के. इंजिनियरींग
डी	सभामंडप का निर्माण		फे तरी जि.नागपुर महाराष्ट्र				मे. योगेश लांगडे
एफ	प्रभाव आकलन नॅबकॉन्स नाबार्ड		---				नाबार्ड
जी	समाज भवन का निर्माण		खापा गाँव जि.नागपुर महाराष्ट्र				मे. प्राइम इफ्रास्ट्रक्चर
एच	नाली के लिए पक्की दीवार का निर्माण		सीतासौगी गाँव जि.भंडार महाराष्ट्र				मे. एस.पी. शेख
आय	स्कूल की इमारत में कमरों का निर्माण		तिरोडी जि.बालाघाट म.प्र.				मे. मनोज त्रिवेदी
	कुल ग्रामीण विकास				**556.17**	**556.17**	
बी)	**स्वास्थ्य सेवा और सफाई**						
1	लाइट टू लाईब्स और मॉयल खदानों के आस पास की ग्रामीण जनता के दृष्टीकोण तथा दृष्टीहीनता में कमी लाना	स्वास्थ्य सेवा और सफाई	नागपुर और भंडारा जिलों के गाँव महाराष्ट्र	50.00	35.04	35.04	मे. सूरज आय इन्स्टीट्यूट
2	रोगीवाहन तथा शव वाहन की आपूर्ति करना	स्वास्थ्य सेवा और सफाई	महाराष्ट्र के चंद्रपूर जिले के नागभीड, चुमुर, बललरपुर और म.प्र. का बालाघात क्षेत्र	31.02	31.02	31.02	मे. गिरनार मोटर्स, मे. इरॉस मोटर्स

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सी एस आर परियोजना या गतविधी	परियोजना का क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानिय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले का उल्लेख करे जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाया गया	राशी परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की राशीः (1 परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (2)उपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च राशीः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	योजना का नाम						
3	स्कूल तथा कॉलेज में छात्राओं के लिए सॅनिटरी नॅपकीन बेंडिंग मशीन की स्थापना	स्वास्थ्य सेवा और सफाई	महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों के गाँव	8.00	5.44	5.44	मे. भारती सेल्स
4	स्वास्थ्य सेवा और सफाई के संबंध मे अन्य कार्य	स्वास्थ्य सेवा और सफाई		7.22	7.22	7.22	
ए	आँख होठ शल्यक्रिया के 30 रुग्णोंको प्रायोजित करना		महाराष्ट्र के नागपुर तथा बालाघाट जिले के गाँव				मे. रोटरी क्लब ट्रस्ट, नागपुर (पश्चिम)
बी	शवशीतबक्सा का अर्जन		नागपुर महारष्ट्र				मे. बन्सा स्टील वर्क्स
सी	सामुदायिक शौचालय का निर्माण		सातुक गाँव जि. नागपुर महाराष्ट्र				मे. कनक कन्स्ट्रक्शन
डी	बिमार व्यक्तिओं की आर्थिक मदद		नागपुर महाराष्ट्र				मे. योगेश बांगडे
	कुल स्वास्थ्य सेवा और सफाई				**78.72**	**78.72**	
सी)	**शिक्षा तथा कुशलता विकास**						
1	मॉयल डी ए व्ही पब्लिक स्कूल	शिक्षा तथा कुशलता विकास	सीतासौगी जि.भंडारा महाराष्ट्र	110.00	109.71	109.71	मॉयल
2	आर एन टी स्कूल को गोद लेना		(म.प्र.) बालाघाट जिले में उकवा गाँव और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में डोंगरी बुजुर्ग	35.00	32.79	32.79	मॉयल
3	प्रचलित खदानों के आसपास के स्थानिक युवकों में कुशलता विकास		म.प्र. के बालाघाट जिले के गाँव और महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलेके गाँव	25.00	16.60	16.60	मॉयल

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सी एस आर परियोजना या गतविधी	परियोजना का क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानिय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले का उल्लेख करे जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाया गया	राशी परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की राशीः (1 परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (2)उपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च राशीः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	योजना का नाम						
4	शिक्षा तथा कुशलता विकास के संदर्भ में अन्य कार्य	शिक्षा तथा कुशलता विकास		7.43	7.43	7.43	
ए	विज्ञान भारती का प्रायोजन		जि.नागपुर महाराष्ट्र				मॉयल
बी	बोगा ऑलिंपिक तथा वैद्य चिकित्सा शिबिर का प्रायोजन		जि. लालाघाट म.प्र.				मॉयल
सी	योगा केन्द्र		फे तरी गाँव जि.नागपुर महाराष्ट्र				मॉयल
डी	भोपाल विज्ञान मेला को आर्थिक मदद		जि.भोपाल म.प्र.				मॉयल
ई	स्कूल और गाँवों में सांकीर्ण कार्य		जि.भंडारा जि.नागपुर महाराष्ट्र				मॉयल
	कुल शिक्षा तथा कुशलता विकास				**166.53**	**166.53**	
डी)	**पीने का पानी**						
1	मॉयल के खदानों के आसपास के क्षेत्र में बोरवेल का ड्रिलिंग तथा हँडपंप की स्थापना	पीने का पानी	म.प्र.का बालाघाट जिला तथा महाराष्ट्र के भंडारा और नागपुर जिले	42.50	34.27	34.27	मे. निशा बोअरवेल्स
2	ग्रामपंचायत के लिए पानी की सुविधा		भारवेली जि.बालाघाट	2.85	2.85	2.85	मॉयल
	कुल				**37.12**	**37.12**	
ई)	**पर्यावरण संधारणियता**						
1	वृक्षरोपण कार्यक्रम के लिए वृक्षसंरक्षकों की आपूर्ती	पर्यावरण संधारणीयता	जि.नागपुर महाराष्ट्र	16.00	10.11	10.11	मे. रीना मेकॅनिकल्स
2	पर्यावरण संधारणीयता संबंधमें अन्यकार्य			9.44	9.45	9.45	मे. योगेश बांगडे

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	सी एस आर परियोजना या गतविधी	परियोजना का क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानिय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले का उल्लेख करे जहाँ परियोजना या कार्यक्रम चलाया गया	राशी परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की राशीः (1 परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष खर्च (2)उपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च राशीः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	योजना का नाम						
ए	खदानों के रेलवे साईडिंग के बगल में वृक्षारोपण		चिकला जि.भंडारा महाराष्ट्र				
बी	जैवविविधता उद्यान की निगरानी		फेत्तरी जि. नागपुर महाराष्ट्र				
सी	वृक्षारोपण की निगरानी		जि. नागपुर महाराष्ट्र				
कुल					**19.55**	**19.55**	
ए से ई का जोड					**859.09**	**858.09**	
एफ	मॉयल फाउंडेशन को अंशदान (रजि. सोसायटी)				285.00	285.00	
कुल सी.एस आर.व्यय					**1143.10**	**1143.10**	

6. **निर्धारित राशि व्यय नही करने का कारणः** लागू नही

7. **उत्तर दायित्व कथन**

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एम आर) नीति के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण कंपनी के सी एस आर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

एम.पी.चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

संगीता गैरोला
अध्यक्षा-सी एस आर समिती

अनुलग्नक-IV

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31-03-2017 को समाप्त वित्तिय वर्ष के अनुसार

(कंपनी (प्रबंधक एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसरण में)

फॉर्म नं. एम जी टी-9

1. पंजीकरण और अन्य विवरणः

सी आय एन	एल 99999 एम एच 1962 जीओआय 012398
पंजीकरण दिनांक	22-06-1962
कंपनी का नाम	मॉयल लिमिटेड
कंपनी की कॅटेगरी/सब कॅटेगरी	पब्लिक कंपनी/शैयरों द्वारा सीमित
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	1ए, काटोल रोड, नागपुर-440013 टेलीफैक्स-0712-2806182/100 ईमेल- compliance@moil.nic.in वेबसाईट- www.moil.nic.in
क्या कंपनी सूचीबद्ध है	हाँ
राजिस्ट्रार और ट्रान्स्फर एजेंट का नाम, पता, संपर्क विवरण, यदि कोई हो	बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लि. पहली मंजिल, भारत टीन वर्क्स बिल्डींग, वसंत ओॲसिस के सामने, मकवाना रोड, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400059 टेलिफोन-022 62638200 फैक्स-022 62638299 ईमेल- investor@bigshareonline.com

2. कंपनी की प्रमुख व्यवसायीक गतिविधियाँः

सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ जिसका कंपनी के कुल बिक्री में 10 प्रतिशत या इससे अधिक का योगदान हो उसे दर्शाया जाएगाः

क्र.सं.	मुख्य उत्पादो/ सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पादन/सेवा का एन आय सी कोड	कंपनी की कुल बिक्री से प्रतिशत
1	मँगेनीज अयस्क	072	91.46

3. धारित, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरणः

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सी आय एन/ जी एल एन	धारित/ सहायक / सहयोगी	शेयरधारिता का प्रतिशत	लागू नही
1	रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. ग्राउंड फ्लोअर, ओल्ड हैल्थ सेंटर, सेक्टर 11, उक्कु नाग्राम, बिशाखापट्टनम, आं. प्र. 530031	यू27101एपी 2009पीटीसी 064546	सहयोगी	50	2(6)
2	सेल ॲण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि. रु. नं. 3बी, सी ई झेड गॅरेज कंपाउंड, इक्विपमेंट स्क्वेअर, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, छ.ग.490001.	यू27101सीटी 2008पीटीसी 020786	सहयोगी	50	2(6)

4. शेयर धारिता का स्वरुप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूँजी ब्रेकअप)

1. वर्गवार शेयर धारिता:

		वर्ष प्रारंभ में 01-04-2016 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में 31-03-2017 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
		डीमैट	भौतिकीय	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिकीय	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
प्रमोटर एवं प्रमोटर ग्रुप										
1.भारतीय										
(ए)	व्यक्ति/हिं.अ.कु.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(बी)	केंद्र/राज्य सरकार	134400000	0	134400000	80	873424222	0	873424222	65.52	(14.42)
(सी)	कारपोरेट बॉडीज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(डी)	वित्तीय संस्थान/ बँक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ई)	अन्य कोई निर्दिष्ट करे	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उपजोड (ए)(1)		**134400000**	**0**	**134400000**	**80**	**87342422**	**0**	**87342422**	**65.58**	(14.42)
2.विदेशी										
(ए)	एन आर आय व्यक्ती	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(बी)	कारपोरेट बॉडीज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(सी)	संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(डी)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(इ)	अन्य कोई (विनिदिष्ट करे)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप.जोड (ए)(2)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रमोटर और गैर प्रमोटर ग्रुप के कुल होल्डिंग	**(ए)=(ए)(1) + (ए) (2)**	**134400000**	**0**	**134400000**	**80**	**87342422**	**0**	**87342422**	**65.58**	(14.42)
(बी) पब्लिक शेयर होल्डींग										
1.संस्थान										
(ए)	मुच्युअल फंड/ युटीआय	672216	0	672216	0.40	1600325	0	1600325	1.20	0.80
(बी)	वित्तीय संस्थान/ बँक	5673471	0	5673471	3.38	12817683	0	12817683	9.62	6.25
(सी)	केंद्र/ राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(डी)	उद्यम पूँजी निधी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ई)	भीमा कंपनियाँ	1186234	0	1186234	0.71	1186234	0	1186234	0.89	0.18
(एफ)	एफ आई आई	5976641	0	5976641	3.56	6530189	0	6530189	4.90	1.35
(जी)	विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(एच)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(आय)	अन्य कोई (विनिदिष्ट करे)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(जे)	विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशक	3559123	0	3559123	2.12	3285952	0	3285952	2.47	0.35
(के)	वैकल्पिक निवेशक निधी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उपजोड (बी)(1)		**17067685**	**0**	**17067685**	**10.16**	**25420383**	**0**	**25420383**	**19.09**	**8.93**
बी.2 गैरसंस्थान										
(ए)	कारपोरेट बॉडीज	2109605	0	21096105	1.26	3953017	0	3953017	2.97	1.71
(बी)	व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	रु.1 लाख तक पूँजी	12653582	401	12653983	7.53	13709159	276	13709435	10.29	2.76
(2)	रु.1लाख से अधिक पूँजी	1160128	0	1160128	0.69	1770934	0	1770934	1.33	0.64
(सी)	अन्य कोई (विनिदिष्ट करे)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	न्यास	25612	0	25612	0.02	71462	0	71462	0.05	0.04
(2)	क्लियरींग सदस्य	74836	0	74836	0.04	327636	0	327636	0.25	0.20
(3)	निदेशकों के रिश्तेदार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)	कर्मचारी	71478	0	71478	0.04	43766	0	43766	0.03	(0.01)
(5)	विदेशी नागरिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6)	अनिवासी भारतीय एन आय आर	316931	0	316931	0.19	390925	0	390925	0.29	0.10
(7)	ओवर सीज बॉडी कारपोरेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8)	संदिग्ध लेखा जिसका दावा नही किया गया	204	0	204	0	204	0	204	00	0
(9)	अनिवासी भारतीय एन आर आय (रिपीट)	2100	0	2100	0	6871	0	6871	0.01	0
(डी)	पात्र विदेशी निवेशक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप.जोड (बी)(2)		**16531914**	**401**	**16532315**	**9.84**	**20424723**	**276**	**20424999**	**15.34**	**5.49**
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग	**(बी)=(बी(1) + (ब)(2)**	**33599599**	**401**	**33600000**	**20**	**45845106**	**276**	**45845382**	**34.42**	**14.42**
(सी) कस्टेडियन द्वाराधारित शेयर और जिनके लिए डिपॉजिटरी रसीद जारी की गई है										
(ए)	कस्टेडियन द्वारा धारित शेयर	000	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	प्रमोटर एवं प्रमोटर ग्रुप	000	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)	पब्लिक	000	0	0	0	0	0	0	0	0
उप.जोड (सी)(1)		000	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (ए) + (बी) + (सी)		**167999299**	**401**	**168000000**	**100**	**133187528**	**276**	**133187804**	**100**	**0.0**

2) प्रमोटर की शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ 01-04-2016 को शेयर होल्डींग			वर्ष के अंत मे 31-03-2017 को शेयर होल्डींग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में बंधक/ ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में बंधक/ ऋणग्रस्त शेयरा का प्रतिशत	वर्ष के दोरान शेयर होल्डींग में परिवर्तन का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपती	120235680	71.5689	0	74869435	56.2134	0	0.9968
2	महाराष्ट्र के राज्यपाल	7757400	4.6175	0	6066067	4.5545	0	0.0630
3	मध्य प्रदेश के राज्यपाल	6406920	3.8136	0	6406920	4.8104	0	0.9968
	कुल	**134400000**	**80**	**0**	**87342422**	**65.5783**	**0**	**14.4217**

3) प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन

क्र.सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में 01-04-2016 को शेयर होल्डींग		वर्ष के अंत में 31-03-2017 को शेयर होल्डींग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में 31/03-2016 समान	134400000 -	80 -	134400000 -	- -
	घटन 30/09/2016	43939350	32.99	90460650	67.92
	बढत 07/10/2016	10200552	7.66	100661202	75.58
	घटन 27/10/2017	13318780	10.00	87342422	65.58
	31/03/2017 समान	0	0.00	87342422	65.58
	वर्ष के अंत मे	-	-	87342422	65.58

4) अग्रणी 10 शेयर होल्डरों के शेयर होल्डिंग का तरीका (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर धारकों के सिवाय अन्य)

क्र.सं.		वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तारीखवार बढत/ घटत; बढत/घटत के कारणों का उलल्ीख करते हुए (जैसे आंबटन/अंतरण/ बोनस/स्वेट इत्यादी					वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डींग	
	प्रत्येक 10 अग्रणी शेयरधारकों के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तारीख	बढत/ घटत	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	एम एफ एस इन्टरनॅशनल न्यू डिस्कवरी फंड	4200697	3.15	31 मार्च 16	0	स्थानंतरित	4200697	3.15
			3.05	03 जून 16	-132597	स्थानंतरित	4068100	3.05
			2.98	10 जून 16	-96736	स्थानंतरित	3971364	2.98
		3971364	2.98	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	3971364	2.98
2	सॉमर सेट इमरजिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड एल एस सी	1347904	1.01	31 मार्च 16	0	स्थानंतरित	1347904	1.01
			0	30 सितंबर 16	-1347904	स्थानंतरित	0	0
			0.42	7 अक्तूबर 16	560230	स्थानंतरित	560230	0.42
			0.40	3मार्च 17	-23377	स्थानंतरित	536853	0.42
			0.28	10 मार्च 17	-169369	स्थानंतरित	367484	0.28
			0.26	17 मार्च 17	-26550	स्थानंतरित	340934	0.26
			0.18	24 मार्च 17	-100402	स्थानंतरित	240532	0.18

क्र.सं.		वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तारीखवार बढत/ घटत; बढत/घटत के कारणों का उलल्लिख करते हुए (जैसे आंबटन/अंतरण/ बोनस/स्वेट इत्यादी					वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डींग	
			0.11	31 मार्च 17	-100223	स्थानंतरित	140309	0.11
		140309	0.11	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	140309	0.11
3	भारत्यी जीवन बीमा निगम पी अॅण्ड जी एस फंड	1859938	1.40	31 मार्च 16	0	स्थानंतरित	1859938	1.40
			1.39	30 दिसंबर 16	-3653	स्थानंतरित	1859938	1.39
			1.33	6 जानेवारी 17	-90000	स्थानंतरित	1766285	1.33
			1.31	13 जानेवारी 17	-16979	स्थानंतरित	1749306	1.31
			7.43	27 जानेवारी 17	8150653	स्थानंतरित	9899959	7.43
		9899959	7.43	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	9899959	7.43
4	डी बी इंटरनॅशनल (एशिया) लि.	919290	0.69	31 मार्च 16	0	स्थानंतरित	919290	0.69
			0.68	20 मई 16	0	स्थानंतरित	904929	0.68
			0.66	3 जून 16	-14361	स्थानंतरित	881739	0.66
			0.66	8 जून 16	181	स्थानंतरित	881920	0.66
			0.65	19 अगस्त 16	-9629	स्थानंतरित	872291	0.65
			0.65	30 सितंबर	-202	स्थानंतरित	872089	0.65
			0.65	18 नवंबर 16	100	स्थानंतरित	872189	0.65
			0.64	25 नवंबर 16	-17331	स्थानंतरित	854858	0.64
			0.64	16 दिसंबर 16	-2005	स्थानंतरित	852853	0.64
			0.63	20 जनवरी 17	-16781	स्थानंतरित	836072	0.63
			0.63	3 मार्च 17	6073	स्थानंतरित	842145	0.63
			0.64	10 मार्च 17	11203	स्थानंतरित	853348	0.64
			0.64	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	853348	0.64
5	युनायटेप इंडिया इंशुरन्स कंपनी लि.	1430967	1.07	31 मार्च 16	0	स्थानंतरित	1430967	1.07
		1430967	1.07	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	1430967	1.07
6	ए पी इन्वेस्ट कॅपिटल फोरनिंग	872698	0.66	31 मार्च 16	0	स्थानंतरित	872698	0.66
			0.68	3 जून 16	35694	स्थानंतरित	908662	0.68
			0.69	10 जून 16	6677	स्थानंतरित	915339	0.69
			0.58	10 मार्च 17	-139315	स्थानंतरित	776024	0.58
			0.50	17 मार्च 17	-105009	स्थानंतरित	671015	0.50
			0.50	24 मार्च 17	-11138	स्थानंतरित	659877	0.50
			0.50	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	659877	0.50
7	नॅशनल इंशुरन्स कंपनी लि.	809981	0.61	31 मार्च 16	0	स्थानंतरित	809981	0.61
		809981	0.61	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	809981	0.61
8	द न्यू इंडिया अॅशुरन्स कंपनी लि.	603705	0.45	31 मार्च 16	0	स्थानंतरित	603705	0.45
			0.39	25 नवंबर 16	-80000	स्थानंतरित	523705	0.39
			0.30	2 दिसंबर 16	-120000	स्थानंतरित	403705	0.30
		403705	0.30	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	403705	0.30
9	आय एफ सी एल लि.	376253	0.28	31 मार्च 16	0	स्थानंतरित	376253	0.28
		376253	0.28	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	376253	0.28
10	टाटा इन्वेस्टेमंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	375000	0.28	31 मार्च 16	0	स्थानंतरित	375000	0.28
			0.22	2 सितंबर 16	-80000	स्थानंतरित	295000	0.22

क्र.सं.		वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तारीखवार बढत/ घटत; बढत/घटत के कारणों का उलल्लिख करते हुए (जैसे आंबटन/अंतरण/ बोनस/स्वेट इत्यादी					वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डींग	
			0.15	8 सितंबर 16	-95000	स्थानंतरित	200000	0.15
			0.12	9 सिंतबर 16	-38438	स्थानंतरित	161562	0.12
			0.12	16 सितंबर 16	-7427	स्थानंतरित	154135	0.12
			0.09	23 सितंबर 16	-37605	स्थानंतरित	116530	0.09
			0.08	14 अक्तूबर 16	-13530	स्थानंतरित	103000	0.08
			0	21 अक्तूबर 16	-103000	स्थानंतरित	0	0
			0	31 मार्च 17		स्थानंतरित	0	0
11	यु टी आय मिडकॅप फंड	0	0	31 मार्च 16		स्थानंतरित	0	0
			0.03	30 दिसंबर 16	34379	स्थानंतरित	34379	0.03
			0.05	6 जनवरी 17	29691	स्थानंतरित	64070	0.05
			0.25	13 जनवरी 17	263581	स्थानंतरित	327651	0.25
			0.72	27 जनवरी 17	625264	स्थानंतरित	952915	0.72
			0.72	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	952915	0.72
12	कॅनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स लाईफ इंशुरन्स कंपनी लि.	0	0	31 मार्च 16		स्थानंतरित	0	0
			0.25	4 नवंबर 16	328950	स्थानंतरित	328950	0.25
			0.37	11 नवंबर 16	168195	स्थानंतरित	497145	0.37
			0.45	18 नवंबर 16	103074	स्थानंतरित	600219	0.45
			0.52	25 नबंबर 16	797	स्थानंतरित	693850	0.52
			0.52	9 दिसंबर 16	130	स्थानंतरित	694647	0.52
			0.52	16 दिसंबर 16	199	स्थानंतरित	694777	0.52
			0.67	23 दिसंबर 16	881	स्थानंतरित	894658	0.67
			0.67	30 दिसंबर 16	100	स्थानंतरित	894758	0.67
			0.67	13 जनवरी 17	10906	स्थानंतरित	905664	0.67
			0.68	20 जनवरी 17	-4581	स्थानंतरित	901083	0.68
			0.68	27 जनवरी 17	233	स्थानंतरित	901316	0.68
			0.68	3 फरवरी 17	-231	स्थानंतरित	901085	0.68
			0.68	10 फरवरी 17	125	स्थानंतरित	901210	0.68
			0.68	17 फरवरी 17	-147	स्थानंतरित	901063	0.68
			0.68	24 फरवरी 17	130	स्थानंतरित	901193	0.68
			0.68	3 मार्च 17	-691	स्थानंतरित	900502	0.68
			0.68	10 मार्च 17	-1573	स्थानंतरित	898929	0.68
			0.67	24 मार्च 17	-3325	स्थानंतरित	895604	0.67
			0.67	31 मार्च 17	-3995	स्थानंतरित	8910609	0.67
			0.67	31मार्च 17	-1261	स्थानंतरित	890348	0.67
		890348	0.67	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	890348	0.67
13	राम (लक्स) सिस्टमॅटीक फं ड्स ईमरजिंग माकेट्स इक्विटीज	0	0.67	31 मार्च 16		स्थानंतरित	0	0.67
			0	18 नवंबर 16	50029	स्थानंतरित	50029	0
			0.04	25 नवंबर 16	70090	स्थानंतरित	120119	0.04
			0.09	2 दिसंबर 16	78205	स्थानंतरित	198324	0.09

क्र.सं.		वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तारीखवार बढत/ घटत; बढत/घटत के कारणों का उलल्लिख करते हुए (जैसे आंबटन/अंतरण/ बोनस/स्वेट इत्यादी					वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डींग	
			0.15	9 दिसंबर 16	128541	स्थानंतरित	326865	0.15
			0.25	16 दिसंबर 16	73393	स्थानंतरित	400258	0.25
			0.30	23 दिसंबर 16	68838	स्थानंतरित	469096	0.30
			0.35	6 जनवरी 17	27141	स्थानंतरित	496237	0.35
			0.37	13 जनवरी 17	126966	स्थानंतरित	623203	0.37
			0.47	20 जनवरी 17	39854	स्थानंतरित	663057	0.47
			0.50	24 फ रवरी 17	-15537	स्थानंतरित	647720	0.50
			0.49	10 मार्च 17	-21583	स्थानंतरित	626137	0.49
			0.47	17 मार्च 17	-21128	स्थानंतरित	605009	0.47
			0.45	24 मार्च 17	-78966	स्थानंतरित	526043	0.45
			0.33	31मार्च 17	-85656	स्थानंतरित	440387	0.33
14	रॅम (लक्स) सिस्टमॅटीक फंड्स् ईम रजिंग माकेट्स इक्विटीज	0	0	31 मार्च 16		स्थानंतरित	0	0
			0.04	18 नवंबर 16	50029	स्थानंतरित	50029	0.04
			0.09	25 नबंबर 16	70090	स्थानंतरित	121119	0.09
			0.09	2 दिसंबर 16	78205	स्थानंतरित	198324	0.09
			0.25	9 दिसंबर 16	128541	स्थानंतरित	326865	0.25
			0.30	16 दिसंबर 16	73393	स्थानंतरित	400258	0.30
			0.35	23 दिसंबर 16	68838	स्थानंतरित	469096	0.35
			0.37	6जनवरी 17	27141	स्थानंतरित	496237	0.37
			0.47	13 जनवरी 17	126966	स्थानंतरित	623203	0.47
			0.50	20 जनवरी 17	39854	स्थानंतरित	663057	0.50
			0.49	24 फ रवरी 17	-15337	स्थानंतरित	647720	0.49
			0.47	10 मार्च 17	-21583	स्थानंतरित	626137	0.47
			0.45	17 मार्च 17	-21128	स्थानंतरित	605009	0.45
			0.40	24 मार्च 17	-78966	स्थानंतरित	526043	0.40
			0.33	31 मार्च 17	-85656	स्थानंतरित	440387	0.33
		440387	0.33	31 मार्च 17	0	स्थानंतरित	440387	0.33

5) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर होल्डिंग

श्री नीरज दत्त पाण्डेय, कंपनी सचिव के अलावा कंपनी के किसी निदेशक और मुख्य प्रबंधक कार्मिक ने शेयरों को धारित नही किया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.		वर्ष के शुरआत 01-04-2016 शेयर हल्डिंग		वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग मे तारीखवार बढत/ घटत के कारणों (जैसे आंबटन/अंतरण/बोनस/ खेट इक्विटी इत्यादी) का उलल्लिख करते हुए			वर्ष के दौरान संचयी शेयर हल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	तारीक	बढत/ घटत	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	श्री नीरज दत्त पाण्डये (कंपनी सचिव)	1	1	लागू नही	लागू नही	लागू नही	1	0

6. ऋणग्रस्तताः

कंपनी की ऋणग्रस्ता जिसमें बकाया/अर्जित ब्याज शामिल है, लेकिन भुगतान के लिए देय नही है-**शून्य**

	सुरक्षित ऋण जमा छोडकर	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ऋणग्रस्ता 1)मूल राशी 2)ब्याज देय लेकिन भुगतान नही किया गया 3)ब्याज अर्जित लेकिन देय नही	-	-	-	-
कुल (1 +2 +3)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव • बढत • घटत	-	-	-	-
शुद्ध बदलाव	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता 1)मूल राशी 2)ब्याज देय लेकीन भुगतान नही किया गया 3) ब्याज अर्जित लेकिन देय नही	-	-	-	-
कुल (1 +2 +3)	-	-	-	-

7. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का परिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का परिश्रमिक

क्र.सं.	परिश्रमिक का विवरण	निदेशक/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक का नाम			कुल राशि
		श्री. जी. पी कुंदरगी (सी एम डी/ सी एफ ओ) (31/08/2016 तक)	श्री. एम. पी. चौधरी (निदेशक(वित्त) / सी एफ ओ 31/08/2016 से सी एम डी/सी एफ डी)	श्री. टी. के पटनायक निदेशक (वाणिज्य)	
1	सकल वेतन				
	ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वेतन	2547978	3878344	3155682	9582004
	बी) आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलाब्धियों का मूल्य	246716	154982	319776	721474
	सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में अनुलाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमिशन -लाभ प्रतिशत -अन्य निर्दिष्ट करे (कार्य-निष्पादन से जुडे प्रोत्साहन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, कृपया निदिष्ट करे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ए)	**2794694**	**4033326**	**3475458**	**10303478**
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग				

बी) अन्य निदेशकों को परिश्रमिक

क्र.सं.	परिश्रमिक का विवरण	स्वतंत्र निदेशकों के नाम					कुल
		डॉ. ए. के. लोमस	श्री. जे. पी. डांगे	श्री. जी. एस. ग्रोवर	सुश्री सुनंदा प्रसाद	सुश्री संगीता गैरोला	
1	स्वतंत्र निदेशक						
	• मंडल/समिती की बैठकों को उपस्थित होने का शुल्क	260000	265000	185000	325000	330000	1365000
	• कमिशन	-	-	-	-	-	-
	• अन्य कृपया निर्दिष्ट करे	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	**260000**	**265000**	**185000**	**325000**	**330000**	**1365000**
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
	• मंडल/समिती की बैठकों को उपस्थित होने का शुल्क						
	• कमिशन						
	• अन्य कृपया निर्दिष्ट करे						
	कुल (2)	-	-	-	-	-	-
	कुल (बी)=(1 + 2)	**260000**	**265000**	**185000**	**325000**	**330000**	**1365000**
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीलिंग	लागू नही					

सी) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों को छोडकर अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का परिश्रमिक

क्र.सं.	परिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	कुल
1	सकल वेतन				
	ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वेतन	4452271	1552373	2756745	8761391
	बी)आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	401698	7200	7870	416768
	सी) आयकर अधिनिय, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन ऐवज में अनुलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	-
2	स्टॉक विकल्प	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
3	स्वेट इक्विटी	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
4	कमिशन -लाभ प्रतिशत - अन्य, निर्दिष्ट करे	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करे	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
	कुल	4853969	1559573	2764617	9178159

8. अपराध के लिए शास्ति/दण्ड/अभिसंधान

ए. कंपनी	
शास्ति दण्ड अभिसंधान	शून्य
बी. निदेशक	
शास्ति दण्ड अभिसंधान	शून्य
सी. अन्य दोषी अधिकारी	
शास्ति दण्ड अभिसंधान	शून्य

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया शास्ति/ दण्ड/ अभिसंधान शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आर डी/एन सी एल टी/ कोर्ट	अपील यदि कोई हो (विवरण दे)
शून्य					

अनुलग्नक-V

नियमित शासन रिपोर्ट

"नियमित शासन में कंपनी का प्रबंधन, उसका मंडल, उसके अंशधारक और अन्य पणधारियों के बीच सामूहिक संबंध शामिल होता है। निगमित शासन एक ऐसी संरचना भी प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के लक्ष्यों को तय किया जाता है एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों तथा कार्य-निष्पादन का पर्यवेक्षण निर्धारित किया जाता है।"

- ऑर्गनायजेशन फॉर इकॉनॉमिक को ऑपरेशन ॲण्ड डेवलॉपमेंट

मॉयल एक "लघुरत्न श्रेणी-1" की "शेडयूल ए" कंपनी है जो कुशल, सत्यानिष्ट, ईमानदार, जवाब देही तथा नैतिक तरीके से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है तथा इस बात में विश्वास करती है कि निगमित शासन कानून के दायरे से भी उपर है। यह प्रबंधन की संस्कृती एवं मानसिकता से उभरता है तथा अकेले कानून द्वारा विनियमित नही किया जा सकता है।

1. निगमित शासन दर्शनः

एक अच्छा निगमित शासन कानून के अनुपालन से परे चला जाता है और इसमें कंपनी की व्यापक प्रतिबद्धता शामिल होती है। यह प्रतिबद्धता निदेशक मंडल से प्रारंभ होती है, जो सभी को दीर्घकालिक लाभ मिलने के साथ संतुलित तरीकेसे, सभी पणधारियों के सर्वोत्तम हित में कंपनी की रणनीतिक एवं प्रचालन उत्कृष्टता पर ध्यान केन्द्रित करके निगमित शासन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।

नियमित शासन स्थायी मूल्य निर्माण में लगातार सुधार करनेवाली एक यात्रा है तथा लक्ष्य की ओर लगातार उपर बढते जाता है। नियामक और अनुपालन की आवश्यकता के रुप में शासन के परंपरागत दृष्टिकोन ने कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरुप शासन अपनाने के लिए मार्ग मुहैया कराया है। लिस्टिंग विनियमन में पंजीकृत कंपनीयों के लिए अनुपालन की मानंदड नियमावली तथा शासन के मानकों के लिए निर्देशरेखा स्थापित की है। मॉयल लिस्टींग विनियमन के अनुसार निर्धारित निगमित व्यवहारों को अपनाने का लगातार प्रयास करती है। उच्चतर मानकों को प्राप्त करना तथा रणनीतिक कार्यान्वयन और जोखीम प्रबंदन में प्रबंधनवर्ग को निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करना तथा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करना हमारी कोशिश होती है।

2. निदेशक मंडलः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत मॉयल एक सरकारी कंपनी है। मॉयल के अंतर्नियमों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। अतः मॉयल के मंडल के सभी निदेशकों को इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2017 को निदेशक मंडल में 6 निदेशक शामिल थे (अतिरिक्त कार्यभार सँभालनेवाले एक निदेशक के बगैर), जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को मिलाकर 2 पूर्णकालिक निदेशक है, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रुप में 2 सरकारी निदेशक तथा 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल है। मॉयल के मंडल की संरचना लिस्टिंग ॲग्रीमेंट कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (लिस्टिंग दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के प्रावधानों तथा नियमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों और विनियमों, 2015 के अनुरुप नही है, क्योंकि और दो स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रमों की जानकारी का प्रकटीकरण मॉयल की वेबसाइटपर निम्मलिखित वेबलिंकपर किया गया है: **hhtp://moil.nic.in/writereaddata/pdf/trg_prog/_ind_dir.pdf**

2.1 मॉयल के निदेशक मंडल वी संरचनाः

31 मार्च 2017 निदेशक मंडलकी श्रेणी के अनुसार संरचना इस प्रकार है:

पूर्णकालिक निदेशक

1) श्री. एम. पी. चौधरी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2) श्री. टी. के. पटनायक, निदेशक (वाणिज्य)

प्रवर्तकनामित निदेशक

1) सुश्री उर्विला खटी, भारत सरकार के नामित निदेशक
2) श्री. मनोहरलाल दुबे, मध्य प्रदेश सरकार के नामित निदेशक

स्वतंत्र निदेशक

1) सुश्री सुनंदा प्रसाद
2) सुश्री संगीता गैरोला

अन्य निदेशक

श्री. टी. के पटनायक, निदेशक (वाणिज्य) तथा निदेशक (उत्पादन और योजना) मॉयल का अतिरिक्त कार्यभार भी सँभलते है। आगे, श्री. देवेन्द्रसिंग आलुवालिया, निदेशक (वित्त), एन एम डी सी लि; मॉयल के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सँभलते है।

2.2 सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिती, पिछली वार्षिक सर्वसाधारण सभा, अन्य निदेशकपदों की संख्या तथा समिती की सदस्यता/ अध्यक्षता का विवरणः

वर्ष 2016-17 के दौरान मंडल की छह (6) बैठके दिनांक 24 मई 2016, 7 जून 2016, 27 जून 2016, 29 अगस्त 2016, 11 नवंबर 2016 और 14 फ रवरी 2017 को आयोजित की गई।

निदेशक के नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित मंडल सभाओं की संख्या	मंडल सभाओं में उपस्थित होने कि संख्या	पिछली वार्षिक सर्वसाधारण सभा में उपस्थिती	अन्य निदेशक पदोंकी संख्या	समिती की सदस्यता अध्यक्षता की संख्या	
					समितीकी अध्यक्षता	समितीकी सदस्यता
	2016-17 के दौरान/31-03-2017 तक					
पूर्णकालिक निदेशक						
श्री. एम. पी. चौधरी अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक (1-09/2016 से)	6	6	हाँ	2	शून्य	शून्य
श्री. जी. पी. कुंदरगी अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक (31-08-2016 तक)	4	4	हाँ	लागू नही	लागू नही	लागू नही
श्री. टी. के पटनायाक निदेशक (वाणिज्य)	6	6	हाँ	2	शून्य	शून्य
सरकार के नामित निदेशक						
सुश्री उर्विला खटी (भारत सरकार के नामित निदेशक)	6	6	नही	4	शून्य	शून्य
श्री. मनोहरलाल दुबे, मध्य प्रदेश सरकार के नामित निदेशक (14-02-2017 से)	0	0	लागू नही	15	3	शून्य
श्री. एस. एस. शुक्ला मध्य प्रदेश सरकार के नामित निदेशक (23-08-2016 तक)	4	2	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
स्वतंत्र निदेशक						
सुश्री सुनंदा प्रसाद (17-11-16 तक तथा 31-01-2017 से)	6	5	हाँ	2	शून्य	शून्य
सुश्री संगीता गैरोला	6	6	हाँ	1	शून्य	1
श्री. जी. एस. ग्रोवर (17-11-2016 तक)	5	4	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
श्री. जे. पी. डांगे (17-11-2016 तक	5	4	नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
अन्य निदेशक						
श्री. डी. एस. आलुवालीया (1-12-2016 से) एन एम डी सी लि. के पास निदेशक (वित्त) मॉयल लिमिटेड का अतिरिक्त कार्यभार	1	1	लागू नही	7	-	1

*लेखा परीक्षा समिती की सदस्यता/अध्यक्षता तथा अन्य कंपनीयों की पणिधारकों की संबंध समिती को विचार में लिया गया है।)

3. समितियाँः

मंडलकी समितीयाँ कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करती है तथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी के साथ सूचित निर्णय लेती है। मंडळ की प्रत्येक समिती; अपने चार्टर के अनुसार जो उसकी संरचना, कार्यक्षेत्र, अधिकार, भूमिका को परिभाषित करता है; कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार और लिस्टिंग ॲग्रीमेंट और निगमित शासन पर डी पी ई दिशानिर्देशोंके अनुसार कार्य करती है। वर्तमान में कंपनी में निम्मलिखित मंडल समितियाँ हैः

3.1 मंडल की लेखा-परीक्षा समितीः

लेखा-परीक्षा समिती लेखा की गुणवत्ता और सत्यानिष्ठा का पर्यवेक्षण, कंपनी की लेखा-परीक्षा एवं रिपोर्टिंग प्रणाली तथा उसके कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने में मंडल की अपनी जिम्मेदारी का वहन करने में सहायता करती है।कंपनी की लेखांकन और वित्तिय रिपोर्टिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण, कंपनी के वित्तिय विवरण का अंकेक्षण, नियुक्ति, स्वतंत्रता, सांविधिक लेख-परीक्षकों का कार्य-निष्पादन एवं परिश्रमिक, आंतरिक लेखा-परीक्षकों का कार्य-निष्पादन तथा कंपनी की जोखीम प्रबंधक नीतियों का पर्यवेक्षण करना समिती का उद्देश्य है।

ए) संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नामः

वर्ष 2016-2017 के दौरान लेखा समितीका पुनर्गठन किया गया। वर्तमानमें लेखा-परीक्षा समिती में 3 सदस्य है, जिनमें से 2 सदस्य स्वतंत्र निदेशक है और 1 सदस्य कार्यकारी निदेशक है। लेखा-परीक्षा समिती की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 और लिस्टिंग विनियमोंके विनियम 18 की आवश्यकताओं को पूरा करती है। 31-03-2017 को समिती के सदस्य इस प्रकार हैः

1) सुश्री संगीता गैरोला-अध्यश्रा
2) सुश्री सुनंदा प्रसाद-सदस्य
3) श्री. टी. के. पटनायक-निदेशक-सदस्य

कंपनी का कंपनी सचिव के सचिव के रुप में कार्य करता है।

बी) वर्ष के दौरान सभा एवं उपस्थितीः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समितीकी 6 सभाएँ दिनांक 23-05-2016, 20-06-2016, 29-08-2016, 17-10-2016, 11-11-2016 और 14-02-2017 को आयोजित की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है।

सदस्य का नाम	समिती के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिती
सुश्री संगीता गैरोला-अध्यक्षा	**1**	**1**
सुश्री सुनंदा प्रसाद-सदस्य	**6**	**5**
श्री. टी. के. पटनायक-सदस्य	**6**	**6**
श्री. जे. पी. डांगे-सदस्य (17-11-2016 तक)	**5**	**5**
डॉ. जे. पी. लोमस-अध्यक्ष (17-11-2016 तक)	**5**	**5**

सी) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरणः

लेखा-परीक्षा समिती की भूमिका में निम्न लिखित का समावेश हैः

1) वित्तीय विवरण सही; पर्याप्त एवं विश्वसनीय है इसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट प्रणाली एवं वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का पर्यवेक्षण करना।
2) सांविधिक लेखाः परीक्षक की नियुक्ती, पुर्ननियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो तो प्रतिस्थापन करने अथवा हटाने तथा लेखा-परीक्षा शुल्क तय करने के लिए मंडलको सिफारिश करना; जैसा भी लागू हो।
3) सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक को भुगतान स्वीकृत करना।
4) मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणी पर प्रबंधक के साथ समीक्षा करना, इस विशेष संदर्भ में,

ए) कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मंडल की रिपोर्टमें शामिल करने के लिए निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में समाविष्ट किए जानेवाले आवश्यक मामले;

बी) कारणों को दर्शाते हुए लेखांकन नीतियों और व्यवहारों में यदि कोई परिवर्तन करना हो;

सी) प्रबंधन द्वारा आकलन पर आधारित निर्णय के प्रयोग को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;

डी) वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण समायोजन जो लेखापरीक्षा निष्कर्ष से उत्पन्न हुए;

ई) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग एवं अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन

एफ) ग्राहकों से संबंधित व्यवहारों का प्रकटीकरण

जी) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हता, यदि कोई हो।

5) मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करनेसे पहले तिमाही वित्तीय विवरणी पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6) निधी, जो इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइटस् इश्यू, प्रिफ्रेन्शियल इश्यू इत्यादी) के माध्यम से उभारी गई है, उसके उपयोग/विनियोग का विवरण, पब्लिक या राइट इश्यू से आय के उपयोग की प्रक्रिया पर निगरानी रखनेवाली एजन्सी के द्वारा प्रस्तुत ऑफर प्रस्ताव दस्तावैज/ प्रॉस्पेक्टस/ नोटीस तथा रिपोर्ट में दर्शाए जाने के अतिरिक्त, अन्य कारणोंके प्रयोजन से इस्तेमाल की गई निधी के विवरण पर प्रबंधन के साथ समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करना तथा इन मामलों पर उचित कदम उठाने के लिए मंडलको योग्य सिफारिश्र करना;

7) सांविधिक एवं आंतरिक लेखा-परीक्षकों का कार्य-निष्पादिन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर प्रबंधनके साथ समीक्षा करना।

8) आंतरिक लेखा-परीक्षक विभाग की संरचना, कर्मचारी तथा विभाग प्रमुख की वरियता, रिपोर्टिंग संरचना की व्याप्ति तथा आंतरकि लेखा-परीक्षा की गतिविधि की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

9) आंतरिक लेखा-परीक्षकों और/या सांविधिक लेखा-परीक्षक के साथ किसी उलल्खनीय जाँच परिणाम पर विचारविमर्श करना तथा उस पर कारवाई करना।

10) संदिग्ध धोखाधडी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के महत्वपूर्ण प्रकारके मामले, जो आंतरिक लेखा-परीक्षक द्वारा आंतरिक अन्वेषण के दौरान पाए गए उसकी समीक्षा करना तथा मामलेकी जानकारी मंडल को देना।

11) लेखा-परीक्षा का प्रकार और उसकी व्यापकता के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकोंके साथ चर्चा करना साथ ही लेखा-परीक्षा के बाद सरोकार के किसी क्षेत्रका निर्धारण करनेके लिए वार्तालाप करना; यदि कोई हो।

12) जमाकर्ताओं, डिबेंचर-धारकों, अंशधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान नही किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में भारी त्रुटिके कारणों को देखना; यदि कोई हो।

13) यदि 'सीटी फूँक (व्हीसल ब्लोअर)' यंत्रणा मौजूद हो तो उसके कामकाज की समीक्षा करना।

14) प्रमुख वित्त अधिकारी (अर्थात पूर्णकालिक वित्त निदेशक अथवा कोई अन्य व्यक्ती जो वित्तीय कार्योंका प्रमुख हो या वित्तीय कार्योंका निर्वहन करता है) पदके उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव एवं पार्श्वभूमी इत्यादि का आकलन करके नियुक्ति करना।

15) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कारवाई की समीक्षा करना।

16) संसदीय सार्वजनिक उपक्रमोंकी समिती (सी ओ पी यु) की सिफारिशोंपर की गई अनुवर्ती कारवाई की समीक्षा करना; यदि कोई हो।

17) स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक और मंडल के बीच संवादका एक खुला अवसर प्रदान करना।

18) कार्यक्षेत्र की पूर्णता सुनिश्चित करने, निरर्थक प्रयासों में कमी लाने और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग के समन्वय की स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ समीक्षा करना।

19) स्वतंत्र अंकेक्षक और प्रबंधक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना;

ए) कंम्प्युटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और

बी) स्वतंत्र अंकेक्षक और आंतरिक अंकेक्षक की सिफारिशों और संबंधित निष्कर्षों के साथ प्रबंधन की प्रतिक्रिया।

20) प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षक और स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना:

ए) पिछले लेखापरीक्षा सिफारिश की वर्तमान स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष

बी) गतिविधियों के दायरे अथवा आवश्यक सूचना प्राप्त करनेपर प्रतिबंधों सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान कहीं कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

21) लेखा-परीक्षा समिती के विचारार्थ विषय में उलल्ीख के अनुसार या मंडल के निदेश के अनुसार अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

3.2 नामांकन एवं परिश्रामिक समितीः

इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, लिस्टिंग विनियमन और सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी पी ई) की शर्तों के अनुसार समिती का गठन किया गया है।

ए) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरणः

1. निर्धारित सीमा के भीतर एक्जीक्युटिव तथा नॉन युनियनाज्ड सुपरवाइजरों में वितरण के लिए वार्षीक बोनस/वरीएबल पे पूर एवं नीति निर्धारण करना।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा निर्देशों तथा लिस्टिंग विनियमन तथा अन्य सरकारी दिशानिर्देशों, जो भी लागू हो तथा निर्धारित हो, ऐसी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

   एकन्द्रीय सार्वजनिकउपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिकभारत सरकार द्वारा तय किए जाते है।

बी) 31-03-2017 को समिती में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश हैः

1. सुश्री सुनंदा प्रसाद (स्वतंत्र निदेशक)-अध्यक्षा
2. सुश्री संगीता गैरोला (स्वतंत्र निदेशक)-सदस्य

   लागू अधिनियमों के दायरे में समावेश किया गया है। कपंनी का कंपनी सचिव, समिती के सचिव के रुप में कार्य करता है।

सी) कमिटी की बैठकः

रिपोर्टाधीन वर्षके दौरान समिती की कोई बैठक आयोजित नही की गई।

डी) पारिश्रमिकनीतिः

मॉयल एककेन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदश कों की नियुक्ती, कार्यकाल और पारिश्रमिकभारत सरकार द्वारा तय किए जाते है।

ई) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और कार्यात्कम निदेशकों द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिकः

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किये गए पारिश्रमिक का विवरण

क्र. सं.		वेतन तथा भत्ते	अनुलाभ	भविष्य निधी और अन्य निधी	कार्यनिष्पादन से जुडे प्रोत्साहन	कुल
1	श्री. एम. पी. चौधरी अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक(01-09-2016 से) (निदेशक(वित्त) 31-08-2016 तक)	2015039	1006991	262259	748767	4033326
2	श्री. जी. पी. पुंदरगी अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक(31-08-2016 तक)	879044	661776	126487	1127387	2794694
3	श्री. टी. के. पटनायक निदेशक(वाणिज्य)	2019500	1060468	262740	132750	3475458

टिप्पणियाँः बोनस/कमिशनः शून्य

स्टॉकविकल्पः उपरोक्त सभी निदेशकों की शेयरधारकता शून्य है।

श्री. डी. एस. आलुवालिया, निदेशक(वित्त), एन एम डी सी जिनके पास मॉयल के निदेशक(वित्त) के पादका अतिरिक्त कार्यभार है; अपनी पत्नी के साथ 34 शेयर धारण करते है। ये शेयर्स मॉयल के आय पी ओ में थे।

मंडल/समिती की बैठकों में उनके उपस्थित होने के संबंध में उनकी फीस/ प्रतिपूर्ति के अलावा गैर-कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या संव्यवहार नही है।

कार्यकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा उस पदका कार्यभार संभालने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तारीख तकया अगले आदशों तक, जो भी पहलों, नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकतीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान मंडलकी प्रत्येकसभा में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क रु.20,000/- और समिती की सभा के लिए रु. 15000/- भुगतान किया गया। इसके संबंध में विस्तृत विवरण संलग्न अनुलग्नक IV प्रपत्र एस जी टी-1 मुद्दा VI (बी) में उपलब्ध किया गया है।

निदेशकों को भुगतान करने के लिए मानदण्ड मॉयल लिमिटेड की वेबसाईट पर रखे गए है।

3.3 अंशधारकसंबंध समितीः

शेयरोंका हस्तांतरण, वार्षिकरिपोर्ट नही मिलना, घोषित लाभांश नही मिलना इत्यादि के संबंधमें अंशधारकतथा निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी समिति को दी गई है। समिति कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांस्फर एजंट (आर टी ए) कए कार्यनिष्पादन एवं सेवास्तर का मूल्यांकन भी करती है तथा निवेशकों को प्रदान किए जा रहे सेवास्तर को सुधारने के लिए लगातार मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। मंडल् ने आर टी ए तथा/या कंपनी सचिव को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

ए) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरणः

समिति की जिम्मेदारियाँ नीचे दिए अनुसार हैः

1. निवेशको की शिकायतों का निवारण करना
2. शेयरों का आंबटन, शेयर, डिबेंचर या अन्य किसी भी प्रतिभूतियों के हस्तांरण या पारेषण को अनुमोदन देना
3. विभाज/समेकन/नवीनीकरण इत्यादी के मामाले में डुप्लिकेट प्रमाणपत्र तथा नए प्रमाणपत्र जारी करना
4. कंपनी का घोषित लाभांश, तुलानपत्र नही मिलने बाबत
5. समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग एग्रीमेंट में समाविष्ट अन्य कार्यों का निर्वहन करना
6. समय-समय पर मंडल द्वारा निर्धारित कोई अन्य विषय

बी) समिति की संरचनाः

दिनांक31-03-2017 को समिती में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश हैः

1. सुश्री सुनंदा प्रसाद-अध्यक्षा
2. सुश्री संगीता गैरोला-सदस्य
3. श्री. टी. के पटनायक-सदस्य

सी) सभा एवं उपस्थितीः

वर्ष 2016-17 के दौरान अंशधारकसंबंध समिती की चार सभाएँ 23-05-2016, 22-08-2016, 11-11-2016, और 15-03-2017 को आयोजित की गई थी। संदस्यों द्वारा सभा की उपस्थिती का विवरण निम्मनुसार है।

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित सभा	सभामें उपस्ती
सुश्री सुनंदा प्रसाद-अध्यक्षा	1	1
सुश्री संगीता गैरोला-सदस्य	4	4
श्री. टी. के पटनाय-सदस्य	4	4
श्री. जे. पी. डांगे (17-11-2016 तक)	3	3
डॉ. ए. के. लोमस (17-11-2016 तक)	3	3
श्री. मुकुंद पी. चौधरी (14-02-2017 तक)	3	3

डी) अनुपालन अधिकारि का नाम और पदनामः

श्री. नीरज दत्त पाण्डेय, कंपनी सचिव; कंपनीके अनुपालन अधिकारी है।

ई) निवेशकों की शिकायतों का संक्षिप्त विवरणः

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी एवं रजिस्ट्रार ने उन मामलों को छोडकर जो विवाद या कानूनी बाधाओं के कारण बाधित हुए है, निवेशकों की शिकायतों को तत्परता से देखा है। शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	01 अप्रैल, 2016 को शेष	1
2	वर्षा के दौरान प्राप्त	87
3	वर्ष के दौरान देखा गया/सुलझाया गया	87
4	अंशधारकों के समाधान तक सुलझाया नही गया	0
5	31 मार्च, 2017 को शेष	1

3.4 निगमित सामाजिकउत्तरदायित्व समितीः

निमगित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास नीति बनाने/समीक्षा करने, कंपनी द्वारा स्वीकृत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए इस समिती का गठन किया गया है, ताकि स्वीकृति की शर्तों के अनुरुप कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए इस समिती का गठन किया गया है, ताकि स्वीकृति की शर्तों के अनुरुप कार्यों का किया जान सुनिश्चित किया जा सके। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास के सभी प्रस्तावों को मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले समिती के समक्ष रखा जाएगा और यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो समिती मंडल को इसकी सिफारिश करेगी।

ए) विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरणः

1. कंपनी की सी एस आर और संधारणीय विकास नीति की समीक्षा करना, यदि आवश्यकहो,
2. सी एस आर और संधारणीय विकास पर डी पी ई दिशा निर्देशोंके अनुपालन अथवा तत्समय लागु किसी अन्य कानून के अंतर्गत अनुपालन की समीक्षा करना,
3. मॉयल के मंडल द्वारा अनुमोदित सी एस आर और संधारणीय विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीश्रा और पर्यवेक्षण
4. सी एस आर और संधारणीय विकास नीति के अंतर्गत की जानेवाली परियोजनाओं/योजनाओं के अनुमोदन की सिफारिश करना,
5. कंपनी अधिनयिम, 2013, डी पी ई दिशानिर्देशों में जैसा लागू है और निर्धारित है, समय-समय पर मंडल द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मामले।

बी) समिती की संरचनाः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 लिस्टींग विनियमन और डीपीई दिशानिर्देशों, जो भी लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार समिती का पुनर्गठन किया गया। 31-03-2017 को समिती में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश है:

1. सुश्री संगीता गैरोला-अध्यक्षा
2. सुश्री सुनंदा प्रसाद-सदस्य
3. श्री. टी. के पटनायक-सदस्य

कंपनी का कंपनी सचिव समिती के सचिव रुप में कार्य करता है।

सी) समिती की बैठके

वित्तीय वर्ष के दौरान सी एस आर समिती की छह बैठके दि. 05-04-2016, 22-04-2016, 23-05-2016, 22-08-2016, 11-11-2016 और 15-03-2017 को आयोजित की गई। समिती के सदस्यों और उनके द्वारा सभा की उपस्थिती का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	समिती के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित सभा	सभा में उपस्थिती
सुश्री संगीता गैरोला (अध्यक्षा)	6	6
सुश्री सुनंदा प्रसाद (सदस्य)	6	5
श्री. टी. के. पटनायक(सदस्य)	2	2
श्री. जी. एस. ग्रोवर (17-11-2017 तक)	5	5
श्री. एम. पी. चौधरी (31-08-2016 तक)	4	4

3.5 जोखिम प्रबंधन समितीः

लिस्टिंग विनियमन के प्रावधानों और कंपनी अधीनियम, 2013 के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशकमंडलने जोखिम प्रबंधन समितीका गठन किया है। मंडल् ने जोखिम प्रबंधकसमिती की भूमिका और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया है तथा समिती को जोखीम प्रबंधन योजना के पर्यवेक्षण और समीक्षा को प्रत्यायोजित किया है।

ए) विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरणः

कंपनी की जिम्मेदारियाँ निम्न प्रकार हैः

ए) जोखीम प्रबंधन और न्यूनतम प्रक्रिया के संबंध में मंडल निदेशकों को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

बी) कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन योजना की रचना, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

बी) समिती की संरचनाः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियमन और डीपीई दिशानिर्देशों जो भी लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार समिती का पुनर्गठन किया गया। 31-03-2017 को समिती में निम्नलिखित सदस्योंका समावेश है।

1. श्री. एम. पी. चौधरी - अध्यक्ष
2. श्री. टी. के. पटनाय - सदस्य
3. श्री. सी. बी. अतुलकर - सदस्य (बोर्ड स्तर से नीचे वरिष्ठ प्रबंधन)

सी) समिती की बैठकः

वित्तीय वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधकसमिती की बैठके दि. 11-05-2016 और 09-11-2016 को आयोजित की गई। समिती के सदस्यों और उनके द्वारा सभा की उपस्थिती का विवरण निम्ननुसार हैः

सदस्य का नाम	समिती के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित सभा	सभा में उपस्थिती
श्री. एम. पी. चौधरी, अध्यक्ष	2	2
श्री. टी. के. पटनायक, सदस्य	2	2
श्री. सी. बी. अतुलकर, सदस्य	2	2

3.6 बाय बॅकसमितीः

वर्ष के दौरान कंपनीने 07-06-2016 की सभा में उसके रु. 10 मूल्य के 3,48,12,196 इक्विटी शेयर के बाय बॅक को मंजूरी दी है, जिसके लिए कंपनीने बायबॅकसमिती का गठन किया। बायबॅक कि प्रक्रिया अक्तुबर 2016 को पूर्ण होने की वजह से आज की समिती अस्तित्व में नही है।

3.7 निगमित योजना समितीः

वर्ष के दौरान मंडल ने निगमित योजना समिती का भी गठन किया था। इस समिती में कार्यकारी निदेशकों के अलावा डॉ. ए. के. लोमस, श्री. जे. पी. डांगे, सुश्री संगीला गैरोला तथा सुश्री सुनंदा प्रसाद ये सदस्य थे। इस समिती की दो बैठकें हुई थी, जिसमें सारे सदस्य उपस्थित थे। इस समिती के विचारार्थ विषय समाप्त होने की वजह से समिती भी अस्तित्व में नही है।

4. वार्षिकसर्वसाधारण सभाः

4.1 कंपनी की पिछली तीन वार्षिक सर्वसाधारण सभाओं का विवरण नीचे दर्शाए अनुसार हैः

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव
2015-16	30 अगस्त 2016	11.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन ज्युबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिल्हा परिषद (पूर्व-शासकीय) हायस्कूल के सामने काटोल रोड, नागपूर 440013.	शून्य
2014-15	31 अगस्त 2015	11.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन ज्युबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिल्हा परिषद (पूर्व-शासकीय) हायस्कूल के सामने काटोल रोड, नागपूर 440013.	शून्य
2013-14	30 अगस्त 2014	11.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन ज्युबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिल्हा परिषद (पूर्व-शासकीय) हायस्कूल के सामने काटोल रोड, नागपूर 440013.	शून्य

4.2 वर्ष 2016-17 के दौरान शेयर्स के बायबॅकके लिए पोस्टल बॅलाटके माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

शेयर पूँजी बढाने के लिए मेमोरेण्डम ऑफ असोसिएशन में दुरुस्ती करने के लिए विशेष प्रस्ताव विचाराधीन है।

5. सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी की सूचनाः

मॉयल की कोई सहयोगी कंपनी नही है। हालांकि, सेल अॅण्ड मॉयल फे रो अलॉय प्रा. लि. और रिनमॉयल फे रो अलॉय प्रा. लि. नामक दो संयुक्त उद्यम कंपनीयाँ है। दोनो कंपनियों में प्रचालन शुरु नही है।

6. प्रकटीकरणः

1. कंपनीने संबंधित पक्षसे ऐसा कोई व्यवहार नही किया है जो कि बडे पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभवित संघर्ष निर्माण कर सकता है। फि र भी पक्षों से संबंधित व्यवहार को लेखों पर टिप्पणी के मुद्दा संख्या 23 के बोट नं. 1.1 में प्रकट किया गया है। कंपनी की अपनी संबंधित पक्षसंव्यवहार नीति है और उसे कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in पर अपलोड किया गया है।
2. कंपनी अधिनियम, 1956/2013 या स्टॉकएक्सेंज या सेबी के नियम एवं विनियम या अन्य कोई सांविधिक प्राधिकारी के प्रावधानों तथा दिशानिर्देशों का पालन नही करने का कोई मामला नही हुआ है (सिवाय मंडल और उसकी समिती की संरचना बाबत)। पिछले 3 वर्षों के दौरान पूँजी बाजारों से संबंधित किसि भी मामले पर इन प्राधिकारियों ने पंपनी पर कोई आक्षेप या जुर्माना नही लगाया है।(वर्ष के कुछ भाग के दौरान निदेशक मंडल तथा उसके समितीयों की संरचना से संबंधित प्रावधानों को छोडकर) कारपोरेट गवर्नेन्स पर डीपीई दिशानिर्देश और लिस्टिंग अॅग्रीमेंट की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन नही करने का कोई मामला नही है।
3. गैर-कार्यकारी निदेशक कंपनी में कोई भी शेयर या परिवर्तनीय इन्स्ट्रूमेंट्स धारण नही कर रहे है।
4. कंपनी के किसी कार्मिकने लेखा-परीक्षा समिती से मिलने से इन्कार नही किया है।
5. व्हीसल ब्लोअर (सीटी फूँक) पॉलिसीः कंपनीके पास व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी है और इसे www.moil.nic.in पर अपलोड किया गया है। अनैतिकव्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धौखाधडी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकनीतियों के उलल्घन के मामलों पर निगरानि रखने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में सक्षम एवं स्वतंत्र सतर्कता विभाग कंपनी में विद्यमान है। सभी कर्मियों को अपनी तक्रार, शिकायतें इत्यादि सतर्कता विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने की सुलभता है।
6. निदेशक मंडल से संबंधित विनियम 17 से 27 तक में विनिर्दिष्ट निगमित शासन आवश्यकताओं के अनुपालन में अंकेक्षण समिती, नामांकन और पारिश्रमिक समिती, अंशधारकसंबंध समिती, जोखिम प्रबंधन समिती, सतर्कता यंत्रणा संबंधित पक्ष संव्यवहार, स्वतंत्र निदेशकों, निदेशकों और विरिष्ठ कार्यकारियों से संबंधित दायित्व का अनुपालन, अन्य कहीं जिक्र न किया हो तो; किया गया है।
7. मॉयल लिमिटेड की वेबसाइटपर प्रकटीकरण के संबंध में विनियम 46 के उपनियम (2) के खण्ड (बी) से (1) में विनिर्दिष्ट निगमित शासन की आवश्यकताओं का भी अनुपालन किया गया।

सेबी (एल ओ डी आर) विनियमन, 2015 की अनिवार्य और गैर अनिवार्य आवश्यकताओंका अंगीकरण

मॉयल ने लिस्टिंग विनियमन (उपरोक्त उलल्खों को छोडकर) में सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। लिस्टिंग विनियमन की अनुसूची में निर्देशित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाये गये/अनुपालति क्षेत्र नीचे दर्शाए अनुसार हैः

1) चूंकी कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कंपनी के पूर्णकालिक कार्मिक है, इसलिए अध्यक्ष का अलग से कार्यालय रखना आवश्यक नही है। आगे भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ती तीन वर्षों के कार्यकाल हेतु की जाती है, इसलिए किसी भी स्वतंत्र निदेशकने कुल मिलाकर 5 वर्षों से अधिक की सेवा प्रदान नही की है।

2) स्वतंत्र निदेशक की सभाएँ वर्ष के दौरान 14 सितंबर और 11 नवंबर 2016 को आयोजित की गई। कंपनी अपने अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों को 'मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन' शीर्षक के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार-पत्रों में प्रकाशित करती है। इन अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in पर भी डाला गया है, लेकिन अलग से परिचालित नही किया गया है। कंपनी अपनी प्रमुख गतविधियों उपलब्धियों इत्यादि को इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार-पत्रों तथा अपनी वेबसाईटपर भी संप्रेषित करती है।

   कंपनी का हमेशा प्रयास रहता है किअनक्वालिफाइड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे।

3) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशको जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंधक भी शामिल है, की नियुक्ती इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

4) जब भी आवश्यकहो, अंकेक्षण समितीको आंतरिक अंकेक्षक

7. संचार के माध्यमः

4.1 कंपनी सामान्यतः अपने अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों को प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार-पत्रों (जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र टाइम्स, एम आय एन टी, इंडियन एक्स्प्रेस, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टँडर्ड, हितवाद), मराठी (लोकमत, नागपुर, नवराष्ट्र) तथा हिंदी दैनिक समाचार पत्र (जैसे नवभारत, दैनिकभास्कर, लोकमत समाचार) में प्रकाशित करती है।

4.2 इन अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in पर भी डाला गया है।

4.3 कंपनी अपनी कार्यालयीन खबरों, मुख्य कर्याक्रमों, प्रदर्शनों, उपलब्धियों, प्रस्तुतीकरणों इत्यादिको इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार-पत्र तथा अपनी वेबसाइट पर भी संप्रेषित करती है।

8. सामान्य अंधधारकजानकारीः

8.1 वार्षिकसर्वसाधारण सभाः

दिनांक	दिवस	समय	स्थान
20-09-2017	बुधवार	11.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन ज्युबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिल्हा परिषद (पूर्व-शासकीय) हायस्कूल के सामने काटोल रोड, नागपूर 440013.

8.2 वित्तीय वर्षः

कंपनीने वित्तीय वर्ष प्रणाली को अपनाया है जो प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के पहले दिन से प्रारंभ होकर मार्च माह के 31 वे दिन को समाप्त होती है।

8.3 रजिस्टर बंद होने की तारीखः

अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए रजिस्टर बंद होने की तारीख 9 सितंबर 2017 है।

8.4 लाभांश भुगतान तिथीः

लाभांश के घोषणा की तारीक से 30 दिनों के भीतर अंशधारकों को उनका भुगतान/प्रेषन किया जाता है।

8.5 स्टॉकएक्सेंज पर लिस्टिंगः

मॉयलके शेरयोंको दिनांक15 दिसंबर 2010 को सूचीबद्ध किया गया है। एक्सचेंज और स्टॉककोड का विवरण इस प्रकार हैः

स्टॉकएक्सचेंज	शेयरों के प्रकार	स्टॉककोड
बॉम्बे स्टॉकएक्सचेंज लिमिटेड	इक्विटी शेयर	533286
नॅशनल स्टॉकएक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	इक्विटी शेयर	मॉयल इक्यू.

वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक सूची बद्ध शुल्क दोनों एक्सचेंज को अदा कर दिया गया है।

बाजार-म्यूल डेटा-पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रत्येक माह के दौरान उच्च एवं निम्न मूल्य

माह	एन एस ई		बी एस ई	
	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)
अप्रैल, 2016	256.10	213.05	255.00	214.00
मई, 2016	251.80	211.60	251.90	212.50
जून, 2016	246.00	220.00	255.00	220.20
जुलाई, 2016	249.90	235.10	251.20	235.05
अगस्त, 2016	274.00	239.20	274.30	240.10
सितम्बर, 2016	284.00	241.00	284.10	239.25
अक्तूबर, 2016	337.40	251.00	336.80	250.90
नवम्बर, 2016	387.80	287.65	387.90	288.65
दिसम्बर, 2016	394.00	335.00	394.00	336.00
जनवरी, 2017	428.90	350.50	429.00	350.60
फरवरी,2017	374.00	346.10	373.75	346.45
मार्च,2017	347.00	306.00	347.70	306.50

*निर्दिष्ट माह की बंद होने का मूल्य विचारार्थ लिया गया है।

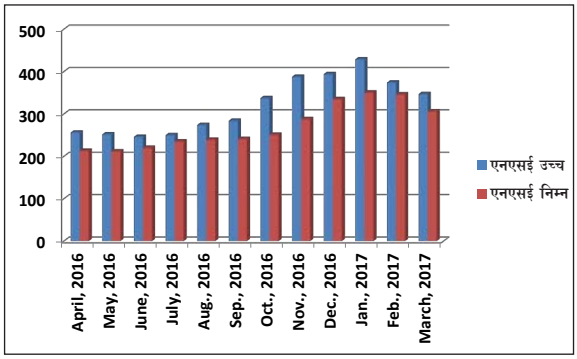

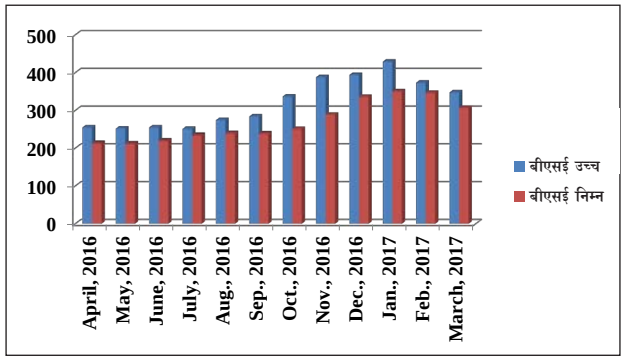

8.6 बी एस ई एवं एन एस ई ब्रॉड-बेस्ट सूचकांक की तुलना में निष्पादन

माह	एन एस ई		बी एस ई	
	निफ्टी	मॉयल	सेन्सेक्स	मॉयल
अप्रैल, 2016	7849.80	238.80	25606.62	238.40
मई, 2016	8160.10	226.45	26667.72	226.30
जून, 2016	8160.10	238.20	26999.72	238.30
जुलाई, 2016	8638.50	245.50	28051.86	244.10
अगस्त, 2016	8786.20	251.30	28452.17	250.75
सितम्बर, 2016	8611.15	246.45	27865.96	246.05
अक्तूबर, 2016	8625.70	327.85	27930.21	328.20
नवम्बर, 2016	8224.50	376.10	26652.81	376.35
दिसम्बर, 2016	8185.80	360.05	26626.46	359.15
जनवरी, 2017	8561.30	351.75	27655.96	351.95
फरवरी,2017	8879.60	354.95	28743.32	354.15
मार्च,2017	9173.75	313.75	29620.50	313.95

*निर्दिष्ट माहके बंद होने का मूल्य/सूचकांक/निफ्टी विचारार्थ लिया गया है।

8.7 शेयर ॲण्ड अभिकर्ता का नाम व पताः

पंजीयक एवं हस्तांतरण अभिकर्ता (आर.टी.ए.)
बिग शेयर सर्विसेस प्रा. लि. 1 ला माला, भारत टीन वर्क्स बिल्डींग वसंत ओऍसिस के सामने, मकवाना रोड, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 059. महाराष्ट्र टेलि.: 02262638200 फॅक्सः 02262638299 ईमेलः investor@bigshareonline.com वेबसाइटः www.moil.nic.in

8.8 शेयर हस्तांतरण प्रणालीः

भौतिकीय खण्ड के अंतर्गत सभी शेयर हस्तांतरण के कार्य बिग शेयर सर्विसेस प्रा. लि. के द्वारा किए जा रहे है। शेयर हस्तांतरण प्रणाली में हस्तांतरिनी से हस्तांतरण विलेख के साथ शेयरों के हस्तांतरण की रसीद, इसका सत्यापन, हस्तांतरण/ट्रान्समिशन का ज्ञापन तैयार करना इत्यादि शामिल है। हस्तांतरण/ट्रान्शमिशन का अनुमोदन उप-समिती/प्राधिकृत व्यक्ति(कंपनी सचिव) द्वारा किया जाता है। शेयर के हस्तांतरण/ट्रान्समिशन की संक्षिप्त जानकारी अंशधारक संबंध समिती/मंडल सभा में दी जाती है। स्टॉकएक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग ॲग्रीमेंट रेग्युलेशन 40(10) के अनुसरण मे छमा आधार पर निर्धारित समय के भीतर शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के विधिवत अनुपालन की पुष्टी करते हुए कार्यकारी कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणपत्र स्टॉकएक्सचेंज को प्रस्तुत करती है।

8.9 मंडल और लेखा-परीक्षा समिती के लिए बैठकों का संभावित कॅलेंडर

समाप्त तिमाही	सभा की संभावित तारीख
30 जून 2017	अगस्त 2017 का दूसरा सप्ताह
30 सितंबर 2017	नवंबर 2017 का दूसरा सप्ताह
31 दिसंबर 2017	फरवरी 2018 का दूसरा सप्ताह
31 मार्च 2018	मई 2018 का चौथा सप्ताह

8.10 शेयर धारणाधिकार का विवरण

ए) 31 मार्च 2017 को आकार के अनुसार धारणाधिकार का प्रतिशत

शेयर की संख्या	शेरय धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत	कुल शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत
1-5000	279903	98.5609	98273720	7.3786
5001-10000	2285	0.8046	17223030	1.2931
10001-20000	946	0.3331	13828210	1.0382
20001-30000	286	0.1007	7271680	0.5460
30001-40000	107	0.0377	3795810	0.2850
40001-50000	89	0.0313	4134360	0.3104
50001-100000	158	0.0556	11438980	0.8589
100001 एवं अधिक	216	0.761	1175912250	88.2898
कुल	283990	100.000	1331878040	100.000

बी) 31 मार्च 2017 को शेयर धारणाधिकार का श्रेणीवार सारांश:

श्रेणी	धारित शेयरोंकी संख्या	कुल शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
केन्द्र/राज्य सरकार (प्रमोटर्स/प्रमोटर्स समूह)	87342422	65.5784
जनता (व्यक्ती)	15480369	11.6230
विदेशी संस्थागत निवेशक	6530189	4.9030
वित्तीय संस्थान एवं बँक	12458870	9.3544
निगमित संस्था	3977761	2.9866
बीमा कंपनियाँ	1186234	0.8906
राष्ट्रीयकृत बँक	313872	0.2357
म्युच्युअल फंड	1600325	1.2016
अनिवासी भारतीय	523801	0.3933
विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशक	3285952	2.4672
गैर राष्ट्रीय बँक	44941	0.0337
क्लियरिंग सदस्य	327636	0.2460
कर्मचारी	43766	0.0329
न्यास	71462	0.0537
बिन दावे का संदग्ध लेका	204	0.0002

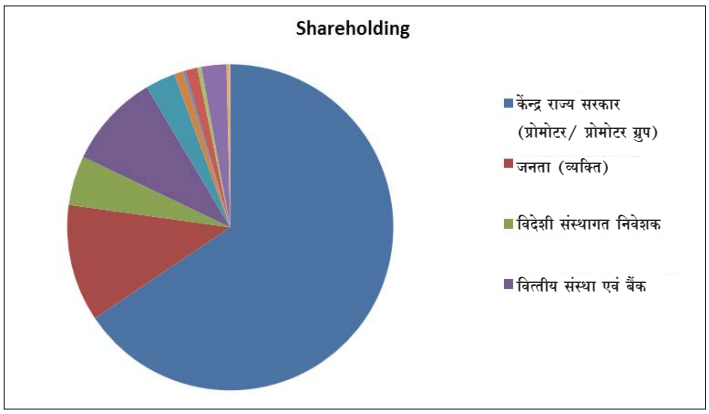

8.11 शेयर का विभौतिकीकरण एवं नकदीकरण

ओनॅशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी डी एस एल) के साथ कंपनीके शेयरों का विभौतिकीकरण किया जाता है।

31-03-2017 को विभौतिकीय और भौतिकीय रुप में शेयरों की संख्या

श्रेणी	शेयरों की संख्या	जारी की गई कुलपूँजी का प्रतिशत
सी डी एस एल के साथ डिमॅट प्रणाली में शेयर	67,31,117	5.05
एन एस डी एल के साथ डिमॅट प्रणाली में शेयर	12,64,56,411	94.95
भौतिकीय प्रणाली में शेयर	276	0.00
कुल	**13,31,87,804**	**100.00**

*नगण्य:

कंपनी के इक्विटी शेयर इंडियन स्टॉकएक्सचेंज अर्थात एन एस ई और बी एस ई में सक्रिय रुप से कारोबार किए इक्विटी शेयर है।

8.12 बकाया जी डी आर/ए डी आर/वारन्टा या अन्य परिवर्तनीय इन्स्ट्रूमेंट, परिवर्तित दिनांक एवं इक्विटी पर संभावित प्रभावः

कंपनी द्वारा कोई भी जीडी आर/एडीआर/वारन्ट या परिवर्तनीय इन्स्ट्रूमेंट जारी नही किये गए है।

8.13 संदिग्ध खातेमें अंशोंका ब्योरा

संदिग्ध खाते में शेयरों का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	अंशधारकोंकी संख्या	अंशो की संख्या
1-04-2016 को संदिग्ध खाते में बकाया अंश और कुल अंशों की संख्या	12	204
वर्ष के दौरान संदिग्ध खाते से शेयरों का स्थानांतरण के लिए कंपनी से संपर्क करनेवाले अंशधारकों की संख्या	0	0
वर्ष के दौरान संदिग्ध खातेसे किये गये हस्तांतरित शेयरों की संख्या	0	0
बिन दावे के संदिग्ध खातेसे अंश हस्तांतरित शेयरों की संख्या	0	0
31-03-2017 को संदिग्ध खातेमें बकाया अंश और अंशों की कुल संख्या	12	204

8.14 खदानों, संयंत्रो और पवन उर्जा फार्म के स्थानः

अनुक्रमांक	खदान का नाम और पता
	महाराष्ट्र
1	चिखला खदान पो.ऑ.चिखला, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र, पिन-441904
2	डोंगरी बजुर्ग खदान पो.ऑ. डोंगरी बजुर्ग, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र, पिन-441907
3	बेलडोंगरी खदान पो.ऑ. सातुक, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-440401
4	कान्द्री खदान पो.ऑ. मनसर, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441101
5	मनसर खदान पो.ऑ. मनसर, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441106
6	गुमगाव खदान पो.ऑ. खापा, तहसील सावनेर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441101

	मध्य प्रदेश
7	बालाघाट खदान पो.ऑ. भारवेली, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश, पिन-481102
8	उकवा खदान पो.ऑ. उकवा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश, पिन-481105
9	तिरोडी खदान पो.ऑ. तिरोडी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश, पिन-481449
10	सीतापतोर खदान पो.ऑ. सकुली, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश, पिन-418449
	संयत्र
1	फे रो मँगेनीज प्लांट 10000 (टी पी वाई) क्षमता, बालाघाट
2	इलेक्ट्रोलाइटिंक मँगेनीज डायॉक्साइड (इएमडी) संयंत्र (1000 टी पी वाई) क्षमता, डोंगरी बजुर्ग
	पवन उर्जा फार्म की सूची
1	नागदा हिल्स, जिला देवास, मध्य प्रदेश (क्षमता 4.80 मे.वॉ.)
2	रतेडी हिल्स, जिला देवास, मध्य प्रदेश (क्षमता 15.20 मे.वॉ.)

8.15 पत्रव्यवहार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय
कंपनी सचिव
मॉयल लिमिटेड
"मॉयल भवन"
1-ए, काटोल रोड, नागपुर-440013
टेलिफॅक्स: 0712-2806182/100
ईमेल: investor@bigshareonline.com
वेबसाइट: www.moil.nic.in

9. सी ई ओ/सी एफ ओ प्रमाणीकरण:

लिस्टिंग विनियमन के नियमन 17(8) के अनुसार कंपनी के सीईओ और सी एफ ओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र निगमित शासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

10. निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:

कंपनी की प्रक्रियाओं और प्रथाओं के साथ परिचित होने के लिए मंडल के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज/विवरण, पुस्तिका, रिपोर्ट और आंतरिकनीतियों की जानकारी उपलब्ध की जाती है। कंपनी विभिन्न बाहरी संस्थानों/एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनार और प्रशिक्षण कायक्रमों में अपने निदेशकों को नामित भी करती है। मंडलमें और मंडल समिती की सभा में कंपनी के कारोबार और प्रदर्शन की जानकारी, कारोबारी वातावरण, कारोबार की रणनीति और शामिल जोखिमों पर समय-समय पर प्रस्तुतीकरण किए जाते है। वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की अलग सभामं कंपनी के व्यावसायिकक्षेत्रों पर विस्तृतीकरण भी किया जाता है। प्रासंगिक वैधानिक परिवर्तनों की जानकारी निदेशकों को सूचित की जाती है। निदेशकों के लिए विभिन्न खदानों के दौरे आयोजित किए जाते है ताकि उन्हें कंपनी का संचालन समझने में सक्षमता हासिल हो। स्वतंत्र निदेशकों के लिए इस प्रकार के परिचय कायक्रमों की जानकारी संचयी आधार पर कंपनी की वेबसाइटपर पोस्ट की जाती है और उन्हें http://moil.nic.in/ writereaddata.pdf. trg..prog..ind..dir.pdg के माध्यम से देखा जा सकता है।

11. लागू कानूनों के अनुपालनकी समीक्षा:

कंपनीमें लागू सभी कानूनों के अनुपालन रिपोर्ट की समय-समय पर मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है तथा सभी कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है।

12. लेखा परीक्षकका अनुपालन प्रमाणपत्रः

कंपनी के लेखा परीक्षक, सी एस अमित राजकोटिया, प्रॉक्टिसिंग कंपनी सचिव से यकपुष्टि करते हुए प्रमाणपत्र मिला है कि लिस्टिंग विनियमनों की अनुसूचि के अंतर्गत निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

13. आचार संहिताः

अपने कर्मचारियों के लिए आचरण के उत्तम मानकों को स्थापित करने के मॉयल के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रुप में सभी मंडल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधक कर्मिकों के लिए 'कोड ऑफ बिजनेस कण्डक्ट ॲण्ड एथिक्स' बनाया गया है। उक्त संहित की एकप्रति कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in पर प्रस्तुत की गई है। कंपनी के सभी मंडल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान मॉयल की कोड ऑफ बिजनेस कण्डक्ट ॲण्ड एथिक्स का पालन करनेका अभिवचन दिया है।

घोषणा

स्टॉकएक्स्चेंज के साथ किये गये लिस्टिंग ॲग्रीमेंट के भाग डी की अनुसूचि 5 में किए गए प्रावधानों के अनुसार कंपनीके सभी मंडल सदस्य एवं विरष्ठ प्रबंधन कार्मिक 31 मार्च 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए कोड ऑफ बिजनेस कण्डक्ट ॲण्ड एथिक्स का अनुपालन करने की पुष्टि करते है।

स्थानःनई दिल्ली
दिनांकः 10 अगस्त 2017

मॉईल लिमिटेड के लिए

एम. पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक

सी ई ओ एवं सी एफ ओ प्रमाणीकरण

सेवा में,
निदेशक मंडल
मॉयल लिमिटेड
नागपुर

ए) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है।

1. इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण नही है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य का विलोप नही किया गया है या ऐसे विवरण शामिल नही है जो गुमराह कर सकते है।
2. इन विवरणों के साथ कंपनी के कार्यकलापों की सही एवं निष्पक्ष छवि प्रस्तुत होती है तथा यह मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमनों के अनुपालन में है।

बी) हमारे सवोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान ऐसा कोई व्यवहार नही किया गया है जो धोखाधडी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उलल्घन करता हो।

सी) हम वित्तीय रिपोर्टिग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखनेकी जिम्मेदारी को स्वीकार करते है तथा हमने कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा हमने अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिती को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की संरचना या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हो, जिसकी हमें जानकारी हो तथा इन कमियों को सुधारने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जानेवाले कदमों के बारे में उनके समक्ष प्रकटीकरण किया है।

डी) हमने अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिती को सूचित किया है कीः

1. वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिगमें उलल्खनीय परिवर्तन
2. वर्ष 2016-17 के दौरान लेखांकन नीतियोंमें उलल्खनीय परिवर्तन तथा उसे वित्तीय विवरणी की टिप्पणी में प्रकट किया है; तथा
3. ऐसे धोखाधडीके मामले जिसकी हमें जानकारी हुई है तथा उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उलल्खनीय भूमिका है।

एन.पी.काजरेकर
मुख्य वित्त अधिकारी

एम. पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक

स्थानःनई दिल्ली
दिनांकः 30 मई, 2017

अनुलग्नक-VI

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट वर्ष 2016-17 के लिए

प्रस्तावनाः

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषन रिपोर्ट (एम डी ए आर) का उद्देश्य कंपनी के कारोबारी माहौल में विकास एवं पिछली रिपोर्ट की तुलनामें कंपनी का कार्य-निष्पादन तथा भावी दृष्टीकोन को विशद करना है। एम डी ए आर मंडल कि रिपोर्ट का एक भाग है। किसी की कंपनी का कार्य निष्पादन विभिन्न घटकों से जुडा होता है जिसमें माँग, पूर्ति, जलवायु स्थिती, आर्थिक स्थिती, राजनैतिक स्थिती सरकारी नियम तथा नितियाँ, कराधान एवं प्राकृतिक आपदा शामिल है, जो कंपनी के नियंत्रण कक्षा से बाहर तथा जो कंपनी के प्रचालन में उलल्खनीय अंतर ला सकते है। इसे मद्देनजर रखते हुए अनुमान, दृष्टिकोन, अपेक्षा, आकलन इत्यादि के संबंधमें इस रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन वास्तविकता से अलग हो सकते है।

ए) औद्योगिक संरचना और बाजार परिदृश्यः

एक बडी जनसंख्याके साथ भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास के प्रभाव, अधिक लोगों को रोजगार देने और अर्थव्यवस्था को आगे बढाने के लिए नये इफ्रास्ट्रक्चर नये और बडे शहर, मशीनरी और उत्पादनों निरंतर निवेशों की आवश्यकता उत्पन्न करते है।

भारत का इस्पात उत्पादन वर्ष 2015 की तुलना में 2016 के दौरान 7.40 प्रतिशत बढत दर्ज करते हुए 89.03 मिलियन टन से बढकरज 95.62 मिलियन टन हो गया है, जबकि विश्व इस्पात उत्पादनों इसी दौरान केवल 0.80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। चीन, जो अपरिष्कृत इस्पात का सबसे बडा उत्पादक है, वे 1.20 प्रतिशत और जपान, जो इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थानपर है, वे 0.30 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

मँगनीज अयस्क उद्योग का निष्पादन सीधे इस्पात उद्योग निष्पादन से जुडा होता है। वर्ल्ड स्टील असोसिएशन (डब्ल्यू एस ए) के अनुसार जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि, इस्पात के लिए नयए अनुप्रयोगों और अधिक परिष्कृत इस्पात अनुप्रयोगों को देखते हुए विश्व इस्पात बाजार में अगले 50 वर्षों में लगभग 700 से 1000 मिलियन टन के बीच वृद्धि की क्षमता है। यह उस बाजार के बराबर है जो आपके बाजार के 60 प्रतिशत से बडा बाजार है।

अध्ययनके अनुसार, आगामी वर्षोंमें इस्पात उद्योत में दोहरे अंक की बढत होने की संभवना है, जो निश्चित तौर पर मँगनीज अयस्क की माँग उत्पन्न करेगी।

बी) अवसर और चुनौतियाँः

- सरकार घरेलु और विदेशी दोनों स्त्रोंतोंसे भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेशों को आकर्षिक करने के लिए और मंडलके निवेश मंशाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है ताकि घरेलु माँग को पूरा करने के लिए वांछिक कच्चे इस्पात के क्षमता स्तर तक पहुँचा जा सके और उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट और आवश्यक इफ्रास्ट्रक्चर की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- भारत ने 20130-31 तक इस्पात का 300 एम टी क्षमता लक्ष्य रखा है, जो मँगनीज अयस्क की माँग निर्मित करेगा।
- भारत का सबसे बडा मँगनीज अयस्क उत्पादन होने के नाते मॉयल देश के उत्पादन का लगभग 46 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है। मँगनीज अयस्क के भंडार और संसाधनों के लगभग 81.47 मिलियन टन के साथ कंपनी अपनी प्रभावपूर्ण स्थिती, मध्यम से उच्च श्रेणी के अयस्क, मध्य अवस्थित खदानों और मजबूत ग्राहक संबंधों के साथ भारत की इस्पात माँग वृद्धि को पूँजीकृत करने की अच्छी स्थिती में है।
- इस्पात उत्पादन में सिलिको मँगनीज के लगातार उपयोग के कारण निम्न/मध्यम श्रेणी के अयस्कों के लिए बाजार की अच्छी संभावना है।
- सशक्त वित्तीय स्थिती अर्थात बडे नकदी भंडार मॉयल को बडी निवेश योजनाओं के अवसर उपलब्ध करते है। मॉयलने पहले ही अपनी मौजूदा खदानों के विकास के लिए बडे निवेशों की योजना बनाई है जो मँगनीज अयस्क की भावी आवश्यकताओं को पूरा करनेके लिए उत्पादन और उत्पादकता को बढाएगी।
- केन्द्र सरकारने नागपुर और भंडारा जिले में 814.71 हेक्टर भूमिका आरक्षण किया हुआ है। आवश्यक मंजूरी मिलने और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यह मँगनीज अयस्क की माँग को पूरा करने और भारत की इस्पात माँग में वृद्धि को पंजीकृत करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर उपलब्ध कर सकता है। राज्य सरकारने पहले ही 597.44 हेक्टर के लिए प्रॉस्पाक्टिंग लाइसेंस प्रदान कर दिया है। इन क्षेत्रों में कम से कम तीन नई खदानों का शुरु होना संभावित है।
- भारत सरकार के खान मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ मॉयल को देशभर में विभिन्न खनिजों के अन्वेषण को संचालित करने के लिए अधिसूचित किया है। यह मॉयल को अन्वेषण क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए अवसर प्रदान करता है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार के साथ एम ओ यू पर हस्ताक्षर किये गये है।
- मँगनीज अयस्क के उत्खनन में व्यापक अनुभव के साथ कंपनी अन्य खनिज क्षेत्र में विस्तार की योजना बना सकती है।

मॉयल की प्रतिस्पर्धात्म क्षमताः

- उच्च/मध्यम श्रेणी के मँगनीज अयस्क के बडे भंडारों के साथ देश में मात्रा के लिहाज से मँगनीज अयस्क का सबसे बडा उत्पादक है।
- देशमें उच्च/मध्यम श्रेणी के मँगनीज अयस्क के कुल प्रदर्शित भंडारों की अधिकतम धारण क्षमता है।
- उच्च शुद्ध संपत्ति और शून्य ऋणग्रस्तता के साथ सशक्त वित्तीय क्षमता है।
- अच्छी कार्य संस्कृति और औद्योगिक संबंधो के साथ योग्यताप्राप्त तकनीकी रुप से कुशल मानवबल की उपलब्धता है।
- कंपनी के भंडार भारत के मध्यवर्ती मँगनीज पट्टों में है जो सामान्य और नियमित आकार में है।
- कंपनी को सुप्रचालन का लाभ प्राप्त है क्योंकि उसकी सभी खदान राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुडी हुई है। उसकी अधिकांश खदाने दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के नेटवर्क में स्थित है तथा उसे रेलवे साइडिंग की सुविधा प्राप्त है।
- मॉयल लगातार एक सक्षम और पर्यावरण अनुकूल खनन कंपनी बनी हुई है।

आशंकाः

- मँगनज अयस्क का आयात आज भी कंपनी के लाभ मार्जिन के लिए एक जोखिम और चुनौती बना हुआ है।
- मँगेनीज अयस्क के आंतरराष्ट्रीय मूल्य में कमी के फलस्वरुप इसकी घरेलू कीमतों में गिरावट आ सकती है जो भारत मँगनीज अयस्क की घरेलु कीमत पर दबाव डाल सकता है।
- मॉयल का मुख्य उत्पादन भूमिगत खदानों से आता है, जहाँ ओपन कास्ट खदानों की तुलना में उत्पादन लागत ज्यादा होती है और लगातार बढ रहि है। भूमिगत खदानों की माइनिंग लगत में किसी भी प्रकार की वृद्धि लाभ मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
- विनियामक मंजूरी मिलने में किसी भी प्रकार का विलंब भी कंपनी के दीर्घकालिक विकास पर प्रभाग डाल सकता है।
- खदानों, (विशेषकर भूमिगत खदानों के) विकास के लिए हाथों में ली गई परियोजनाओं का कोई समय एवं लागत पर पूरा करनेकी चुनौती सदैव बनी रहती है तथा इसमें किसी भी तरह की कमी से कार्यनिष्पादन का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।
- आंतरराष्ट्रीय स्तर पर मँगनीज अयस्क की उच्च उपलब्धता वस्तुसूची इसके कारोबार को प्रभावित कर सकती है।

कमजोरीः

- खनन कंपनी होने के कारण मॉयल अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा पर्यावरण के व्यापक विनियमों के अधीन है। नियामक मानकों के नियंतर विकास तथा समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरुप कंपनी को अनुपालन लागत में वृद्धि तथा अप्रत्यशित पर्यावरण सुधार व्यय करना पडता है।
- नये खदान पट्टों के प्राप्त होने में विलंब के कारण नई खदानों को शुरु करने में देरी होकर कंपनी के निवेश योजना प्रभावित होती है।
- कंपनी मुख्यतः एकल उत्पाद कंपनी है, जिसके कारण मँगनीज अयस्क उद्योग में किसी भी प्रकार के प्रतिकुल प्रभाव का धक्का कंपनी की लाभप्रदतापर पड सकता है।
- मॉयल की खदाने काफी पुरानी है तथा उन्हें पूरी तरहसे यंत्रीकृत करना भूवैज्ञानिक कारणों की वजह से बहुत मुश्कील है।
- अयस्क भंडार काफी गहराई में जाना, नियमित कर्मिकों के परिश्रमिक वृद्धि तथा अनुबंधित कर्मिकों के वेतन में सुधार के कारण उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है।

सी) संभावनाः

मँगनीज एवं फेरो अलॉय उत्पादों की माँग सीधे तौर पर इस्पात उद्योग की संभावनाओं एवं समग्र अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर होती है। विश्व का 95 प्रतिशत से अधिक मँगनीज अयस्क का उत्पादन इस्पात को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले इस्पात उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण मँगनीज अयस्क एवं फेरो अलॉय की माँगमें भारी वृद्धि हुई है।

वर्ल्ड स्टील असोसिएशन (डब्ल्यू एस ओ) ने अनुमान लगाया है कि भारत में इस्पात की माँग 2017 मे 5.70 प्रतिशत बढ जायेगी जबकि विश्व की इस्पात माँग2017 में 0.50 प्रतिशत बढेगी।

देश के इफ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के साथ इस्पात माँग में वृद्धि अपेक्षित है, जो बदले में देशमें मँगेनीज अयस्क उद्योगके लिए बडे अवसर भी उपलब्ध करेगी।

भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अपनी अग्रणी स्तिती को कायम रखने के लिए मॉयल ने अपने उत्पादन को बढाने के लिए लगभग 1.1 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से 2020-21 तक 2.0 मिलियन टन तक और 2030 तक 3.00 मिलियन टन तक बढाने के लिए योजना बनाई है, जिसके लिए रणनितिक प्रबंधन योजना कंपनी द्वारा बनाई है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी अपने मौजूदा खदानों का विकास और यांत्रिकीकरण पर ध्यान दे रही है और नये पट्टों को भी जोड रही है ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

देश में प्रति व्यक्ति इस्पात का उपयोग अब भी लगभग 61 किलो है, जो विश्वके औसत प्रति व्यक्ति इस्पात उपयोग लगभग 208 किलो की तुलना में बहुत कम है। वास्तवमें, अधिकांश विकसित देशों में यह 300 किलोसे अधिक है। यह देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, परिणामस्वरुप मँगनीज अयस्क की माँग को बढाता है।

मँगनीज आधारित अलॉय के निर्यात से जुडी इस्पात की बढती माँग को पूरा करने के लिए घरेलु आवश्यकताओं में काफी वृद्धि हुई है। जिसने भारत को मँगनीज अयस्क का शुद्ध आयातक बना दिया है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आई बी एम) के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान देश में मँगनीज अयस्क का उत्पादन फरवरि 17 तक लगभग 2010 मिलियन टन रहा है। भारत में उच्च श्रेणी मँगनीज अयस्क की कम उपलब्धता के कारण निर्माता मँगनीज अयस्क की नियमित रुप से आयात कर रहे है। वर्ष 2015-16 के दौरान 2.22 मिलियन टन तथा 2016-17 के दौरान लगभग 1.91 मिलियन टन आयात रहे है।

डी) जोखीम और चिंताः

मँगनीज अयस्क उद्योग सीधे तोर पर इस्पात उद्योग से जुडा हुआ है जिसकी प्रकृति चक्रीय है तथा मँगनीज अयस्क की माँग पर असर डालती है। इस्पात बाजार की माँग में कमी और कम लागत पर अंतरराष्ट्रीय बाजार से अधिक मात्रा में आपूर्ति से भारतीय इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते है। मॉयल एक श्रमिक बहुल संगठन है। अद्यपि कंपनी में औद्योगिक संबंध उत्कृष्ट है लेकिन श्रमिकों से जुडे जोखिम हमेशा उत्पादन के निष्पादन में उलल्खेनीय भूमिका निभा सकते है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मँगनीज अयस्क की अधिक आपूर्ति हमेशा चिंता का मुख्य विषय बना रहेगा तथा यदि आपूर्ति जारी रहती है तो यह आगे भी घरेलू मँगनीज की कीमतों को कमजोर करना जारी रख सकती है।

ई) खण्ड के अनुसार अथवा उत्पाद के अनुसार निष्पादन बिक्री निष्पादनः

वर्ष 2016-17 के दौरान मँगनीज अयस्ककी शुद्ध बिक्री पिछले वर्ष की रु. 571.79 करोड की तुलना में 60 प्रतिशत से बढकर रु. 912.14 करोड तक पहुँच गयी। कंपनी ने अपनी विवेकपूर्ण विपणन और मूल्य निर्धारण नीति के साथ अपनी बिक्री को बढाया है और लगभग 17 प्रतिशत की बढत दर्ज करते हुए पिछले वर्ष 9.67 लाख टन की तुलना में वर्ष 2016-17 में 11.29 लाख टन के मँगनीज अयस्क की बिक्री की है। आगे, कंपनी ने अच्छी बिक्री के लिए उच्च श्रेणी (फेरो ग्रेड) के मँगनीज अयस्क की बिक्री पर ध्यान दिया है।

बाजार की संपूर्ण अवस्था ने ई एम डी और फेरो मँगनीज (धातु-मल सहित) की बिक्री को भी प्रभावित किया है। कंपनी के निर्मित उत्पादों के बारे में अर्थात इ एम डी, फेरो मँगनीज और फेरो मँगनीज स्लॅग की शुद्ध बिक्री पिछले वर्ष के दौरान रु. 53.69 करोड की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 76.67 करोड थी। पिछले वर्षमें 711 टन की तुलनामें इलेक्ट्रोलाइटिक मँगनीज डायॉक्साइड (इ एम डी) की बिक्री 952 टन रही, जबकी पिछले वर्ष के दौरान 7922 टन बिक्री की तुलनामें फेरो मँगनीज की बिक्री 9540 टन रही।

उत्पादनः

पिछले वर्ष के दौरान 10.32 लाख टन की तुलना में वर्तमान वर्ष में कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों के मँगनीज अयस्क का 10.05 लाख टन उत्पादन किया है। ई एम डी का उत्पादन 731 टन (गतवर्ष 612 टन) हुआ जब कि पिछले वर्ष के 6519 टन की तुलना में इस वर्ष 9950 टन फेरो मँगनीज का उत्पादन दर्ज किया है। गतवर्ष के 9203 टन की तुलना में इस वर्ष 14009 टन फेरो मँगनीज स्लॅग का उत्पादन किया है। विंड टर्बाइन जनरेटर द्वारा पिछले वर्ष के 363.71 लाख (के डब्ल्यू एच) युनिट की तुलना में इस वर्ष 323.06 लाख (के डब्ल्यू एच) युनिट का निर्माण किया गया।

एफ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी यथेष्ठताः

मॉयलने सभी आवश्यक आंतरिक नियंत्रणों को रखा है और वह पर्याप्त है। कंपनी के मंडल ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी स्थापित किये है।

जी) प्रचालनिक कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर परिचर्चाः

देशमें मँगनीज अयस्क बाजार पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान काफी बेहतर था। वर्ष के दौरान वित्तीय और भौतिकीय प्रदर्शन का विवरण निम्न प्रकार है।

विवरण	एकल		समेकित	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
शुद्ध बिक्री	989.84	634.60	989.84	634.60
अन्य आय	221.13	252.15	221.20	252.22
कुल आय	1210.97	886.75	1211.04	886.82
कुल व्यय	694.36	564.03	692.65	564.12
सकल मुनाफा	516.61	322.72	518.39	322.70
मूल्हास	54.71	52.47	54.90	52.65
वर्ष के लिए करपूर्व लाभ (पीबीटी)	461.90	270.26	463.49	270.05
घट-आयकर प्रावधान	156.07	97.27	156.09	97.27
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी)	305.83	172.98	307.40	172.78
लाभ-हानी लेखामें प्रारंभिक लाभ	299.28	172.98	300.85	172.78
शुरुआती शेष (ओप.बॅलन्स)	6.58	9.73	5.00	8.35
लाभांश और लाभांश कर	80.15	101.31	80.15	101.31
सामान्य निधी और सीएसआर निधी को स्थानांतरण	125.00	75.00	125.00	75.00
शेष लाभ अग्रेनीत	100.71	6.58	100.70	5.00

कंपनी का कुल राजस्व पिछले वर्ष के रु. 886.76 करोड की तुलना में 37 प्रतिशत से बढकर वर्ष के दौरान रु. 1210.97 करोड रहा। बाजार में सुधार की स्थिती आने के कारण, कंपनी ने पिछले वर्ष रु. 634.60 करोड कारोबार की तुलना में वर्ष के दौरान 56 प्रतिशत से बढकर रु. 989.84 करोड कारोबार दर्ज किया है। गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान करपूर्व लाभ (पी बी टी) रु. 461.90 करोड रहा, जो कि 71 प्रतिशत अधिक है, जबकि पिछले वर्ष का 172.98 करोड रुपये कर पश्चात लाभ (पी ए टी) 77 प्रतिशत से बढकर रु. 305.83 करोड हो गया है। वर्ष के दौरान कंपनी की ई बी आय डी टी ए मर्जिन 60 प्रतिशत तक बढ गयी है। ब्याज दर कम होने तथा शेयरों के बायबॅक के लिए रु. 863.34 करोड महत्वपूर्ण बाहरी स्त्रीत की वजह से कंपनी की ब्याज आय पिछले वर्ष की रु. 244.06 करोड की तुलना में 32 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में रु. 185.60 करोड हो गई।

प्रचालनिक निष्पादनः

वित्तीय वर्ष 2016-17 मँगनीज अयस्क उद्योग के लिए अत्युत्कृष्ट रहा, खासकर 2015-16 के उद्योग के लिए समस्याजनक वर्ष के बाद। समग्र बाजार अवस्था, माँग और आपूर्ति पर विचार करते हुए वर्ष के दौरान कंपनी का निष्पादन लगभग सभी क्षेत्रों में पिछले वर्ष की दौरान कंपनी का निष्पादन लगभग सभी क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में उत्कृष्ट रहा।

उत्पादन समीक्षाः

कंपनी का मुख्य कारोबार उसके भूमिगत तथा ओपनकास्ट खदानों से मँगनीज अयस्क का खनन करना है। कंपनी ने पिछले वर्ष के 10.32 लाख टन की तुलना में विभिन्न श्रेणीयों के मँगनीज अयस्क का 10.05 लाख टन उत्पादन किया है। कंपनी ने पिछले वर्ष के 126544 टन फाइन्स की तुलान में वर्ष के दौरान 172596 टन फाइन्स का उत्पादन किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्पादन में घट होने के कारण मुख्यतः इस प्रकार है ए)एकसाथ शुरु रहती शाफ्ट गहरीकरण गतविधियाँ तथा डीजीएमएस की आवश्यकतानुसार बालाघात खदान में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइड रेल बदलना बी)डोंगरी बुजर्ग खदान में आनेवाले वर्षों मे उत्पादन कम करने की दिशामें अच्छे अयस्क की बेंच उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विकास की गतविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। कंपनी की उत्पादकता, जो कि प्रति मानवपाली आऊटपुट में परावर्तित होती है, 0.722 टन (पिछले वर्ष 0.718 टन) है।

एच) नियोजित श्रम बल की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध की दिशा में भौतिकीय विकासः

मॉयलके कर्मचारी कंपनी के प्रति बहुत ही समर्पित और निष्ठावान है। कर्मचारी हर समय कंपनीके साथ रहे है। प्रबंधन अपने कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ देना सुनिश्चित करता है, जिसमें जरुरत के मुताबिक सभी स्तरों पर आवश्यक प्रशिक्षण भी शामिल है।

यहाँ यह उलल्ेख करना महत्वपूर्ण है कि वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण रहे है। समस्या, यदि कोई हो तो उचित मंच पर चर्चा करके सुलझा दी गई। इस संबंध में कामगार युनियनों के कर्मचारी प्रतिनिधियों का सहयोग और सहकार्य प्रशंसनीय है। विकास पथपर चलते हुए, महाराष्ट्र राज्यके

नागपुर और भंडारा जिले में मँगनीज अयस्क के प्रॉस्पाक्टिंग के लिए मॉयलके पक्ष में सरकार द्वारा 814.71 हेक्टर भूमिक्षेत्र आरक्षित किया है। इसमें से महाराष्ट्र राज्य सरकारने 597.44 हेक्टर 11 पी एल क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए मँगनीज अयस्क के प्रॉस्पाक्टिंग के लिए प्रदान किया है, और शेष क्षेत्रों के लिए प्रक्रिया जारी है। इन क्षेत्रों में कम से कम तीन नई खदानों को शुरु करने की संभावना है। इसके अलावा कंपनी ने नागपुर जिले के पारसोडा गाँव में कंपनी के मनसर खदान के नजदीक 53.75 हेक्टर का लीज क्षेत्र प्राप्त हुआ है।

मंडल की रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार महाराष्ट्र सरकाने मॉयल के पक्षमें नागपुर जिलेके रामटेक तहसील, परसोडा गाँव में 53.75 हेक्टर भूमिपर खनन पट्टे प्रदान किए है, जिसे निष्पादित और पंजीकृत कर लिया गया है। आगे, मध्य प्रदेश सरकारने कंपनी के पक्ष में बालाघात जिले (मध्य प्रदेश) के परसवाडा तहसील में लुगमा गाँव में 48.974 हेक्टर भूमि पर खनन पट्टे प्रदान किए है, जिसे कंपनी द्वारा निष्पादित और पंजीकृत कर लिया गया है। कंपनी आगे भी नये लीज क्षेत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

भारत सरकार, खान मंत्रालय ने देशभर में विभिन्न खनिजों के अन्वेषण को संचलित करनेके लिए मॉयल को अधिसूचित किया है। यह मॉयल को अपने कारोबार का विस्तार करनेका अवसर उपलब्ध करता है। इसी दिशा में बढते हुए मॉयलने मध्य प्रदेश के चार जिलों में खोज करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एम ओ यू पर हस्ताक्षर किये है।

इन सभी विकास को देखते हुए कंपनी को आगामी दिनों में विशिष्ट कौशल और ज्ञानके साथ लोगों की आवश्यकता होगी। निर्धारित ज्ञान और कौशल के लोगों को प्राप्त करने के लिए मॉयल ने अपने मौजूदा मानबल को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है।

31 मार्च 2017 को कुल 6201 कर्मचारी नियुक्त थे।

निगमित अधिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य
मॉयल लिमिटेड
नागपुर

भारत सरकार, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित अधिशासन पर दिशानिर्देश और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड द्वारा निगमित अधिशासनकी शर्तों के अनुपालनकी मैंने जाँच की है। मुझे संपूर्ण जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुए जो कि हमारे विश्वास में प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक थे।

निगमित अधिशासनकी शर्तों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जाँच का दायरा, निगमित अधिशासनकी शर्ते तथा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के निगमित अधशासन के लिए भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुपालन की सुनिश्चितता के लिए कंपनी द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित था। यह प्रमाणपत्र कंपनी की विकासक्षमता की कोई आश्वासन नही है ना ही कंपनी के प्रबंधन की कार्यक्षमता का प्रभावोत्पादक है।

हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी और मुझे दिए गए अभ्यावदन तथा स्पष्टीकरण के अनुसार मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी द्वारा सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण) विनियमता, 2015 के शेड्यूल 11 में निर्धारित सारी अनिवार्य शर्ते, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), केन्द्र सरकार, नई दिल्ली ने जारी किए हुए केंद्रशासित सार्वजनिक उद्यम के निगमित अधशासन के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, दिनांक 18 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक मंडल की संरचना से संबंधित प्रावधानों की छोडकर।

दिनांक 20 जुलाई 2017
स्थानः नागपूर

अमित के. राजकोटिया
कंपनी सचिव
एफ सीएम-5561 सीपी नं. 5162

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणोंपर भारतके नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियक 20132 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड, नागपुर के वित्तीय विवरणोंको बनाने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक अंकेक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणीपर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित, अंकेक्षण मानकों के अनुकूल स्वतंत्र लेखा-परीक्षण पर आधारित है। यह कहा जाता है कि दिनांक 30 मई 2017 की उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अनुसार मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ह की वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्य संबंधी दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रुप से किया गया तथा यह सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की प्राथमिक जाँच तथा कुछ चुनिंदा लेखा अभिक्षकों की जाँच तक सीमित था।

मेरे अंकेक्षण के आधारपर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नजर नही आया जो सांविधिक अंकेक्षक रिपोर्टपर कोई टिप्पणी करने या अनुपूरक जोडने का कारण बन सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओरसे

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 जुलाई 2017

(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखापरिक्षा एवं
पहेन सदस्य, लेखा परिक्षा बोर्ड 3
नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (बी) के अधीन मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक की टिप्पणियाँः

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड, नागपुर के समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधीनियम की धारा129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधकि अंकेक्षक, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणोंपर राय व्यक्तकरनेके लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित, अंकेक्षण मानकों के अनुकूल स्वतंत्र लेखा-परीक्षण पर आधारित है। यह कहा जाता है कि दिनांक 10 अगस्त 2017 की उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए) के अनुसार मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है।

हमने मॉयल लिमिटेड तथा रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. का अनुपूरक अंकेक्षण किया है लेकिन समतिथी को समाप्त वर्ष के लिए सेल अॅण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण नही किया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यसंबंधी दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रुपसे किया गया है तथा यह सांविधिक अंकेक्षको तथा कंपनी के कर्मिकों की प्राथमिक जाँच तथा कुछ चुनिंदा लेखा अभिलेखों की जाँच तक सीमित था।

मेरे अंकेक्षण के आधारपर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नही आया जो सांविधिक अंकेक्षक रिपोर्टपर कोई टिप्पणी करने या अनुपूरक जोडने का कारण बन सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओरसे

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20 जुलाई 2017

(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखापरिक्षा एवं
पहेन सदस्य, लेखा परिक्षा बोर्ड 3
नई दिल्ली

प्रपत्र संख्या-एम आर-3

सचिवीय लेखा-परिक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधीनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कोर्मिकोंकी नियुक्ती और पारिक्षमिक) नियमवली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्य
मॉयल्स लिमिटेड
(एल 99999 एम एच 1962 जी ओ आय 012398)
मॉयल भवन,
1-ए कोटोल रोड,
नागपुर 440013

मॉयल लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा उत्तम निगमित परम्पराओं को अनुपालन और लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा एक ऐसी पद्धती से की गई जो निगमित आचरण/ संवैधानिक अनुपालन को मूल्यांकन करने के लिए उचित आधार उपलब्ध कराती है और इसपर हमारी राय दर्शाती है।

कंपनी ने कंपनी द्वारा रखे गये बहीखातों, को गजातों, मिनट-बुक, भरे गए प्रपत्रों और विवरणियों और अन्य अभिलेखों के सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान कंपनी, इसके अधिकोरी, अभिकर्ता और प्राधिकृत प्रतिनिधीयों द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकोरी के अनुसार हम एतद्वारा रिपोर्ट करते है कि हमारी रायमें कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरिक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों को अनुपालन किया है तथा यह भी कंपनी के पास पर्याप्त और उचित मण्डल प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र मौजूद है जो इसके आगे की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड द्वारा रखे गए बही-खातों, को गजाती, मिनट बुक, भरे गए प्रपत्र और विवरणियों और अन्य अभिलेखों को निम्न प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया

1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली

2) प्रतिभूति अनुंबध (विनियम) अधिनियम, 1956 (ए सी आर ए) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमावली

3) डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 और इसके अंतर्गत निर्धारित विनियमन और बाय. लॉ

4) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियमावली और विनियमावली, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणोंकी सीमा तक

5) भारतीय प्रतीभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश निम्नप्रकोर है

   ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों और टेकओव्हर के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

   बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इन सायडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) विनियम, 2015

   सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी के मामले और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009 जो लेखापरीक्षा अवधिके दौरान कंपनी में लागू नही है।

   डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी शेयर विकल्प योजना और कर्मचारी शेयर खरीदी योजना) दिशानिर्देश 1999 जो लेखापरीक्षा अवधिके दौरान कंपनी में लागू नही है।

   ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति ऋण इश्यूर लिस्टिंग करना) विनियम 2008 जो लेखापरीक्षा अवधिके दौरान कंपनी में लागू नही है।

   एफ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2009 जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में लागू नही है।

   जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टींग) विनियम, 2009 जो लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में लागू नही है।

   एच) भारतीय प्रतिभूमि एवं विनियम बोर्ड (सिक्यूरिटीज को बायबॅक) विनियम, 1998;

आय) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (लिस्टींग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

6. हमने आगे प्रस्तावित ऑनलाइन अनुपालन रिपोर्टिंग प्रणाली को परीक्षण किया, निम्नलिखित कोनून के लागू प्रावधानों के अनुपालन के मामले में 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड द्वारा वर्तमान में भौतिक रिपोर्टींग और ऑनलाइन रेकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग व्यवहार के अंतर्गत हमारे समाधान तक रखे गए है:

1) खदान अधिनियम 1952

2) खदान और खनिज (विकोस एवं विनियमन) अधिनियम 1957

3) लोह अयस्क खदान, मँगनीज अयस्क खदान और क्रोम अयस्क खदान श्रमिक कल्याण निधी अधिनियम 1976

हमने निम्न लागू उपबंधो के अनुपालनको परीक्षण भी किया:

1. इन्स्ट्रिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक, जो 1 जुलाई 2015 से लागू किए गए है)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनीने उपर्युक्त विषय के उलल्ेखित अधिनियम, नियमावली, विनियमावली, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि प्रावधानों को अनुपालन निम्नलिखित आकलन तक किया है:

1) सार्वजनिक उपक्रम विभाग भारत सरकोर द्वारा जारी दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पठित विनियमन 17,18,19 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 जो कि मंडल की संरचना के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संदर्भ में है कंपनी ने अनुपालन किया है, सिवाय 18 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक मंडल और उसकी समितियों की संरचना के प्रावधानों को छोडकर

हम आगे सूचित करते है कि

इसमे उलल्ेखित आंकलन के अधीन कंपनी को निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर. कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। निदेशक मंडलकी संरचना में परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्थान लेती है उसे अधिनियम के साथ अनुपालन किया गया है।

मंडल की बैठक निर्धारित करनेके लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटीस दिया गया है तथा कार्यसूची और कार्यसूची टिप्पणी को कम से कम सात दिन पूर्व प्रेषित किया गया है और बैठक से पूर्व कार्यसूची के मदोंपर आगे जानकारी और स्पष्टीकरण चाहने और प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम मौजूद है।

मंडलकी बैठकों या मंडल समिती की बैठकों, जैसी भी मामला हो, रिकोर्ड किए अनुसार मंडलकी बैठक और समिती की बैठक के सभी फैसलों को सर्वसंमती से लिया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि लागू कोनूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने और पर्यवेक्षण करनेके लिए कंपनी के आकोर और प्रचालन के अनुरुप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया उपलब्ध है।

हम आगे सूचित करते है की

1. कंपनीने 10 रु. मूल्य के 3,48,12,196 इक्विटी शेयरों को 248 रु. प्रति शेयर की कीमत पर बायबॅक किया है (जो कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों की संख्या के 20.72 प्रतिशत है)

2. भारतके राष्ट्रपतीजी ने खदान मंत्रालय को प्रतिनिधीत्व करते हुए और उनकी माध्यम से कंपनी के प्रमोटर होने के नाते कुल पेड अप शेयर पूँजी, जो कि रु. 10/- प्रतिशेयर के 1,33,18,780 इक्विटी शेयर मे से 10 प्रतिशत शेयर की भारतीय प्रतिभूती एवं विनियम बोर्ड परिपत्रक द्वारा जारी किए स्टॉक एक्सचेंज यांत्रिकी के ऑफर फॉर सेल (ओएफ एल) ऑफ प्रमोटर्स के दिशानिर्देशों को अनुपालन करते हुए बिक्री की है।

स्थान: इंदोर
दिनांक: 20 जुलाई 2017

ए. मेहता ॲण्ड कं. के लिए

स्वाक्षरी .....
अशोक मेहता
(प्रोप्रायटर)
एफ सी एस क्र: 2566
सी पी क्र. 2028

अनुपालन - VII

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

प्रभाव ए. कंपनी की सामान्य जानकारी

1. कंपनी का निगमित पहचान (सी आय एन) क्र : एल99999एमएच1962 जीओआय 012398
2. कंपनी का नाम : मॉयल लिमिटेड
3. पंजीकृत पता : मॉयल भाव, 1 ए काटोल रोड, नागपुर-4000031
4. वेबसाईट :
5. ई मेल :
6. समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष : अप्रैल 1, 2016-मार्च 31, 2017
7. कंपनी के काम करने के क्षेत्र (कोडनुसार औद्योगिक गतविधियाँ) : कंपनी मँगनीज अयस्क, फेरो मँगनीज, इलेक्ट्रोलॅटिक मँगनीज .और बिक्रि करती है।

विवरण	दर्जा	श्रेणी	उपश्रेणी
मँगनीज अयस्क	072	0729	07293
फेरो मँगनीज	241	2410	24104
इलेक्ट्रोलेटिक मँगनीज डायॉक्साईड (ईएमडी)	242	2420	24204
विद्युत उर्जा निर्माण (पवन)	351	3510	35106

8. तीन उत्पाद/सेवाओं की सूची जो कंपनी (तुलना पत्रानुसार) उत्पाद/प्रस्तुत करती है: मँगनीज अयस्क, फेरो मँगनीज और पवन उर्जा
9. कुल स्थानों की संख्या जहाँ कंपनी की कारोबारी गतिविधीयाँ चलती हो: राष्ट्रीय स्था : दो (2) : महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
10. बाजार जिसमें कंपनी अपनी सेवा देती हो: स्थानिक/राज्यस्तर/राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय: मॉईल देशभरमें अपने उत्पाद मँगनीज अयस्क और फेरो मँगनीज/इलेक्ट्रोलॅटिक मँगनीज डायॉक्साइड बेचती है।

प्रभाग बी. कंपनीका वित्तीय विवरण:

1) शेयर पूँजी (भारतीय रुपयोंमें) 133.19 करोड
2) कुल बिक्रि (भारतीय रुपयोंमें) 989.84 करोड
3) करपश्चात लाभ (पी ए टी) (भारतीय रुपयेंमें) 305.83 करोड
4) निगमित समाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) 11.27 करोड(बजेट)
   पर कुल व्यय (भारतीय रुपयों में) व्यय 11.43 करोड
   (पिछले 3 वर्षे के करपूर्व लाभ (पी बी टी) के औसत का 2 प्रतिशत)
5) उन गतविधीयों की सूची जिसके लिए उपरनिर्दिष्ट 4 की रकम व्यय की हो:

   मॉयल ने उसके लक्ष्यतक पहुँचने, कार्यक्षेत्रों पर ध्यान केंद्रीत करना, संगठन की यांत्रिकी, सी एस आर की गतविधियों के निश्चित करने के लिए सर्व समावेशक सी एस नीति बनायी है। यह नीति बजट में हिस्सा, मंजूरी की रीति तथा निधी इस्तेमाल की पद्धती सुनिश्चित करती है। जिन मुख्य क्षेत्रों में रकम खर्च की गयी हो वह निम्नानुसार है:

   - ग्रामीण बुनियादि विकास
   - स्वास्थ्य तथा स्वच्छता
   - शिक्षण तथा कौशल विकास
   - पीने का पानी
   - पर्यावरणीय संधारण

प्रभाग सी. अन्य विवरणः

1) कंपनी की कोई सहभागी कंपनी है?

नही

2) सहभागी कंपनी मुख्य कंपनी के बी आर गतविधीयों में हिस्सा लेती है? अगर हाँ तो ऐसे सहभागी कंपनियोंकी संख्या नमूद करे

लागू नही

3) अन्य कोई संस्था/संस्थाएँ जिनके साथ कंपनी कारोबार करती है, कंपनी की बी आर गतविधियों में हिस्सा लेती है? अगर हाँ तो प्रतिशत नमूद करे (30 : से कम, 30-60:, 60: से अधिक)

नही

प्रभाग डीः व्यवसाय उत्तरदायित्व जानकारी

1. बी. आर. नीति के लिए जिम्मेदार निदेशक का विवरण

ए) बी. आर. नीति के कार्यान्वियन के लिए जिम्मेदार निदेशक का ब्योरा

1. डी आय एन क्रमांक 07081231
2. नाम श्री. तन्मय के. पटनायक
3. पदनाम निदेशक (वाणिज्य)

बी) बी आर मुख्य का विवरण

क्र.	विवरण	शेरा
1	डी. आय. एन. क्र. (लागू हो तो)	07081231
2	नाम	श्री. तन्मय के. पटनायक
3	पदनाम	निदेशक (वाणिज्य)
4	टेलिफोन नं.	0712-2592272
5	ई-मेल	tkpattnaik@mailinic.in

2. सिद्धांतानुसार (एन व्ही जी के अनुसार) बी आर नीति/नीतियाँ लिए व्यवसाय के कारपोरेट अफेअर्स मंत्रालयने सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक जिम्मेदारीयाँ, राष्ट्रीय स्वएच्छिक दिशानिर्देशों के अनुसार नौ सिद्धांतों का स्वीकार किया है।

वे संक्षेप में निम्नानुसार हैः

पी 1	कारोबार ने नैतिकता, पारदर्शिकता तथा जिम्मेदारी का अनुपालन करना चाहिए।
पी 2	कारोबार ने ऐसे उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना चाहिए जो उनके पूरे जीवन चक्र मे सुरक्षित तथा संधारणीयता में योगदान देनेवाले हो।
पी 3	कारोबार ने उनके कार्मिकों के कुशल-क्षेम को बढावा देना चाहिए।
पी 4	कारोबार ने पणधारकोंके, खासकर उन पणधारकोंके जिनकी हानि हुई हो, जो दुर्बल तथा गौण हो हितपर ध्यान देना चाहिए।
पी 5	कारोबार ने मानवी हक्कोंको बदल देनी चाहिए।
पी 6	कारोबार ने पर्यावरणका ध्यान रखना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए तथा पर्यावरणको पूर्व स्थितीमें लाना चाहिए।
पी 7	कारोबार, जब सार्वजनिक तथा नियंत्रण नीति से संबंधित हो, तो उसे जिम्मेदारिके साथ करना चाहिए।
पी 8	कारोबार ने सम्मिलित वृद्धि और निष्पक्ष विकासको प्रोत्साहन देना चाहिए।
पी 9	कारोबारने अपने ग्राहक और उपभोक्ताओंको जिम्मेदारीके साथ उनकी उपदेयता से जुडना चाहिए तथा उसे निर्धारित करना चाहिए

ए) अनुपालन का विवरण (जवाब हाँ या नही में देना)

क्र.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	आपके पास नीति/नितियाँ है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	पणधारकों से सलाहमशहुरा करके नीति बनाई गयी थी क्या?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	नीति को राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय मानक की पुष्टी करती है? अगर हो तो निर्दिष्ट करे	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या मंडलने नीति मंजूर की है? अगर हाँ तो उसपर एमडी/ओनर/ सीईओ/ योग्य निदेशक के हस्ताक्षर है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	नीतिके कार्यान्वयनका निरीक्षण करने हेतु कंपनीके पास मंडल/निदेशक/ अुसरोंकी विशेष समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति ऑनलाईन देखने के लिए लिंक	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	क्या नीतिके बारेमें सभी आंतरिक तथा बाह्य पणधारकोंकी सूचित किया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	कंपनीके पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयनके लिए आंतरिक रचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनीके पास पणधारकोंकी शिकायते दूर करने के लिए कोई शिकायत निवारण यांत्रिकी है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनीने आंतरिक या बाह्य संगठन द्वारा इस नीति के कार्यका स्वतंत्र लेखापरिक्षण/ अवमूल्यन कराया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	संबंधीत स्पष्टीकरण/जानकारी/ लिंग इस रिपोर्टके अनुलग्नकमें सूचीत किये है।									

बी) अगर किसी सिंद्धांत के जवाब में 'नही' हो, तो स्पष्टीकरणः **लागू नही**

3. बी आर संबंधित शासनः

ए) निदेशक मंडल, मंडल समिती या सी ई ओ द्वारा कंपनी के बी आर कार्यक्रम मूल्यांकन की वारंवारता सूचीत करे (तिमाही में एक बार, 3 से 6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ह से अधिक)

बी) क्या कंपनी बी आर या संधारणीयता का रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को कौन से हायपर लिंकपर देख सकते है? इसे प्रकाशित करने की वारंवारता क्या है?

कंपनी का यह पहला ही बी आर विवरण है। यह उसके वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 का वार्षिक रिपोर्ट http://www.moil.nic.in/AR.MOIL_2016-17. pdf इस लिंक पर देख सकते है।

प्रभाग ईः सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रमः

सिद्धांत 1 : नैतिकता, पारदर्शिकता तथा उत्तरदायित्व

1. नैतिकता, रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार से संबंधित नीति के दायरे में सिर्फ कंपनी आती है? हाँ/नही

यह नीति समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्वक/ अनुबंधक/ एनजीओ/ अन्य तक विस्तारित है?

हाँ, मॉयल और उसकी सहयोगी सहयोगी कंपनियाँ शासकीय पणधारख, व्यापार और समाज में अच्छा शासन, खनिजों का रास्ते इस्तेमाल तथा भ्रष्ट्राचार मुक्ती को बढावा देनेके लिए वनचबद्ध है। मॉयल ने ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल इंडिया (टी आय एल) के साथ इंटिग्रिटी पॅक्ट (आय पी) (एकामत्मता समझौता) पर हस्ताक्षर किया है। मॉयलका सतर्कता विभाग निपक्षपाती, रास्त तथा पारदर्शक निर्णयप्रकिया को मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहित करता है। सुरक्षात्मक दृष्टीकोन से निवारक सावधानी को प्राधान्य देता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में पणधारकों की कितनी शिकायते प्राप्त हुई और उनमें से कितनी प्रतिशत प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रुप से सुलझायी गयी?

साधारण नियमित निवेदनों के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 87 अंशधारकों की शिकायते प्राप्त हुई और एक प्रकरण वर्ष के शुरु से ही बकाया था। इनमें से एक प्रकरण जो कोर्ट में बकाया है, छोडकर बाकी सब सुलझायी गई। मॉयल ने नैतिक और वैधानिक कारोबारो व्यवहार के दर्जा स्थापित करने के लिए और उसके खुले और पारदर्शक संचार व्यवस्था को बढावा देनेके लिए व्हीसल ब्लोअर नीति अपनाई है।

सिद्धांत 2: कारोबार ने सुरक्षि उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन करना चाहितए तथा उनके जीवनकाल तक उनकी संधारणीयता में योगदान देना चाहिए।

1. आपके 3 ऐसे उत्पाद/सेवाओंकी सूची बनाएँ जिनके निर्माण में सामाजिक तथा पर्यावरणीय दृष्टीकोन, जिम्मेदारीयों तथा/या अवसर का ध्यान रखा गया हो।

   मॉयल अपनी खदानों में पर्यावरणपूरक खनन काम तथा ऊन्य उत्पादोंका जैसे फेरो मँगनीज और इ एम डी उत्पादन करती है। पर्यावरण के सारे घटक जैसे कि हवा, जल, भूमि, आवाज तथा जैवविधिधताको सुरक्षित रखने हेतु उसके खननकाम के सार चरण में वह उचित पर्यावरणीय उपाय कार्यान्वित करना सुनिश्चित करती है। मॉयल अपनी सारे कार्यों में कार्बन का कम प्रक्षेपण प्रारंभ करना चाहता है। इस संदर्भ में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार है: पानी पुनश्चक्रण तथा पुन: इस्तेमाल, सुधारक उपायों का निर्माण जैसे मजबूत संरक्षक दीवार, सभी खदानों के पास बनरोपण, सभी खदानों में इस्तेमाल हुए पानीके नालियों का खनन और भूमिकी क्षति कम करने के लिए चट्टानों के कूडे का भूमि-उद्धार तथा नियंत्रक बँधारों की निर्मिती, बहिप्रवाही शुद्धिकरण संयंत्र, पानीका प्रदूषण रोकने के लिए भूमिगत नालों से बहते मलका शुद्धिकरण संयंत्र। धुआँ कम करने के लिए ई एम डी प्लांटपर एअर क्रबर स्थापित किया गया है।

   पर्यावरण सुरक्षित रखनेके अलावा मॉयल खदानोंके पट्टों के आसपास के स्थानिक समूह को भी प्रोत्साहन देती है। मॉयल के पास सुनिश्चित सी एस आर नीति है जो सी एस आर विभाग से चलायी जाती है। सी एम आर का पथक खदानों के आसपास के स्थानिक समुदायों से सलाह करके सी एस आर गतविधीयोंको कार्यान्वित करने के लिए मुख्य क्षेत्र निश्चित करते है जैसे कि निवासी विद्यालय और होस्टल, 'हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स' चलाना चिकित्सक शिबिरों का आयोजन और ऐसी बहुत कारवाईयाँ

2. ऐसे हर उत्पाद के लिए संसाधन (उर्जा, जल, कच्चा माल) इस्तेमाल प्रति उत्पाद एक ब्योरा दे (वैकल्पिक):

   1. उत्पादेयता श्रृंखला के आरंभ से अंत तक पिछले वष7 से स्त्रोत, उत्पादन/विवरण में कुछ कमी हासिल हुई

      मॉयल विद्युत, इंधन, ल्वयुब्रिकंट तथा पानी के सर्वोत्तम इस्तेमाल में विश्वास रखती है। वह पानी तथा उर्जा के विशिष्ट उपयोग के लिए लक्ष्य सुनिश्चित करती है, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उर्जा का अंकेक्षण करती है। उर्जा अंकेक्षण उर्जा कार्यक्षम प्रोद्योगिकीवेत्ता उपाय ढूँढने तथा उपयोग में लाने के लिए तथा बचत करने में मदद करता है। उर्जा कार्यक्षमता उपयों की वजह से कार्य में विशिष्ट उर्जा की मात्रा में सुधार हुआ है। यद्यापि पानी के इस्तेमाल की मात्रा बहुत कम है, मॉयल पानी के प्रबंधन में विश्वास रखती है तथा सभी प्रकल्पों के स्थलपर जल शुद्धिकरण किया जाता है जहाँ इस्तेमाल किये हुए पानी का पुनश्चक्रण होता है।

   2. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं (उर्जा, पानी) के इस्तेमाल में कमी हासिल हुई क्या?

      मॉयल का अंतिम उत्पाद बहुत भारी है और उपभोक्ता तक पहुँचने तक उसकी कमी पर नजर रखना जटिल हो जाता है; फि र भी जहाँ तक संभव हो, पानी और उर्जा के इस्तेमाल के लिए संचेत रहती है।

   3. कंपनी के पास संधारनीय स्त्रोतों के लिए (परिवहन सहित) प्रक्रिया है क्या? अगर हाँ तो आपके आगमित स्त्रोतों में से कितना प्रतिशत स्त्रोत संधारणीय था? – 50 शब्दों का उसका ब्योरा दे।

      हाँ, मॉयल संधारणीय स्त्रीत इस्तेमाल करती है। वह वैकल्पिक इंधन तथा कच्चा माल (ए एफ आर) इस्तेमाल करती है, जो नैसर्गिक स्त्रोतों का संरक्षण करता है और ऐसे विक्रेताओं से खरीदी करते है, जो संधारण नीति अपनाते हो। जहाँ तक परिवहन का सवाह है, ज्यादातर भारी माल रेल तथा रास्ते से उचित आच्छादन तथा सीलिंग के साथ भेजा जाता है। मॉयलने माल चढाने या उतारने के समय धूल निवारण के लिए भी उचित इंतजाम किया है।

   4. क्या कंपनी ने स्थानिक और लघु उत्पादकों से (खदानों के आसपास रहनेवाले समुदायों सहित) उत्पाद और सेवा खरीदने के लिए कोई कदम उठाया है? अगर हाँ, तो स्थानिक और लघु विक्रेताओं की क्षमता तथा धारिता बढाने के लिए कौन से कमद उठाए?

      हाँ मॉयल स्थानिक उत्पाद एवं सेवाओं की खरीदी करने समय स्थानिक एवं लघु विक्रेताओं को सहायता तथा प्रोत्साहन प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान मॉयल ने नागपुर में एम एस एम ई, डी आय इंस्टीट्युट द्वारा राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आयोजित बेंडर डव्हलोपमेंट प्रोग्राम (विक्रेता विकास कार्यक्रम) में हिस्सा लिया था। मॉयल के प्रतिनिधी एम एस एम ई द्वारा आयोजित किये व्हेंडर डेवलोपमेंट प्रोग्राम में भी उपस्थित थे, जहाँ उन्होंने भावी मध्यम उद्योज कों (एम एस ई) को मॉयल के जरुरतों के बारे में समझाया।

   5. क्या कंपनी के पास उत्पाद तथा अपशिष्ट सामग्रीके पुनश्चक्रण की कोई यांत्रिकी है? अगर हाँ तो उत्पादों तथा अपशिष्ट सामग्रीका प्रतिशत क्या है? (अलग अलग जैसे < 5%, 5-10%, >10%). 50 शब्दों में उसका ब्योरा भी दे।

      हाँ, मॉयल सुरक्षित, शास्त्रीय तथा पर्यावरण पूरक खनन के तरीके इस्तेमाल करती है भूमिगत अपशिष्ट सामग्री के 30 प्रतिशत का खदान में ही पुनश्चक्रण किया जता है। संभाव्य हानिकारक प्रदूषण तथा सामाजिक प्रभाव, दोनो समय, कार्यान्वय तथा कार्य समाप्ती के बाद टालने के

लक्ष्य में मॉयलने अपने अपशिष्ट सामग्री प्रबंधन में 4 आर नीति (रिडूस (कम करना), रिचार्ज (पुनः शक्ति भरना) रिसायकल (पुनश्चक्रण) तथा रियुज (पुनः इस्तेमाल) अपनायी है। मॉयल के खदान स्थानोंपर सतत अनुसंधान, विकास तथा कार्यान्वयन, उत्पादन सुधारके उपाय एवं उपोत्पादों के पुनः इस्तेमाल अपेक्षित है। खदानमें इस्तेमाल किये गये विभिन्न ल्वयुब्रिकंट तथा तेलों में से जला हुआ/इस्तेमाल किया हुआ तेल तथा ल्वयुब्रिकंट का अधिकृत एजन्सी द्वारा निपटान किया जाता है, जो उसका पुनश्चरण करती है।

सिद्धांत 3: कारोबारने उनके कर्मिकों के कुशल-क्षेम को बढावा देना चाहिए।

1. कुल कर्मिकों की संख्या दर्शाए (3 1-03-2017 को)

संवर्ग	कार्यकारी	गैर कार्यकारी	पी.आर.कार्मिक	कुल
पुरुष	328	2223	2919	5470
महिला	24	107	600	731
कुल	352	2330	3519	6201

2. हंगामी/अनुबंधित/कॅज्युअल बेसिस पर काम करनेवालो कार्मिकों की संख्या सूचीत करे: अनुबंधित कार्मिक 2699

3. स्थायी महिला कर्मचारियोंकी संख्या सूचित करे: 731 स्थायी महिला कार्यरत है।

4. स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या नमूद करे: 22 स्थायी विकलांग कर्मचारी कार्यरत है।

5. क्या आपके पास कोई ऐसा मजदूर संगठन है जो प्रबंधन से मान्यता प्राप्त हो? हाँ

   - प्रोजेक्ट स्तर ज्यादातर संलग्न स्वतंत्ररुप से कार्यरत है, जो मॉयल कामगार संगठन (एम के एस) के नाम से जाना जाता है।
   - कार्यकारियों की अपनी असोसिएशन (मॉयल एक्झिक्युटिव्ह ओसोसिएशन) युनिट स्तर और कॉरपोरेट स्तर पर है।

6. कितने प्रतिशत कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त असोसिएशनके सदस्य है?

   66 प्रतिशत कार्मिक मान्यताप्राप्त असोसिएशनके सदस्य है।

7. बाल मजदूरे, बांधित मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, लैंगिक उत्पीडन आदि मामलोंके पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज शिकायतों की संख्या सूचीत करे पिछले वित्तीय वर्षमें बालमजूरी, बांधित मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, लैंगिक भेद तथा लैंगिक उत्पीडन की कोई शिकायत दर्ज नही हुई। इस बारे में जानकारी निम्ननुसार है।

क्र.	विवरण	दर्ज शिकायतों की संख्या	बकाया शिकायतों की संख्या
1	बालमजूरी/ बंधित / अनैच्छिक मरीरी	शून्य	शून्य
2	लैंगिक उत्पीडन	शून्य	शून्य
3	लैंगिक भैद	शून्य	शून्य

8. नीचे नमूद किए हुए में से कितने प्रतिशत कार्मिकोंको सुरक्षा तथा कुशलता बढत प्रशिक्षण दिया गया था?

   मॉयलके स्वास्थ तथा सुरक्षा नीतिका सुरक्षा प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है। उपलब्ध मनुष्यबल, सामान तथा यंत्रोंका सर्वोत्तम इस्तेमाल करके शून्य दुर्घटना तक पहुँचना यह मॉयल का लक्ष्य है।

   वित्तीय वर्ष 2016-17 में सुरक्षा तथा कुशलता विकास प्रशिक्षण दिए गए कार्मिकों का प्रतिशत

क्र.सं.	विवरण	प्रतिशत	
		सुरक्षा प्रशिक्षण	कुशलता विकास प्रशिक्षण
1	स्थायी कर्मचारी	20%	35%
2	स्थायी महिला कर्मचारी	20%	20%
3	कॅज्युअल/अस्थायी अनुबंधित कर्मचारी	20%	5%
4	विकलांक कर्मचारी	5%	30%

सिद्धांत 4: कारोबारने पणधअरकों के, खासकर उन पणधारकों के जिनकी हानि हुई हो, जो दुर्बल तथा गौण हो, हितपर ध्यान देना चाहिए।

1. क्या कंपनीने अपने मानचित्रमें आंतरिक तथा बाह्यपणधअरकोंको दिखाया है? हाँ/नहीं

   हाँ, मॉयलने अपने मानचित्रमें आंतरिक तथा बाह्य पणधारकोंको दिखाया है। उनकी मुख्य श्रेणीयाँ निम्नानुसार है।

   - सरकारी तथा नियंत्रक प्राधिकरण
   - उपभोक्ता
   - कार्मिक
   - स्थानिक समुदाय
   - एन जी ओ तथा अन्य पणधारक

   मॉयल अपने पणधारकों को मुख्य पर्यावरणीय, सामाजिक तथा सामुदायिक विकास विभिन्न कार्यक्रमों की सूचना देते है, विभिन्न स्वरुपों में आयोजित करते है तथा उनसे भविष्यमें आयोजित की जानेवाली गतविधियों के लिए फिडबॅक लेते है।

2. उपर निर्दिष्ट में से कंपनी ने पीडित, दुर्बल तथा गौण पणधारकों अधोरेखित किया है क्या?

   हाँ, मॉयल सी एस आर नीति एक हिस्से के रुप में सामाजिक जनसांख्यिकी के वेस लाइन अध्ययन को आधारपर पीडित, दुर्बल तथा गौण पणधारकों को सुनिश्चित किया है।

3. कंपनीने पीडित, गौण तथा दुर्बल पणधारकों को अपने साथ रखने के लिए कोई अधिकारिक कार्रवाई की है? कृपया 50 शब्दों में ब्योरा दे

   हाँ, मॉयल के सि एस आर गतिविधियोंमें समुदाय विकास कार्यक्रम एक मुख्य गतविधि है, जिससे पीडित, दुर्बल तथा गौण पणधारकों की निम्ननुसार लाभ हुए है:

   - वर्ष 2014-15 के दौरान समाज के विस्तृत तथा संधारणीय विकास के लिए मॉयलने महाराष्ट्र के भंडारा, नागपुर तथा मध्यप्रदेश बालाघाट जिलों से 21 गाँव सुनिश्चित किये। यह एक दीर्घ अवधि का प्राकल्प है, जिसका कार्यान्वयन महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर फॉर रुरल एरियाज, (एम आय टी टी आर ए) जिसका प्रमुख कार्यालय नाशिक में, कर रही है। एम आय टी टी आर ए यह एक पंजीकृत एन जी ओ संस्था है और एक सुप्रसिद्ध एन जी ओ- बी ए आय एफ डेवलोपमेंट रिसर्च फौंडेशन, पुने, जो देश के 12 राज्यों में कार्यरत है, उनकी सहयोगी है।
   - प्रकल्प का लक्ष्य स्वास्थ्य, गाँवकी बुनियादि सुविधाएँ तथा महिला सशक्तीकरण में सुधार लाकर सम्मिलित परिवारों की आजीविका के दर्जा में सुधार लाना है। प्रकल्प का सारा ध्यान सरकारी खातों के साथ अच्छे संबंध बनाये रखने में होता है, ताकी प्रकल्प के समाप्ति के बाद भी क्षेत्र का विकास जारी रहे।
   - इस कार्यक्रम के अंतर्गत मॉयलने खेती विकास, भूमि स्वास्थ्य (सॉइल हेल्थ) कार्ड, एम आर आय नमूना, खेती भूखंड, खेती विविधिकरण, कें चुआ खाद, बूंद सिंचाई, किसान मेला) जल स्त्रोत विकास (कुँआ गहरीकरण, जलौधौंका नूतनीकरण, बँधारों से गाद निकालना आदि) पशुधन विकास (कृत्रिम गर्भधारण, जानवरों के स्वास्थ्य शिबिर, वंध्यत्व, पशुधन विकास के लिए किसानों को प्रशिक्षण, टीकाकरण, कीडों से मुक्त जानवर आदि) जीवन का दर्जा सामाजिक स्वास्थ्य (स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम स्वास्थ्य शिबिर, स्वच्छ रसोई, बायोगॅस संयंत्र, शौचालय आदि) स्वयं-मदद संघ, आदि द्वारा महिला सशक्तीकरण, शिक्षा (डिजीटल/ई लर्निंग, पुस्तकालय सामग्री, विद्यालयों में जल शुद्धिकरण योजना आदि)

सिद्धांत 5: कारोबार ने मानवी हक्कों को बढत देनी चाहिए।

1. कंपनीकी मानवी हक्कों से संबंधित नीति सिर्फ कंपनी के लिए है अथवा उसके गट/संयुक्त/आपूर्तक/अनुबंधक/एनजीओ/ अन्य तक विस्तारित है।

   हाँ, मॉयलकी कोई सहयोगी कंपनी नही है। उसके शासकीय पणधारक, कारोबार तथा समाज के साथ एक अच्छे शासन, खजिनों का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल तथा रिश्वतखोरी रोकने के लिए वचनबद्ध है। मॉयलने ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया (टी आय आय) के साथ एक इंटाग्रीटी पॅक्ट (एकात्मता समझौता) (आय पी) पर भी हस्ताक्षर किये है। मॉयलका सतर्क ता विभाग उसे निष्पक्षपाती, रास्त तथा पारदर्शी निर्णय लेनेकी प्रक्रियामें मार्गदर्शन करता है तथा मदद करता है एवं सुरक्षात्मक दृष्टीकोन अपनाकर निवारक सतर्क ता को प्राधान्य देता है।

2. पिछले वित्तीय वर्षमें पणधारकों की कितनी शिकायते दर्ज हुई तथा प्रबंधनने कितनी प्रतिशत शिकायते संतोषजनक रुपसे सुलझाई।

   2016-17 के दौरान मानवी हक्क उलल्घन के शून्य मामले थे।

सिद्धांत 6 : कारोबारने पर्यावरणका ध्यान रखना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए तथा पर्यावरणको पूर्व स्थिती में लाना चाहिए।

1. कंपनी की सिद्धांत 6 से संबंधित नीति सिर्फ कंपनी के लिये है या उसके गट/संयुक्त उद्यम/ आपूर्तक/अनुबंधक/एनजीओ/अन्य तक विस्तारित है?

   मॉयलका पार्यवरण प्रबंधन निगमित पर्यावरण नीति से नियंत्रित किया जाता है। यह नीति सिर्फ मॉयल तक ही सीमित है क्योंकि उसकी कोई सहयोगी कंपनी नही एवं संयुक्त उद्यम कार्यरत नही है।

2. क्या कंपनीके पास ऐसी कोई नीति/अधिकारी कार्यवाई है जो वैश्विक पर्यावरणसे संबंधित विषयों को जैसे जय वायु परिवर्तन, विश्वव्यापी ताक्रम वृद्धि आदिं को संबोधित कर सके? हाँ/नही

   अगर हाँ है, तो वेबपेज के लिए हायपरलिंक सूचीत करे

   हाँ, मॉयल जलवायु परिवर्तनका उसके कारोबार, पर्यावरण तथा समाजपर क्या असर होगा समझती है तथा मान्य करती है। वह खनन तथा खनिजोंपर की जानेवाली प्रक्रियों के दौरान बेहतर पर्यावरणकी जिम्मेदारी के लिए वचनबद्ध है। मॉयल पर्यावरण प्रदूषण रोकने तथा टालने, नैसर्गिक स्त्रोतों का संरक्षण, पर्यावरण स्थिती में निरंतर सुधार का नियंत्रण, पार्यवरण को सुरक्षित रखना, कर्मचारियों को तथा समूहों को पर्यावरण जिम्मेदारियों का प्रशिक्षण देना तथा पर्यावरण के हानिकारक खतरे कम करना या टालने के लिए प्रबंधन की प्रथा इसके लिए प्रतिबद्ध है।

   मॉयल का विश्वास है कि ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन यह 'पर्यावरण के मूल्वय में' वर्तमान कारोबार के लिए एक प्रमुख मुद्दा है। एक पर्यावरण पूरक संस्था होने के नाते मॉयल ने 20 मेगावॅट क्षमता का पवन उर्जा प्रकल्प स्थापित किया है तथा उसकी खदानों में 10.5 मेगावॅट क्षमता के सौरउर्जा प्रकल्प का कार्य प्रगति पर है। उसने अपने प्रमुख कार्यालय में 48 किलोवॅट का रुप टॉप सौर पॅनेल बिठाया है तथा उसकी खदानों के प्रशासकीय कार्यालयों में उनकी स्थापना प्रगतिपर है।

   http://moil.nic.in/writereaddata/pdf/Environment Policy.pdf

3. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय खतरा पहचानती तथा उसका मूल्यांकन करती है? हाँ/नही

   हाँ, मॉयलने संभाव्य पर्यावरणीय खतरा पहचानने तथा उसके मल्वयांकन करने हेतू विधियाँ विकसित की है। वह आसपास के परिसर पर होनेवाले असर ढूँढने के लिए एन्व्हायरनमेंटरल ॲसेसमेंट ऑफ ऑपरेशनन्स/ ॲक्टिविटिज चलाती है तथा पार्यवरण के खतरे कम करती है। उसने सभी खदाने तथा गतविधियों के लिए इ आय संचालित किया जाता है। संचालन का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने तथा सी पी सी बी कानून के अनुपालन के लिए नियमित नियंत्रित किया जाता है।

   सभी मुख्य खदाने/संयंत्रों के स्थान OHSAS 18001-2017/ ISO 9001: 2005 से प्रमाणित है जो लक्ष्य सुनिश्चित करने हेतू लगनेवाले गतविधियों के लिए सभी प्रक्रिया तथा गतविधियों के पहलू-प्रभाव का अध्ययन करता है। इस प्रणाली का बाहरी अंकेक्षकों द्वारा द्विवार्षिक अंकेक्षण किया जता है, (नियमित रुपसे होनेवाले प्रमाणित आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा किये गए अंकेक्षण के सिवाय) जो प्रणाली की स्वीकार्यता तथा कार्यक्षमता जाँच सके तथा लक्ष्य एवं प्रबंधनकी योजना में कोई बदलाव हो तो समझ सके)

4. कंपनी का कोई प्रक्स्प स्वच्छ विकास यांत्रिकी से संबंधित है। अगर हाँ, तो 50 शब्दों में ब्योरा दे। और अगर हाँ है तो क्या पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज किया है?

   हाँ, मॉयल का स्वच्छ विकास यांत्रिकी से संबंधित प्रकल्प है। वह 2006-1007 में स्थापित हुआ 20 मेगावॅट पवन उर्जा प्रकल्प है। यह प्रकल्प 'युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लायमेट चेंज (यु एन एफ सी सी सी) के साथ पंजीकृत किया गया है।'

5. क्या कंपनीने अन्य कोई स्वच्छ तकनीकी, उर्जा कार्यक्षमता, उर्जा, नूतनीकरण से संबंधि कोई कार्रवाई की है? हाँ/नही। अगर हाँ, तो वेबपेज की हायपरलिंक नमूद करे।

   हाँ, मॉयल पर्यावरण समर्थक तकनीकी के विकास संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा मॉयल का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के पास कुशल खनिज प्रक्रिया से संबंधित तकनिकी विकास करने की क्षमता है। इस कार्रवाई के बारेमें अधिक जानने के लिए नीचे दिए हुए हायपर लिंक देखिए:

   http://moil.nic.in/writereaddate/pdf/Moilrenenproj.pdf

6. वित्तीय वर्ष के उत्सर्जन/अपशिष्ट सामग्री सी पी सी बी/ एस पी सी बी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर पायी गयी है?

   हाँ, मॉयल के द्वारा उत्सर्जन तथा अपशिष्ट सामग्री नियमित रुपसे जाँच-पडताल की जाती है और वह सी पी सी बी/ एस पी सी बी द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर पाई गई है। और, आवश्यकतानुसार वैधानिक प्राधिकारियों को नियमित रुपसे रिटर्नस् दर्ज किये है।

7. वित्तीय वर्ह के आखिर में सी पी सी बी/एम पी सी बी से प्राप्त हुए शोकॉज/लिगता निटीसों की संख्या जो बकाया है (जोकि संतोषजक रुप से सुलझाये नही गये)

   शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार, जब सार्वजनिक तथा नियंत्रण नीतिसे संबंधित हो, तो उसे जिम्मेदारीके साथ करना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी कोई ट्रेड तथा चेंबर या असोसिएशन की सदस्य है? अगर हाँ, तो उन सभी मुख्य असोसिएशन के नाम लिखे, जिनका आपके कारोबार से संबंध हो।

   हाँ, मॉयल नीचे दिए हुए ट्रेड तथा चेंबर/असोसिएशनकी सदस्य है।

   - फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रिज, नई दिल्ली.
   - स्टँण्डिंग कॉन्फरन्स ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेस, नई दिल्ली
   - इन्टरनॅशनल मँगनीज इन्स्टिट्यूट, पॅरीस

2. आपने कभी उपरनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक वस्तु के सुधार तथा उन्नति का समर्थन/सहमती दर्शायी है? अगर हाँ, तो मुख्य क्षेत्र नमुद करे (ड्रॉप बॉक्स: शासन तथा प्रशासन, आर्थिक सुधार, सामाजिक विकास नीति, उर्जा सुरक्षा, पानी, अन्न सुरक्षा, संधारण व्यापार नियम, अन्य)

   हाँ, नीचे दिए हए क्षेत्रों में

   - संधारणीय खनन प्रक्रिया
   - उर्जा संरक्षण
   - सम्मिलित विकास

सिद्धांत 8: कारोबारने सम्मिलित वृद्धि और निष्पक्ष विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए।

1. कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीतिसे जुडा कोई कार्यक्रम/कारवाई/प्रकल्प है? अगर हाँ तो उसका ब्योरा दे।

   हाँ, मॉयल ऐसे बहुतसे कार्यक्रम कार्रवाई तथा प्रकल्पों का, उसके सि एम आर नीति में नमूद किए क्षेत्रों में, आयोजित करती है। इनमे से कुछ मुख्य सी एस आर अधिकारिक कार्रवाइयाँ निम्नानुसार है।

   साक्षरता एवं शिक्षा:

   - मॉयलका डी ए व्ही विद्यालय
   - कंपनी के खदानों के पास के विभिन्न पाठशालाओं की सहायता करना
   - कंपनीके खदानों के पास विभिन्न वर्ग-कक्षाओं का निर्माण

   स्वास्थ्य:

   - मुफ्त वैद्यकीय स्वास्थ्य शिबिर
   - आँख शल्वयकर्म
   - एम्बुलेंस

   ग्रामीण विकास तथा बुनियादी विकास:

   - रास्ते और भूमिगत नालों का निर्माण
   - गाँवों का विद्युतीकरण तथा रास्तों के लिए सौरदीप
   - पीने का पानी उपलब्ध कराना
   - किसान विकास योजना
   - नागपुर, भंडारा तथा बालाघाट जिलों के 21 गाँवों में सामाजिक विकास कार्यक्रम
   - समाज भवन का निर्माण

2. कार्यक्रम/प्रकल्प आंतरिक गट/स्वयं संगठन/बाह्य एन जी ओ/ शासकीय संस्था/ अन्य संस्था द्वारा हाथ में लिये गये?

   मॉयल सी एस आर गतविधियाँ; अपने आंतरिक दल, और उसके साथ ही बगैर राष्ट्रीय संस्था (एन जी ओ), राज्य/जिला प्राधिकरण तथा न्यासों के साथ गतविधियों के स्वरुपानुसार साझीदारी करके पूरा करती है। साझीदारी में कार्यान्वित की गई गतविधियों का सि एस आर विभाग तथा साझीदारी करनेवाली संस्था द्वारा दोनों के द्वारा नियंत्रण तथा मूल्ययांकण करती है।

3. आपने इस कार्रवाँईयों का प्रभाव मूल्यांकन किया है?

   हाँ, कंपनीने अन्य पक्ष द्वारा सी एस आर गतिविधियोंका प्रभाव मूल्यांकन किया है। इसके अलावा, मॉयलने सी एस आर कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण किये गये विद्यालयका भी प्रभाव मूल्यांकन किया है।

4. कंपनी का सामाजिक विकास प्रकल्प के लिए प्रत्यक्ष योगदान कितना है? भारतीय रुपयों में रकम तथा प्रकल्पों का ब्योरा मॉयलने वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकास प्रकल्पों के कार्यक्रम के लिए निम्न क्षेत्रों पर रु. 11.43 करोड रुपये खर्च किये है:

   (1) शिक्षा (2) पीनेका पानी (3) स्वास्थ्य तथा स्वच्छता (4) मुफ्त वैद्यकीय चिकित्सा (5) बुनियादी विकास (6) आर्थिक सहायता (7) ग्रामीण विकास (8) सफाई व्यवस्था (9) विविध

5. आपने समाज द्वारा यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक अपनाये जाने के लिए कौन से कदम उठाएँ। 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए

   हाँ, मॉयल के सी एस आर का दल सुधार की गुंजाईश या प्रभाव आजमाने के लिए उसके लाभार्थियों से प्रोजेक्ट फीडबँक लेती है। इसके सिवा अन्य पक्ष ने मॉयल के सी एम आर दलके साथ मुख्य सी एस आर गतीविधियों का सामुदायिक विकास पर कितना असर हुआ तथा समाज का इन गतिविधियों पर कै सी प्रतिक्रियाएँ है उसका प्रभाव मूल्यांकन करता है। इसके सिवा, 'किसान विकास कार्यक्रम' की तो सरका के उच्च स्तर पर सराहना हो चुकी है।

सिद्धांत 9: कारोबारने अपने ग्राहक और उपभोक्ताओं का जिम्मेदारी के साथ उनकी उपदेयता से जुडना चाहिए तथा उसे निर्धारित करना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत मे कितनी प्रतिशत ग्राहकों की शिकायते/ उपभोक्ताओं के मामले बकाया है?

   वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतमें कोई भी ग्राहक शिकायत बकाया नही है।

2. स्थानिक कानूनों से परे कंपनी उत्पादों की जानकारी उत्पादों के नामपर्ची पर प्रादर्शित करती है?

   हाँ/नही/लागू नही/टिप्पणी (अधिक जानकारी)

   लागू नही। हमारा उत्पाद एक भारी सामान है। उत्पाद की विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट **www.moil.nic.in** पर उपलब्ध है तथा ग्राहकों को दरसूची/अनुबंधन पत्र में सूचीत किया जाता है।

3. किसी पणधारक ने कंपनी के खिलाफ अयोग्य व्यापार प्रथा, गैरजिम्मेदार विज्ञापन और/या गैर प्रतियोगिता आचरण की शिकायत पिछले पाँच वर्षों में दर्ज की है, जो वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया है? अगर है, तो 50 शब्दों में उसका ब्योरा दे।

   नही

4. आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता अध्ययन/उपभोक्ता संतोष प्रवृत्ती का पालन किया है?

   हाँ, मॉयल प्रतिवर्ष ग्राहकों का मेला आयोजित करके तथा नियमित रुपसे ग्राहकों से मिलकर ग्राहक संतोष अध्ययन करती है। अद्यपि ऐसे अध्ययन विशेष रुप से आयोजित नही किये जाते, ग्राहक मेले उच्च दर्जेके ग्राहक संतोष को सूचित करते है। ये हमारे ग्राहकों के हमारे बिझनेस पार्टनर बने रहने का सातत्य भी चित्रित करते है।

कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट का अनुलग्नक

पी-1	एस एल क्र . 3 कंपनी के पात्र मॉयल में जुर्म प्रतिबंधक नीति, काारोबार आचार तथा नैतिक ता संहिता और व्हीसल ब्लोअर नीति है। जुर्म प्रतिबंधक नीति मुख्यतः जुर्म ढूँढना एवं उसे रोकने की प्रणाली, कोई भी जुर्म प्रकट या आशांकित तथा जुर्म के मामलों में उचित व्यवहार के संबंध में है। आगे, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के अंतर्गत निगमित शासन के आवश्यकताओं नुसार कंपनी ने व्यवसायिक तथा नैतिक मानक, जो कंपनीका विश्वास है कि उसके सारे कार्मिकों ने अपनाना चाहिए व्यापार आचरण तथा नैतिकता का ढाँचा बनाया है। आगे, सतर्कता तांत्रिकी का एक अनिवार्य घटक के रुप में मॉयल ने अपने निदेशक तथा कार्मिकों की अनैतिक आचार, कंपनी के आचारसंहिता का उलल्ंघन करना, प्रत्यक्ष वा आशंकित गुनाह आदि सब प्रकाट करने के लिए तथा उन्हें सूचित करने हेतू व्हीसल ब्लोअर नीति सूत्रीत की है। आगे कंपनीने 'संबंधित पक्ष व्यवहार वास्तविकता तथा संबंधित पक्ष व्यवहारों के बारे में लेन देन की वास्तविकता नीति' सूत्रित की है, जो किसी भी व्यवहारों में हिस्सा लेने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया एवं प्रकटीखन्ण व्यवहार से पहले ही निर्धारित करती है। एस एल क्र. 6 कंपनी के निदेशक मंडल ने मंजूर किये हुए वेबलिंक निम्नानुसार है।	
	नीतिका नाम धोकाधडी रोक नीति	**वेवलिंक** http://mail.nic.in/writereaddata/pdf/froud%20preventin%20police_Moil.FinalB.pdf
	व्हीसल ब्लोअर नीति (सीटी फूँका)	http://mail.nic.in/WRITEREADDATA/PDF/whistle.Blower_Police_of_MOIL.pdf
	व्यवसाय आचार तथा नैतिकता संहिता	http://mail.nic.in/writereaddata/oldsite/ coc.pdf
	संबंधित पक्ष व्यवहारकी वास्तविकाता तथा संबंधित पक्ष व्यवहारोंके बारेमें लोन देन की वास्तविकता नीति	http://mail.nic.in/WRITEREADDATA/PDD/Related_Party_Trousaction__Police.PDF
	घटना सबंधि वास्तविकता या स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी के प्रकाटीकरण के लिए मानक सुनिश्चित करनेके लिए नीति	http://mail.nic.in/writereaddata/pdf/Policy..on..Disclosure..iformation.pdf
	लाभांश वितरण नीति	http://mail.nic.in/writereaddata/pdf/Dividend..Policy..MOIL..PDF
पी 2	वृद्धि तथा संधारणीयता दोनों लक्ष्य हासिल कंपनी आर्थिक, पर्यावरणीय तथा समाजिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संधारणीय व्यापारी प्रथाओं को अपनाने के लिए काठोर परिश्रम कारती है। कंपनी उसकी उत्पाद तथा सेवाओंकी नियंत्रित कारनेवाले सभी विनियमयोंका अनुपालन करती है तथा सम्मिलित वृद्धि एवं पर्यावरण संधारणीयता को उन्नत करने के लिए अधिकारिक कार्रवाई करती है। एस एल क्र . 6 कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी तथा संधारणीयता नीति कंपनी के इस वेबसाईटपर उपलब्ध है: http://mail.nic.in/writereaddata/pdf/CSRandSustainability Policy of MOIL.pdf http://mail.nic.in/writereaddata/pdf/EnvironmentPolicy.pdf	
पी 3	एस एल क्र.3 पूरे राष्ट्र में प्रचलित सर्वसाधारण कानून तथा नैतिक प्रथाएँ एवं विनियमनों के अनुसार कंपनी ने काार्मिक धारिणि नीतियाँ, जिनके दायरे में कार्यक्षेत्रमें कार्मिक लाभ तथा लैंगिक उत्पीडन पर रोकथाम जो पर्यावरण की निगाको बढत देना तथा व्यावसायिक आकांक्षा की भावना निर्माण कारना आता है। एस एल नं. 6 यह नीतियाँ कंपनी के काार्मिक प्रत्यक्ष रुपसे तथा ऑनलाइन देख सकते है।	
पी 4	कंपनी अपने सभी पणधारकों के खासकर जो पीडित, गौन तथा दुर्बल है और जिनके लिए कंपनी के पास कोई नीति नही है, उनकी तरफ प्रतिसंवेदी होने के लिए प्रतिज्ञापन करती है। हालांकि, कंपनीने लक्ष को हासिल करने के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित की है। इसके सिवा कंपनी उसकी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संधारणीयता नीति, कुशलता विकास-रोजगार बढाने के लिए, वयस्कों तथा विकालांगोंकी देखभाल सहित स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, तथा गैर पारंपारिक उर्जा को बढत आदि क्षेत्रों के साथ वृद्धि के लिए कार्य करती है।	
पी 5	एस एल 3- निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचार तथा नैतिकाता (संहिता) कंपनीने जिस संहिता का स्वीकार किया है, वह इस सिद्धांत को संबोधित करता है। यह संहिता उचित रोजगार प्रथाएँ एवं विवधता, उचित प्रतियोगिता, तथा कार्यस्थलपर उपीडन एवं अभित्रस्ती की रोकथाम और सुरक्षा पर विशेष जोर देती है। एस एल क्र . 6- कारोबार आचार तथा नैतिकाता संहिता कंपनी के नीचे दिए हुए वेबसाइटपर उपलब्ध है। http://mail.nic.in/writereaddata/pdf/oldsite/coc.pdf http://mail.nic.in/writereaddata/pdf/Safetypolicy.pdf	

पी 6	इस सिद्धांत की रुपरेखा के पहलू कंपनी के कारोबार की विशेषता से संबंधित नही है। कंपनी उसकी इमारत तथा प्रक्रियों में पर्यावरण के नियमों के अनुरोधको मानती है। आगे, कंपनी पर्यावरण के बारे में अधिकारक कार्रवाई में हिस्सा लेती है। कंपनी को प्रकल्प ऋण के लिए कर्जदार चाहिए जो राष्ट्रीय पर्यावरण मानक/ आवश्यकाताओं के अनुरोध को माने।
पी 7	यद्यपि इस सिद्धांत के लिए कोई भी नीतिकी रुपरेखा नही है, कंपनी राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं के साथ कार्य करती है, जो रोजगार निर्मिती, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास प्रकल्प तथा अपारंपारिक उर्जा स्त्रोत को निर्माण करने हेतु कुशलता विकास क्षेत्र में अधिकारिक कार्रवाईयाँ करती है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संरचित विभिन्न समितियाँ/गटों में हिस्सा लेते है।
पी 8	मॉयल समिलित्त वृद्धि तथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति सुनिश्चित करके समान विकास को बढत देने के लिए प्रयास करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, मॉयल ने पशुधन संवर्धन, महिला सशक्तीकारण कार्यक्रम, स्वास्थ्य निगरानी संस्थाओं के लिए बुनियादी ढाँचा/सुविधाओं की बढत, विशिष्ट ग्रामीण भागों में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधाएँ, तथा किसान केंद्रित ग्रामीण जीवनस्तर उँचाने के लिए जलछाया विकास आदि गतविधियाँ कार्यान्वित की है। एस एल. नं. 6 निमगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संधारणीयता नीति कंपनी के वेबसाइटपर इस लिंक द्वारा उपलब्ध है। http://mail.nic.in/writereaddata/PDF/CSRandSustionabityPolicy ofMOIL.pdf
पी 9	एस एल 3 कंपनी के पास कारोबार आचार संहिता तथा नैतिकाता एवं फीडबॅक (पुनर्निवेशन)-ग्रीव्हन्स (शिकायत) रिड्रेसल (निवारक) फॉर्म (पत्र) है। एस एल 6 उपनिदिष्ट संहिता/पत्र कंपनी के वेबसाइटपर ऑनलाईन देखे जा सकते है। http://mail.nic.in/writereaddata/oldsite/coc.pdf http://mail.nic.in/investorsFeedback.aspx?pageMaster ID = 408 & Antispam1= YVA4OFNHKT सभी नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ अंकेक्षण के अधीन है तथा कंपनी द्वारा इनका समय समय पर पुर्नपरीक्षण किया जाता है।

स्वतंत्र लेखा-परीक्षण की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य मॉयल लिमिटेड,
नागपुर

स्वतंत्र (स्टँडअलोन) भारतीय लेखांकन मानदंड वित्तीय विवरणोंपर रिपोर्ट

हमने मॉयल लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न स्वतंत्र (स्टँडअलोन) भारतीय लेखांकन (आय एन डी ए एस) वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है जिसमें 31 मार्च 2017 का तुलनापत्र और उसी दिनांक को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए लाभ-हानी (अन्य विस्तृत लाभोंसहित) विवरण, एवं नकद प्रवाकविवरण तथा सामान्य शेयरों में परिवर्तन और महत्वपूर्ण लोखांकन नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मकजानकारी का सारांश शामिल है। (इसके उपरांत स्टँडअलोन भारतीय लेखांकन मानकवित्तीय विवरण कहा जाएगा)

स्वतंत्र (स्टँडअलोन) वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधनकी जिम्मेदारी इन स्वतंत्र (स्टँडअलोन) भारतीय लेखांकन मानकवित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 अधिनियम) की धारा 134(5) में उलल्लिखित मामलोंके लिए कंपनी का निदेशकमण्डल जिम्मेदार है जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिती, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकद-प्रवाककी सही और निष्पक्ष स्थिती प्रकट करता हो। इस जिम्मेदारी में यकभी शामिल है किसमूककी संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधडी और अन्य नियमितताओं की रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन और कार्यान्वयन करना; ऐसे निर्णय और आकलन करना जो उचित और दूरदर्शी हो; और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित पर्याप्त अंतर्गत वित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन और रख रखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुपसे प्रचलित होता हो, जो एकसही और निष्पक्ष जानकारी देता हो और भौतिकीय गडबडी से मुक्त हो, फिर चाहे वकधोखे से हो या त्रुटि से हो।

लेखा परीक्षककी जिम्मेदारीयाँः

हमारी जिम्मेदारी लेखा-परीक्षा पर आधारित इन स्वतंत्र (स्टँडअलोन) भारतीय लेखांकन मानकवित्तीय विवरणोंपर अपनी राय व्यक्त करने की है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा-परीक्षा मानकों तथा मामलों को ध्यान में रखा है, जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया है। अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार हमने अंकेक्षण किया है। उन मानकों से अपेक्षित है किहम नैतिकआवश्यकताओं का अनुपालन होने के लिए करे कि वित्तीय विवरण भौतिकीय गडबडी से मुक्त है।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों के बारेमें लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करनेके लिए प्रक्रियाओं को करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गडबडी के जोखीम का निर्धारण शामिल है, फि र चाहे वकधोखे से हो या त्रुटिसे हो। उन जोखिम का आकलन करने में परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करने के क्रम में अंके क्षकवित्तीय विवरणों पर कंपनी की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिकनियंत्रण पर विचार के साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्वयांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है किहमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये है, वकस्वतंत्र (स्टँडअलोन) भारतीय लेखांकन मानकवित्तीय विवरणोंपर हमारी लेखा परीक्षा राय हेतु एकआधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

रायः

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त स्टँडअलोन भारतीय लेखांकन मानकवित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यकजानकारी निर्धारित तरीके से प्रदान करता है तथा भारत में आम तौर पर मान्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरुप 31 मार्च, 2017 को कंपनी की व्यवहार स्थिती और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय कार्य निष्पादन, अन्य विस्तृत आय, नकद प्रवाकतथा सामान्य शेयरों में परिवर्तन की सही एवं निष्पक्ष स्थिती प्रकट करता है।

अन्य संवैधानिकऔर नियाममकआवश्यकताओंपर रिपोर्टः

1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में भारत के नियंत्रकएवं महालेखापरीक्षकद्वारा जारी निदेशों के अनुसार सूचित लेखा परीक्षा की पद्धती का अनुपालन करने के बाद, इस पर की गई कार्रवाई और कंपनीके लेखा तथा स्टँडअलोन भारतीय लेखांकन मानकवित्तीय विवरण पर इसके प्रभाव पर एकविवरण हमने **अनुलग्नक'अ'** में संलग्न किया है।

2) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंके क्षक) की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) की आवश्यकता के अनुसरणमें आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहाँ तकलागू हो, एकविवरण हमने **अनुलग्नक'बी'** में संलग्न किया है।

3) अधिनियम की धारा 14(3) की आवश्यकता के अनुरुप हम सूचित करते है कि

ए) हमने वकसभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यकथे।

बी) हमारी राय में हमारे द्वारा इन किताबों की जाँच करने पर यकप्रतीत होता है किकंपनी द्वारा विधि की आवश्यकता के अनुसार लेखा पुस्तके रखि गई है।

सी) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, नकद-प्रवाकविवरण तथा सामान्य शेयरों में परिवर्तन का विवरण लेखा-पुस्तकों के साथ गई है।

डी) हमारी राय में उपर्युक्त स्टँडअलोन भारतीय लेखांकन मानकवित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित उसके अंतर्गत विनियमन के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है।

ई) निदेशकों से दिनांक31 मार्च 2017 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधारपर और निदेशकमंडल द्वारा रिकार्ड में लिए अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशकके रुप में नियुक्त होने से दिनांक31 मार्च 2017 तकनिदेशकों से कोई भी अयोग्य नही ठहराया गया है।

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभाव के संबंधमें हमारी स्वतंत्र रिपोर्ट **'अनुलग्नकसी'** का संदर्भ तो; तथा

जी) हमारी रायमें और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और अंके क्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंके क्षककी रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में:

1) कंपनीने अपने स्टँडअलोन भारतीय लेखांकन मानकवित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थितीपर लंबित अभियोग के प्रभाव को प्रकट किया है, वित्तीय विवरणों के नोट 1.1(25) का संदर्भ ले।

2) व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घावधि अनुबंध नही है जिसके लिए भौतिकप्रत्याशित हानियों के लिए प्रावधान की आवश्यकता हो।

3) ऐसी कोई राशि नही है जिसे कंपनी द्वारा निवेशकशिक्षा और सुरक्षा निधिमें स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो।

4) कंपनीने उसके स्टँडअलोन भारतीय लेखांकन मानकवित्तीय विवरणों में कंपनी ने 8 नवंबर 2016 से 30, दिसंबर 2016 तकधारण किये हुए तथा व्यवहार किये हुए बँकनोटों का आवश्यकप्रकटीकरण प्रदान किया है, जो कंपनी के बँकअकाउंटसे मेल खाता है, स्टँडअलोन भारतीय लेखांकन मानकवित्तीय विवरणों के नोट 1.1(30)(ए) का संदर्भ ले।

मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

रिपोर्ट का दिनांकः 30 मई 2017
हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली

सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'अ'

मॉयल लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए (भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देशों के विवरण पर हमारी रिपोर्ट की विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में।

क्र .सं.	निर्देश	प्रतिउत्तर
1	क्या कंपनी के पास फ्री होल्ड और लीजहोल्ड के लिए क्रमशः क्लिअर टायटल/लीज डीड है? यदि नही तो कृपया फ्रि होल्ड और लीजहोल्ड क्षेत्र बतायें, जहाँ टायटल/लीज डीड उपलब्ध नही है।	हाँ, फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड के लिए कंपनी के पास क्लिअर टायटल/ लीज डीड है।
2	क्या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि को माफ करने/ बट्टे खाते में डालने के कोई मामले है? यदि हाँ, तो इसके कारण और सामविष्ट राशि बतायें।	जैसा कि हमें सूचित किया गया है और हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान भी हमें ऋण/कर्ज/ ब्याज इत्यादि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला देखने में नही आया है। हालां कि, ग्राहकों को व्यापार शर्तो के अनुसार क्रेडिट नोट जारी किये गये है।
3	तृतीय पक्षोंके पास पडी सामग्रियों तथा सरकार था अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपहार/अनुदानों के रुप में प्राप्त संपत्तियों के लिए क्या उचित रिकॉर्ड रखा गया है?	ए) हाँ बी) सरकार/अन्य प्राधिकारियोंसे उपहार/ अनुदानों के रुप में कोई संपत्ति प्राप्त नही हुई है।

मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

रिपोर्ट का दिनांकः 30 मई 2017
हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली

सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'बी'

मॉयल लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए (वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी आदेश कंपनी (अंकेक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 पर हमारी रिपोर्ट की विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अनुच्छेद 2 के संदर्भ में) हमारी द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखा-परीक्षाके सामान्य तरीके में हमारे द्वारा नही-खातों और अभिलेखोंकी जाँचके अनुसार और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हम यकरिपोर्ट करते है कि:

1. (ए) कंपनी ने अपने अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जिसमें स्थायी संपत्तियों की स्थिति एवं उसके मात्रात्मक विवरण सहित पूरा ब्योरा दर्शाया गया है।

   बी) जैसा कि हमें बताया गया है, वर्ष के अंतमें प्रबंधन ने स्थायी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया तथा ऐसे सत्यापन में कोई भौतिकीय गडबडी नही पायी गई। हमारी राय में कंपनीके आकार तथा संपत्तियोंका सत्यापन उचित रहा।

   सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर अचल संपत्तियों की टायटल डीड कंपनी के नाम में धारित है।

2. कंपनी के पास अपनी वस्तुसूचीके भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है। वर्ष के दौरान वस्तुसूची का सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिकीय विसंगतियाँ ध्यान में नही आयी.

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के ऐसी किसी भी कंपनी, फ र्म सीमित दायित्व भागीदारी अथवा, अन्य किसी पार्टीसे ऋण, सुरक्षित व असुरक्षित रुपमें न तो लिया है या दिया है, जिसका ब्योरा रखना कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियमन) की धारा 189 के अंतर्गत आता है।

4. हमारी रायमें और हमें दि गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनीने ऋणों और निवेशोंके संबंधमें अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनीने कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों और अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत किसी जमा को स्वीकार नही किया है।

6. केंद्र सरकारने कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत अभिलेखोंके रख-रखाव को निर्धारित किया है और प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत अभिलेख रखे गये है। हालांकि लागत अभिलेख सही या संपूर्ण है अथवा नही इसे निर्धरित करने के नजरिए से हमने इसका विस्तृत परीक्षण नही किया है।

7. (ए) हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणके अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा-पुरस्तकोंकी जाँच के आधारपर कंपनी आम तौर पर वर्ष के दौरान अविवादित वैधानिक देय जैसे भविष्य निधि, कामगार राज्य बीमा, आयकर, बिक्रिकर, सेवा कर, सीमा रक, राज्य कर, मूल्यसंवर्धन कर और अन्य वैधानिक देय को उचित प्राधिकारियों को चुकानेके मामले में नियमित देय को उचित प्राधिकारियोंको चुकानेके मामलेमें नियमित रही है।

   बी) व्यवहार कर, आय कर, प्रवेश कर, मूल्यसंवर्धन कर और बिक्री कर की बकाया राशि जिसे कंपनी द्वारा निर्धारण देय सेस सबंधित विभिन्न विवादोंके कारण जमा नही किया गया, वकनिम्मानुसार है:

अधिनियम का नाम	माँग की गई राशि (रु.लाख में)	विरोध के अंतर्गत भुगतान राशि (रु. लाख में)	राशि जिस अवधि में संबंधित है	मंच जहाँ विवाद लंबित है
व्यवसाय कर 1975	2.27 7.70	1.13 1.93	2006-07 2007-08	बिक्री कर अपीलीय (महाराष्ट्र)
आयकर अधिनियम, 1961	253.00 127.26 451.79 60.01 45.01	253.00 127.26 451.79 60.01 45.01	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	आयकर अपीलिय अधिकरण
	205.10 116.99 310.23 45.61 82.62	205.10 116.99 310.23 45.61 82.62	2009-10 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	आयकर आयुक्त (अपील)

म.प्र. प्रवेश कर अधिनियम, 1975	13.68 6.28	6.70 6.28	2008-09 2012-13	म.प्र. वाणिज्यक कर अपीलिय मंडल, भोपाल
	2.86	0.72	2013-14	म.प्र. वाणिज्यक कर अपीलिय मंडल, जबलपूर
महा. मूल्य संवर्धन कर (म.रा.वॅट अधिनियम 2002)	13.68 0.40 2.01	0.00 0.00 0.00	2009-10 2010-11 2011-12	बिक्री कर अपीलीय (महाराष्ट्र राज्य)
म.प्र. मूल्य संवर्धन कर (म.प्र.वॅट अधिनियम 2002)	2.28 3.68 9.15	0.65 1.47 6.66	2010-11 2011-12 1012-13	म.प्र.वाणिज्यक कर अपीलिय मंडल भोपाल
म.रा. केंद्रीय बिक्री कर म.वा.सी एस टी अधिनियम, 1956	3.24 0.71	1.08 0.47	2010-11 2011-12	बिक्री कर अपीलिय महाराष्ट्र राज्य
म.प्र. केंद्रीय बिक्री कर म.वा.सी एस टी अधिनियम, 1956	6.10	1.53	2013-14	वाणिज्यक कर अधिकारी चिंदवडा
म.प्र.प्रवेश कर अधिनियम, 1975	21.75	2.18	2014-15	वाणिज्यक कर अधिकारी चिंदवडा
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (सेंट्रल एक्साइज अधिनियम, 1944)	14435.84	0.00	2011-15	उत्पाद शुल्क आयुक्त जबलपूर

8. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बँक, सरकारी या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नही लिया है। तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद 3(8) लागू नही होते।

9. वर्ष के दौरान कंपनीने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या अगले पब्लिक ऑफर (ऋण साधनों सहित) और आवधिक ऋणों के माध्यम से कोई पैसा इकट्ठा नही किया है। तद्रंतर आदेश के अनुच्छेद 3(9) लागू नही होते है।

10. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को अधिनियम के शेड्यूल 5 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान से छूट प्राप्त है।

11. हमारी रायमें और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी कोई निधि कंपनी नही है। तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(7) लागू नही होते।

12. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जाँच के आधार पर कंपनी के संबंधित पक्षों के साथ सव्यवहार जहाँ लागू हो वहाँ अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालनमें है तथा प्रयोज्य लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं के अनुरुप वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए है।

13. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जाँच के आधारपर कंपनीने शेयरों या पूर्णताः या अंशतः परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी नियोजन नही किया है।

14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरन के अनुसार और कंपनीके अभिलेखोंपर हमारी जाँच के आधार पर कंपनीने उनसे जुडे किसी निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी संव्यवहार नही किया है। तद्रंतर आदेशके अनुच्छेद 3(11) लागू नही होते है।

15. कंपनी को भारतीय रिजर्व बँक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आय एक के अंतर्गत पंजीकृत किए जानेकी आवश्यकता नही है।

मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

रिपोर्ट का दिनांकः 30 मई 2017
हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली

सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665

स्वतंत्र लेखा-परीक्षककी रिपोर्ट का अनुलग्नक'सी'

मॉयल लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए

(अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3)(1) के अनुसार और हमारी रिपोर्ट की विधिकऔर नियामकआवश्यकताओं के रिपोर्ट के अनुच्छेद 3(एफ) के संदर्भानुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियमन) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (प) के अंतर्गत आंतरिकवित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मॉयल लिमिटेड ('कंपनी') की 31 मार्च 2017 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणोंका अंकेक्षण उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र (स्टॉण्डअलोन भारतीय लेखांकन मानक) वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के साथ किया है।

वित्तीय आंतरिकनियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनी का प्रबंधन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आय सी ए आय) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शी नोंट में उलल्ेखित आंतरिकनियंत्रण के आवश्यकघटकों का विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिकनियंत्रण के आधार पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी अधीनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी पता लगाना और रोकधाम करना, लेखा अभिलेखों की सत्यता और संपूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथासमय तैयार करने सहित इसके कार्यकलापों का यथासमय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन और प्रबंधन शामिल है, जो प्रभावी रुप से संचालित हो।

लेखा परीक्षककी जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतरिकवित्तीय नियंत्रणोंपर अपनी राय व्यक्त करने की है। इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गये लेखा-परीक्षाके मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण किया है, आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू है, और दोनों इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गये है। उन मानकों से अपेक्षित है किहम नैतिकआवश्यकताओं का अनुपालन करे और योजना बनाएँ और लेखा-परीक्षा यकआश्वस्त होने के लिए करे किवित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया और प्रबंधन किया गया और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिकीय मायनों में प्रभावी रुप से संचालित है। हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रण प्रणालीकी पर्याप्तता और इसके प्रभावी संचालनके बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करनेके लिए प्रक्रीयों का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों पर सहमति प्राप्त करना, भौतिकीय कमजोरी होने के जोखिम का निर्धारण करना, निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिकनियंत्रण की रचना और प्रभावी संचालन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षकों के निर्णयपर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गडबडी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, फिर चाहे वकधोखे से हो या त्रुटिसे हो।

हमारा विश्वास है किहमाने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है वकवित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिकवित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय हेतु एकआधार प्रदान करनेके लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणोंकी व्याख्याः

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिकवित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंधमें उचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए बनायी गई एकप्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टींगपर कंपनी के आंतरिकवित्तीय नियंत्रणमें वकनीतीयाँ और प्रक्रीयाएँ शामिल है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में, जो कंपनी की संपत्तियों के संव्यवहारों और प्रबंधनों का उपयुक्त विवरण सही और निष्पक्ष रुपसे प्रादर्शित करते हो, (2) उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध करने के संबंध में किआम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुसरण में वित्तीय विवरण बनानेकी अनुमति के लिए अपेक्षित संव्यवहारों को अभिलेखित किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसरण में ही किया जा रहा है, तथा (3) कंपनी की संपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रबंधन का यथासमय पता लगाने या रोकथाम के संबंध में उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए जो वित्तीय विवरणों पर भौतिकीय प्रभाव डाल सकते है।

वित्तीय रिपोर्टिंगपर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणोंकी अंतर्निहित सीमाः

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणोंकी अंतर्निहित सीमा के कारण साँठ-गाठ या अनुचित प्रबंधन से नियंत्रणों का उलल्ंघन, गलती या धोखाधडी से भौतिकीय गलतबयानी हो सकती है, और पता नही चली हो। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन इस जोखिम के अधीन है किवित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रण शर्तोंमें बदलाव का कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर भ्रष्ट हो सकता है।

रायः

हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2017 को सभी भौतिकीय मायनों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिकवित्तीय नियंत्रण रखा है और इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रण इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकवित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में उलल्ेखित आंतरिकनियंत्रण के आवश्यकघटकों का विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिकनियंत्रण के माणदण्डों के आधार पर प्रभावी रुप से संचालित हो रहा था।

मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

रिपोर्ट का दिनांकः 30 मई 2017
हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली

सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665

तुलना पत्र

रुपये लाखमें

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
1. परिसंपत्ति				
गैर-चालु परिसंपत्ति				
ए) जायदाद, संयंत्र तथा साधन सामग्री	2.1	30532.28	30345.66	28527.69
बी) पूंजी चालु-कार्य	2.1	11616.14	6762.97	5255.04
सी) निवेश संपत्ति				
डी) गुडविल				
ई) अन्य अवास्तविकसंपत्ति	2.1	2087.28	743.76	863.38
एफ) विकासशील अवास्तविकसंपत्ती		0.00	1276.73	35.15
जी) जैविकसंपत्ति(धारकसंयंत्र छोडकर)				
एच) वित्तीय संपत्ती				
1) निवेश	3.1	21.29	21.29	21.29
2) व्यापार प्राप्तियाँ				
3) ऋण				
4) अन्य	4.1	123.03	121.23	93.61
आय) अस्थगित कर संपत्ती (शुद्ध)	1.1(8) (डी)	0.00	0.00	0.00
जे) अन्य गैर-चालु संपत्ति	4.2	4554.60	6546.04	8284.84
2. चालु परिसंपत्ति				
ए) वस्तुसूची	5.1	12217.44	16298.91	14422.45
बी) वित्तीय परिसंपत्ति				
1) निवेश				
2) व्यापार प्राप्तियाँ	5.2	24125.09	14204.64	10724.02
3) नकद और नकदी समकक्ष	5.3	209112	285009.92	282989.09
4) उलल्खित (3) छोडकर बँकजमा				
5) ऋण	6.1	1718.72	1650.75	2174.33
6) अन्य				
सी) चालुकर परिसंपत्ति (शुद्ध)				
डी) अन्य चालु परिसंपत्ति	6.2	11227.60	9818.20	11404.41
कुल परिसंपत्ति		**307336.23**	**372800.10**	**364795.30**
ईक्विटी और देयताएँ				
ईक्विटी				
ए) ईक्विटी शेयर पूँजी	7.1	13318.78	16800.00	16800.00
बी) अन्य इक्विटी	7.2	267216.28	328537.00	321370.17
देयताएँ				
1) गैर चालु देयताएँ				
ए) वित्तीय देयताएँ				
1. उधार राशियाँ				
2. व्यापार देय		0.00	0.00	0.00
3. अन्य वित्तीय देयताएँ (उलल्खित छोडकअन्य)				
बी) प्रावधान	8.1	934.57	861.81	786.05
सी) अस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	(8)(डी)	603.07	1047.32	1100.64
डी) अन्य गैर-चालु देयताएँ	8.2	378.54	96.91	240.48
2) चालु देयताएँ				
ए) वित्तीय देयताएँ				
1. उधार राशियाँ				
2. व्यापार देय	9.1	4170.17	2533.32	2341.97
3. अन्य वित्तीय देयताएँ (उलल्खित छोडकअन्य)				
बी) अन्य चालु देयताएँ	10.1	16625.20	15459.77	13403.27
सी) प्रावधान	10.2	4089.62	7463.97	8752.72
डी) चालु कर देयताएँ (शुद्ध)				
कुल ईक्विटी और देयताएँ		**307336.23**	**372800.10**	**364795.30**

कृपया वित्तीय विवरणों के संलग्न टिप्पणियाँ देखे
हमारे सम दिनांकका रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई 2017

निदेशकमंडलकी ओर से तथा उनके लिए

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

नितिन पी. काजरेकर नीरज पाण्डेय
मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

लाभ-हानी लेखा विवरण

रुपये लाखमें

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 के समाप्त वर्ष के लिए
1.	प्रचालन से राजस्व	11.1	98984.49	63460.00
2.	अन्य आय	11.2	22112.74	25215.59
3.	**कुल राजस्व (1 + 2)**		**121097.23**	**88675.59**
4.	**व्ययः**			
	ए) सामग्री उपभोग की लागत	12.1	2800.23	1733.97
	बी) व्यापारगत माल की खरीदी		0.00	0.00
	सी) तैयार माल, चालु कार्य और व्यापारगत माल की वस्तू सुची में परिवर्तन	13.1	4841.62	-1389.59
	डी)कर्मचारी लाभ खर्च	14.1	30766.21	30123.07
	ई) वित्तीय खर्च		0.00	0.00
	एफ) मूल्यऱ्हास और परिशोधन व्यय	2.1	5471.17	5246.68
	जी) अन्य खर्च	14.2	32517.00	26788.20
			76396.23	62502.33
	घटाए: आंतर ईकाई हस्तांतरण		1488.96	852.33
	कुल खर्च (4)		**74907.27**	**61650.00**
5.	**असाधारण और असमान्य वस्तुएँ और कर पूर्व लाभ (3-5)**		46189.96	27025.59
6.	असाधारण वस्तुएँ		0.00	0.00
7.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (5-6)**		46189.96	27025.59
8.	**कर व्यय**			
	ए) चालु कर		16051.01	9780.67
	बी) अस्थगित कर		-444.24	-53.33
			15606.77	9727.34
9.	**निरंतर प्रचालनसे लाभ/(हान) (7-8)**		30583.19	17298.25
10.	**अन्य विस्तृत आय**			
ए	1) लाभ/हानिमें पुनःवर्गीकृतन होनेवाली वस्तूएँ		-655.61	0.00
	2) (1) से संबंधित वस्तुओंपर आयकर			
बी	1. लाभ/हानिमें वर्गीकृत होनेवाली वस्तुएँ			
	2. (1) से संबंधित वस्तुओंपर आयकर			
11.	**अवधिके लिए कुल विस्तृत आय (9-10)**		29927.58	17298.25
12.	**निरंतर प्रचालन से प्रति ईक्विटी शेयर (10 रु. मूल्य) आय**			
	(1) मूल (रु)		20.21	10.30
	(2) डायल्वयूटेड (रु)		20.21	10.30

*मुक्त पूँजी औसत पर कतान की हुई (7-10-2016 से शेयरों के बाय बँककी वजकसे

कृपया वित्तीय विवरणों के संलग्न टिप्पणियाँ देखे
हमारे सम दिनांकका रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई 2017

निदेशकमंडलकी ओर से तथा उनके लिए

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

नितिन पी. काजरेकर नीरज पाण्डेय
मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटीमें परिवर्तनका विवरन

ए ईक्विटी शेयर पूँजी

लाख रु. मे

	रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष रकम	वर्षके दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी के परिवर्तन *	रिपोर्टिंग अवधि के अंतमें शेष रकम
	16800.00	-3481.22	13318.78
	* वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयरों के बायबँक की वजह		

बी अन्य ईक्विटी

			सुरक्षित तथा अतिरिक्त											
	शेयर आवेदन रकम बकाया आबंटन	संयुक्त वित्तीय सामग्री का ईक्विटी घटक	पूंजी बचाव अतिरिक्त	सेक्युरिटी आदि शुल्कअतिरिक्ति	अन्य अतिरिक्त सामान्य अतिरिक्त	बची हुई आय	अन्य विस्तृत आय द्वारा ऋण साधन	अन्य विस्तृत आव से ईक्विटी साधन	निधी प्रवाकमें हिचकिचाहट का प्रभावी हिस्सा	पुनमुल्वयांकन अतिरिक्त	विदेशी प्रचालन के लिए विनिमय में अंतर	अन्य विस्तृत आय (निर्दिष्ट करे)	शेयर वॉरन्ट जमा रकम	कुल
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से शेष	-	-	-	-	327878.79	658.21	-	-	-	-	-	-	-	328537.00
लेखापालन नीति में परिवर्तन तथा पिछले अवधि की त्रुटियाँ-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुर्नुप्रारंभ शेष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	-	-	-	-	-	29927.58	-	-	-	-	-	-	-	29927.58
सामान्य अतिरिक्ति लाभांश तथा लाभांश कर	-	-	-	-	-	-20515.09	-	-	-	-	-	-	-	-20515.09
बची आय से स्थानांतरीत	-	-	-	-	12500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12500.00
अन्य कोई विनिर्दिष्ट परिवर्तन (बायबँक)	-	-	3481.22	-	-86714.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-83233.21
रिपोर्टिंग अवधि के अंतमे शेष रकम	0.00	0.00	3481.22	0.00	253664.36	10070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267216.28

कृपया वित्तीय विवरणों के संलग्न टिप्पणियाँ देखे
हमारे सम दिनांकका रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई 2017

निदेशकमंडलकी ओर से तथा उनके लिए

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

नितिन पी. काजरेकर नीरज पाण्डेय
मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

नकद प्रवाह विवरण

रुपये लाखमें

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
ए	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाककर और लाभांश से पूर्व शुद्ध लाभ		46189.96		27025.59
	ए) सावधि जमा पर ब्याज	-17293.73		-24324.96	
	बी) मूल्यऱ्हास	5471.17		5246.68	
	सी) स्थायी संपत्तियों से कटौती	47.48		88.99	
			-11775.08		-18989.29
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ समायोजनः		34414.88		8036.30
	ए) वस्तुसूची	4081.47		-1876.46	
	बी) विविध देनदार	-9920.45		-3480.62	
	सी)अन्य चालु/गैरचालु संपत्तियाँ (अप्लवधि और दीर्घावधी)	-1409.40		1582.00	
	डी) ऋण और अग्रिम (अप्लवधि और दीर्घावधी)	1921.67		2239.00	
	ई) अन्य विस्तृत आय	-655.61		0.00	
	एफ) शेयरोंके बायबँकके लिए खर्च	-380.18		0.00	
	जी) देयताएँ और प्रावधान (अप्लवधि और दीर्घावधी)	-217.70		891.28	
			-6580.20		-644.80
	प्रचालनोंसे उत्पन्न नकद		27834.68		7391.50
	वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान		-16051.01		-9780.67
	प्रचालन गतिविधियोंसे शुद्ध नकद		11783.67		-2389.17
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
	ए)सावधि पर जमा ब्याज	17293.73		24324.96	
	बी)अचल संपत्ति की खरीदी	-10625.23		-9783.53	
	सी) शेयरों का बायबँक	-86334.25		0.00	
	निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकद		-79665.75		14541.43
सी	वित्तीय गतविधियों में इस्तेमाल नकद प्रवाह				
	(ए) लाभांश (लाभांभ वितरण कर सहित)		-8015.09		-10131.42
डी	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढत/(-) घटत		-75897.17		2020.84
ई	प्ररंभिकनकद और नकद समतुल्य		285009.92		282989.08
	अंतिम नकद और नकद समतुल्य		209112.75		285009.92
	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढत/(-) घटत		-75897.17		2020.84
टिप्पणीः नकद और नकद समतुल्यमें वकराशि समाविष्ट है जो कंपनी उपयोगमें नही ला सकती।					
	1) विशेष लाभांश खाता, बकाया एनकॅशमेंट वॉरंट्स		155.67		120.73
	2) सावधि में (बँकगॅरंटीके तौर पे अर्जित लाब की मात्रा)		384.23		380.31

कृपया वित्तीय विवरणों के संलग्न टिप्पणियाँ देखे
हमारे सम दिनांकका रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई 2017

निदेशकमंडलकी ओर से तथा उनके लिए

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

नितिन पी. काजरेकर नीरज पाण्डेय
मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

टिप्पणी संख्या 1.1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ:

1. वित्तीय विवरणोंकी विचारधारा:

ए) कुछ विशिष्ट वित्त साधन जो उचित मूल्यसे मूल्यांकित किये गये है, वित्तीय विवरण; भारतीय लेखांकन मानदंड (आय एन डी ए एच) के अनुसार तथा पारंपारित मूल्यांकन परंपराओं का अनुपालन करके कंपनी अधिनियम, 2013 (मअधिनियमफ) तथा सेबीके दिशानिर्देशों का अनुपालन करके बनाये गये है। भारतीय लेखांकन मानकअधिनियमका भाग 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानदंड) सुधारित विनियमन, 2016 से निर्धारित किया गया है।

बी) कंपनी ने सभी भारतीय लेखांकन मानकों का अनुरोध किया है तथा भारतीय लेखांकन मानक101 (पहली बार भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन) के अनुसार इसे कार्यान्वित किया है। यकपरिवर्तन भारतीय लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार जो कंपनी (लेखांकन) विनियमन 2014 (आय जी ए ए पी), पूर्व जी ए ए पी विनियमन 7 साथ पठित अधिनियमनका भाग 133/ परिवर्तन के समन्वय तथा अन्य प्रभावों का सार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिया है। तद्नुसार भारतीय लेखांकन मानकों के प्रथम स्वीकार का दिनांक1 अप्रैल 2015 है तथा गतवर्ष भारतीय लेखांकन मानदंड पुनः सूचित किया है।

सी) नये लेखांकन मानदंड जिनके लिये प्रचलित लेखांकन नितीयों में परिवर्तन करना पडे, छोडकर; लेखांकन नीतियों का निरंतर अनुपालन किया है।

2. परिसंपत्तिका लेखांकन

ए) संपत्ति, संयंत्र तथा सामग्री का मूल्यांकन

संपत्ती, संयंत्र तथा सामग्री मूल लागत पर कम संचित मूल्यऱ्हास पर रखी जाती है।

बी) अवास्तविकसंपत्ति का मूल्यांकन

अवास्तविकसंपत्ति मूल लागतपर कम संचित मूल्यऱ्हासपर सूचित की जाती है।

सी) मूल्यऱ्हास और परिशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-11 में निर्धारित किए अनुसार, समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार (1) विंड टरबाईन जनरेटर के मामलों में स्ट्रेट पर रिटर्न डाऊन वैल्यु प्रणाली के आधारपर, विभिन्न परिसंपत्तियों के उपयोग की अवधि पर आधारित, मूल्यऱ्हास की गणना की जाती है। जब कोई परिसंपत्ति पहलीबार उस माकके दौरान किसी दिन उपयोग में लायी जाती है, तो पूरे महिने के लिए मूल्यऱ्हास की गणना की जाती है।

पट्टाधारी भूमिकी लागत, बन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्यों को शामिल करते हुए पट्टे की कालावधि पर परिशोधित की जाती है।

अवास्तविकसंपत्ति में निम्न शामिल है

ए) पट्टाधारी लागत जिसकी अवधि 20 साल हो।

बी) एस ए पी लायसेन्स, जो 5 साल तकउपयुक्त हो, प्राप्त करने का मुल्य

सी) एम एस ऑफीस सॉफ्टवेअर, जो 3 साल तकचले, उसका मूल्य जिनको परिशोधित किया जाता है।

डी) परिसंपत्ति पर हान बट्टा खाता

गिराई गई/ हटायी गई सभी परिसंपत्तियों का स्क्रेप मूल्य शून्य मानकर बट्टे खाते में डाला जाता है। यदि जब ऐसी स्क्रैप परिसंपत्तियों का आंशिकया पूरी तौरपर निपटान किया जता है तब इस प्रकार के वसूल हुई राशि उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखामें जमा की जाती है।

ई) निर्माणकार्य अवधि के दौरान खर्च

विशिष्ट प्रकल्पों को पूर्ण तथा प्रतिस्थापित किए जाने की तारीख तकनिर्माण अवधि के दौरान उस प्रकल्प पर किये जानेवाले सभी खर्च जो प्रत्यक्ष पहचाने गए है, संबंधित प्रकल्प के नाम से डाले जाते है।

एफ) नये तथा मौजूदा खदानों में भूमिगत विकास के लिए, स्थायी बुनियादि सुविधा स्वरुप किया गया खर्च (तंत्रज्ञान मूल्यांकनपर आधारित), जो दस वर्षों में पूंजीकृत हो सकता है, उसे दस वर्षों के लिये पुर्नशोधित किया जाता है।

जी) निर्माण कार्य अवधिके दौरान ब्याज

निर्माण काल में आरंभ होनेसे समाप्त होने तकविशिष्ट परिसंपत्ति से संबंधित ऋण (ऋण पर अन्य संबंधित वित्तीय लागत का समावेश करते हुए) ब्याज पूंजीकृत किया जाता है।

एच) संपत्ति की हानि

कंपनी हर तुलना पत्र तारीकको निर्धारित करती है किक्या ऐसे कोई संकेत है किसंपत्ति में हानि हो सकती है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है तो कंपनी संपत्तियों की वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। यदि ऐसी वसूली योग्य राशि उसकी वास्तविकराशि से कम होती है तो वास्तविकराशि को उसकी वसूली योग्य राशि तककम किया जाता है। इस कमी को हानि के रुप में माना जाता है और लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है किपहले निर्धारित की गई हानि अब नही है तो वसूली योग्य राशि को पुर्ननिर्धारित किया जाता है और संपत्ति को वसूली योग्य राशिमें परिलक्षित किया जाता है।

आय) कंपनीकी 761.60 चौ. मीटर्स जमीन नागपुर सुधार न्यास ने उसके एकीकृत रास्ता विकास योजनाके लिए अर्जित की है। कंपनीने हर्जाने के लिए नागपुर हायकोर्टमें रिटपिटीशन फ ाईल किया है, जिसके बारे में अभी तकनिर्णय नही लिया गया है। खर्तोमें कोई समायोजन नही किया गया है।

जे) विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी संपत्ति की हान नही हुई है।

3. निवेश

शेयरों में दीर्घकालिन निवेश को लागत में डाला जाता है। यदि अस्थायी प्रकृति के न हो तो मूल्य में घटत का प्रावधान किया जाता है। कोई निवेश लिस्टेड नही है इसलिए मूल्य में कोई घटत नकिसिवाय संयुक्त उद्यम में निवेश को छोडकर, जिसके लिए हानि के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

4. वस्तुसूची का मूल्यांकन

वस्तुसूची का निम्न आधारपर मूल्यांकन किया जाता है।

ए) तैयार माल

1) सभी ग्रेड के मँगनीज अयस्क(फाइन्स, हच डस्ट एवं एच आई एम एस रिजेक्ट छोडकर): खदानों पर लागत के आधार पर जिसमें खदान परिसंपत्तिपर मूल्यऱ्हास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें जो कम है, शामिल है।

2) मँगनीज अयस्कफाइन्स, हट डस्ट एवं एच आई एम एस रिजेक्टस्: जिगिंग/प्रोसेसिंग, परिवहन इत्यादि पर प्रतिटन खर्च के आधासर पर तकनीकी अनुमान या शुद्ध बिक्री योग्य मूल्यपर, इसमें जो भि कम है, आबंटन किया जाता है।

3) बंदरगाहों पर मँगनीज अयस्क:बंदरगाहों पर उतराई पश्चात प्राप्त लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इसमें से जो भी कम है। उतराई लागत में परिवहन किराया, उतराई खर्च, नमूना परीक्षण का खर्च आदि का समावेश होता है।

भौतिकभंडार एवं पुस्तकीय भंडार के अंतर का समायोजन तब तकनही किया जाता, जब तकखदानों में स्थित भंडार का कुल पुस्तकीय भंडार से तुलना करनेपर अधिकपाया नही जाता। जब भी वास्तविकतौर पर अयस्कभेजा जाता है और रेलवे/जहाजों में माल भरने के बाद प्रत्येकपारेषण के अनुसार आनेवाली अधिकता या कमी निर्धारित की जाती है तब उसका उस वर्ष के कंपनी की पुस्तकों में लेखाकृत किया जाता है।

4) इलेक्ट्रोलिटिकमँगनीज डाय ऑक्साइड (ईएमडी) उत्पादन के विविध चरणों में 31 मार्च के अनुसार प्रक्रियागत भंडार के साथ जिसकी निश्चिती इएमडी की पूर्ण निर्मित युनिटों के प्रतिशत से संबंधित तकनीकी प्रक्कलनों द्वारा की जाती है): संयंत्र का मूल्यऱ्हास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो का समावेश करते हुए चालु वर्ष की उत्पादन लागत।

5) ए) तकनीकी मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित के करुप मे ंशामिल करते हुए फे रो मँगनीज/सिलिको मँगनीज का 31 मार्च को निर्धारण तकनीकी मूल्यांकन द्वारा किया जाता है: चालु वर्ष की उत्पादन लागत जिस में संयंत्र का मूल्यऱ्हास (स्लैग का वसूली योग्य मूल्य कम करके) अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें से जो भी कम हो।

बी) प्रक्रियागत भंडार: प्रक्रिया से गुजरनेवाले फेरो मँगनीज/सिलिको मँगनीज की मात्रा को तोला नही जा सकता, दाखा नही जा सकती या निर्धारित नही किया जा सकता और इसलिए उसका कोई भी मूल्य नियत नही किया जाता हपु।

सी) स्लैग का भंडार: स्लैग यकफे रो मँगनीज की मँगनीज की उत्पादन प्रक्रियामें निर्मित अशुद्ध द्रव्यों का एकपिघला हुआ षपिंड होता है उसे स्क्रैप माना जाता है तथा वसूली योग्य कीमत पर मूल्य आंका जाता है।

बी) भंडार सामग्री वस्तुसूची (सामग्री,कलपूर्जे, टिम्बर, विस्फोटक, ईधन एवं लुब्रीकंट्स और कच्चा माल): भारतीय लेखांकन मानकर के अनुसार निम्न तथा शुद्ध प्राप्त मूल्य भारित औसत पद्धतिपर लागत निर्धारित की जाती है।

1. सभी भंडार सामग्री, स्पेअर्स, आदिका प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येकवर्ष के अंतमें किया जाता है। प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकीय भंडार के अंतर की जाँच की जाती है तथा लेखा पुस्तकोंमें आवश्यकसमायोजन किया जाता है।

2. फेरो मँगनीज संयंत्र के मामले में, संयंत्रमें उपलब्ध मँगनीज अयस्कछोडकर कच्चे मालके भंडार का मूल्य भारित औसत पद्धति के लागत पर किया जता है। संयंत्रोंमें विद्यमान मँगनीज अयस्क के भंडारका मूल्य भारतीय लेखांकन मानक2 के अनुसार चालु वर्ष की उत्पादन कीमत तथा शुद्ध वसूली योग्य एवं परिवहन खर्च तथा अन्य खर्च, यदि कोई हो, तो उसे मिलाकर मूल्यांकित किया जाता है। प्लांट में उपलब्ध अयस्कका खुला एवं बंद भंडार को 'स्टॉकऑफ रॉ मटेरियल' के शीर्षकमें वर्गीकृत किया जाता है।

सी) वर्ष के अंत में वस्तुसूची की भौतिकजाँच की जाती है।

डी) मँगनीज अयस्कतथा कच्चे सामग्री की मात्रा एवं फे रो मँगनीजका उत्पादन तथा वस्तुसूची उत्पादन/तांत्रिकविभाग द्वारा भार आयतन अनुपात से निर्धारित की जाती है और उसे ही लेखांकन मे लिया जाता है।

ई) कच्चे सामग्री को वस्तुसूचीमें मँगनीज अयस्कर्की 225.86 (18.53) मेगाटन का भंडार जरो फे रो मँगनीज संयंत्र स्थलपऋ 31.03.2017 को पडा है तथा जिसका मूल रु.12.80 (रु.0.96) लाख है, शामिल है।

एफ) अव्यवहृत सामग्री/स्पेअर्स के निपटान की अपेक्षित हानि के लिए लेखांकन में शून्य (रु.1.43) लाख का प्रावधान किया है, जो पर्याप्त है।

5. प्रचालन सा राजस्व-बिक्री

रेल्वे रसीद/लॉरी रसीद/डिलीवरी चलान के आधारपर माल की रवानगी के पश्चात बिक्री इनवॉइज तथा राजस्व को लेखा पुस्तकों में मान्य किया जाता है तथा लेखा पुस्तकों में राजस्व स्वीकार किया जाता है।

ए) मँगनीज अयस्क की बिक्री

1) लॅबोरेटरी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणवत्ता में अंतर के लिए पूरकबिलों को प्रस्तुत किया जता है। आगामी वर्ष में नियत तारीख तकप्राप्त विश्लेषण रिपोटों का प्रोषण के वर्ष में विचार किया जाता है। तद्नुसार पूरकबिल प्रस्तुत किये जाते है और उसी वर्ष हिसाब में रखे जाते है। नियत तारीख के बाद प्राप्त विश्लेषण रिपोटों के संबंध में इसे आगामी वर्ष में शामिल किया जाता है।

2) बिक्री में रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड और नॅशनल मिनलर एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट अंशदान शामिल रहता है।

बी) ई एम डी/फे रो मँगनीज/सिलिको मँगनीज/स्लॅगकी बिक्री

ई एम डी, फेरो मँगनीज तथा स्लॅग की बिक्री में इसपर लागू उत्पाद शुल्कएवं शिक्षा उपकर का समावेश है।

सी) मध्य प्रदेश विद्युत विवरण कंपनी लिमिटेड को विद्युत की बिक्री विद्युत बिक्री समझौते में मंजूर किए गए शुल्कदर के आधार पर ग्रिड में डाली गई उर्जा के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता है।

6. अन्य आय:

ए) विविध देनदारोंसे ब्याज के रुपमें आय निम्नानुसार माने जाते है:

1) जहाँ देनदारों से वसूली की बँकद्वारा क्रेडिट पत्र से पुष्टि की जाती है और जहाँ उसकी वसूली सुनिश्चित होती है वहाँ उपार्जन आधार पर स्वीकृति की जाती है।

चालु वित्तीय वर्ष के बाहर ऋण टर्म के लिए ग्राहकको ब्याज जिस वर्ष से संबंधित हो उस वर्ष के लिए मान्य किया जाता है।

2) जहां देनदारों से वसूली बँक के मार्फत क्रेडिट पत्र द्वारा, पुष्टि नही की गई हो, जहाँ वसूली मूल्य अनिश्चित हो, वहाँ प्रबंधन के अनुभव के आधारपर जब कभी वास्तविकवसूली मूल्य प्राप्त होता है उसे आयके तौर पर माना जाता है।

बी) जमा राशियाँ एवं पेशगियों पर प्राप्त ब्याज आय, उपार्जन आधार पर मान्य की जाती है।

1) बदले गए घिसे हुए पार्ट/स्क्रैप पूंजीगत सामग्री के संबंध में ज्ञापन पूंजीगत सामग्री के संबंधमें ज्ञापन अभिलेख रखे जाते है। जब उसका निपटाना किया जाता है तब वकआय उस वर्ष में विविध प्राप्तियों के लेखे में डाली जाती है।

2) अन्य आय में फेरो मँगनीज संयंत्र का पिछले वर्षों का विद्युत कर परतावा रु. 2323.07 लाख तथा इस वर्ष के समायोजित विद्युत प्राप्य रु. 220.69 लाख, कुल रु. 2543.76 लाख. मा. सुप्रीम कोर्ट के अनुकूल निर्णयाधीन शामिल है।

7. कॅप्टिव खपत:

मँगनीज अयस्क

ईएमडी/फेरो मँगनीज के उत्पादन हेतु कच्चे माल के तौरपर निर्गमित किया गया मँगनीज अयस्क, फाइन्स/एच आई एम एस रिजेक्टस् का मूल्य चालु वर्ष के उत्पादन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के मूल्यांकन के लिए अपनाये जानेवाले तरीके से फाइन्स/एच आई एम एस रिजेक्ट का मूल्यांकन प्रति टन पर मूल्यांकित किया जाता है। अयस्ककी खपत औसत लागत के आधार पर हिसाबमें ली जाती है। निर्गमित अयस्क का मूल्य, अयस्कउत्खनन/प्रचालन खर्च से कम किया जाता है तथा मविनिर्माण खर्चफ के मद में कच्चे माल की खपत के तौरपर मान्य किया जाता है।

विद्युत

पवन उर्जा संयंत्र युनिट से निर्माण की गई बिजली तथा खदान/ संयंत्र में उपयोग की गई इस बिजली के निर्माण लागत के आधार पर संबंधित ईकाई को प्रभारित किया जाता है।

8. बिक्री कर, आयकर आदि

ए) बिक्री कर, आयकर आदि के संबंध मे जिस वर्ष में कर निर्धारण आदेश कंपनी द्वारा प्राप्त तथा स्वीकृत किया जाता है, उक्त आदेश के अनुसार देय या प्राप्त बकाया राशि को, वकआदेश जिस वर्ष से संबंधित है इसे ध्यान में न लेते हुए उक्त आदेश प्राप्ति के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

बी) क्रयके आधारपर बिक्री कर में छूट का दावा किया जाता है। छूट के दावे की राशि तथा वास्तविकस्वीकृत छूट को जिस वर्ष में निर्धारण आदेश कंपनी को प्राप्त होता है और स्वीकार किया जाता है, उस वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

सी) ब्याज तथा प्राप्य किराये की राशियों पर स्रोत पर ही घटाया हुआ कंपनी का आयकर रु. 1728.96 (रु. 2440.46) लाख है। कुछ मामलों में 'कर घटत प्रमाणपत्र' आना प्रलंबित है।

डी) अस्थगित कर संपत्ति/देयता-लेखांकन मानक12 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाया गया है।

क्र.	विवरण	2016-17/ 31 मार्च 2017	2015-16/ 31 मार्च 2016
1	**अस्थागित कर देयता** मूल्यऱ्हास से संबंधित	1047.32	1291.31
2	**अस्थगित कर परिसंपत्ति आयकर** अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत	444.25	243.99
3	शुद्ध अस्थगित कर देयता (-) परिसंपत्ति	603.07	1047.32
4	लाभ-हानि लेखाके लिए अस्थगित करः देयता में वृद्धि/ (-) कमी	-444.25	-53.33

ई) लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गये आयकर खर्चे में इस साल का आयकर तथा अस्थगित आयकर शामिल है। अस्थगित आयकर परिसंपत्तियाँ और देयताएँ परिसंपत्तियाँ और देयताओं के आधार के अंतर के लिए मान्य है और वही वित्तीय विवरणों में ली गई है।

9. कार्मिकों के अनुलाभ

ए) कर्मचारियों के अल्पकालिकलाभ

जिस वर्ष में संबंधित सेवा दी गई है उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा में छूट मुक्त राशि खर्च, अल्पकालिककर्मचारी लाभ खर्च के तौर पर माना जाता है।

बी) सेवा-उपरांत लाभ

सेवा-उपरांत लाभ में भविष्य निधि, उपदान, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन और चिकित्सा सुविधाएँ जैसे लाभ शामिल है।

1) परिनिश्चित लाभ योजनाः

जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवाएँ प्रदान की गई, उस वर्ष के लाभ-हानी लेखा में नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिककर्मचारी लाभ को खर्च के रुपमें मान्य किया जता है। देय राशि के वर्तमान मूल्यपर खर्चको बीमांकित मूल्यांकन तकनीकका उपयोग करते हुए, खर्चों को मान्य किया जाता है। सेवा उपरांत एवं अन्य दीर्घकालिकलाभ से संबंधित बीमांकित प्राप्ति एवं हानि को लाभ हाजि लेखा में दर्ज किया जाता है। चिकित्सा सुविधा जैसे अनुलाभ बीमा पॉलिसी में शामिल होते है और बीमा प्रीमियम की राशि को उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिस वर्ष में उसे किया गया।

परिभाषित दायित्व-लेखा मानक19 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है।

विवरण	उत्पादान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2017	**31.03.2016**	31.03.2017	**31.03.2016**
निधीबद्ध उत्तरदायित्व की प्रारंभिकएवं बंद शेष का समाधान, जैसा किएकस्वतंत्र बीमांकित द्वारा मूल्यांकित किया गया है। वर्ष के प्रारंभ में	12692.96	11844.89	4102.65	3892.91
चालु सेवा लागत	1139.33	650.59	340.98	332.10
ब्याज लागत	1015.44	947.59	328.21	311.43
बिमांकित (-प्राप्ति)/हान	994.34	1292.18	-124.12	-115.05
प्रादत्त लाभ	-1498.76	-2042.30	-280.74	-318.73
वर्ष के अंत में	14343.31	12692.95	4366.98	4102.66
योजना संपत्ति के संगत मूल्य का प्रारंभिकएवं बंद शेष का समाधान वर्ष के प्रारंभ में	11079.02	12257.98	5171.78	5072.37
योजना संपत्ति की अपेक्षित वापसी	1051.05	1041.93	420.65	431.15
बीमांकित (-प्राप्ति)/हानि	0.00	-178.59	0.00	-13.00
नियोक्ता का अंशदान	1621.66	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त अनुलाभ	-1498.76	-2042.30	-280.74	-318.73
वर्ष के अंत में	12252.97	11079.02	5311.69	5171.79
संपत्तिका संगत मूल्य तथा निधि बद्ध उत्तर दायित्व का समाधान वर्ष के अंत में योजना संपत्तिका वर्तमान मूल्वय	12252.97	11079.02	5311.69	5171.79
वर्ष के अंत मे दायित्व का वर्तमान मूल्य	14343.31	12692.95	4366.98	4102.66
तुलन पत्र में मान्य देयता/(-) पूर्वदस्त व्यय	2090.34	1613.93	-944.71	-1069.13
लाभ-हानि लेखामें मान्य खर्च चालु सेवा लागत	1139.33	650.59	340.98	332.10
ब्याज लागत	1015.44	947.59	328.21	311.43
योजना संपत्ति की अपेक्षित वापसी	-1051.05	-1041.93	-420.65	-431.15
बिमांकित (-) प्राप्ति/हानि	994.34	1470.77	-124.12	-102.05
लाभ-हानि लेखा में मान्य कुल खर्च	2098.05	2027.02	124.43	110.33
मृत्युदर तालिका (जीवन-बीमा)	(1994-96) अंतिम	(1994-96) अंतिम	(1994-96) अंतिम	(1994-96) अंतिम
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.37%	8.00%	7.37%	8.00%
योजना संपत्तिपर अपेक्षित वापसी (प्रतिवर्ष)	8.40%	8.50%	8.40%	8.50:%
वेतनवृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

2) परिनिश्चित अंशदान योजना:

परिनिश्चित अंशदान योजना, नियोजनोत्तर लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी अलग-अलग निधियों में तयशुदा अंशदान का भुगतान करती है। परिनिश्चित अंशदान योजना में कंपनी का योगदान संबंधित वित्त वर्ष के लाभ हानि विविरण दर्शाया जाता है।

अपनी निरंतर लेखांकन नीति के अनुसार कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित दरसे कर्मचारी भविष्य निधी (ईपीएफ) में तथा मुक्त न्यास (अंशत: मुक्त), परिनिश्चित अंशदान योजना के अंतर्गत योगदान प्रदान करती है। मुक्त न्यास सदस्यों के खाते के राशिपर सरकारी निर्धारित ब्याजदर से अधिकदर से ब्याज प्रदान करता है।

कंपनी सेवानिवृत्ती के लाभों के अंदर (पेंशन स्कीम) सरकारी निर्धारित दरसे भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आइ सी ऑफ इंडिया) में योगदान देती है।

10. स्वैच्छिकसेवानिवृत्ती खर्च:

कंपनी व्यय की संपूर्ण राशि को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा में दर्ज करती है जिस वर्ष में उसे किया गया।

11. कल्याण आयुक्त से प्राप्त सबसिडी का लेखांकन:

ए) श्रमिकनिवास

कंपनीने कुछ श्रमिकनिवासों का निर्माण किया है/कर रही है, जिसके लिए कंपनी को कल्याण आयुक्त से सबसीडी मिल रही है। चूंकी जिस भूमिपर इन निवास स्थानों को निर्माण किया जाता है वकभूमि कल्याण आयुक्त के सुपुर्द की जाती है और यकपरिसंपत्ति (निर्मित निवास स्थान) कल्याण आयुक्त की ओर अभ्यार्पित की जाती है। इसलिए इसमें कंपनी द्वारा किया गया पूरा खर्च तथा प्राप्त हुई सब्सिडी भी जिस वर्ष में खर्च की जाती है। सब्सिडी प्राप्त होती है, उस वर्ष के राजस्व खाते पर दर्ज की जाती है।

बी) कल्याण परिसंपत्ती

परिसंपत्तियां जैसे स्कूल बस, रुग्णवाहिका, जलपूर्ति योजना आदि जो कल्याण योजना के अधीन आती है, के अर्जन का पूरा खर्च, जिस वर्ष में किया जाता है उसी वर्ष के संबंधित परिसंपत्ति लेखा में डाला जाता है। प्राप्त हुई सब्सिडी की राशि को आवकवर्ष के उसी परिसंपत्ति के शीर्षकखाते में जमा किया जाता है और बाद में मूल्यऱ्हास उस वर्ष से परिसंपत्ति से कम किए मूल्यपर आंका जाता है।

12. कंपनी के दावे:

बीमा/कंपनी/रेलवे में दाखिल किए दावों की राशियों का उचित निश्चित मूल्यांकन करके उस वर्ष के दौरान दावा की गई राशियों के आधार पर लेखे में लिया जाता है और यदि कोई अंतर हो तो दावे के निर्धारण पर उसे समायोजित किया जाता है।

13. पूर्वदत्त खर्च:

जहाँ 1.00 लाख रुपये से ज्यादा के प्रत्येकमामले में भुगतान हो उसे केवल पूर्वदत्त खर्च माना जाता है।

14. संदिग्ध कर्ज हेतू प्रवाधान:

पिछले दो वर्षों से अधिकरुके हुए फुटकर ऋणों के लिए प्रत्येकमामलेकी खराब तथा संदिग्ध ऋणों की अलग-अलग समीक्षा के आधार पर प्रावधान किया जाता है। निजी पार्टियों के नाम पर तीन वर्षों से अधिकअवधि तकबकाया ऋण, या बकाया दंड जमा जिसका भुगतान संदिग्ध हो, राशियों के लिए निश्चित रुपसे व्यवस्था की जाती है।

15. अनुसंधान एवं विकास खर्च

अनुसंधान एवं विकास खर्च उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखामें दर्ज किया जाता है, यद्यपि अनुसंधान एवं विकास के लिए स्थायी परिसंपत्ति पर हुआ खर्च के समान ही माना जाता है।

16. खान बंद का खर्च

संबंधित नियमों एवं अधिनियमों के तहत तकनीकी मूल्यांकन करके , अंतिम खान बंद करनेका वित्तीय प्रभाव, उपलब्ध अयस्कभंडार के आधार पर निकाला जाता है। जिसे वर्षानुवर्ष आधारपर सभी खदानों के संपूर्ण उत्पादनको ध्यानमें लेने के बाद लेखों में प्रावधान किया जाता है।

17. वन भूमि को अ-वनभूमि हेतु बदलने के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्यांकन संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यकअनुमति प्राप्त होने पर देनदारियाँ तय की जाती है.

18. विचाराधीन वित्तीय वर्ष में कंपनी ने प्रति शेयर रु. 248 मूल्य रु. 34812196 ईक्विटी शेयरोंका बायबॅककिया जिसके लिए रु. 86334.25 लाख व्यय हुआ।

19. अंशधारकों द्वारा मान्य दिनांकको शेयरोंपर अंतिम लाभांश देयता के रुपमें लिखा जाता है। कंपनी के निदेशकमंडलने निर्धारित किये दिनांकको अंतरिम लाभांश देयता के रुप में लिखा जाता है।

20. नकद प्रवाकविवरण तैयार के ने हेतु अप्रत्यक्ष रीति इस्तेमाल करके नकद प्रवाकअभिलेखित किये जाते है।

1) कार्मिकों को ऋण के संबंध में प्रलेखन कुछ मामलों में लंबित है और असुरक्षित के रुप में वगीकृत किया गया है।

विविध देनदार तथा विविध लेनदारों के वर्ष समाप्ति पर बकाया राशि के पुष्टिकरण पत्र पार्टियों को भेजे गए है। 31.03.2017 को रु. 28295.26 लाख कुल बकाया में से रु. 11757.14 लाख के शेष का समाधान हो गया है।

21. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एम एस एम ई) के संबंध में प्रकटीकरण:

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1.	एम एस एम ई को अदत्त रही मूल राशि उपर्युक्त पर देय ब्याज, अदत्त रहा	224.64 निरंक	171.48 निरंक
2	एम एस एम ई विकास अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रदत्त ब्याज (एम एस एम ई डी ए) वर्ष के दौरान नियत दिनके बाद किए गए भुगतानों सहित	निरंक	निरंक
3	भुगतान करने में विलंब के लिए देय ब्याज (भुगतान किया लेकिन नियत दिन के बाद) लेकिन एम एस एम ई डी ए के अंतर्गत विर्निष्ट ब्याज को जोडे बिना	निरंक	निरंक
4	प्रत्येकलेखापर्ष के अंतमें संचित और अदत्त रहा ब्याज	निरंक	निरंक
5	एम एस एम इ डी ए की धारा 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य व्यय के रुपमें अस्वीकृति के प्रायोजन के लिए उत्तरवर्ती वर्ष (उस तारीख तकजब उपरोक्त के अनुसार ब्याज देय है वकवास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान किया गया है) में देय रहा ब्याज	निरंक	निरंक

22. अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 14.2) में शामिल है:

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03-2017	31.03.2016
1.	यात्रा व्यय		
	ए) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	26.56	35.08
	बी) निदेशक	28.39	29.88
	सी) मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा कंपनी सचिव	2.31	2.52
2.	लेखापरीक्षकका परिश्रमिक		
	ए) लेखापरिक्षक	4.33	4.29
	बी) कराधान मामले	1.44	1.45
	सी) अन्य सेवाएँ	6.11	3.43
	डी) खर्चों की प्रतिपूर्ति	निरंक	निरंक
		11.88	9.17
	जनसंपर्क एवं प्रचार खर्च सहित विज्ञापन	27.10	49.33

23. संबंधित पार्टियोंके साथ व्यवहार- भारतीय लेखांकन मानक-24/ कंपनी अधानियम 2013 के अनुसार संबंधित पार्टियोंके साथ व्यवहार का प्रकटीकरण नीचे दर्शाया गया है।

1) संबंधित पार्टियोंकी सूची एवं संबंध

ए) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	पदनाम
1.	श्री. एम. पी. चौधरी (01-09-2016 से)	अध्यक्ष-सकप्रबंध-निदेशक
2.	श्री. जी. पी. कुंदरगी (31-08-2016 तक)	अध्यक्ष-सकप्रबंध-निदेशक
3.	श्री. टी. के . पटनायक	निदेशक(वाणिज्य)
4.	श्री. डी. एस. अहलुवालिया	निदेशक(वित्त)-अतिरिक्त भार
5.	श्री. एन. पी. काजरेकर (11-11-2016 से)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
6.	श्री. एन डी. पाण्डेय	कंपनी सचिव

श्री. टी. के . पटनायकके पास 1-08-2016 से निदेशक(उत्पादन एवं आयोजन) का अतिरिक्त भार है तथा श्री. डी. एस. अहलुवालिया, एन एम डी सी लिमिटेड, निदेशक(वित्त) के पाय 01-12-2016ज से मॉयल लिमिटेड के निदेशक(वित्त) का अतिरिक्त भार दिया गया है।

बी) संयुक्त उद्यम कंपनी

1. सेल अॅण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड
2. रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड

2) संबंधित पार्टि के साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार उपर्युक्त (1) (ए) में उलल्लीखित:

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1.	प्रबंधकीय मेहनताना	126.64	111.81
2.	ए) वेतन एवं भत्ते	9.29	9.85
	बी) भविष्य निधिमें अंशदान	3.56	4.32
	सी) परिलब्धियों का वास्तविक/ अनुमानित मूल्य	139.49	125.98
	यात्रा खर्च की परिपूर्ति	57.26	67.48

24. संयुक्त उद्यम-भारतीय लेखांकन मानक31 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है।

ए) संयुक्त उद्यम कंपनियों से संबंधित विवरण

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	विनिगमनका विवरण		मालाकियत का प्रारंभिकअनुपात	पूंजी के लिए अंशदान (रुपये लाख में)
	देश	तारीख		
सेल अॅण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि.	भारत	31-07-2008	50 प्रतिशत	10.00
रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा.लि.	भारत	29-07-2009	50 प्रतिशत	10.00

बी) वित्तीय विवरण

विवरण	स्थिती	
	31-03-2017 (अ-अंके क्षित)	31-03-2016 (अंके क्षित)
संयुक्त उद्यम कंपनी लेखा के अनुसार कंपनी के ब्याज की कुल राशि-		
1) सेल अॅण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.		
अंश पूंजी	10.00	10.00
आरक्षित और अधिशेष	-176.25	-157.97
दीर्घकालिकदेयताएँ	400.00	400.00
चालु देयताएँ	600.14	600.86
स्थायी संपत्ति (शुद्ध) तथा कार्यशील पूंजी	745.50	755.95
दीर्घकालिकऋण और अग्रिम	0.01	0.01
चालु संपत्ति	88.38	96.93
आय	7.07	4.70
व्यय	25.35	25.56
आकस्मिकदेयताएँ और पूंजीगत प्रतिबद्धता	25.40	25.40
2) रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.		
अंश पूंजी	10.00	10.00
आरक्षित और अधिशेष	-1.97	-0.31
गैर चालु देयताएँ	77.31	89.82
चालु देयताएँ	0.45	0.49
स्थायी संपत्ति (शुद्ध) तथा कार्यशील पूंजी	81.47	81.46
दीर्घकालिकऋण और अग्रिम	1.97	1.92
चालु संपत्ति	2.35	16.62
आय	0.29	निरंक
व्यय	2.24	निरंक
आकस्मिकदेयताएँ और पूंजीगत प्रतिबद्धता	411.95	411.95

25. आकस्मिकदेयताएँ-भारतीय लेखांकन मानक37/कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आकस्मिकदेयताएँ निम्न प्रकार है

ए) ऋण के तौरपर अस्वीकृत कंपनीके विरुद्ध दावे

रु. लाख में

क्र.सं.	दावों का विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1.	वेतन एवं अन्य अनुलाभ के लिए कार्मिकों द्वारा	98.00	218.00
2.	तिरोड खदान में अयस्क की रेलिंग पर परिवहन शुल्कके भुगतान के लिए वन विभाग द्वारा	86.08	86.08
3.	पंचाट अवार्ड और ठेके दारों के दावेपर ब्याज	1024.48	908.96
4.	मैगनीज अयस्क पर एक्साइज ड्युटी लगाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयोग, जबलपुर	14435.84	-
5.	प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर तथा कर्मचारियों का प्रोफे शनल टैक्स	95.79	83.22
6.	अपील के अंतर्गत विवादित आयकर (पहलेसे भुगतान किया कर रु. 1697.62 (रु. 1569.39) लाख)	1697.62	1615.00
7.	बँकगारंटी/क्रेटीड पत्र के अंतर्गत वित्तिय आश्वासन पर आकस्मिकदेयता (बराबर राशि की सावधि जमा द्वारा प्रस्तुत)	384.23	380.31

अपूर्ण संविदाओं की अनुमानित राशि पूंजीगत खातों में दर्शाई गई है तथा इसके लिए रु. 14656.35 (रु. 11865.77) लाख का प्रावधान नही किया गया था। इस प्रकार की संविदाऔं के लिए अग्रिम राशि रु. 1406.66 (रु. 1478.50) लाख भुगतान किया गया है।

26. प्रावधान-भारतीय लेखांकन मानक37 के अनुसार विवरणों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

रु. लाख में

प्रावधान का विवरण	प्रारंभिकशेष 01-04-2016	प्रावधान	पुनरांकित/प्रयुक्त प्रावधान	बंद शेष
अंतिम खदान	861.82	72.75	-	934.57
बंदी का खर्च	(786.05)	(75.77)	-	(861.82)
अशोध्य और संदिग्ध	67.91	33.81	(0.00)	101.72
ऋण और अग्रिम	(67.91)	(0.00)	(0.00)	(67.91)

अंतिम खान बंदी खर्च के प्रावधान के संबंध में अंतिम खदान बंदी के समय नदकनिर्गम अपेक्षित है। खदान का जीवनमान निरंतर माना जाता है (निरंतर कंपनी विचारधारानुसार)

27. वर्ष के दौरान पूंजीगत सामग्री की आयात रु. शून्य (शून्य) लाख

28. प्रवास के लिए विदेशी मुद्रा में खर्च रु. 12.50 (रु. 20.97) लाख और विविध खर्च रु. 1.01 (रु. 12.53) लाख

29. निगमित समाजिकजिम्मेदारियाँ (सी एस आर) तथा संधारणीयता विकास (एस डी)

कंपनी ग्रामीण रास्तों का निर्माण, सार्वजनिक उपयोगिता स्थानोंपर शौचालय, स्नानगृकतथा पाठशालाओं का निर्माण, कुशलता विकास कार्यक्रम आदि विभिन्न सी एस आर तथा एस डी गतिविधियाँ चलाती है। वैसेही वनीकरण तथा गंदे स्थानों का भूमी-उद्धार भी करती है। वर्ष के दौरान रु. 1143.10 (रु. 1447.39) लाख व्यय हुआ है। गतिविधियाँ सी एस आर कमिटी द्वारा मंजूर की जाती है तथा अगर वैधानिकपरिसिमा के अनुसार कोई कमी हो तो सी एस आर हेतु स्वतंत्र न्यास खाता निर्माण किया जाता है।

30. वित्तीय विवरणोंकी अतिरिक्त जानकारी

ए) शेड्यूल 111 के अनुच्छेद 'के' नुसार एस बी एन के संदर्भ में जानकारी

विवरण	एस बी एन	अन्य किंमत के नोट	कुल
08-11-2016 को बंद रकम	384000.00	459464.42	843464.42
(+) मान्य प्राप्तियाँ	5000.00	47441202.98	47446202.98
(-) मान्य भुगतान	22000.00	38028722.92	38050722.92
(-) बँक में जमा की गई राशी	367000.00	8806000.00	9173000.00
30-12-2016 को बंद रकम	शून्य	1065944.48	1065944.48

बी) उत्पादन, बिक्री, प्रारंभिकऔर अंतिम स्कंध

विवरण	31-03-2017 को समाप्त वर्ष		31-03-2016 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एम टी)	रु. लाख में	मात्रा (एम टी)	रु. लाख में
ए) उत्पादन/निर्मिती				
मँगनीज अयस्क	1004845	-	1032275	-
ई एम डी	731		612	-
फे रो मँगनीज	9950	-	6519	-
फे रो मँगनीज स्लॅग	14009	-	9203	-
पवन उर्जा (के डब्ल्यू एच)	32305629	-	36370789	-
बी)बिक्री				
मँगनीज अयस्क	1129146	91213.65	967267	57179.01
ई एम डी	952	700.22	714	519.60
फे रो मँगनीज	9540	5368.82	7922	3636.34
फे रो मँगनीज स्लॅग	12489	805.89	13285	627.16
एम पी ई डी सी एल को बिजली (के डब्ल्यू एच)	23300523	783.39	27247140	911.66
सी) प्रारंभिकस्कंध				
मँगनीज अयस्क	294713	13045.98	248360	10937.69
ई एम डी	294	217.98	396	346.80
फे रो मँगनीज	2598	1026.20	4001	1636.45
फे रो मँगनीज स्लॅग	1165	81.51	5247	316.62
डी) अंतिम स्कंध				
मँगनीज अयस्क	142348	8188.59	29413	13045.98
ई एम डी	73	57.53	294	217.98
फे रो मँगनीज	3008	1099.31	2598	1026.20
फे रो मँगनीज स्लॅग	2685	184.55	1165	81.51
टिप्पणी:				
उत्पादनके लिए जारी किए गयए मँगनीज अयस्कके समायोजन के पश्चात अंतिम स्कंध				
ई एम डी	2458		2405	
फे रो मँगनीज	25606		16250	
कॅप्टिव खतपके लिए उपयोककी गई बिजली सहित पवन उर्जा मिलोंसे बिजली की निर्मिती (के डब्ल्यू एच)	9005107		9123649	

%

सी) अनुज्ञापित और संस्थापित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता

विवरण	31-03-2017 को समाप्त वर्ष		31-03-2016 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एम टी)	रु. लाख में	मात्रा (एम टी)	रु. लाख में
ए) अनुज्ञापित और संस्थापित क्षमता				
ई एम डी	1000	-	1000	-
फेरो मँगनीज	10000	-	10000	-
पवन उर्जा (के डब्ल्यू एच)	40000000	-	40000000	-
बी) उत्पादन एवं क्षमता उपयोग				
ई एम डी	731	73%	612	61%
फेरो मँगनीज	9950	99.50%	6519	65%
पवन उर्जा	32305629	81%	36370789	91%

31. पिछले वर्ष के तत्सम आकडे कोष्ठकमें दर्शाए गए है तथा जहाँ आवश्यकहो, तुलनीय करने के लिए फिर से संगठित/संरचित किए गए है।

आय जी ए ए पी से भारतीय लेखांकन मानकआय एन डी को ईक्विटी समन्वयन

रु. लाख में

	विवरण	टिप्पणी संख्या	1 अप्रैल 2015 का प्रारंभिकतुलन पक्ष			31 मार्च 2016 को		
			आय जी ए ए पी	बदलाव का प्रभाव	आय एन डी ए एस	आय जी ए ए पी	बदलाव का प्रभाव	आय एन डी ए एस
1.	**परिसंपत्ति**							
	गैर-चालु परिसंपत्ति							
	ए) संपत्ति, संयंत्र, सामग्री		28527.69	0.00	28527.69	30345.66	0.00	30345.66
	बी) पूंजी चालु-कार्य		5255.04	0.00	5255.04	6762.97	0.00	6762.97
	सी) निवेश संपत्ति							
	डी) गुडविल							
	ई) अन्य अवास्तविकसंपत्ति	ए	863.38	0.00	863.38	743.76	0.00	743.76
	एफ) विकसनशिल अवास्तविकसंपत्ति		35.15	0.00	35.15	1276.73	0.00	1276.73
	जी) धारकसंयंत्र छोडकर अन्य जैविकसंपत्ति							
	एच) वित्तीम संपत्ती							
	1) निवेश		21.29	0.00	21.29	21.29	0.00	21.29
	2) व्यापार प्राप्तियाँ							
	3) ऋण		93.61		93.61	121.23		121.23
	4) अन्य (विनिदिष्ट करे)							
	आय) अस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)		0.00		0.00	0.00		0.00
	जे) अन्य गैरचालु परिसंपत्ति		8284.84		8284.84	6546.04		6546.04
2.	**चालु परिसंपत्ति**							
	ए) वस्तुसूची		14422.45	0.00	14422.45	16298.91	0.00	16298.91
	बी) वित्तीय परिसंपत्ती							
	1) निवेश	ए	0.00			0.00		
	2) व्यापर प्राप्तियाँ		10724.02	0.00	10724.02	14204.64	0.00	14204.64
	3) नकद एवं नकद समतुल्य		282989.09	0.00	282989.09	285009.92	0.00	285009.92
	4) उपरनिर्दिष्ट (3) छोडकर बँकजमा							
	5) ऋण		2174.33	0.00	2174.33	1650.75	0.00	1650.75
	6) अन्य (विनिर्दिष्ट करे)							
	सी) चालु कर परिसंप्ती (शुद्ध)							
	डी) अन्य चालु परिसंपत्ति		11404.41	4.57	11399.84	9818.20	0.32	9817.88
	कुल संपत्ति		**364795.30**	**4.57**	**364790.73**	**372800.10**	**0.32**	**372799.78**
	ईक्विटी और देयताएँ							
	ईक्विटी							
	ए) ईक्विटी शेयर पूंजी		16800.00	0.00	16800.00	16800.00	0.00	16800.00
	बी) अन्य ईक्विटी	बी	321370.17	-1.73	321371.90	328537.00	0.32	328536.68
	देयताएँ							
1.	**गैर-चालु देयताएँ**							
	ए) वित्तीय देयताएँ							
	1) उधार राशियाँ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2) व्यापार देय							
	3) अन्य देयताएँ (बी) में उल्लेखित छोडकर							
	बी) दीर्घकालीन प्रावधान		786.05	6.30	779.75	861.81	0.00	861.81
	सी) अस्थागित कर देयताएँ (शुद्ध)		1100.64	0.00	1100.64	1047.32	0.00	1047.32
	डी) अन्य गैर चालु देयताएँ		240.48	0.00	240.48	96.91	0.00	96.91
2.	**चालु देयताएँ**							
	ए) वित्तीय देयताएँ							
	1) उधार राशियाँ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2) व्यापार देय		2341.97	0.00	2341.97	2533.32	0.00	2533.32
	3) अन्य वित्तीय देयताएँ (सी मे 3 उल्लेखित छोडकर)							
	बी) अन्य चालु देयताएँ		13403.27	0.00	13403.27	15459.77	0.00	15459.77
	सी) अल्पकालीन प्रावधान		8752.72	0.00	8752.72	7463.97	0.00	7463.97
	डी) चालु कर देयताएँ (शुद्ध)							
	कुल ईक्विटी एवं देयताएँ		**364795.30**	**4.57**	**364790.73**	**372800.10**	**0.32**	**372799.78**

टिप्पणी

ए) उपरनिर्दिष्ट लाइन मामलों के लिए जमा तथा विस्तृत आय में किया गया समायोजन भारतीय लेखांकन मानकके अनुसार है।

बी) भारतीय लेखांकन मानक9 के अनुसार वास्तविकलाभ तथा हानि को अन्य विस्तृत आय मानकर आय जी ए ए पी नुसार लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

लाभ-हानि विविरण आय जी ए ए पी तथा आय एन डी ए एस में समन्वयन

रु. लाख में

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
			आय जी ए ए पी	बदलाव का प्रभाव	आय एन डी ए एस
1.	प्रचालन से राजस्व	11.1	63460.00		63460.00
2.	अन्य आय	11.2	25215.59		25215.59
3.	**कुल आय (1 + 2)**		**88675.59**	**0.00**	**88675.59**
4.	**व्यय**				
	ए) सामग्री उपभोग की लागत	12.1	1733.97		1733.97
	बी)व्यापारगत माल की खरीदी		0.00		0.00
	सी)तैयार माल, चालु कार्य और व्यापारगत माल का वस्तुसूची में परिवर्तन	13.1	-3473.61		-3473.61
	डी) कर्मचारी लाभ खर्च	14.1	30123.07	-1223.60	28899.47
	ई) वित्तीय व्यय		0.00		0.00
	एफ) मूल्यऱ्हास और परिशोधन व्यय	2.1	5246.68		5246.68
	जी) अन्य व्यय	14.2	26788.20		26788.20
			60418.31	-1223.60	59194.71
	घटाएं अंतर एकल स्थानांतरण		852.33		852.33
	कुल व्यय (4)		**59565.98**	**-1223.60**	**58342.38**
5.	**असाधारण वस्तुएँ (3-4)**		29109.61	1223.60	30333.21
6.	असाधारण वस्तुएँ		2084.02	0.00	2084.02
7.	**करपूर्व लाभ/(हानि) (5-6)**		**27025.59**	**1223.60**	**28249.19**
8.	**कर व्यय**				
	ए) चालु कर		9780.67	0.00	9780.67
	बी) अस्थगित कर		-53.33	0.00	-53.33
			9727.34	**0.00**	**9727.34**
9.	**कर पश्चात लाभ (7-8)**		**17298.25**	**1223.60**	**18521.85**
10.	**अन्य विस्तृत आय**				
ए)	1) एकक जो लाभ/हानि में पुर्नवयीकृत न हो		0.00	-1223.60	-1233.60
	2) उपरनिर्दिष्ट (1) से संबंधित आयकर				
बी)	1)एकक जो लाभ/हानि में वर्गीकृत हो				
	2)उपर निर्दिष्ट (1) से संबंधित आयकर				
11.	**अवधि के लिए करके पश्चात लाभ (9 + 10)**		**17298.25**	**-0.32**	**17297.93**
12.	**प्रति ईक्विटी शेयर 10 रु. मूल्य के आय**				
	1) मूल (रु)		10.30	0.00	10.30
	2) डायल्यूटेड (रु)		10.30	0.00	10.30

आय जी ए पी से आय एन डी ए एस के लाभ-हानि विवरण के समन्वयन का स्पष्टीकरण नमूद किया है।

ए) भारतीय लेखांकन मानक19 के अनुसार कार्मिकलाभ से संबंधित लाभ/हानि के बजाय अन्य विस्तृत लाभ में दर्शाए जाते है।

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी 2.1-

रु. लाख में

क्र.सं.	परिसंपत्तियों विवरण	सकल खण्ड				मूल्यऱ्हास खण्ढ				शुद्ध खण्ड	
		31.03.2016 को	अतिरिक्त	कटौती	31.03.2017 को	31.03.2016 को	वर्ष के लिए	कटौती	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
ए	**मूर्त संपत्ति**										
1.	फ्री होल्ड भूमि	1228.97	48.38	0.00	1277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1277.35	1228.97
2.	इमारत	16487.51	1306.59	8.85	17785.25	5089.05	1213.80	7.62	6295.23	11490.02	11398.46
3.	संयंत्र और मशीनरी	45009.60	3826.87	709.39	48127.08	27824.69	3749.62	666.27	30908.04	17219.04	17184.91
4.	फर्निचर और फिक्चर	396.18	58.11	0.03	454.26	269.00	49.88	0.03	318.85	135.41	127.18
5.	कार्यालय उपकरण	605.14	12.18	2.55	614.77	531.67	27.59	2.42	556.84	57.93	73.47
6.	वाहन	1100.82	159.72	59.97	1200.57	768.15	136.86	56.97	848.04	352.53	332.67
	(ए)	64828.22	5411.85	780.79	69459.28	34482.56	5177.75	733.31	38927.00	30532.28	30345.66
बी	**अमूर्त संपत्ति**										
1.	पट्टाधृत भूमि	2359.68	143.04	0.00	2502.72	1615.92	125.09	0.00	1741.01	761.71	743.76
2.	कम्प्युटर साफ्टवेअर	0.00	1493.90	0.00	1493.90	0.00	168.33	0.00	168.33	1325.57	0.00
	(बी)	2359.68	1636.94	0.00	3996.62	1615.92	293.42	0.00	1909.34	2087.28	743.76
	(ए+बी)	67187.90	7048.79	789.79	73455.90	36098.48	5471.17	733.31	40836.34	32619.56	31089.42
सी	**प्रगतीशील पूंजी**									11616.14	6762.97
डी	**विकास के अंतर्गत अमूर्त संपत्ति**									0.00	1276.73
	कुल स्थायी संपत्ति									44235.70	39129.12
ई	**गत वर्ष**	61072.06	7034.02	918.18	67187.90	31680.99	5246.68	829.19	36098.48	31089.42	

1. ईमारत मे वकभूमि भी शामिल है जिस विचाराधीन भूमिका भुगतान नही किया गया हो।
2. अवधि के दौरान मूल्यऱ्हास में निम्नशामिल है।

	2016-17 को	2015-16 को
ए)उत्पादन एकल मूल्यऱ्हास	102.41	68.99
बी)उर्जा निर्माण एकल का मूल्यऱ्हास	174.68	174.68

3. तुलनपत्र के दिनांकको कोई क्षतिग्रस्त हानि नही हुई है।

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
टिप्पणी 3.1 गैर-चालु निवेश (अनकोटेड) लागत पर						
खदानोंमें सहकारी स्टोर/सोसायटी को पूर्णतः प्रदत्व शेयर						
ए) सहकारी स्टोर (अपंजीकृत) के रु. 5/- प्रत्येकके 500 (500) शेयर	0.03		0.03		0.03	
बी) सहकारी सोसायटी के रु. 25/- प्रत्येकी के 1612 (1612) शेयर	0.40		0.40		0.40	
सी) सहकारी सोसायटी के रु. 10/- प्रत्येकी के 8556 (8556) शेयर	0.86		0.86		0.86	
		1.29		1.29		1.29
संयुक्त उपक्रम में निवेश (प्रारंभिकसदस्यता)						
ए) सेल ॲण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड में पूर्णतः प्रदत्व रु. 10/- प्रत्येकके 100000 (100000) ईक्विटी शेयर	10.00		10.00		10.00	
बी) रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड में पूर्णतः प्रदत्व रु. 10/- प्रत्येकके 100000 (100000) ईक्विटी शेयर	10.00		10.00		10.00	
		20.00		20.00		20.00
कुल		21.29		21.29		21.29
टिप्पणी 4.1 गैर-चालु ऋण						
ए) सुरक्षित, अच्छा माना गया						
कर्मचारियोंकी ऋण और आग्रीम		117.59		112.15		86.74
बी) असुरक्षित, अच्छा माना गया						
कर्मचारियों को ऋण और आग्रीम		5.44		9.08		6.87
कुल		123.03		121.23		93.61
टिप्पणी 4.2 अन्य गैर-चालु परिसंपत्ति						
ए) स्थायी और अन्य जमापर प्रोद्भूत ब्याज पर देय नही		2.81		1.10		0.00
बी) कर्मचारियोंको ऋणपर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नही		36.92		38.31		35.18
सी) रेलवे, बिजली बोर्ड और अन्य के पास जमा (असुरक्षित)		596.96		634.97		712.67
डी) पूंजीगत सामग्री की खरीदी के लिए अग्रीम		1406.65		1478.50		1485.64
ई) पूंजीगत सामग्री के लिए छोडकर अन्य अग्रीम						
1) आयकर (शुद्ध) भुगतान के लिए अग्रिम		2111.26		3993.16		5651.35
2) संयुक्त उद्यम कंपनियों को अग्रिम						
सेल ॲण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड को अग्रीम		400.00		400.00		400.00
कुल		4554.60		6546.04		8284.84
चालु परिसंपक्रियाँ						
टिप्पणी 5.1 वस्तुसूची (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणीत)						
ए) कच्चा माल		64.68		88.62		56.81
बी) प्रक्रियागत कार्य		9.58		4.06		5.17
सी) तैयार माल		9702.35		14533.25		13232.39
डी) पारगमन में स्टोर		0.00		0.00		3.15
ई) स्टोर और स्पेअर्स	2442.26		1674.41		1126.42	
(-) अप्रचलित स्टोर और स्पेअर्स के लिए प्रावधान	1.43		1.43		1.49	
		2440.83		1672.98		1124.93
कुल		12217.44		16298.91		14422.45

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
टिप्पणी 5.2 व्यापार प्राप्तियाँ (असुरक्षित)						
1) अच्छा माना गया	24198.25		14244.00		10763.38	
(-)संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	73.16		39.36		39.36	
कुल		24125.09		14204.64		10724.02
टिप्पणी 5.3 नकद और नकद समकक्ष						
1) हाथ में रोकड		10.20		8.32		13.53
2) बँकों मे जमा						
सावधि जमा में		205204.17		282350.00		280990.00
सावधि जमा में (बँकगॅरंटी/एलसी के विरुद्ध मार्जिन मनी के रुप मे)		384.23		380.31		296.30
विशेष लाभांश खातों में वारंटो का नकदी कर लंबित		155.67		120.73		111.07
कुल		209112.76		285009.92		282989.09
सावधि जमाओं में 12 माकके बाद परिपक्व होनेवाला जमा शामिल है।	52.42		44.93		0.18	
टिप्पणी 6.1- अल्पकालिकऋण						
ए) सुरक्षित						
1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		92.32		74.91		59.25
बी) असुरक्षित						
1) कर्मचारियों को अग्रिम		241.97		190.74		194.52
2) स्टोअर्स, स्पेअर्स आदि खरीद के लिए अग्रिम	121.93		67.11		82.06	
(-)संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	11.75		11.75		11.75	
		110.18		55.36		70.31
3) ठेकेदारों ओर अन्य को आग्रीम	94.93		74.04		72.29	
(-) संदिग्ध अग्रीम के लिए प्रावधान	23.78		16.28		16.28	
उपर्युक्त में निम्न शामिल है		71.15		57.76		56.01
अधिकारियों को आग्रिम	0.00		0.00		0.00	
अध्यक्ष-सह-प्रबंद निदेशकको आग्रीम	0.00		0.00		0.00	
4) रिनमॉयल फे रो अलॉय प्रा. लि. एकसंयुक्त उद्यम कंपनी	33.21		33.21		33.21	
5) प्राप्य दावे	0.53		0.53		0.53	
(-) संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	0.53		0.53		0.53	
		0.00		0.00		0.00
6) पूर्वदत्त खर्च		1203.10		1271.98		1794.24
कुल		1718.72		1650.75		2174.33
टिप्पणी 6.2 अन्य चालु परिसंपत्तियाँ						
1) सावधि और अन्य जमाओं पर अर्जित ब्याज		7016.87		8276.64		10632.84
2) फुटकर प्राप्य		4210.73		1541.56		771.57
कुल		11227.60		9818.20		11404.41

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
ईक्विटी						
टिप्पणी 7.1 शेअर पूंजी						
अधिकृत						
ईक्विटी शेयर संख्या	250000000		250000000		250000000	
अंकित मूल्य रु में		10.00		10.00		10.00
राशि		25000.00		25000.00		25000.00
पूर्णतः प्रदत्व शेयर						
ईक्विटी शेयर संख्या	133187804		168000000		168000000	
अंकित मूल्य रु में		10.00		10.00		10.00
राशि		13318.78		16800.00		16800.00
एकईक्विटी शेयर के लिए एकमतदान अधिकार और शेयर होल्डिंग के बराबर लाभांश अनुपात अधिकारके साथ रु.10/- सममूल्य के ईक्विटी शेयरोंके रुप में कंपनी के पास केवल एकश्रेणी के अधिकार है।						
समाधान विवरण						
प्रारंभ में शेयरों की संख्या	168000000		168000000		168000000	
जोडे: वर्ष के दौरान निर्गमित शेयर	0		0		0	
घटाएँ: वर्ष के दोरान शेयरों का बायबॅक	34812196		0		0	
अंतमें शेयरों की संख्या	133187804		168000000		168000000	
प्रत्येकशेयरधारककी शेयर होल्डींग का विवरण जिसके पास 5 प्रतिशत से अधिकके शयर है						
शेयरधारकका नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
भारत सरकार	74869435	56.21	120235680	71.57	120235680	71.57
भारतीय जीवन बीमा निगम	9899959	7.43	1859938	1.11	1007796	0.60

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
अन्य ईक्विटी						
टिप्पणि 7.2 आरक्षित निधी एवं अधिशेष						
सामान्य आरक्षित निधी						
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	327878.79		320378.79		295378.79	
(-) पूंजी पुर्नवांछन अतिरिक्त निधी को स्थानांतरित	3481.22					
(-) बायबॅंकसे संबंधित व्यय	380.18					
(-) शेअरों की खरीददारी	82853.03					
(+) लाभ हानि लेखा से अतिरिक्त लाभ से स्थानांतरित	12500.00		7500.00		25000.00	
		253664.36		327878.79		320378.79
पूंजी पुर्नवांछन आरक्षित		3481.22				
सी एस आर (निगमित सामाजिकउत्तरदायित्व) आरक्षित						
पिछले तुलनपक्ष के अनुसार	0.00		18.00		34.00	
(+) लाभ-हानि लेखा से स्थानांतरित	0.00		0.00		18.00	
(-) लाभ-हानि लेखा को स्थानांतरित	0.00		18.00		34.00	
		0.00		0.00		18.00

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
लाभ-हानि लेखा में अधिशेष पिछले तुलनपत्र के अनुसार	658.21		973.38		520.45	
घटाएँ-लेन-देन प्रावधानों के अनुसार मूल्यऱ्हास	0.00		0.00		0.00	
जोडे-लाभ-हाणि विवरण से कर पश्चात लाभ	29927.58		17298.25		42801.05	
जोडे-सी एस आर (निगमित सामाजिकउत्तरदायित्व) आरक्षित निधी से स्थानांतरण	0.00		18.00		34.00	
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	30585.79		18289.63		43126.54	
घटाएं: विनियोजन-						
सी एस आर आरक्षित निधी को स्थानांतरण	0.00		0.00		18.00	
अंतरिकलाभांश 50 प्रतिशत (30%)(50%) की दर से	6659.39		5040.00		8400.00	
प्रस्ताविकअंतिम लाभांश 0 प्रतिशत (20%)(35%) की दर से	0.00		3360		5880	
अंतरिम लाभांश पर कर जिसमे अधिभार और उपकर शामिल है।	1355.70		1047.40		1679.51	
अंतिम लाभांश पर कर जिसमें अधिभार और उपकर शामिल है।	0.00		684.02		1175.65	
सामान्य आरक्षित निधी के स्थानांतरण	12500.00		7500.00		25000.00	
बकाया अग्रेनीत	20515.09		17631.42		42153.16	
		10070.70		658.21		973.38
		267216.28		328537.00		321370.17

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
गैर-चालु देयताएँ						
वित्तीय देयताएँ						
टिप्पणी 8.1 गैर-चालु प्रावधान						
ए) अंतिम खदान बंदी खर्च के लिए प्रावधान						
कुल		934.57	861.81		786.05	
टिप्पणी 8.2 अन्य गैर-चालु देयताएँ						
ए) आपूर्तिकर्ताओ, ठेकेदारों और अन्य से सुरक्षा जमा						
कुल		378.54	96.91		240.48	
चालु देयताएँ						
वित्तीय देयताएँ						
टिप्पणी 9.1 व्यापार देय						
ए) एम एस एम ई का कुल बकाया शेष	131.66		41.12		156.49	
बी) इतर का कुल बकाया शेष	4038.51		2492.20		2185.48	
कुल		4170.17		2533.32		2341.97
टिप्पणी 10.1 अन्य चालु देयता						
ए) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से सुरक्षा जमा		2903.80		2796.33		2416.43
बी) ग्राहकों से जमा शेष		1944.11		1146.90		671.12
सी) खर्च के लिए देयताएँ		5431.05		5588.79		6387.79
डी) बिना दावे के लाभांश वारंट के लंबित नकदीकरण		155.66		120.73		111.07
ई) पूंजीगत खर्च के लिए देयताए**		2663.84		3568.82		2781.76
एफ) अन्य देयताएँ		825.54		194.77		46.77
जी) सरकारी/वैधानिकदेयकी देयताएँ		2701.20		2043.43		988.33
कुल		16625.20		15459.77		13403.27

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
टिप्पणी 10.2 प्रावधान						
ए) ईक्विटी शेयरपर प्रस्ताविकअंतिम लाभांश		0.00		3360.00		5880.00
बी)प्रस्ताविकलाभांशपर करके लिए प्रावधान		0.00		684.02		1175.65
सी) नही ली गई छुट्टी के लिए प्रावधान तुलनपत्र की तारीख को देयता	4366.98		4102.65		3892.91	
(-) भारतीय जीवनबीमा निगम के पास निधि*	5311.69		5171.78		5072.36	
	-944.71	0.00	-1069.13	0.00	-1179.45	0.00
डी) ग्रेच्युईटी के लिए प्रावधअन		2090.34		1613.94	-413.00	0.00
ई)पेशन निधि के लिए प्रावधान		1812.69		1806.01		1697.07
एफ)संयुक्त उद्यम की हानि के लिए प्रावधान और आग्रीम		186.59		0.00		0.00
कुल		4089.62		7463.97		8752.72

* एल आई सी/अन्य बीमादारों के पास देयता से अधिकनिधि को पूर्वदत्त खर्चों के अंतर्गत रखा गया है (टिप्पणी 6.1 (बी (6) अल्पकालिकऋण और आग्रिम)

** पूंजीगत खर्च के लिए देयता में एम एस एस ई को देय रु. 92.98 लाख (रु. 130.36 लाख) शामिल है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण पर टिप्पणी

रु. लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए		वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए	
टिप्पणी 11.1 प्रचालन से राजस्व				
ए) खनन उत्पादोंकी बिक्री	90534.37		57179.01	
बी) विनिर्मत उत्पादोंकी बिक्री	7666.73		5369.33	
		98201.10		62548.34
अन्य प्रचालन आय				
ए) उर्जा की बिक्री		783.39		911.66
कुल		98984.49		63460.00
टिप्पणी 11.2 अन्य आय				
1) अन्य आय				
ए) प्राप्त ब्याज				
1. सावधिपर जमा	17293.73		24324.96	
2. अन्य	1266.83		81.39	
		18560.36		24406.35
बी) कर्मचारियों से वसूली		9.55		10.95
सी) स्क्रैप की बिक्री		14.09		34.92
डी) विद्युत कर रिफंड एम पी ई बी		2323.07		0.00
ई) विविध आय		1196.49		763.32
2) रिटर्न ब्ढकप्रावधान				
अतिरिक्त/कम स्टोर्स तथा स्पेअर्स के लिए प्रावधान		9.18		0.05
कुल		22112.74		25215.59

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण पर टिप्पणी

रु. लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए		वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए	
टिप्पणी 12.1 कच्चे माल की खपत की लागत इलेक्ट्रोलायटिंग मँगेनीज डायॉक्साईड प्लांट				
ए) मँगनीज अयस्क	16.59		13.61	
बी) सल्फ्युरिकॲसिड	19.05		16.73	
सी) सोडियम कार्बोनेट	2.98		2.67	
डी) अन्य	1.90		3.13	
		40.52		36.14
फेरो मँगनीज प्लान्ट				
ए) मँगनीज अयस्क	1757.80		962.84	
बी) कोक	597.04		458.11	
सी) कार्बन पेस्ट	51.63		32.94	
डी) अन्य	353.24		243.94	
		2759.71		1697.83
कुल		2800.23		1733.97
टिप्पणी 13.1 तैयार माल, प्रक्रियागत कार्य और व्यापारगत भंडार की वस्तुसूची में परिवर्तन				
ए) खनन उत्पाद				
अंतिकस्कंध	8188.59		13045.91	
(-) प्रारंभिकस्कंध	13045.91		10937.69	
		-4857.32		2108.22
बी) विनिर्मित उत्पाद				
अंतिम स्कंध	1509.06		1491.40	
(-) प्रारंभिकस्कंध	1491.40		2299.87	
		17.66		-808.47
ए		-4839.66		1299.75
घटाये-				
विनिर्मित उत्पादों के स्कंधपर उत्पादशुल्क				
अंतिम स्कंधपर	167.67		165.71	
(-) प्रारंभिकस्कंधपर	165.71		255.54	
बी		1.96		-89.93
कुल		-4841.62		1389.59
शुद्ध बढत/-घटत (ए-बी)				
टिप्पणी 14.1 कर्मचारी अनुलाभ खर्च				
वेतन, मजदूरी और बोनस		22799.80		21808.15
भविष्य निधी ओर अन्य निधीमें अंशदान		6160.54		6645.73
कल्याण खर्च		1805.87		1669.19
कुल		30766.21		30123.07

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण पर टिप्पणी

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए		वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए	
टिप्पणी 14.2 अन्य खर्च				
अन्य विनिर्माण और प्रशासनिकखर्च, बिक्री खर्च और बट्टे खातेमें डालना				
1) ठेकेदारों के माध्यम से परिवहन, रेलिंग और अन्य कार्य		8477.35		6708.17
2) स्टोर और स्पअर्स की खपत		5298.49		5104.26
3) बिजली और इंधन		4051.34		3839.98
4) इमारतोंकी मारम्मत और रखरखाव	141.79		387.59	
5) संयंत्र और मशिनरी की मरम्मत और रखरखाव	1029.20		1092.04	
6) अन्यकी मरम्मत और रखरखाव	160.90		157.78	
		1331.89		1637.41
7) किराया		19.23		41.08
8) दर और कर		254.27		234.80
9) बीमा		214.36		199.40
10) लेखा-परिक्षकोंका पारिश्रमिक		21.53		9.17
11) निदेशकों की बैठकफीस		14.42		11.40
12) विज्ञापन		89.64		119.37
13) कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर खर्च और सतत विकास		1143.10		1447.39
14) निगमित सामाजिकउत्तरदायित्व और संधारणिय विकास पर खर्च		2025.83		1663.70
15) विविध खर्च		277.65		0.00
15)ए आयकर पर ब्याज	5684.97		3689.58	
16) रॉयल्टी और उपकर *	432.50		213.32	
17) बिक्रीपर नकद छूट	1525.03		348.67	
18) आंशिकमालभाडा प्रतिपूर्ति	42.87		23.41	
19) ई-ऑक्शन पर सेवा शुल्क	791.88		586.23	
20) विनिर्मित उत्पादोंपर उत्पाद शुल्क	20.06		6.18	
21) नमूनाकरण खर्च		8497.31		4837.39
22) खदानों पर अन्वेषी ड्रिलिंग	253.28		261.05	
23) ब्लास्टिंग/रॉकयांत्रिकी/ स्टोप डिजाईन अध्ययन इत्यादी पर खर्च	215.00		471.56	
		468.28		732.61
24) फे की गयी आस्तियों को बट्टे खातेमें डालना	47.54		88.99	
25) स्टोर्स और स्पेअर्स की कमी को बट्टे खाते में डालना	0.00		7.31	
26) संदिग्ध ऋण और आग्रिम के लिए प्रावधान	33.80		0.00	
27) संयुक्त उद्यम में निवेश की हानि के लिए प्रावधान	178.22		0.00	
28) अंतिम खदान बंद खर्च के लिए प्रावधान	72.75		75.77	
		332.31		172.07
		32517.00		26788.20

* जिला खनिज निधि और राष्ट्रीय खनन न्यास अंशदान सहित

कृपया वित्तीय विवरणों के संलग्न टिप्पणियाँ देखे
हमारे सम दिनांकका रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र. 108665
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई 2017

निदेशकमंडलकी ओर से तथा उनके लिए

मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

नितिन पी. काजरेकर नीरज पाण्डेय
मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

व्यापार खण्ड विषयक जानकारी

लेखांकन मानक 108 के अनुसार कंपनीने खण्ड रिपोर्टिंग पर कंपनीने व्यापर खण्डों खनन, विनिर्माण और बिजली उत्पादन को मान्य किया है

रु. लाख में

क्र. सं.	विवरण	खनन		विनिर्माण		बिजली निर्माण		विलोपन		समेकित	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
1.	राजस्व										
	ए) बाहरी विक्री (सकट)	90534.37	57179.01	7666.73	5369.33	783.39	911.66	0.00	0.00	98984.49	63460.00
	बी) आंतर खण्ड बिक्री	1488.96	852.33	0.00	0.00	681.23	606.37	-2170.19	-1458.70	0.00	0.00
	सी) कुल राजस्व	92023.33	58031.34	7666.73	5369.33	1464.62	1518.03	-2170.19	-1458.70	98984.49	63460.00
2.	परिणाम										
	ए) खण्ड परिणाम	22187.26	889.01	771.80	-260.51	1118.16	1181.50	0.00	0.00	24077.72	1810.00
	बी) अन्य आय (राईट बँकसहित)	22112.74	25215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22112.74	25215.59
	सी) कुल खण्ड परिणाम	44300.00	26104.60	771.80	-260.51	1118.16	1181.50	0.00	0.00	46189.96	27025.59
	डी) कर पूर्व लाभ									46189.96	27025.59
	ई) आयकर-हेतु प्रावधान									16051.01	9780.67
	एफ) अस्थागित कर देयताएँ/संपत्ति									-444.24	-53.33
	जी)कर पश्चात लाभ									30583.19	17298.25

क्र. सं.	विवरण	खनन		विनिर्माण		बिजली निर्माण		विलोपन		समेकित	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
3.	अन्य जानकारी										
	ए) खण्ड परिसंपत्ति	74146.86	63784.80	2603.66	2683.29	2897.22	3059.38	227688.50	303272.64	307336.24	372800.11
	बी) खण्ड देयताएँ	12322.57	10567.84	852.78	195.39	115.63	389.57	13510.20	16310.31	26801.18	27463.11
	सी) पूंजीगत खर्च	9906.41	7808.37	9.94	218.10	0.00	0.00	708.88	1757.06	10625.23	9783.53
	डी) समाप्ति वर्ष के लिए मूल्यऱ्हास	5194.07	5003.01	102.42	68.99	174.68	174.68	0.00	0.00	5471.17	5246.68

नोटः उत्पन्न बिजली के लिए बिजली बिलो में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा दिए गए क्रेडिट की राशि से खपत युनिटोंकी बिजली शुल्कसमेकित किया गया है तथा खण्ड राजस्व तक पहुँचने के लिए

आंबटित पूंजीगत व्यय, निगमित संपत्ति तथा निगमित देयताएँ शामिल है।

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य
मॉयल लिमिटेड
नागपुर

समेकित वित्तीय विवरणोंपर रिपोर्ट

हमने मॉयल लिमिटेड (मूल कंपनी के रुप में सदर्भित) और इसके संयुक्त उपक्रम (संयुक्त उपक्रम के रुपमें सदर्भित), जिसे सामुहिक रुप से 'समूह' संदर्भित किया जाता है, के संलग्न समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरणियों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2017 का समेकित तुलनपत्र उसी तारीख को समाप्त होनेवाले वर्षके लिए समेकित लाभ-हानी विवरण, समेकित नकद-प्रवाह विवरण, समेकित ईक्विटी में परितर्वन तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्क जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरण के रुप में संदर्भित)।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में सदार्मित) की आवश्यकतानुसार इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी मूल कंपनी के निदेशक मंडलकी है जो संबंधित विनियमनों के साथ पठित अधिनियम के धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुसरण है संयुक्त रुप से नियंत्रत कंपनियों सहित समूह की अन्य विस्तृत आय सहित समेकित वित्तीय स्थिती, समेकित नकद प्रवाह और समेकित ईक्विटी परिवर्तन की सही और निष्पक्ष स्थिती प्रकट करता हो। समूह में समाविष्ट कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि समूहकी संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधडी और अन्य अनियमिताओं की रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरमें पर्याप्त लेका अभिलेखों का रख रखाव करना, उचित लेखांकन नीति का चयन और क्रियान्वयन करना; ऐसे निर्णय और आकलन करना जो उचित और दूरदर्शी हो और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित पर्याप्त अंतर्गत वित्तीय नियंत्रणों की रचना,कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और सक्षमता सुनिश्चित करनेके लिए प्रभावी रुपसे प्रचलित होता हो, जो एक सही और निष्पक्ष जानकारी देता हो और भौतिकिय गडबडीसे मुक्त हो, फिर चाहे धोखे से हो या त्रुटिसे, जो उपरोक्त मूल कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने प्रयोजन से इस्तेमाल किया जाता रहा है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षापर आधारित इन समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरणोंपर अपनी राय व्यक्त करने की है। लेखा परीक्षा संचालित करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा-परीक्षा मानकों और मुद्दों को ध्यान में रखा है, जिसे अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में सामिल करना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार अंकेक्षण किया है। उन मानकों से अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करे और योजना बनाए और लेखा-परीक्षा यह आश्वस्त होने के लिए करे कि समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरण भौतिकीय गडबडी से मुक्त है।

लेखा परीक्षा में समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों के बारेमें लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गडबडी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, फि र चाहे वह धोखे से हो या त्रुटिसे हो। उन जोखिम का आकलन करने में अंकेक्षकों ने मूल कंपनी के समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अंतर्गत वित्तीय नियंत्रणों का विचार किया है, जो अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने के लिए सही और निष्पक्ष स्थिती दर्शाते है तथा परिस्थितियों के अनुकूल है। लेखापरीक्षामें प्रयुक्त लेखांकन के नीतियों की उपयुक्तता और मूल कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा विश्वास हे कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है वह समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा-परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी रायमें तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तिय विवरणियाँ अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी निर्धारित तरीके से प्रदान करती है तथा आम तौर पर आय एन डी ए एस सहित भारत में मान्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरुप 31 मार्च 2017 को कंपनी की समेकित व्यवहार स्थिती के मामले में और वर्ष समाप्ति पर उनके समेकित लाभ, समेकिद नकद प्रवाह तथा समेकित ईक्विटी परिवर्तन के मामले में सही एवं निष्पक्ष स्थिती प्रकट करती है।

अन्य मुद्दे

हमने संयुक्त रुपसे नियंत्रित रीनमॉयल फेरो अलॉयज प्रायवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नही की है, जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2017 को रु. 85.18 लाख की कुल परिसंपत्तियोंको दर्शा रहे है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों को अन्य अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमे प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणोंपर हमारी राय, जहाँ तक राशियों

और प्रकटीकरणों का संबंध है, संयुक्त नियंत्रित कंपनियों में शामिल किया गया है और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक उपरोक्त संयुक्त रुपसे नियंत्रित कंपनी का संबंध है, पूरी तरह अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

दुसरी संयुक्त कंपनी सेल ॲण्ड मॉयल फेरो अलॉयज प्रायवेट लिमिटेड के 31 मार्च 2017 के अंकेक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नही थे। 31 मार्च 2017 के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता में प्रबंधनने हमें अ-अंकेक्षित वित्तीय विवरण दिए, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। सेल ॲण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रायवेट लिमिटेड के 31 मार्च 2017 को अ-अंकेक्षित वित्तीय विवरण निम्ननुसार थे जिनका समेकित वित्तीय विवरणों के लिए ध्यानमें लिये गये।

रु. लाख में

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	परिसंपत्तियाँ	राजस्व	शुद्ध नकद प्रवाह
सेल ॲण्ड मॉयल फेरो अलॉयज प्रायवेट लिमिटेड	633.89	7.07	-6.47

अन्य संवैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुरुप हमारी टिप्पणिया

ए) हमने वह सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये है जो हमारी सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरणोंपर हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

बी) हमारी राय में इन बही खातों की हमारी जाँच और संयुक्त उद्यम कंपनियों के अंकेक्षकों की रिपोर्टों से यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा उपर्युक्त समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया है।

सी) इस प्रतिवेदन से संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ-हानि लेखा विवरण, समेकित नकद प्रवाह विवरण और समेकित ईक्विटी में परिवर्तन मूल कंपनी के, समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से रखे गये लेखा-बहियों के साथ और संयुक्त उद्यम कंपनी के अंकेक्षकों की रिपोर्ट के साथ मेल खाते है)

डी) हमारी रायमें उपर्युक्त समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकोंका अनुपालन करते है।

ई) मूल कंपनीके निदेशकों से दिनांक 31 मार्च 2017 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधारपर और मूल कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिए अनुसार और भारत में निगमित संयुक्त नियंत्रित कंपनियों और मूल कंपनी के निदेशकों मे से कोई भी अयोग्य नही ठहराया गया है।

एफ) मूल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और भारत में निगमित संयुक्त नियंत्रित कंपनियोंपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभाव के संबंध में हमारी स्वतंत्र रिपोर्ट 'अनुलग्नक-ए' का संदर्भ लो, तथा

जी) हमारी रायमें और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और अंकेक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध मे:

1) शमूहने अपने समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिती पर लंबित मुकदमे के प्रभाव को प्रकट किया है (वित्तीय विवरण के नोट 1.1 (25) का संदर्भ ले)

2) उत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घावधि अनुबंध नही हे जिसके लिए भौतिक प्रत्याशित हानियोंके लिए प्रावधान की आवश्यकता हो।

3) ऐसी कोई राशि नही है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधिमें स्थानांतरित करने कि आवश्यकता हो।

4) कंपनीने 8 नवंबर 2016 के 30 दिसंबर 2016 तक के विनिर्दिष्ट बँक नोटों के धारकत्व तथा व्यवहार को समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है और वह कंपनी के लेखा बही खातों से मेल खाते है (समेकित वित्तीय विवरण के नोट 1.1(30) (ए) का संदर्भ ले।)

मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू
सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665

रिपोर्ट का दिनांकः
हस्ताक्षर का स्थानः

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

(वित्तीय वर्ष 7 2016-17 के लिए अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3)(1) के अनुसार और हमारी रिपोर्ट की विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 (एफ) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (आय) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट हमने मॉयल लिमिटेड ("मूल कंपनी") की 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एन डी ए एस वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षणों के साथ हमने मूल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंगपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण किया है और भारत में निगमित संयुक्त रुपसे नियंत्रित कंपनियों के स्वतंत्र अंकेक्षकों की उसी तारीख की रिपोर्ट पर विश्वास रखा है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

मूल कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त रुपसे नियंत्रित कंपनी के संबंधित निदेशक मण्डल इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आय सी ए आय) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शी नोट में उलल्ेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करके मूल कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त रुपसे नियंत्रित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणोंको स्तापित करने और इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी का पता लगाना और रोकधाम करना, लेखा अभिलेखों की सत्यता और संपूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करने सहित इसके कार्यकलापों का यथासमय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन और प्रबंधन शामिल है, जो प्रभावी रुप से संचालित हो।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है। इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षा के मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणोंपर मार्गदर्शी नोट (मार्गदर्शी नोट) तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण किया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरिक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणोंपर लेकापरीक्षा पर लागू है और दोनो इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए है। उन मानकों से अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करे और योजना बनाये और लेखा-परीक्षा यह आश्वस्त होने के लिए करे कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया और प्रबंधन किया गया और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिकीय मायनों में प्रभावी रुप से संचालित है।

हमारी लेखापरिक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसके प्रभावी संचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणोंपर सहमति प्राप्त करना, भौतिकीय कमजोरी होने के जोखिम का निर्धारण करना, निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रचना और प्रभावी संचालन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकोक्षकों के निर्णयपर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गडबडी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, फिर चाहे वह धोखे से हो या त्रुटि से हो।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है वह मूल कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त रुपसे नियंत्रित कंपनी के मामले में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या

वित्तीय रिपोर्टिंगपर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए बनायी गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंगपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियाँ और प्रक्रिया शामिल है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में जो कंपनी की संपत्तियों के संव्यवहारों और प्रबंधनोंका उपयुक्त विवरण सहि और निष्पक्ष रुपसे प्रदर्शित करते हो (2) उपयुक्त आश्वासन कराने के संबंध में कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण बनाने की अनुमति के लिए अपेक्षित संव्यवहारों को अभिलेखित किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसरण में ही किया जा रहा है, तथा (3) कंपनी की संपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रबंधन का यशासमय पता लगाने या रोकथाम के संबंध में उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए जो वित्तीय विवरणों पर भौतिकीय प्रभाव डाल सकते है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा के कारण साँठ-गाँठ या अनुचित प्रबंधन से नियंत्रणों का उलल्घन, गलती या धोखाधडी से भौतिकीय गलतबयानी हो सकती है और पता नही चली हो। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन इस जोखीम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंगपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तो में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर भ्रष्ट हो सकता है।

राय

हमारी राय मे, मूल कंपनी तथा संयुक्त उद्यम की एक कंपनी रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रायवेट लिमिटेड का 31 मार्च 2017 को सभी भौतिकीय मायनों में वित्तीय रिपोर्टिंगपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इन वित्तीय रिपोर्टिंगपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरित्रा पर मार्गदर्शी नोट में उलल्ेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदण्डों के आधार पर प्रभावी रुप से संचालित हो रहा था।

मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू
सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665

रिपोर्ट का दिनांकः 10 अगस्त 2017
हस्ताक्षर का स्थानः नई दिल्ली

समेकित तुलनपत्र

रु. लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
परिसंपत्ति				
1. गैर-चालु परिसंपत्ती				
ए) संपत्ति, संयंत्र, सामग्री	2.1	31001.01	30832.98	29033.61
बी) पूंजी-चालू कार्य	2.1	11774.39	6913.35	5405.42
सी) निवेश संपत्ति		0.00	0.00	0.00
डी) गुडविल		0.00	0.00	0.00
ई) अन्य अवास्तविक संपत्ती	2.1	2087.28	743.76	863.38
एफ) विकासशील अवास्तविक संपत्ति		0.00	1276.73	35.15
जी) धारक संयंत्रको छोड़कर अन्य जैविक संपत्ती		0.00	0.00	0.00
एच) वित्तीय संपत्ति		0.00	0.00	0.00
1) निवेश	3.1	1.29	1.29	1.29
2) व्यापर प्राप्तियाँ		0.00	0.00	0.00
3) ऋण	4.1	123.03	121.23	93.61
4) अन्य				
आय) अस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	1.1(8) डी	0.00	0.00	0.00
जे) अन्य गैर-चालु संपत्ति	4.2	4356.72	6348.10	8086.85
2. चालु परिसंपत्ति				
ए) वस्तुसूची	5.1	12217.44	16298.91	14422.45
बी) वित्तीय संपत्ति				
1) निवेश		0.00	0.00	0.00
2) व्यापार प्राप्तियाँ	5.2	24125.09	14204.64	10724.02
3) नकद और नकद समतुल्य	5.3	209202.14	285119.21	283099.80
4) उपरनिर्दिष्ट (3) छोड़कर बँक जमा		0.00	0.00	0.00
5) ऋण	6.1	1702.12	1636.19	2159.77
6) अन्य				
सी) चालु कर संपत्ति (शुद्ध)				
डी) अन्य चालु परिसंपत्ति	6.2	11228.19	9820.29	11407.62
कुल परिसंपत्ति		**307808.69**	**373316.67**	**365332.96**
ईक्विटी और देयताएँ				
ईक्विटी				
ए) ईक्विटी शेयर पूंजी	7.1	13318.78	16800.00	16800.00
बी) अन्य ईक्विटी	7.2	267215.69	328379.02	321232.76
1) गैर-चालु देयताएँ				
ए) वित्तीय देयताएँ				
1) उधार राशियाँ		0.00	0.00	0.00
2) व्यापार देय		0.00	0.00	0.00
3) अन्य वित्तीय देयताएँ		934.57	861.81	786.05
बी) प्रावधान (उपनिर्दिष्ट छोड़कर)	8.1	603.07	1047.32	1100.64
डी) अन्य गैर चालु देयताएँ	8.2	378.54	96.91	240.48
2) चालु देयताएँ				
ए) वित्तीय देयताएँ				
1) उधार राशियाँ		0.00	0.00	0.00
2) व्यापार देय	9.1	4170.17	2533.32	2341.97
3) अन्य वित्तीय देयताएँ (उपनिर्दिष्ट छोड़कर)		17286.47	16134.32	14078.34
बी) अन्य चालु देयताएँ	10.1	3911.40	7463.97	8752.72
डी) चालु कर देयताएँ (शुद्ध)		0.00	0.00	0.00
कुल ईक्विटी और देयताएँ		**307818.69**	**373316.67**	**365332.96**

कृपया वित्तीय विवरणों के संलग्न टिप्पणियाँ देखे

हमारे सम दिनांकका रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु

भागीदार

सदस्यता क्र . 108665

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 10 अगस्त 2017

निदेशकमंडलकी ओर से तथा उनके लिए

मुकुंद पी. चौधरी

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

नितिन पी. काजरेकर नीरज पाण्डेय

मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

समेकित लाभ-हानि विवरण

रु. लाख में

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	प्रचालन से राजस्व	11.1	98984.49	63460.00
2.	अन्य आय	11.2	22120.10	25221.55
3.	**कुल राजस्व (10 + 2)**		**121104.59**	**88681.55**
4.	व्यय			
	ए) सामग्री उपभोग की लागत	12.1	2800.23	1733.97
	बी) व्यापरगत माल की खरीदी		0.00	0.00
	सी) तैयार माल, चालु कार्य और व्यापरगत माल की वस्तुसूची में परिवर्तन	13.1	4841.62	-1389.59
	डी) कर्मचारी लाभ खर्च	14.1	30766.21	30123.07
	ई) वित्तीय मूल्य		0.00	0.00
	एफ) मूल्यऱ्हास और परिशोधन व्यय	2.1	5489.76	5265.28
	जी) अन्य व्यय	14.2	32346.47	26796.13
			76244.30	62528.86
	घटाए: आंतर एकल स्थानांतरण		1488.96	852.33
	कुल व्यय (4)		**74755.34**	**61676.53**
5.	**असाधारण वस्तुओं और करपूर्व लाभ (3-4)**		46349.25	27005.02
6.	असाधारण वस्तुएँ		0.00	0.00
7.	**करपूर्व लाभ/(हानि) (5-6)**		**46349.25**	**27005.02**
8.	**कर व्यय**			
	1) चालु कर		16052.91	9780.67
	2) अस्थगित कर		-444.24	-53.33
			15608.67	**9727.34**
9.	**निरंतर प्रचालन से लाभ/(हानि) (7-8)**		**30740.58**	**17277.68**
10.	**अन्य विस्तृत आय**			
ए	1. लाभ/हानि में पुर्नवर्गीकृत न होनेवाले नग		-655.6	0.00
	2. उपनिर्दिष्ट (1) से संबंधित आयकर		0.00	0.00
बी	(1) लाभ/हानि में पुर्नवर्गीकृत होनेवाले नग		0.00	0.00
	(2) उपरनिर्दिष्ट (1)से संबंधित आयकर		0.00	0.00
11.	**कुल विस्तृत आय (9 + 10)**		**30084.97**	**17277.68**
12.	प्रति ईक्विटी शेयर आय रु. 10/- प्रति*			
	1 मूल (रु)		20.32	10.28
	2 डायल्वयूटेड (रु)		20.32	10.28

*भुक्त पंजीकरण भारित औसत पर मूल्यांकित (7-10-2015 के शेयरों के बायबॅक की वजह से)

कृपया वित्तीय विवरणों के संलग्न टिप्पणियाँ देखे
हमारे सम दिनांकका रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू
सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त 2017

निदेशकमंडलकी ओर से तथा उनके लिए
मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

नितिन पी. काजरेकर नीरज पाण्डेय
मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

समेकित नकद प्रवाह विवरण

रु. लाख में

	विवरण	31 मार्च 2017 के लिए		31 मार्च 2017 के लिए	
ए	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह कर और लाभांश से पूर्व शुद्ध लाभ समायोजन		46349.25		27005.02
	ए) सावधि पर ब्याज	-17300.47		-24330.38	
	बी) मूल्यऱ्हास	5489.76		5265.28	
	सी) स्थायी संपत्तियों से कटौती	47.48		88.99	
			-11763.23		-18976.11
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ समायोजन		34586.02		8028.91
	ए)वस्तूसुची	4081.47		-1876.46	
	बी)विविध देनदार	-9920.45		-3480.62	
	सी)अन्य चालु/गैर चालु संपत्तियाँ (अल्पावधी और दिर्घावधी)	-1407.90		1587.33	
	डी) ऋण और आग्रिम (अल्पावधी और दिर्घावधी)	1923.65		2234.71	
	ई) अन्य विस्तृत आय	-655.61		0.00	
	एफ) शेयरोंके बायबॅक पर व्यय	-380.18		0.00	
	जी)देयातएँ और प्रावधान (अल्पावधी और दिर्घावधी)	-409.19		890.78	
			-6768.22		-644.27
	प्रचालनों से नकद उत्पन्न		27817.80		7384.64
	वर्ष के दोरान कराधान के लिए प्रावधान		-16052.91		-9780.67
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद		11764.89		-2396.03
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
	ए) सावधि जमाकर ब्याज	17300.47		24330.38	
	बी) अचल संपत्ति की खरीदी	-10633.10		-9783.52	
	सी) शेयरों का बाय बँक	-86334.35		0.00	
	निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकद		-79666.37		14546.86
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
	ए) लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	-8015.09		-10131.42	
			-8015.09		-10131.42
डी	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढत/(-) घटत		-75917.07		2019.41
ई	प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य		285119.21		283099.80
	अंतिम नकद और नकद समतुल्य		209202.14		285119.21
	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढत/(-) घटत		-75917.07		2019.41
	टिप्पणी: नकद और नकद समकक्ष में जमाशेष कंपनी के पास उसके उपयोग के लिए उपलब्ध नहीहै।				
	1) विशेष लाभांश खातों में बॉरंटों वा नकदीकरण बवाया है।		155.67	120.73	
	2) सावधि में (बँक गॅरंटी के तौरपर मार्जिन मनी/एस सी		384.23	380.31	

कृपया वित्तीय विवरणों के संलग्न टिप्पणियाँ देखे
हमारे सम दिनांकका रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू
सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त 2017

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए
मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

नितिन पी. काजरेकर नीरज पाण्डेय
मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

मॉयल लिमिटड ईक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण 31 मार्च 2017 के समाप्त वर्ष के लिए		
ए ईक्विटी शेयर पूँजी रु.लाख में		
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंतो बाकी रकम
16800.00	-3481.22	13318.78
* वर्षके दौरान शेयरों के बायबॅक की वजह से		

बी — अन्य ईक्विटी रु.लाख में

		शेयर आवेदन रकम अलोटमेंट बकाया	संयुक्त निवेशोंमे ईक्विटी का हिस्सा	आरक्षित तथा अधिशैष				अन्य आय के जरिए ऋण सामग्री साधन	अन्य विस्तृत आयसे ईक्विटी साधन	नकद प्रवाहका प्रभाव हिस्सा	पुर्नमूल्यांकन अधिशेष	विदेश प्रचालन की वजहसे विनियम दर में अंतर	अन्य विस्तृत आयके अन्य नग	शेयर वॉरंट से जमा निधि	कुल
				पूंजी रिडण्शन आरक्षित	सेक्युरिटी प्रिमियम आरक्षित	अन्य आरक्षित सामान्य आरक्षित निधी	बचे हुए आय								
	रिपोटिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया राशि	-	-	-	-	327883.79	500.23	-	-	-	-	-	-	-	328379.02
	लेखांकन नीतिमें बदलाव या पिछले अवधिकी त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	रिपोर्टींग अवधिके प्रारंभ में पुन: बकाया राशि	-	-	-	-	-	30084.97	-	-	-	-	-	-	-	30084.97
	सामान्य आरत्रित निधी, लाभांश, तथा लाभांश कर	-	-	-	-	-	-20515.09	-	-	-	-	-	-	-	-20515.09
	बकाया राशिसे स्थानांतरित राशि	-	-	-	-	12500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12500.00
	अन्य कोई व्यय (विनिर्दिष्ट करे) बायबॅक	-	-	3481.22	-	-86714.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-83233.21
	रिपोर्टिंग अवधिके अंतमे बकाया राशि	0.00	0.00	3481.22	0.00	253664.36	10070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267215.69

कृपया वित्तीय विवरणों के संलग्न टिप्पणियाँ देखे
हमारे सम दिनांकका रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू
सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई 2017

निदेशकमंडलकी ओर से तथा उनके लिए
मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

नितिन पी. काजरेकर नीरज पाण्डेय
मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

टिप्पणी 1.1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणोंपर टिप्पणियाँ

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करनेका मूलाधार

ए) उचित मूल्यांकन किये हुए कुछ वित्तीय व्याधनों के अलावा ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक, पारंपारिक लेखा सिद्धांत और कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसारण में तथा सेक्युरिटी अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार है। अधिनियम के विनियम, 2015 के विनियम 3 तथा अॅमेंडमेंट (सुधार) विनियम 2016 नुसार है।

बी) संगठन ने भारतीय लेखांकन आय एन डी ए एस को स्वीकार किया है और यह स्वीकार आय एन डी ए एस 101 (पहली बार आय एन डी ए एस का स्वीकार) के अनुसरण में है। यह परिवर्तन अधिनियम को धारा 133 साथ पठित कंपनी (लेखांकन) विनियम, 2014 (आय जी ए ए पी) (पूर्व जी ए ए पी) के विनियम 7 के अनुपालन में किया गया है। जिसके अनुसार आय एन डी एस का स्वीकार करने का प्रथम दिनांक 1 अप्रैल 2015 होने के नाते वित्तीय विवरणों को आय एन डी ए एस के साथ जोडने के लिए पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणमें यही दिनांक दर्शाया गया है।

सी) नये लेखांकन मानक, जो शुरु में स्वीकार किये गये अथवा मौजूदा लेखांकन मानकों का पुनरावलोकन, जिसके लिए लेखांकन नीति प्रयोग में लाई गई, अलावा लेखांकन नीतियों का निरंतर अनुपालन किया है।

डी) मॉयल लिमिटेड (इसके पश्चात कंपनी या मूल कंपनी के रुप में संदर्भित) से संबंधित वित्तीय विवरण और संयुक्त रुप से नियंत्रित दो कंपनियों में उनके हितों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र सं.	कंपनी का नाम और निगम का देश	31-03-2017 को शेयर होल्डींग का अनुपाल (%)	31-03-2016 को शेयर होल्डींग का अनुपाल (%)
1	रिनमॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, भारत	50%	50%
2	सेल अॅण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड, भारत	50%	50%

इन संयुक्त उद्यम कंपनियों को इसके पश्चात जे वी के रुप में संदर्भाकित किया जायेगा। जे वी के वित्तीय विवरण समेकित है और 31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए रीनमॉयल फेरो अलॉयज लिमिटेड के अंकेक्षित तथा सेल मॉयल फेरो अलॉयज प्रायवेट लिमिटेड के अ-अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। लेखांकन और समेकन का आधार नीचे दिया गया है।

समेकन के सिद्धांत

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, समेकित तथा स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर लेखांकन मानक-27 तथा संयुक्त उद्यमों के हित में लेखांकन मानक-31 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है।

समेकित तथा स्वतंत्र विवरणोंपर लेखांकन मानक 27 (आय एन डी ए एस 27) के अनुसार आंतर-समुह अधिशेष और आंतर-समुह संव्यवहारों और अप्राप्त लाभ या हानि का निरसन करने के पश्चात संपत्ति, देयता, आय और व्यय के मदों का पुस्तकीय मूल्य एक साथ जोडकर मूल कंपनी और इसके जेवी के वित्तीय विवरणों को एस क्रमवार आधारित आनुपालिक समेकन पद्धति अपनाते हुए संयुक्त किया गया है।

वित्तीय विवरणों को बनाने में वही लेखांकन नीति का पालन जहाँ जेवी के मामलों में सभी संपत्तिपर मूल्यन्हास स्ट्रेट लाइन पद्धति से (मूल कंपनी में पालन किए जानेवाले रिटर्न डाऊन वैल्यु के विरुद्ध) लगाया जाता है। हालांकि इसका असर मामूली होता है, जैसा कि नीचे वर्णित है।

क्र.सं.	विवरण	राशि (जेवी) रु. लाख में	कुल समेकित रु. लाख में	अनुपात	अभ्युक्ति
रिनमॉयल फे रो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड					
1	स्थायी संपत्ति (शुद्ध)	81.47	44862.67	0.18%	डब्ल्यू डी वी प्रणाली के स्थानपर
2	वर्ष के मूल्यन्हास	0.28	5489.76	0.01%	एस एल एम प्रणाली
सेल अॅण्ड मॉयल फे रो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड					
1	स्थायी संपत्ति (शुद्ध)	545.50	44862.67	122%	डब्ल्यू डी वी प्रणाली के स्थानपर
2	वर्ष के मूल्यन्हास	18.31	5489.76	0.33%	एस एल एम प्रणाली

2) स्थायी परिसंपत्तिका मूल्यांकन

ए) संपत्ति, संयंत्र और साधनोंका मूल्यांकन

संपत्ति, संयंत्र और साधन मूल लागतपर संचित मूल्यऱ्हास पर रखे जाते है।

बी) अवास्तविक संपत्तिका मूल्यांकन मूल लागत पर

संचित क्षति या हानि यदि कोई हो, पर रखी जाती है।

सी) मूल्यऱ्हास और परिशोधन

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-2 में निर्धारित किए अनुसार, समय समयपर किए गए संधोधनों के अनुसार 1) विंड टरवाइन जनरेटर के मामलेमें स्ट्रेट प्रणाली तथा 2) अन्य सभी परिसंपत्तियों पर रिटर्न डाउन वैल्यु प्रणाली के आधार पर, विभिन्न परिसंपत्तियों के उपयोग की अवधि पर आधारित मूल्यऱ्हास की गणना की जाती है। जब कोई परिसंपत्ति पहली बार उस माहके दौरान किसी दिन उपयोग में लायी जाती है, तो पूरे माहके लिए मूल्यऱ्हास की गणना की जाती है।

पट्टाधारी भूमि की लागत, वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्यों को शामिल करते हुए पट्टे की कालावधिपर परिशोधित की जाती है।

अवास्तविक संपत्ति में निम्न शामिल है।

ए) 20 सालके लिए पट्टोंमें हक का मूल्य

बी) जिसकी वैधता 5 साल है ऐसा सॅप लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये हुआ व्य

सी) 3 साल तक चल सके ऐसे एम एस ऑफीस सॉफ्टवेअर का मूल्वय

इनके अनुसार क्षति/हानि निश्चित करके मूल्यांकन किया जाता है।

डी) परिसंप्तिपर हानि बट्टा खाता

गिराई गई/हटाई गई सभी परिसंप्तियोंका स्क्रैप मूल्य शून्य मानकर बट्टे खाते में डाला जाता है। यदि और जब ऐसी स्क्रैप परिसंपत्तियों का आंशिक या पूरी तौरपर निपटान किया जता है, तब बिक्री के रुप में वर्ष के दौरान वसूल हुई राशियों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में जमा किया जता है।

ई) निर्माणकार्य अवधि दोरान खर्च

विशिष्ट प्रकल्पों को पूर्ण तथा प्रतिस्थापित किए जाने की तारीख तक निर्माण अवधि के दौरान उस प्रकल्प पर किए जानेवाले सभी खर्च जो प्रत्यक्ष पहचाने गए है, संबंधित प्रकल्प के नाम डाले जाते है।

एफ) मौजूदा या नये खदानों में भूमिगत विकास के लिए किया गया खर्च, जो स्थायी स्वरुप की बुनियादी सुविधाओं में सहायक हो (तांत्रिक मूल्वयांकन के आधार पर), जो निर्माण वर्ष के लिए पूंजीकृत स्वरुप का हो, उसका दस वर्षोंके लिए परिशोधन किया जाता है)

जी) निर्माणकार्य अवधि दौरान ब्याज

निर्माण कालमें आरंभ होने से समाप्त होने तक विशिष्ट परिस्थितियोंसे संबंधित ऋण (ऋण पर अन्य संबंधित वित्तीय लागत का समावेश करते हुए) पर ब्याज पूंजीकृत किया जाता है)

एच) संपत्ति की हानि

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को निर्धारण करती है कि क्या ऐसे कोई संकेत है कि संपत्तिमें हानि हो सकती है। यदि ऐसे संकेत होते है तो कंपनी संपत्तियों की वसूली योग्य राशिका आकलन करती है। यदि ऐसी वसूली योग्य राशि इसकी वास्तविक राशिसे कम होती है तो वास्तविक राशको वसूली योग्य राशीतक कम किया जाता है। इस कमीको हानिके रुप में माना जाता है और लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है कि पले निर्धारण की गई हानि अब नही है तो वसूली योग्य राशिको पुर्ननिर्धारित किया जाता है और संपत्ति को वसूली योग्य राशिमें परिलक्षित किया जाता है।

आय) कंपनी के स्वामित्वकी 761.60 चौ. मीटर्स जमीन नागपुर सुधार न्यासने उनके संलग्न रास्ता विकास योजना के लिए अर्जित की है। कंपनीने हर्जाने के लिए नागपुर उच्च न्यायाल में रिट पिटीशन दाखिल किया है, जिसका अभी फैसला नही हुआ हे। वही-खाते में कोई समायोजन नही किया गया है।

जे) जमीन में 108.59 एकर की वह जमीन भी शामिल है जो कंपनी ने पट्टे पर ली है, लेकिन जिसके पट्टे का पंजीकरण प्रलंबित है।

के) विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति को हानि नही पहुँची है।

3) निवेश

शेयरों में दीर्घकालिन निवेश को लागत में डाला जाता है। यदि अस्थायी प्रकृति के न हो तो मूल्य में घटत का प्रावधान किया जाता है।

कोई निवेश लिस्टेड नही है और इसलिए संयुक्त उद्यम में किये निवेश को छोडकर जिसमें हानि के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, अन्य कोई निवेशकी मूल्य में घटत संभव नही।

4) वस्तुसूची का मूल्यांकन

वस्तुसूची का निम्न आधारपर मूल्यांकन किया जाता है।

ए) तैयार माल

1) सभी ग्रेड के मँगनीज अयस्कस (फाइन्स, हच डस्ट एवं एच आई एम एस रिजेक्ट छोडकर): खदानों पर लागत के आधार पर जिसमें खदान परिसंपत्ति पर मूल्यऱ्हास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इसमें जो कम है, शामिल है।

2) मँगनीज अयस्क फाइन्स, हचडस्ट एवं एच आई एम एस रिजेक्टस: जिगिंग/प्रोसेसिंग, परिवहन इत्यादि पर प्रतिटन खर्च के आधारपर तकनीकी अनुमान या शुद्ध बिक्री योग्य मूल्यपर, इसमें जो भी कम है, आंबटन किया जाता है।

3) बंदरगाहों पर मँगनीज अयस्क: बंदरगाहों पर उतराई पश्चात प्राप्त लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इसमें से जो भी कम है। उतराई लागतमें परिवहन किराया, उतराई खर्च, नमूना परीक्षण का खर्च आदिका समावेश होता है। प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकीय भंडार के अंतर का समायोजन तब तक नही किया जाता, जब तक खदानों में स्थित भंडार का कुल पुस्तकीय भंडार से तुलना करने पर अधिक पाया नही जाता। जब भी वास्तविक तौरपर अयस्क भेजा जाता है और रेलवे/जहाजों में मात्र भरने के बाद प्रत्येक पारेषण के अनुसार आनेवाली अधिकता या कमी निर्धारित की जाती है तब उसका उस वर्ष के कंपनी के पुस्तकों में लेखाकृत किया जाता है।

4) इलेक्ट्रोलिटिक मँगनीज डाय ऑक्साइड (ई एम डी) (उत्पादन के विविध चरणों में 31 मार्च के अनुसार प्रक्रियागत भंडार के साथ जिसकी निश्चिती इ एम डी की पूर्ण निर्मित युनिटों के प्रतिशत से संबंधित तकनीकी प्राक्कलनों द्वारा की जाती है): संयंत्र का मूल्यऱ्हास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें जो भी कम हो।

5) (ए) तकनीकी मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित के रुप में शामिल करते हुए फेरो मँगनीज/सिलिको मँगनीज का 31 मार्च को निर्धारण तकनीकी मूल्यांकन द्वारा किया जाता है: चालु वर्ष की उत्पादन लागत जिसमें फेरो मँगनीज संयंत्र का मूल्यऱ्हास (स्लैग का वसूली योग्य मूल्य कम करके) अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें से जो भी कम हो।

बी) प्रक्रियागत भंडार: प्रक्रिया से गुजरनेवाले फेरो मँगनीज/ सिलिको मँगनीज की मात्रा को तोला नही जा सकता, देखा नही जा सकता या निर्धारित नही किया जा सकता और इसलिए उसका कोई भी मूल्य नियत नही किया जाता है)

सी) स्लैग का भंडार: स्लैग यह फे रो मँगनीज की उत्पादन प्रक्रिया में निर्मित अशुद्ध द्रव्यों का एक पिघला हुआ पिंड होता है उसे स्क्रैप माना जाता है तथा वसूली योग्य कीमत पर मूल्य आकां जाता है।

बी) भंडार सामग्री वस्तुसूची (सामग्री, कलपूर्जे, टिम्बर, विस्फोटक, इंधन एवं लुब्रीकेन्टस् और कच्चा माल): निम्नतर तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्यपर आय एन डी ए एस 2 के अनुसार भारित औसत पद्धतिपर लागत निर्धारित की जाती है।

सी) वर्ष के अंतमें वस्तुसूचीकी भौतिकीय जाँच की जाती है।

डी) मँगनीज अयस्क तथा भारी कच्चे माल एवं फेरो मँगनीज का निर्माण तथा वस्तुसूची उत्पाद/यांत्रिकी विभाग भार/आयतन अनुपात से सुनिश्चित करते है और वही लेखोंमें लिया जाता है।

ई) कच्चे मालकी वस्तुसूचीमे 31-03-2017 को फेरो मँगनीज संयंत्रके स्थानपर पडा हुआ 225.86 (18.53) मेगाटन का रु. 12.80 (रु. 0.96) लाख मूल्य का मँगनीज अयस्क का भंडार शामिल है।

एफ) अप्रचलित स्टोअर्स/स्पेअर्स की वजहसे अपेक्षित हानिके लिए रु. शून्य (रु. 1.43)लाख का प्रावधान लेखोंमे किया है, जो कि पर्याप्त माना जाता है।

5) प्रचालन से राजस्व-बिक्री

रेल्वे रसीद/लॉरी रसीद/डिलीवरी चलान के आधार पर माल की रवानगी के पश्चात बिक्री इनवॉईज तैयार किया जाता है तथा राजस्वको लेखा पुस्तकों में मान्य किया जाता है तथा लेखा पुस्तकों में राजस्व स्वीकार किया जाता है।

ए) मँगनीज अयस्ककी बिक्रीः

1) लेबॉरेटरी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होनेपर गुणवत्ता में अंतर के लिए पूरक बिलों को प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष में नियत तारीख तक प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों का प्रेषण के वर्ष में विचार किया जाता है। तद्रंतर पूरक बिल प्रस्तुत किए जाते है और उसी वर्ष हिसाब में रखे जाते है। नियत तारीख के बाद प्राप्त विश्लेषण रिपोटों के संबंध में इसे आगामी वर्ष में शामिल किया जाता है।

2) बिक्री में रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड और नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट अंशदान शामिल रहता है।

3) ई एम डी/फेरो मँगनीज/सिलिको मँगनीज/स्लैग की बिक्री

बी) ई एम डी/फेरो मँगनीज तथा स्लैग की बिक्री में इसपर लागू उत्पाद शुल्क एवं शिक्षा उपकर का समावेश है।

सी) मध्य प्रदेध विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को विद्युत की बिक्री

विद्युत बिक्री समझौतेमें मंजूर किए गए शुल्क दरके आधार पर ग्रिडमें डाली उई उर्जाके आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता है।

6) अन्य आय

ए) विविध देनदारों से ब्याज आय निम्ननुसार माने जाते हैः

1) जहाँ देनदारोंकी वसूली की बँक द्वारा क्रेडिट पत्र से पुष्टि की जाती है और जहाँ उसकी वसूली सुनिश्चित होती है वहाँ उपार्जन आधारपर स्वीकृति की जाती है।

चालु वित्तीय वर्ष के बाहर ऋण टर्म के लिए ग्राहक को ब्याज बिल जिस वर्ष से संबंधित हो उस वर्ष के लिए मान्य किया जाता है।

2) जहाँ देनदारों की वसूली बँक के मार्फत क्रेडिट पत्र द्वारा पुष्टी नही की गई हो और कंपनीने सीधा बिल किया हो, जहाँ वसूली मूल्य अनिश्चित हो, वहाँ प्रबंधन के अनुभव के आधारपर जब कभी वास्तविक वसूली मूल्य प्राप्त होता है, उसे आय के तौरपर माना जाता है।

बी) जमा राशियाँ एवं पेशगियों पर ब्याज आय, उपार्जन आधार पर मान्य की जाती है।

1) विस्थापित/क्षतिपहुंचे पार्टस्/स्क्रैप पूंजीकृत नगों के लिए ज्ञापन अभिलेख रखा गया है। जब उनका निपटान किया जाता है, तब प्राप्त राशिको उसी वर्ष के विविध प्राप्तियों में दिखाया जाता है।

2) अन्य आय में फेरो मँगनीज संयंत्र के पिछले वर्षों का विद्युत कर परतावा रु. 2323.07 लाख तथा उस वर्ष का विद्युत देय का समायोजन रु. 220.69 लाख, कुल 2543.76 लाख, सुप्रीम कोर्ट के अनुकुल फैसले की नजर में शामिल है।

7) कैप्टिव खपत

मँगनीज अयस्क

ई एम डी/फेरो मँगनीज के उत्पादन हेतु कच्चे मालके तौरपर निर्गमित किया गया मँगनीज अयस्क फाइन्स/ एच आई एम एस रिजेक्टस् का मूल्य चालू वर्ष के उत्पादन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडारके मूल्यांकन के लिए अपनाये जानेवाले तरीके से फाईन्स/ एच आई एम एस रिजेक्ट का मूल्यांकन प्रतिटन पर मूल्यांकित किया जाता है। अयस्क की खपत औसत लागत के आधारपर हिसाब में ली जाती है। निर्गमित अयस्क का मूल्य, अयस्क उत्खनन/प्रचलन खर्च से कम किया जाता है तथा 'विनिर्मीण खर्च' के मद में कच्चे माल की खतप के तौरपर मान्य किया जाता है।

विद्युत

पवन उर्जा संयंत्र युनिट से निर्माण की गई बिजली तथा खदान/ संयंत्र में उपयोग की गई इस बिजली को निर्माण लागत के आधार पर संबंधित ईकाईको प्रभारित किया जाता है।

8) बिक्री कर, आयकर आदि

ए) बिक्री कर, आयकर आदिके संबंध में जिस वर्ष में कर निर्धारण आदेश कंपनी द्वारा प्राप्त तथा स्वीकृत किया जता है, उक्त आदेश के अनुसार देय या प्राप्त बकाया राशिको, वह आदेश किस वर्ष से संबंधित है इसे ध्यानमें न लेते हुए उक्त आदेश प्राप्ति के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

बी) क्रयके आधारपर बिक्री करमें छूट का दावा किया जाता है। छूट के दावे की राशि तथा वास्तविक स्वीकृत छूट को जिस वर्ष में निर्धारण आदेश कंपनी को प्राप्त होता है और स्वीकार किया जाता है, उस वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

सी) स्त्रोतपर कम किया हुआ (वेतन से कपात किया हुआ) आयकर तथा कंपनी द्वारा प्राप्त किराये की राशि रु. 1730.15 (रु. 2441.65) लाख है। कुछ मामलों में कर कपात प्रमाणपत्र देने प्रलंबित है।

डी) स्थगित कर परिसंपत्ति/देयताएँ: भारतीय लेखांकन 12 के अनुसार प्रकटीकरण: आयकर निम्ननुसार है।

रु. लाख में

क्र.	विवरण	2016-2017/31 मार्च 2017	2015-16/31 मार्च 2016
1	स्तगित कर देयता मूल्य-ह्रास से संबंधित	1047.32	1291.31
2	स्थगित कर परिसंपत्ति आयकर अधिनियम के लिए अमान्य	444.25	243.99
3	शुद्ध स्थगित कर देयता/(-) परिसंपत्ति	603.07	1047.32
4	समेंकित लाभ और हानि के लिए स्थगित कर: बढत/(-) देयता मे घटत	-444.25	-53.33

ई) आयकर खर्चे में चालु तथा इस वर्ह के लाभ-हानि विवरण नुसार अस्थगित कर शामिल है। परिसंपत्ति और देयताओं के कर मूलाधारकी राशियाँ, तथा उनकी वित्तीय विवरणों की राशियों में अस्थायी अंतरके लिए अस्थागित आयकर संपत्तियाँ और देयताएँ मान्य है।

9) कार्मिक के अनुलाभ

ए) कर्मचारियों के अल्पकालिक लाभ

जिस वर्ष में संबंधित सेवा दी गई है उस वर्ष के लाभ-हानि विवरण में छूट मुक्त राशि खर्च, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ खर्च के तौर पर माना जाता है।

बी) सेवा उपरांत लाभ

सेवा उपरांत लाभमें भविष्य निधी, उपादान, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन और चिकित्सा सुविधाएँ शामिल है।

1) परिनिश्चित लाभ योजना

जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान की गई, उस वर्ष के लाभ-हानि लेखामें उपादान, छुट्टी नकदीकरण जैसे सेवा उपरांत लाभको खर्च के रुपमें मान्य किया जाता है। देय राशिके वर्तमान मूल्यपर खर्च को बीमांकित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए खर्च को मान्य किया जाता है। सेवा उपरांत लाभ से संबंधित बीमांकित प्राप्ति एवं हानि को लाभ-हानि लेखामें दर्ज किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा जैसे अनुलाभ बीमा पॉलिसीमे शामिल होते है और बीमा प्रिमीयम की राशिको उस वर्ष में उसे किया गया।

परिनिश्चित दायित्व भारतीय लेखांकन 19 नुसार प्रकटीकरण कार्मिक अनुलाभ निम्ननुसार है

विवरण	उपादान		छुट्टी नकदिकरण	
	31-03-2017	31-03-2016	31-03-2017	31-03-2016
निधिबद्ध उत्तरदायित्वका प्रारंभिक एवं बंद शेष का समाधान, जैसा कि एक स्वतंत्र बीमांकित द्वारा मूल्यांकित किया गया है।				
वर्ष के प्रारंभ में	12692.96	11844.89	4102.65	3892.91
चालु सेवा लागत	1139.33	650.59	340.98	332.10
ब्याज लागत	1015.44	947.59	328.21	311.43
बीमांकित (प्राप्ति)हानि	994.34	1292.18	-124.12	-115.05
प्रदत्त लाभ	-1498.76	-2042.30	-280.74	-318.73
वर्ष के अंत में	14343.31	12692.95	4366.98	4102.66
योजना संपत्ति के संगत मूल्यका प्रारंभिक एवं बंद शेष का समाधान				
वर्ष के प्रारंभ में	11079.02	12257.98	5171.78	5072.37
योजना संपत्तिकी अपेत्रित वापसी	1051.05	1041.93	420.65	431.15
बीमांकित (प्राप्ति)/हानि	0.00	-178.59	0.00	-13.00
नियोक्ता का अंशदान	1621.66	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त अनुलाभ	-1498.76	-2042.30	-280.74	-318.73
वर्ष के अंत में	12252.97	11079.02	5311.69	5171.79
संपत्तिका संगत मूल्यतथा निधी बद्ध उत्तरदायित्व का समाधान वर्ष के अंतमें योजना संपत्तिका				
वर्तमान मूल्य	12259.97	11079.02	5311.69	5171.79
वर्षके अंतमे दायित्वका वर्तमान मूल्वय	14343.31	12692.95	4366.98	4102.66
तुलन पत्रमें मान्य देयता/(-) पूर्वदत्त व्यय	2090.34	1613.93	-944.71	-1069.13
लाभ-हानि लेखा में मान्य खर्च				
चालु सेवा लागत	1139.33	650.59	340.98	332.10
ब्याज लागत	1015.44	947.59	328.21	311.43
योजना संपत्तिकी अपेक्षित वापसी	-1051.05	-1041.93	-420.65	-431.15
बीमांकित (प्राप्ति)/हानि	994.34	1470.77	-124.12	-102.05
लाभ-हानि लेखामें मान्य कुल खर्च	2098.05	2027.02	124.43	110.33
बीमांकित पूर्वानुमान	(1994-96) अंतिम	(1994-96) अंतिम	(1994-96) अंतिम	(1994-96) अंतिम
मृत्युदर तालिका (जीवन बीमा निगम)				
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.37%	8.00%	7.37%	8.00%
योजना संपत्तिपर अपेक्षित वापसी (प्रतिवर्ष)	8.40%	8.50%	8.40%	8.50%
वेतनवृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

2) परिनिश्चित अंशदान योजना

परिनिश्चित अंशदान योजना (भविष्य निधी, पेंशन) सेवा उपरांत लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी अलग-अलग निधियों में तय शुदा अंशदान का भुगतान करती है। परिनिश्चित अंशदान योजना में कंपनी का योगदान संबंधित वित्त वर्ष के लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

कंपनी अपनी संगत लेखांकन नीति के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित दर से कर्मचारी भविष्य निधी (इपीएफ) में तथा छूटप्राप्त (अंशतः छूट) न्यासमें अपनी सुनिश्चित योजनानुसार योगदान देती है। छूटप्राप्त न्यास शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से अधिक दर ब्याजकी रकम सभासदों के खाते में जमा करता है। कंपनी सेवा निवृत्ती लाभ (पेंशन) के परिलक्ष्य में, शासन द्वारा निर्धारित दर से भारतीय जीवन बीमा निगम को योगदान देती है।

10) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति खर्च

कंपनी व्ययकी संपूर्ण राशि को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखामें दर्ज करती है जिस वर्ष में उसे किया गया।

11) कल्याण आयुक्त से प्राप्त सब्सिडी का लेखांकन

ए) **श्रमिक निवासः** कंपनीने कुछ श्रमिक निवासोंका निर्माण किया है/कर रही है, जिसके लिए कंपनी को कल्याण आयुक्त से सबसीडी मिल रही है। चूंकी जिस भूमिपर इन निवास स्थानों को निर्माण किया जाता है वह भूमि कल्याण आयुक्त के सुपुर्द की जाती है और यह परिसंपत्ति (निर्मित निवास स्थान) कल्याण आयुक्त की ओर अभ्यार्पित की जाती है। इसलिए इसमें कंपनी द्वारा किया गया पूरा खर्च तथा प्राप्त हुई सब्सिडी भी जिस वर्ष में खर्च की जाती है। सब्सिडी प्राप्त होती है, उस वर्ष के राजस्व खाते पर दर्ज की जाती है।

बी) **कल्याण परिसंपत्ती**

परिसंपत्तियां जैसे स्कूल बस, रुग्णवाहिका, जलपूर्ति योजना आदि जो कल्याण योजना के अधीन आती है, के अर्जन का पूरा खर्च, जिस वर्ष में किया जाता है उसी वर्ष के संबंधित परिसंपत्ति लेखा में डाला जाता है। प्राप्त हुई सब्सिडी की राशि को आवक वर्ष के उसी परिसंपत्ति के शीर्षक खाते में जमा किया जाता है और बादमें मूल्य-ह्रास उस वर्ष से परिसंपत्ति से कम किए मूल्यपर आंका जाता है।

12) कंपनी के दावेः

बीमा/कंपनी/रेलवे में दाखिल किए दावों की राशियों का उचित निश्चित मूल्यांकन करके उस वर्ष के दौरान दावा की गई राशियों के आधार पर लेखे में लिया जाता है और यदि कोई अंतर हो तो दावे के निर्धारण पर उसे समायोजित किया जाता है।

13) पूर्वदत्त खर्चः

जहाँ 1.00 लाख रुपये से ज्यादा के प्रत्येक मामलें में भुगतान हो उसे केवल पूर्वदत्त खर्च माना जाता है।

14) संदिग्ध कर्ज हेतू प्रवाधानः

पिछले दो वर्षों से अधिक रुके हुए फु टकर ऋणों के लिए प्रत्येक मामलेकी खराब तथा संदिग्ध ऋणोंकी अलग-अलग समीक्षा के आधार पर प्रावधान किया जाता है। निजी पार्टियोंके नाम पर तीन वर्षों से अधिक अवधि तक बकाया ऋण, या बकाया दंड जमा जिसका भुगतान संदिग्ध हो, राशियों के लिए निश्चित रुपसे व्यवस्था की जाती है।

15) अनुसंधान एवं विकास खर्च

अनुसंधान एवं विकास खर्च उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखामें दर्ज किया जाता है, यद्यपि अनुसंधान एवं विकास के लिए स्थायी परिसंपत्ति पर हुआ खर्च के समान ही माना जाता है।

16) खान बंद का खर्च

संबंधित नियमों एवं अधिनियमों के तहत तकनीकी मूल्यांकन करके, अंतिम खान बंद करनेका वित्तीय प्रभाव, उपलब्ध अयस्क भंडार के आधार पर निकाला जाता है। जिसे वर्षानुवर्ष आधारपर सभी खदानों के संपूर्ण उत्पादन को ध्यानमें लेनेके बाद लेखों में प्रावधान किया जाता है।

17) वन भूमिको अ-वनभूमि हेतु बदलने के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्यांकन

संबंधित प्राधिकारियोंसे आवश्यक अनुमति प्राप्त होने पर देनदारियाँ तय की जाती है.

18) कंपनीने विचाराधीन वर्ष के दौरान प्रति शेयर रु. 248 के दर से 34812196 शेयरोंका बायबॅक किया जै, जिसका कुल मल्वय रु. 86334.25 लाख है।

19) अंशधारकों की मंजूरी के दिनांक को शेयरोंपर अंतिम लाभांश देयता के रुप में दर्ज किया जाता है। अंतरिम लाभांश को कंपनी के मंपप निदेशकों द्वारा घोषित किए दिनांक को देयता माना जाता है। मंडलने निर्धारित किये दिनांक को अंतरिम लाभांश देयता के रुप में लिखा जाता है।

20) नकद प्रवाह, नकद प्रवाह विवरण तैयार करनेके लिए जो अप्रत्यक्ष पद्धति अपनायि गयी, उसीका इस्तेमाल करके दर्ज किया है।

1) कुछ मामलों में कर्मचारियोंको दिये गये ऋण के संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नही है और उसे असुरक्षित माना जाता है।

व्यापार प्राप्य और व्यापार देय के निश्चिती के संदर्भ संबंधित पक्षोंको पत्र भेजे गये है। 31-03-2017 को शेष राशि रु. 28295.26 लाख में से रु. 11757.14 लाख का समाधान हो गया है।

अनुमोदन प्राप्त होने के संदर्भमें कंपनीद्वारा परीक्षण तथा शेष समाधान की प्रक्रिया जारी है।

21) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एम एस एम ई) के संबंध में प्रकटीकरणः

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1	एम एस एम ई को अदत्त रही मूल राशि उपर्युक्त पर देय ब्याज, अदत्त रहा	224.64 निरंक	171.48 निरंक
2	एम एस एम ई विकास अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रदत्त ब्याज (एम एस एम ई डी ए) वर्ष के दौरान नियत दिनके बाद किए गए भुगतानों सहित	निरंक	निरंक
3	भुगतान करने में विलंब के लिए देय ब्याज (भुगतान किया लेकिन नियत दिन के बाद) लेकिन एम एस एम ई डी ए के अंतर्गत विर्निष्ट ब्याज को जोडे बिना	निरंक	निरंक
4	प्रत्येक लेखावर्ष के अंत में संचित और अदत्त रहा ब्याज	निरंक	निरंक
5	एम एस एम इ डी ए की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रुप में अस्वीकृति के प्रायोजन के लिए उत्तरवर्ती वर्ष (उस तारीख तक जब उपरोक्त के अनुसार ब्याज देय है वह वास्तवमें लघु उद्यमों को भुगतान किया गया है) में देय रहा ब्याज		

22) अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 14.2) में शामिल हैः

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03-2017	31.03.2016
1.	यात्रा खर्च		
	ए) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	26.56	35.08
	बी) निदेशक	28.39	29.88
	सी) सी एफ ओ तथा कंपनी सचिव	2.31	2.52
2.	लेखापरीक्षक का मेहनताना		
	ए) लेखापाल के रुपमें	4.60	4.56
	बी) कर संबंधित मामलोंके लिए	1.44	1.45
	सी) अन्य सेवाओं के लिए	6.11	3.43
	डी) खर्चोंकी प्रतिपूर्ति लिए	0.03	0.30
		12.18	9.47
3.	विज्ञापन जिसमें सार्वजनिक संबंध तथा प्रचार शामिल है	27.10	49.33

23) संबंधित पार्टियोंके साथ व्यवहार- लेखांकन मानक-24/ कंपनी अधानियम 2013 के अनुसार संबंधित पार्टियोंके साथ व्यवहार का प्रकटीकरण नीचे दर्शाया गया है।

1) संबंधित पार्टियोंकी सूची एवं संबंध

ए) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	पदनाम
1.	श्री. एम. पी. चौधरी (01-09-2016 से)	अध्यक्ष-सह प्रबंध-निदेशक
2.	श्री. जी. पी. कुंदरगी (31-08-2016 तक)	अध्यक्ष-सह प्रबंध-निदेशक
3.	श्री. टी. के. पटनायक	निदेशक (वाणिज्य)
4.	श्री. डी. एस. अहलुवालिया	निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त कार्यभार
5.	श्री. एन. पी. काजरेकर (11-11-2016 से)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
6.	श्री. एन डी. पाण्डेय	कंपनी सचिव

श्री. टी. के. पटनायक के पास 01-08-2016 से निदेशक (उत्पादन एवं आयोजन) का अतिरिक्त कार्यभार है तथा श्री. डी. एस. अहलुवालिया, निदेशक (वित्ती) एन एम डी सी लिमिटेड, निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त भार 01-12-2016 से सौपा गया है।

बी) संयुक्त उद्यम कंपनीयाँ

1. सेल अॅण्ड मॉयल फे रो अलॉय प्रा. लिमिटेड

2. रिनमॉयल फे रो अलॉय प्रा. लिमिटेड

24) संबंधित पार्टिके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार उपर्युक्त (1) (ए) में उलल्ेखितः

	विवरण	2016-17	2015-16
1)	प्रबंधकीय मेहनताना		
2)	ए) वेतन एवं भत्ते	126.64	111.81
	बी) भविष्य निधिमें अंशदान	9.29	9.85
	सी) परिलब्धियोंका वास्तविक/ अनुमानित मूल्य	3.56	4.32
	डी) कुल	139.49	125.98
	यात्रा खर्च की परिपूर्ति	57.26	67.48

25) आकस्मिक देयताएँ-भारतीय लेखांकन 37/कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न प्रकार है

ए) ऋण के तौरपर अस्वीकृत कंपनी के विरुद्ध दावे

रु. लाख में

क्र.सं.	दावोंका विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1.	वेतन एवं अन्य अनुलाभ के लिए कार्मिकों द्वारा	98.00	218.00
2.	तिरोड खदानसे अयस्क की रेलिंग पर परिवहन शुल्क के भुगतान के लिए वन विभाग द्वारा	86.08	86.08
3.	पंचाट कार्ड और ठेकेदारों पर ब्याज	1024.48	908.96
4.	केंद्रिय उत्पाद आयुक्त, जबलपुरद्वारा केंद्रिय उत्पाद शुल्क मंगनीज अयस्कपर	14435.84	-
5.	प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर तथा कर्मचारियों का प्रोफेशनल टैक्स	95.79	83.22
6.	अपील के अंतर्गत विवादित आयकर (पहलेसे भुगतान किया कर रु. 1697.62 (रु. 1569.39) लाख)	1697.62	1615.00
7.	बँक गारंटी/क्रेटीड पत्र के अंतर्गत वित्तिय आश्वासन पर आकस्मिक देयता (बराबर राशि की सावधि जमा द्वारा प्रस्तुत)	384.23	380.31

पूंजीकृत खातेमें संपादित की जानेवाली अनुमानित राशि जिसके लिए प्रावधान किया गया रु. 14860.75 (रु. 12084.45) लाख है। संविदों के लिए आग्रिम राशि रु. 1406.66 (रु. 1478.50) लाख भुगतान किया गया है।

26) प्रावधान-भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

रु. लाख में

प्रावधान का विवरण	प्रारंभिक शेष 01-04-2016	प्रावधान	प्रावधान बट्टे खाते में/ इस्तेमाल	अंतिम शेष 31-03-2017
अंतिम खान बंद खर्च	861.82	72.75	-	934.57
	(786.05)	(75.77)	-	(861.82)
संदिग्धऋण तथा अग्रिम	67.91	33.81	(0.00)	101.72
	(67.91)	(0.00)	(0.00)	(67.91)

अंतिम खान बंदी खर्च के संदर्भ में खान बंदी के समय नदक निर्गम अपेक्षित है। खदानका जीवनमान निरंतर माना जाता है (निरंतर संस्था मूलाधारपर)

27) वर्ष के दौरान पूंजीगत सामग्री मालकी आयात रु. शून्य (रु. शून्य) लाख।

28) यात्रा के लिए विदेशी मुद्रापर खर्च रु. 12.50 (रु. 20.97) लाख और विविध खर्च रु. 1.01 (रु. 12.53) लाख।

29) निगमित समाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) तथा संधारणीयता विकास

कंपनी ग्रामीण रास्तोंका निर्माण, सार्वजनिक स्थानोंपर शौचालय, स्नानगृह तथा पाठशालाएँ एवं कुशलता विकास कार्यक्रम जैस सी एस आर तथा एस डी गतिविधियाँ चलाती है।

30) वित्तीय विवरणोंकी बारे में अधिक जानकारी: कंपनी अधिनियम 2013 की

ए) अनुसूची 111 अनुच्छेद 'के' नुसार एस बी एन संबंधित जानकारी

विवरण	एस बी एन	अन्य किंमत के नोट	कुल
08-11-2016 को अंतिम नकद	384000.00	460295.42	844295.42
(+) अनुज्ञापित प्राप्तियाँ	5000.00	47441202.98	47446202.98
(-)अनुज्ञापित देय	22000.00	38028722.92	38050722.92
(-) बँकमें जमा की गई राशी	367000.00	8806000.00	9173000.00
30-12-2016 को अंतिम नकद	शून्य	1066775.48	1066775.48

बी) उत्पादन, बिक्री, प्रारंभिक और अंतिम स्कंध

विवरण	31-03-2017 को समाप्त वर्ष		31-03-2016 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एम टी)	रु. लाख में	मात्रा (एम टी)	रु. लाख में
ए) उत्पादन/निर्मिती				
मँगनीज अयस्क	1004845	-	1032275	-
ई एम डी	731		612	-
फे रो मँगनीज	9950	-	6519	-
फे रो मँगनीज स्लॅग	14009	-	9203	-
पवन उर्जा (के डब्ल्यू एच)	32305629	-	36370789	-
बी)बिक्री				
मँगनीज अयस्क	1129146	91213.65	967267	57179.01
ई एम डी	952	700.22	714	519.60
फे रो मँगनीज	9540	5368.82	7922	3636.34
फे रो मँगनीज स्लॅग	12489	805.89	13285	627.16
एम पी ई डी सी एल को बिजली (के डब्ल्यू एच)	23300523	783.39	27247140	911.66
सी) प्रारंभिक स्कंध				
मँगनीज अयस्क	294713	13045.98	248360	10937.69
ई एम डी	294	217.98	396	346.80
फे रो मँगनीज	2598	1026.20	4001	1636.45
फे रो मँगनीज स्लॅग	1165	81.51	5247	316.62
डी) अंतिम स्कंध				
मँगनीज अयस्क	142348	8188.59	294713	13045.98
ई एम डी	73	57.53	294	217.98
फे रो मँगनीज	3008	1099.31	2598	1026.20
फे रो मँगनीज स्लॅग	2685	184.55	1165	81.51
टिप्पणी:				
उत्पादन के लिए जारी किए गए मँगनीज अयस्क के समायोजन के पश्चात अंतिम स्कंध				
ई एम डी	2458		2405	
फे रो मँगनीज	25606		16250	
कॅप्टिव खतपके लिए उपयोग की गई बिजली सहित पवन उर्जा मिलों से बिजली की निर्मिती (के डब्ल्यू एच)	9005107		9123649	

सी) अनुज्ञापित और संस्थापित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता

विवरण	31-03-2017 को समाप्त वर्ष		31-03-2016 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एम टी)	उपयोत की गई क्षमता	मात्रा (एम टी)	उपयोत की गई क्षमता
ए) अनुज्ञापित और संस्थापित क्षमता				
ई एम डी	1000	-	1000	-
फे रो मँगनीज	10000	-	10000	-
पवन उर्जा (के डब्ल्यू एच)	40000000	-	40000000	-
बी) उत्पादन एवं क्षमता उपयोग				
ई एम डी	731	73%	612	61%
फे रो मँगनीज	9950	99.50%	6519	65%
पवन उर्जा	32305629	81%	36370789	91%

31) संयुक्त उद्यम के रुप में समेकित उपक्रमों की अतिरिक्त जानकारी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-111 के अंतर्गत आवश्यक है।

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	शुद्ध परिसंपत्ति अर्थात कुल परिसपत्तिमें कुल देयता घटाकर		लाभ या (हानित्र मे हिस्सा		अन्य विस्तृत आय में हिस्सा		कुल विस्तृत आय में हिस्सा	
		समेकित शुद्ध परिसंपत्ति का प्रतिशत	राशि (रु.लाख में)	समेकित लाभ या (हानि) का प्रतिशत	राशि (रु.लाख में)	समेकित अन्य विस्तृत आयका प्रतिशत	राशि (रु.लाख में)	कुल समेकित अन्य विस्तृत आयका हिस्सा	राशि (रु.लाख में)
	मूल कंपनी								
1	मॉयल लिमिटेड **सुंयुक्त उद्यम (अनुपालिक समेकन के आधारपर)**	100.00	280535.06	99.49	30583.19	100	-655.61	99.48	29927.58
2	सेल अॅण्ड मॉयल फे रो अलॉयज प्रा. लि.	-0.06	-166.25	-0.06	-18.29	0.00	0.00	-0.06	-18.29
3	रिनमॉयल फे रो अलॉईज प्रायवेट लि.	0.00	7.44	-0.01	-2.54	0.00	0.00	-0.01	-2.54

32) मॉयल के संयुक्त उद्यमोंका नाम और लेखों के समेकन की स्थिती दर्शाता विवरण

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	क्या लेखा समेकित है	क्या सी एण्ड जी कए अधिकारक्षेत्र में है
	मूल कंपनी		
1	मॉयल लिमिटेड **संयुक्त उद्यम**	हाँ	हाँ
1.	सेल अॅण्ड मॉयल फे रो अलॉय प्रा. लि.	हाँ	हाँ
2.	रिनमॉयल फे रो अलॉय प्रायवेट लिमिटेड	हाँ	हाँ

33) जहाँ आवश्यकता हो, तुलनीय बनाने के लिए गतवर्ष के संबंधित अंक कोष्ठक में नमूद किये है।

आय जी ए ए पी से ईक्विटी का आय एन डी ए एस लेखा में समाधान

रु. लाख में

	विवरण	टिप्पणी संख्या	1 अप्रैल 2015 का प्रारंभिक तुलन पक्ष			31 मार्च 2016 को		
			आय जी ए ए पी	परिवर्तन का प्रभाव	आय एन डी ए एस	आय जी ए ए पी	परिवर्तन का प्रभाव	आय एन डी ए एस
1.	परिसंपत्ति							
	गैर-चालु परिसंपत्ति							
	ए) संपत्ति, संयंत्र तथा सामग्री		29033.61	0.00	29033.61	30832.98	0.00	30832.98
	बी) कार्यशील पूंजी		5405.42	0.00	5405.42	6913.35	0.00	6913.35
	सी) निवेश संपत्ति		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	डी) गुडविल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ई) अन्य अवास्तविक संपत्ति	ए	863.38	0.00	863.38	743.76	0.00	743.76
	एफ) विकसनशिल अवास्तविक संपत्ति		35.15	0.00	35.15	1276.73	0.00	1276.73
	जी) धारक संयंत्र छोड़कर अन्य जैविक संपत्ति		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एच) वित्तीम संपत्ती		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1) निवेश		1.29	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29
	2) व्यापार प्राप्तियाँ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3) ऋण		93.61	-1.86	95.47	121.23	-1.91	123.14
	4) अन्य (विनिदिष्ट करे)		0.00	0.15.-	-0.15	0.00	0.15	-0.15
	आय)अस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जे) अन्य गैरचालु परिसंपत्ति		8086.85	1.85	8085.00	6348.10	1.90	6346.20
2.	चालु परिसंपत्ति							
	ए) वस्तुसूची		14422.45	0.00	14422.45	16298.91	0.00	16298.91
	बी) वित्तीय परिसंपत्ती	ए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1) निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2) व्यापर प्राप्तियाँ		10724.02	0.00	10724.02	14204.64	0.00	14204.64
	3) नकद एवं नकद समतुल्य		283099.80	0.00	283099.80	285119.21	0.00	285119.21
	4) उपरनिर्दिष्ट (3) छोड़कर बँक जमा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5) ऋण		2159.76	-0.14	2159.90	1636.18	-0.14	1636.32
	6) अन्य (विनिर्दिष्ट करे)		0.00	0.88	-0.88	0.00	0.88	-0.88
	सी) चालु कर परिसंप्ती (शुद्ध)		0.00	0.47	-0.47	0.00	0.59	-0.59
	डी) अन्य चालु परिसंपत्ति		11404.41	3.22	11404.39	9820.29	-1.16	9821.45
	कुल संपत्ति		**365332.95**	**4.57**	**365328.39**	**373316.66**	**0.32**	**373316.34**
	ईक्विटी और देयताएँ							
	ईक्विटी							
	ए) ईक्विटी शेयर पूंजी		16800.00	0.00	16800.00	16800.00	0.00	16800.00
	बी) अन्य ईक्विटी	बी	321232.76	-1.73	321234.49	328379.02	0.32	328378.70
1.	**गैर-चालु देयताएँ**							
	ए) वित्तीय देयताएँ							
	1) उधार राशियाँ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2) व्यापार देय							
	3) अन्य देयताएँ (बी) में विनिर्देशित के अलावा							
	बी) प्रावधान		786.05	6.30	779.75	861.81	0.00	861.81
	सी) अस्थागित कर देयताएँ (शुद्ध)		1100.64	0.00	1100.64	1047.32	0.00	1047.32
	डी) अन्य गैर चालु देयताएँ		240.48	0.00	240.48	96.91	0.00	96.91
2.	चालु देयताएँ							
	ए) वित्तीय देयताएँ							
	1) उधार राशियाँ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2) व्यापार देय		2341.97	0.00	2341.97	2533.32	0.00	2533.32
	3) अन्य वित्तीय देयताएँ (सी मे निर्देशित के अलावा)							
	बी) अन्य चालु देयताएँ		14078.33	0.00	14078.33	16134.31	0.00	16134.31
	सी) प्रावधान		8752.72	0.00	8752.72	7463.97	0.00	7463.97
	डी) चालु कर देयताएँ (शुद्ध)							
	कुल ईक्विटी एवं देयताएँ		365332.95	4.57	365328.39	373316.66	0.32	373316.34

टिप्पणी:

ए) जमा तथा विस्तृत आयको भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार कतारीय नग के अनुपालन में समायोजन किया गया है।

बी) भारतीय लेखांकन 19 के अनुसार उपर्जित आय तथा व्यय आय जी ए ए पी में लाभ हानि विवरण में दर्ज करनेकी तुलना में अन्य विस्तृत आय के रुपमें मान्य किये जाते है।

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
			आय जी ए ए पी	बदलाव का प्रभाव	आय एन डी ए एस
1.	प्रचालन से राजस्व	11.1	63460.00		63460.00
2.	अन्य आय	11.2	25221.55		25221.55
3.	कुल आय (1 + 2)		**88681.55**	**0.00**	**88681.55**
4.	व्यय				
	ए) सामग्री उपभोग की लागत	12.1	1733.97	0.00	1733.97
	बी)व्यापारगत माल की खरीदी		0.00		0.00
	सी)तैयार माल, चालु कार्य और व्यापारगत माल का वस्तुसूची में परिवर्तन	13.1	-1389.59		-1389.59
	डी) कर्मचारी लाभ खर्च	14.1	30123.07	-1223.60	28899.47
	ई) वित्तीय व्यय		0.00		0.00
	एफ) मूल्यऱ्हास और परिशोधन व्यय	2.1	5265.28		5265.28
	जी) अन्य व्यय	14.2	26796.14		26796.14
			62528.87	-1223.60	61305.26
	घटाएं अंतर एक क स्थानांतरण		852.33	0.00	852.33
	कुल व्यय (4)		**61676.54**	**-1223.60**	**60452.93**
5.	असाधारण वस्तुएँ लाभ (3-4)		27005.02	1223.60	28228.62
6.	असाधारण वस्तुएँ		0.00	0.00	0.00
7.	करपूर्व लाभ/(हानि) (5-6)		**27005.02**	**1223.60**	**28228.62**
8.	कर व्यय				
	ए) चालु कर		9780.67	0.00	9780.67
	बी) अस्थगित कर		-53.33	0.00	-53.33
			9727.34	**0.00**	**9727.34**
9.	निरंतर प्रचालनसे लाभ/(हानि) (7-8)		**17277.68**	**1223.60**	**18501.28**
10.	अन्य विस्तृत आय				
ए)	1) लाभ/हानि में पुर्नवर्गीकृत न होनेवाले नग		0.00	-1223.92	-1233.92
	2) (1) से संबंधित वस्तुओं पर आयकर				
बी)	1)लाभ/हानि पुनवर्गीकृत होनेवाले नग				
	2) (1) से संबंधित वस्तुओं पर आयकर				
11.	अवधि के लिए करके पश्चात लाभ (9 + 10)		**17277.68**	**-0.32**	**17277.36**
12.	पर ईक्विटी शेयर आय 10 रु. मूल्य के (निरंतर प्रचलित के लिए)				
	1)मूल		10.30	0.00	10.30
	2)डायल्यूटेड		10.30	0.00	10.30

आय जी ए पी से लेखांकि त कि यए हुए लाभ-हानि विवरण से आय एन डी ए एस में लेखांक न में समाधान का स्पष्टीक रण

ए) भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ से संबंधित उपर्जित लाभ तथा हानि अन्य विस्तृत आयमें मान्य कि ये जाते है एवं लाभ तथा हानिमें वर्गीकृत नही कि यए जाते।

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र को समेकित टिप्पणियाँ

टिप्पणी 2.1-संयंत्र, संपत्ति, सामग्री

रु. लाख में

	संपत्तियोका मूल्य ऱ्हास	कुल				मूल्यऱ्हास				शुद्ध	
		को 31-03-2017	बढत	घटत	को 31-03-2017	को 31-03-2016	वर्ष के लिए	घटत	को 31-03-2017	को 31-03-2017	को 31-03-2016
ए	वास्तविक संपत्ति										
1.	विगर पट्टा भूमि	1828.97	48.38	0.00	1877.35	121.21	18.18	0.00	139.39	1737.96	1707.96
2.	इमारत	16495.24	1306.59	8.85	17792.98	5089.05	1213.92	7.62	6295.81	11497.17	11405.73
3.	संयंत्र और मशीनरी	45011.68	3826.87	709.39	48129.16	27826.67	3749.62	666.27	30910.02	17219.14	17185.01
4.	फर्निचर और फिक्चर	398.46	58.11	0.03	456.54	270.24	50.11	0.03	320.32	136.21	128.22
5.	कार्यालय उपकरण	606.45	12.18	2.55	616.08	532.86	27.64	2.42	558.08	57.99	73.59
6.	वाहन	1100.82	159.72	59.97	1200.57	768.15	136.86	56.97	848.04	352.53	332.67
	(ए)	65441.61	5411.85	780.79	70072.67	34608.63	5196.34	733.31	39071.67	31001.01	30832.98
बी	अवास्तविक संपत्ति										
1.	पट्टाधारेत भूमि	2359.68	143.04	0.00	2502.72	1615.92	125.09	0.00	1741.01	761.71	743.76
2.	संगणक साफ्टवेअर	0.00	1493.90	0.00	1493.90	0.00	168.33	0.00	168.33	1325.57	0.00
	(बी)	2359.68	1636.94	0.00	3996.62	1615.92	293.42	0.00	1909.34	2087.28	743.76
	(ए+बी)	67801.29	7048.79	789.79	74069.29	36224.55	5489.76	733.31	40981.01	33088.29	31576.74
सी	कार्यशील पूंजी									11774.39	6913.35
डी	विकासशील अवास्तविक संपत्ति									0.00	1276.73
	कुल शुद्ध स्थायी परिसंपत्ति									44862.68	39766.82
ई	गत वर्ष	61685.45	7034.02	918.18	67801.29	31788.47	5265.28	829.19	36224.55	31576.74	0.00

1. जहाँ भूमिका स्वतंत्र विचार नही किया हो, वहाँ इमारतों में भूमि भी शामिल है।
2. मूल्यऱ्हास में अवधिको दौरान मूल्यऱ्हास शामिल है।
   - ए) उत्पादन एकक की परिसंपत्ति
   - बी) उर्जा निर्मिती एकक की परिसंपत्ती
3. तुलनपत्र के दिनांक को कोई क्षति या हानि नही है।

2016-2017	20105-2016
102.41	68.99
174.68	174.68

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र को समेकित टिप्पणियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
टिप्पणी 3.1 गैर-चालु निवेश (अनकोटेड) लागत पर						
खदानोंमें सहकारी स्टोर/सोसायटी को पूर्णतः प्रदत्व शेयर						
ए) सहकारी स्टोर (अपंजीकृत) के रु. 5/- प्रत्येक के 500 (500) शेयर	0.03		0.03		0.03	
बी) सहकारी सोसायटी के रु. 25/- प्रत्येक के 1612 (1612) शेयर	0.40		0.40		0.40	
सी) सहकारी सोसायटी के रु. 10/- प्रत्येकी के 8556 (8556) शेयर	0.86		0.86		0.86	
		1.29		1.29		1.29
कुल		1.29		1.29		1.29
टिप्पणी 4.1दीर्घकालिक ऋण और आग्रिम						
ए) **सुरक्षित**						
कर्मचारियोंको ऋण और आग्रीम		117.59		112.15		86.74
बी) **असुरक्षित**						
कर्मचारियों को ऋण और आग्रीम		5.44		9.08		6.87
कुल		123.03		121.23		93.61
टिप्पणी 4.2 अन्य गैर-चालु परिसंपत्ति						
ए) स्थायी और अन्य जमापर प्रोद्भूत ब्याज पर देय नही		2.81		1.10		0.00
बी) कर्मचारियोंको ऋणपर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नही		36.92		38.31		35.18
सी) रेलवे, बिजली बोर्ड और अन्य के पास जमा (असुरक्षित)		596.96		634.97		712.67
डी) पूंजीगत सामग्री की खरीदी के लिए अग्रीम		1406.65		1478.50		1485.64
ई) पूंजीगत छोडकर के लिए अग्रीम						
1) आयकर (शुद्ध) अग्रिम भुगतान		2111.26		3993.16		5651.35
2) संयुक्त उद्यम कंपनियों को अग्रिम सेल अॅण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड को अग्रीम		200.00		200.00		200.00
3) अन्य एजेंन्सियों के लिए अग्रिम- आर आय एन एल		0.14		0.14		0.14
एफ) पूंजीगत छोडकर के लिए अग्रीम		1.96		1.90		1.85
कुल		4356.72		6348.10		8086.85
टिप्पणी 5.1 वस्तुसूची (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणीत)						
ए) कच्चा माल		64.68		88.62		56.81
बी) प्रक्रियागत कार्य		9.58		4.06		5.17
सी) तैयार माल		9702.35		14533.25		13232.39
डी) पारगमन में स्टोर		0.00		0.00		3.15
ई) स्टोर और स्पेअर्स	2442.26		1674.41		1126.42	
(-) अप्रचलित स्टोर और स्पेअर्स के लिए प्रावधान	1.43		1.43		1.49	
		2440.83		1672.98		1124.93
कुल		12217.44		16298.91		14422.45
टिप्पणी 5.2 व्यापार प्राप्तियाँ (असुरक्षित)						
1) अच्छा माना गया	24198.25		14244.00		10763.38	
(-)संदिग्ध ऋणोंके लिए प्रावधान	73.16		39.36		39.36	
कुल		24125.09		14204.64		10724.02

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र को समेकित टिप्पणियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
टिप्पणी 5.3 नकद और नकद समकक्ष						
1) हाथमें रोकड		10.20		8.32		13.53
2) बँकों मे जमा						
सावधि जमा में		205279.08		282447.22		281052.25
सावधि जमामें (बँक गॅरंटी/एलसी के विरुद्ध मार्जिन मनी के रुप मे)		384.23		380.31		296.30
विशेष लाभांश खातोंमें वारंटो का नकदीकर लंबित		155.67		120.73		111.07
वर्तमान खातोंमें		3372.96		2162.60		1626.65
कुल		209202.14		285119.21		283099.80
सावधि जमाओं में 12 माह के बाद परिपक्व होनेवाला जमा शामिल है।	126.06		127.55		0.18	
टिप्पणी 6.1- अल्पकालिक ऋण और आग्रिम						
ए) सुरक्षित						
1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		92.32		74.91		59.25
बी) असुरक्षित						
1) कर्मचारियों को अग्रिम		241.97		190.74		194.52
2) स्टोअर्स, स्पेअर्स आदि खरीदके लिए अग्रिम	121.93		67.11		82.06	
(-) संदिग्ध ऋणोंके लिए प्रावधान	11.75		11.75		11.75	
		110.18		55.36		70.31
3) ठेके दारों ओर अन्य को आग्रीम	78.33		59.48		57.73	
(-) संदिग्ध अग्रीम के लिए प्रावधान	23.78		16.28		16.28	
		54.55		43.20		41.45
उपर्युक्त में निम्न शामिल है						
अधिकारियों को आग्रिम	0.00		0.00		0.00	
अध्यक्ष-सह-प्रबंद निदेशक को आग्रीम	0.00		0.00		0.00	
रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि. एक संयुक्त उद्यम कंपनी	16.61		16.61		16.61	
4) प्राप्य दावे	0.53		0.53		0.53	
(-) संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	0.53		0.53		0.53	
		0.00		0.00		0.00
5) पूर्वदत्त खर्च		1203.10		1271.98		1794.24
कुल		1702.12		1636.19		2159.77
टिप्पणी 6.2 अन्य चालु परिसंपत्तियाँ						
1) सावधि और अन्य जमाओंपर अर्जित ब्याज		7016.87		8277.53		10633.72
2) फुटकर प्राप्य		4211.30		1542.76		773.90
कुल		11228.20		9820.29		11407.62

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र को समेकित टिप्पणियाँ

रु. लाख में

विवरण		31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
टिप्पणी 7.1 शेअर पूंजी							
अधिकृत							
ईक्विटी शेयर	संख्या	250000000		250000000		250000000	
	अंकित मूल्य रु में		10.00		10.00		10.00
	राशि		25000.00		25000.00		25000.00
निर्गमित अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त							
ईक्विटी शेयर	संख्या	133187804		168000000		168000000	
	अंकित मूल्य रु में		10.00		10.00		10.00
	राशि		13318.78		16800.00		16800.00
एक ईक्विटी शेयर के लिए एक मतदान अधिकार और शेयर होल्डिंग के बराबर लाभांश अनुपात अधिकारके साथ रु.10/- सममूल्य के ईक्विटी शेयरोंके रुपमें कं पनीके पास के वल एक श्रेणीके अधिकार है।							
समाधान विवरण							
प्रारंभ में शेयरों की संख्या		168000000		168000000		168000000	
जोडे: वर्ष के निर्गमित शेयर		0		0		0	
घटाएँ:वर्षके दोरान शेयरों का बायबॅक		34812196		0		0	
अंतमें शेयरों की संख्या		133187804		168000000		168000000	
प्रत्येक शेयरधारक की शेयर होल्डींगका विवरण जिसके पास 5 प्रतिशत से अधिक के शयर है							
शेयरधारक का नाम		धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
भारत सरकार		74869435	56.21	120235680	71.57	120235680	71.57
भारतीय जीवन बीमा निगम		9899959	7.43	1859938	1.11	1007796.00	0.60

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
टिप्पणि 7.2 आरक्षित निधी एवं अधिशेष						
सामान्य आरक्षित निधी						
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	327878.79		320378.79		295378.79	
(-) पूंजी पुर्नवांछन अतिरिक्त निधी को स्थानांतरित	3481.22		0.00		0.00	
(-) बायबॅक से संबंधित व्यय	380.18		0.00		0.00	
(-) शेयरोंका बायबॅक	82853.03		0.00		0.00	
(+) लाभ हानि लेखासे अतिरिक्त लाभ से स्थानांतरित	12500.00		7500.00		25000.00	
		253664.36		327878.79		320378.79
शेयर क्षति/हानि आरक्षित निधि		3481.22				
सी एस आर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित						
पिछले तुलनपक्ष के अनुसार	0.00		18.00		34.00	
(+) लाभ-हानि लेखासे स्थानांतरित	0.00		0.00		18.00	
(-) लाभ-हानि लेखाको स्थानांतरित	0.00		18.00		34.00	
		0.00		0.00		18.00

लाभ-हानि लेखा में अधिशेष पिछले तुलनपत्र के अनुसार	500.23		835.97		401.96	
घटाएँ-लेन-देन प्रावधानों के अनुसार मूल्य-ह्रास	0.00		0.00		228.96	
जोडे-लाभ-हाणि विवरणसे कर पश्चात लाभ	30084.97		17277.68		42782.13	
जोडे-सी एस आर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधी से स्थानांतरण		0.00		18.00		34.00
विनियोजनके लिए उपलब्ध राशि	30585.20		18131.65		42989.13	
घटाएं: विनियोजन-						
सी एस आर (निगमित समाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधी	0.00		0.00		18.00	
अंतरिक लाभांश 30 प्रतिशत (50%) की दर से	6659.39		5040.00		8400.00	
प्रस्ताविक अंतिम लाभांश (20%)(35%) की दर से	0.00		3360.00		5880.00	
अंतरिम लाभांशपर कर जिसमे अधिभार और उपकर शामिल है।	1355.70		1047.40		1679.51	
अंतिम लाभांश पर कर जिसमें अधिभार और उपकर शामिल है।	0.00		684.02		1175.65	
सामान्य आरक्षित निधी के स्थानांतरण	12500.00		7500.00		25000.00	
	20515.09		17631.42		42153.16	
बकाया अग्रेनीत		10070.70		500.23		835.97
कुल		267215.69		328379.02		321232.76

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र को समेकित टिप्पणियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
टिप्पणी 8.1 गैर-चालु प्रावधान						
ए) अंतिम खदान बंदी खर्च के लिए प्रावधान		934.57		861.81		786.05
टिप्पणी 8.2 अन्य गैर-चालु देयताएँ						
ए) आपूर्तिक र्ताओ, ठेके दारों और अन्यसे सुरक्षा जमा		378.54		96.91		240.48
टिप्पणी 9.1 व्यापार देय						
ए) एम एस एम ई का कुल बकाया शेष	131.66		41.12		156.49	
बी)इतर का कुल बक ाया शेष	4038.51		2490.20		2185.48	
कुल		4170.17		2533.32		2341.97
टिप्पणी 10.1 अन्य चालु देयता						
ए) आपूर्तिक र्ताओं, ठेके दारों और अन्य से सुरक्षा जमा		2903.80		2796.48		2416.58
बी)ग्राहकों से जमा शेष		1944.11		1146.90		671.12
सी) खर्च के लिए देयताएँ		5431.46		5589.98		6389.26
डी) बिना दावे के लाभांश वारंट के लंबित नकदीक रण		155.66		120.73		111.07
ई) पूंजीगत खर्च के लिए देयताए**		3263.84		4168.82		3382.00
एफ) अन्य देयताएँ		886.25		267.98		119.98
जी)शासकीय/वैधानिक देय की देयताएँ		2701.20		2043.43		988.33
कुल		17286.470		16134.32		14078.33
टिप्पणी 10.2 प्रावधान						
ए) ईक्विटी शेयरपर प्रस्ताविक अंतिम लाभांश		0.00		3360.00		5880.00
बी)प्रस्ताविक लाभांशपर करके लिए प्रावधान		0.00		684.02		1175.65
सी) नही ली गई छुट्टी के लिए						
प्रावधान तुलनपत्र की तारीख को देयता	4366.98		4102.65		3892.91	
(-) भारतीय जीवनबीमा निगम के पास निधि*	5311.69		5171.78		5072.36	
	-944.71	0.00	-1069.13	0.00	-1179.45	0.00
डी) ग्रेच्युईटीके लिए प्रावधअन		2090.34		1613.94		0.00
ई)पेशन निधि के लिए प्रावधान		1812.69		1806.01		1697.07
एफ)संयुक्त उद्यम तथा आग्रीम पर हानि के लिए प्रावधान		8.37		0.00		0.00
कुल		3911.40		7463.97		8752.72

*एल आई सी/अन्य बीमादारों के पास देयता से अधिक निधि को पूर्वदत्त खर्चो के अंतर्गत रखा गया है (टिप्पणी 6.1 (बी (6) अल्पकालिक ऋण और आग्रिम)

** पूंजीगत खर्च के लिए देयता में एम एस एस ई को देय रु. 92.98 लाख (रु. 130.36 लाख) शामिल है।

रु. लाख मे

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए		वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए	
टिप्पणी 11.1 प्रचालनसे राजस्व				
ए) खनन उत्पादोंकी बिक्री	90534.37		57179.01	
बी) विनिर्मत उत्पादोंकी बिक्री	7666.73		5369.33	
अन्य प्रचालन आय		98201.10		62548.34
सी) उर्जा की बिक्री		783.39		911.66
कुल		98984.49		63460.00
टिप्पणी 11.2 अन्य आय				
1) ए) प्राप्त ब्याज				
1. सावधिपर जमा	17300.47		24330.38	
2. अन्य	1266.63		81.39	
		18567.10		24411.77
बी) कर्मचारियोंसे वसूली		9.55		10.95
सी) स्क्रैप की बिक्री		14.09		34.92
डी) विद्युत कर सेट ऑफ रिफंड		2323.07		0.00
ई) विविध आय		1196.49		763.32
2) रिटर्न बूडक प्रावधान				
ए)अप्रचलित स्टोर्स कि बिक्री पर प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधान		9.79		0.59
कुल		22120.10		25221.55

31 मार्च 2017 को तुलनपत्र को समेकित टिप्पणियाँ

रु. लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए		वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए	
टिप्पणी 12.1 कच्चे माल की खपत की लागत इलेक्ट्रोलायटिंग मँगेनीज डायॉक्साईड प्लांट				
ए) मँगनीज अयस्क	16.59		13.61	
बी)सल्फ युरिक ॲसिड	19.05		16.73	
सी) सोडियम कार्बोनेट	2.98		2.67	
डी) अन्य	1.90		3.13	
		40.52		36.14
फे रो मँगनीज प्लान्ट				
ए) मँगनीज अयस्क	1757.80		962.84	
बी) कोक	597.04		458.11	
सी) कार्बन पेस्ट	51.63		32.94	
डी) अन्य	353.24		243.94	
		2759.71		1697.83
कुल		2800.23		1733.97

टिप्पणी 13.1 तैयार माल, प्रक्रियागत कार्य और व्यापारगत भंडार की वस्तुसूचीमें परिवर्तन					
ए) खनन उत्पाद					
अंतिक स्कंध		8188.59		13045.91	
(-) प्रारंभिक स्कंध		13045.91		10937.69	
			-4857.32		2108.22
बी)विनिर्मित उत्पाद					
अंतिम स्कं ध		1509.06		1491.40	
(-) प्रारंभिक स्कं ध		1491.40		2299.87	
			17.66		-808.47
	ए		-4839.66		1299.75
घटाये-					
विनिर्मित उत्पादोंके स्कं धपर उत्पादशुल्क					
अंतिम स्कं धपर		167.67		165.71	
(-) प्रारंभिक स्कं धपर		165.71		255.54	
	बी		1.96		-89.93
शुद्ध बढत/-घटत (ए-बी)	कुल		-4841.02		1389.59
टिप्पणी 14.1 कर्मचारी अनुलाभ खर्च					
वेतन, मजदूरी और बोनस			22799.80		21808.15
भविष्य निधी ओर अन्य निधीमें अंशदान			6160.54		6645.73
कल्याण खर्च			1805.87		1669.19
	कुल		30766.21		30123.07
टिप्पणी 14.2 अन्य खर्च					
अन्य विनिर्माण और प्रशासनिक खर्च, बिक्री खर्च और बट्टे खातेमें डालना					
1. ठेके दारों के माध्यम से परिवहन, रेलिंग और अन्य कार्य			8477.35		6708.17
2. स्टोर और स्पअर्स की खपत			5298.49		5104.26
3. बिजली और इंधन			4051.34		3839.98
4. इमारतोंकी मारम्मत और रखरखाव		141.79		387.59	
5. संयंत्र और मशिनरी की मरम्मत और रखरखाव		1029.20		1092.04	
6. अन्यकी मरम्मत और रखरखाव		160.90		157.78	
			1331.89		1637.41
7. किराया			26.10		47.92
8. दर और कर			254.28		234.85
9. बीमा			214.36		199.40
10. लेखा-परिक्षकोंका पारिश्रमिक			21.82		9.47
11. निदेशकों की बैठक फीस			14.42		11.40
12. विज्ञापन			89.64		119.37
13. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणिय विकास पर खर्च			1143.10		1447.39
14. विविध खर्च			2026.35		1664.42

14)ए आयकर पर ब्याज		277.65		0.00
15. रॉयल्टी और उपकर *	5684.97		3689.58	
16. बिक्रीपर नकद छूट	432.50		213.32	
17. आंशिक मालभाडा प्रतिपूर्ति	1525.03		348.67	
18. ई-ऑक्शन पर सेवा शुल्क	42.87		23.41	
19. विनिर्मित उत्पादोंपर उत्पाद शुल्क	791.88		586.23	
20. नमूनाकरण खर्च	20.06		6.08	
		8497.31		4837.39
21. खदानों पर अन्वेषी ड्रिलिंग	253.28		261.05	
22. ब्लास्टिंग/रॉक यांत्रिकी/ स्टोप डिजाईन अध्ययन इत्यादी पर खर्च	215.00		471.56	
		468.28		732.61
23. फेकी गयी आस्तियों को बट्टे खाते में डालना	47.54		88.99	
24. स्टोर्स और स्पेअर्स की कमी को बट्टे खाते में डालना	0.00		7.31	
25. संदिग्ध ऋण और आग्रिम के लिए प्रावधान	33.80		0.00	
26. संयुक्त उद्यम में निवेशकी हानि के लिए प्रावधान	0.00		0.00	
27. अंतिम खदान बंद खर्च के लिए प्रावधान	72.75		75.77	
		154.09		172.07
कुल		32346.47		26796.13

* डिस्ट्रीक्ट मिनरल फंड और नॅशनल मिनरल एक्स प्लोरेशन ट्रस्ट अंशदान सहित टिप्पणी 1.1 से 14.2 वित्तीय विवरण का अभिन्न भाग है।

कृपया वित्तीय विवरणों के संलग्न टिप्पणियाँ देखे
हमारे सम दिनांक का रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स जे. एस. उबेरॉय एण्ड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नं. 111107 डब्ल्यू

सी.ए.अमरजीत सिंकसंधु
भागीदार
सदस्यता क्र . 108665
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 अगस्त 2017

निदेशकमंडलकी ओर से तथा उनके लिए
मुकुंद पी. चौधरी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

नितिन पी. काजरेकर नीरज पाण्डेय
मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी सचिव

यह पृष्ठ स्वेच्छा से खाली छोड़ा गया है

माननीय इस्पात मंत्री श्री चौधरी बिरेन्दर सिंह और
सेक्रेटरी डॉ. अरूणा शर्मा गुमगाँव माईन के दौरे पर

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, (मध्यप्रदेश) इनकी उपस्थिती में
एम ओ यू पर हस्ताक्षर के साथ मध्यप्रदेश सरकार और खनन निगम लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CIN : L99999MH1962GOI012398

PAN : AAACM8952A

मॉयल भवन ,1-ए काटोल रोड, नागपूर-440 013

ईमेल: compliance@moil.nic.in **टेलिफैक्स:** 07122591661

www.moil.nic.in

Orient Press Ltd. Tel. : 4028 5888